जी आर एस ई
GRSE

अदम्य उत्साह और अविचल प्रतिबद्धता का संगम

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

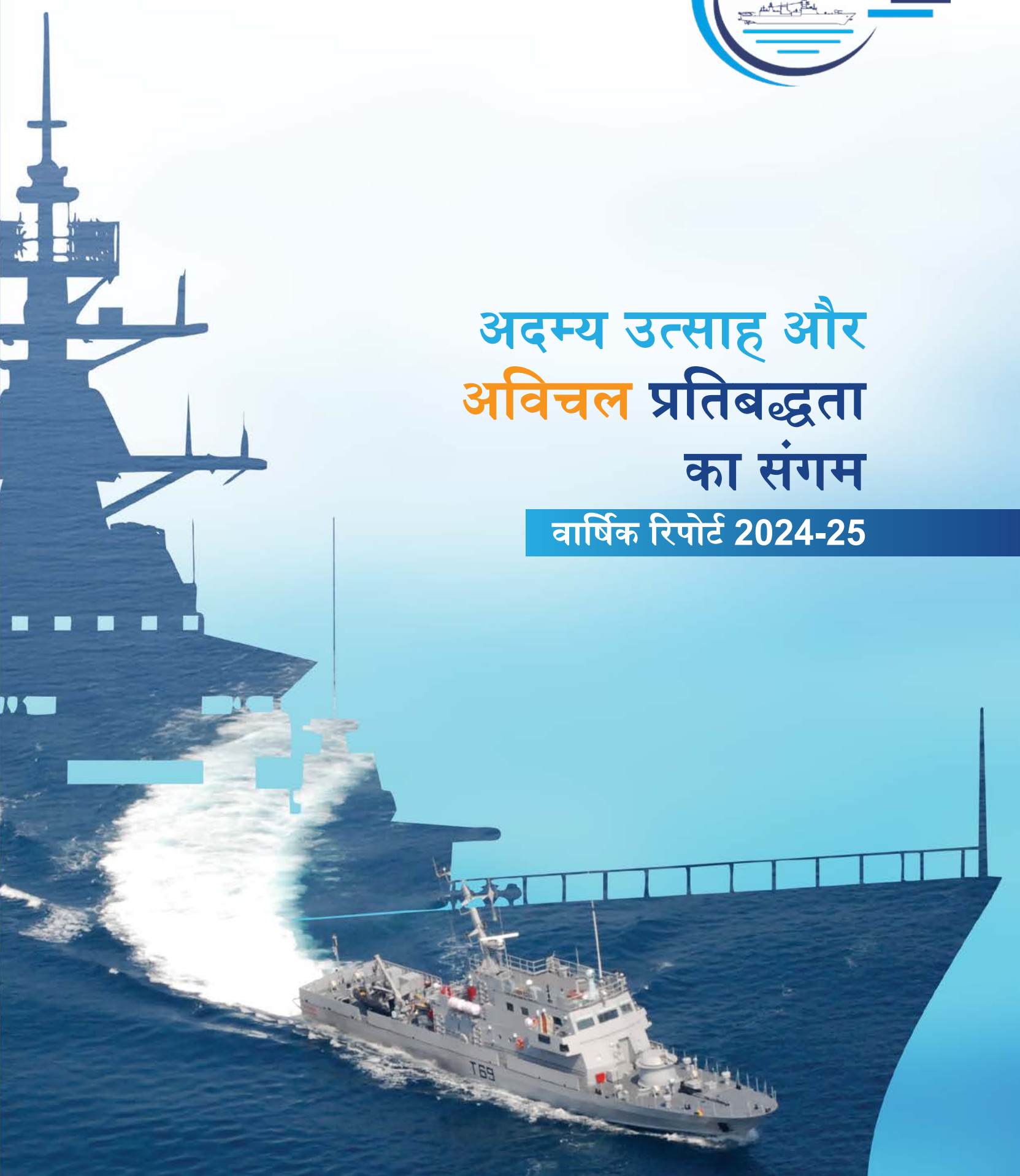

विषयसूची

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	2
जीआरएसई के बारे में	6
व्यवसाय मॉडल	8
दृष्टिकोण, लक्ष्य	9
मूल्य	10
पोत निर्माण कौशल	12
पोत मरम्मत – फ़्लीट रखरखाव सुनिश्चित करना	16
इंजीनियरिंग उत्पाद	18
समुद्री डीजल इंजन	20
जीआरएसई में स्वदेशीकरण	22
10 वर्ष की मुख्य वित्तीय बातें	24
रिश्ते की पूंजी	26
निदेशक मंडल	30
निगमित सूचना	33
निदेशक रिपोर्ट	34
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	77
निगमित शासन पर रिपोर्ट	83
व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	105
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	138
महालेखानियंत्रक की टिप्पणियाँ	147
तुलन पत्र	148
लाभ और हानि का विवरण	149
नकदी प्रवाह विवरण	150
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	152
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	153
109वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	198

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

लोकसभा / राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

सबसे पहले, मैं इस वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे अत्यंत गर्व है कि मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पिछले साढ़े छह दशकों में, आपकी कंपनी ने भारतीय रक्षा क्षेत्र की सेवा हेतु अथक प्रयास किया है, जिसमें पोत निर्माण और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ जोड़ा गया है, और समीक्षाधीन वर्ष कई मायनों में परिवर्तनकारी रहा है। वित्त वर्ष 25 में व्यापक आर्थिक दबाव, भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता देखी गई, फिर भी हम इसे ऐतिहासिक उपलब्धियों वाले वर्ष के रूप में याद रखेंगे।

एक स्पष्ट रणनीति और पूरे संगठन की साझा प्रतिबद्धता के बल पर, यह वर्ष एक ऐसा दौर रहा जिसमें हमारे कई दीर्घकालिक प्रयास मापनीय परिणामों में परिणत होने लगे। आपकी कंपनी को प्रतिष्ठित "शेड्यूल-ए" का दर्जा दिया गया, जो हमारे दृढ़ता, सतत प्रदर्शन और परिचालन उत्कृष्टता का एक उपयुक्त प्रमाण है; जिससे एक अग्रणी पोत निर्माता और एक रणनीतिक राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में हमारी स्थिति और सुदृढ़ हुई।

मजबूत आदेश पुस्तिका, उभरते अवसरों की गतिशील पाइपलाइन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे एवं विकास हेतु उद्देश्य-संचालित प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित, आपकी कंपनी तेजी से गतिशील वैश्विक वातावरण में तेजी से प्रगति करने हेतु रणनीतिक रूप से स्थित है।

मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन

अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद, जिन्होंने हमारी दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता का परीक्षण किया, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के दौरान उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन किया है। अपने इतिहास में पहली बार, कंपनी ने ₹5,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया और परिचालन से कुल ₹5,075 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41% की वृद्धि है। कर-पूर्व लाभ बढ़कर ₹703 करोड़ हो गया, जबकि कर-पश्चात लाभ ₹527 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 46% और 48% की वृद्धि दर्शाता है। प्रति शेयर आय बढ़कर ₹46.04 हो गई और परिचालन लाभ ₹181 करोड़ से बढ़कर ₹368 करोड़ हो गया, जिससे 103% की वृद्धि दर्ज की गई। ये परिणाम सावधानीपूर्वक योजना, प्रभावी खरीद रणनीति और महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बढ़ी हुई परिचालन दक्षता के माध्यम से प्राप्त किए गए।

> **बीते वर्ष जीआरएसई, एक ऐसे संगठन के रूप में स्थिर और व्यवस्थित विकास का स्पष्ट प्रतिबिंब है जिसकी डिज़ाइन क्षमता, वितरण अनुशासन और बहु-क्षेत्रीय निष्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है। हमने सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में डिजिटल अपनाने में तेजी लाई है, परियोजना निष्पादन क्षमताओं को मजबूत किया है और बेहतर एवं अधिक टिकाऊ समाधानों के माध्यम से ग्राहक मूल्य में वृद्धि की है।**

कंपनी के बाजार पूंजीकरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वर्ष के दौरान ₹33,000 करोड़ को पार कर गया। हमने अंतरिम और अंतिम लाभांश सहित कुल ₹158.65 करोड़ के लाभांश भुगतान का प्रस्ताव रखा है, जो शेयरधारकों के प्रतिफल और भविष्य के विकास हेतु पुनर्निवेश के बीच संतुलन बनाए रखने के हमारे दृष्टिकोण को पुष्ट करता है।

परिचालन विशेषताएँ

हमारा वित्तीय प्रदर्शन हमारे पोर्टफोलियो को ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुरूप ढालने और परिचालन प्रदर्शन में सुधार लाने से प्रेरित था, जिससे विभिन्न परियोजनाओं में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुईं। वर्ष के दौरान हमारे पोत निर्माण की उपलब्धियाँ हमारे ग्राहकों के साथ अनुबंध संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर हमारे निरंतर ध्यान को दर्शाती हैं। वर्ष के दौरान, हमने भारतीय नौसेना को द्वितीय सर्वे वेसल (बड़ा) भा. नौ. पो. निर्देशक, डीआरडीओ को एक मानवरहित सतह पोत 'जलदूत' और पश्चिम बंगाल सरकार को एक पूर्णतः विद्युत चालित यात्री जलयान 'ढेऊ' सुपुर्द की। इन उच्च-तकनीकी प्लेटफार्मों की सुपुर्दगी हमारे पोर्टफोलियो की बढ़ती विविधता को दर्शाती है, जिसमें अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों से लेकर स्थायी और स्वायत्त समुद्री प्लेटफार्म शामिल हैं। इसके अलावा, हमने प्रथम एंटी-सबमरिन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जलयान (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) और पहला पी17ए फ्रिगेट भी सुपुर्द किये है, जो दोनों ही महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं।

हम वर्तमान में भारतीय नौसेना हेतु 14 युद्धपोतों का निर्माण कर रहे हैं जिनमें दो पी17ए फ्रिगेट और सात एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी, एक सर्वे वेसल लार्ज (एसवीएल) और चार न्यू जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल

वेसल (एनजीओपीवी) शामिल हैं। पी17ए पोतों में से दूसरा लगभग 80% पूरा हो चुका है और अपने अनुबंधित कार्यक्रम से पहले वित्त वर्ष 26 में सुपर्दगी हेतु तैयार है। तीसरा पी17ए भी लगभग 60% प्रगति पर पहुँच गया है और वित्त वर्ष 27 के दौरान सुपर्दगी हेतु तैयार है। एसवीएल परियोजना के अंतिम दो पोत निर्माण के उन्नत चरणों में हैं और वित्त वर्ष 26 के दौरान डिलीवर किए जाने वाले हैं। सभी चार एनजीओपीवी की शिलान्यास की जा चुकी हैं और यह परियोजना संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रही है।

हरित ऊर्जा पोतों के डिज़ाइन और निर्माण में अर्जित विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, आपकी कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार हेतु ₹226.18 करोड़ मूल्य के 13 हाइब्रिड फ़ेरी निर्माण के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार, अनुसंधान और सर्वेक्षण पोतों के निर्माण में अपनी विशिष्ट क्षमता के साथ, हमने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) से एक महासागर अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु ₹840 करोड़ का ऑर्डर, नौसेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल) से एक ध्वनिक अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु ₹490.98 करोड़ का ऑर्डर और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) से दो तटीय अनुसंधान पोतों के निर्माण हेतु ₹490 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त किया है।

मुझे आपको यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमें एक जर्मन ग्राहक से आठ 7500 डीडब्ल्यूटी बहुउद्देश्यीय पोतों (एमपीवी) के निर्माण के ऑर्डर मिले हैं, जिनका कुल ऑर्डर मूल्य 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह बड़ी सफलता आपकी कंपनी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी यूरोपीय लघु समुद्री नौवहन बाजार में पैर जमाने का मौका देती है और एक उच्च गुणवत्ता वाले पोत निर्माता के रूप में जीआरएसई की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है।

मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी को भारतीय नौसेना हेतु प्रतिष्ठित न्यू जनरेशन कोर्वेट (एनजीसी) परियोजना में सफल बोलीदाता घोषित किया गया है, जिसमें जीआरएसई द्वारा ऐसे पाँच पोतों का निर्माण किया जाएगा।

तीन साल पहले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से रणनीतिक पट्टे पर तीन ड्राई-डॉक का अधिग्रहण करने से पोत मरम्मत क्षेत्र में आपकी कंपनी की वृद्धि को गति मिली है। तब से, यह क्षेत्र लगातार मज़बूत होता गया है और वित्त वर्ष 22 में ₹19 करोड़ से वित्त वर्ष 25 में ₹114 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, जो पर्याप्त वृद्धि और परिचालन दक्षता को दर्शाता है। इस क्षेत्र में ₹172 करोड़ के ऑर्डरबुक के साथ, जीआरएसई ने नौसेना और तटरक्षक प्लेटफार्मों के उच्च मूल्य वाले रीफिट को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया और प्राप्त किया है, जिसमें सेशेल्स सरकार और मॉरीशस सरकार के दो जीआरएसई निर्मित पोतों की रीफिटिंग शामिल है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक पोतों की मरम्मत का कार्य भी किया है।

इस बीच, जीआरएसई ने इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अपने डिलीवरी पदचिह्न का विस्तार जारी रखा है। बेली ब्रिज डिवीजन, एक छोटा वर्टिकल होने के बावजूद, आज पोर्टेबल स्टील ब्रिज के क्षेत्र में भारतीय बाजार में अग्रणी है। डिवीजन द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), भारतीय सेना, विभिन्न राज्य पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) हेतु मॉड्यूलर पुल शामिल हैं। ऐसी परियोजनाएं हमें राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की मुख्य जरूरतों को पूरा करते हुए विविधता लाने में मदद करती हैं, खासकर दूरदराज या ऊबड़-खाबड़ इलाकों में। इस विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ उठाने के दृढ़ प्रयासों, नए उत्पादों की शुरूआत और एक सक्रिय विपणन रणनीति के परिणामस्वरूप इस डिवीजन का राजस्व वित्त वर्ष 25 में ₹145 करोड़ तक बढ़ गया है। इसके अलावा, भारतीय सेना और बीआरओ और एनएचआईडीसीएल जैसे अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों ने वित्त वर्ष 26 में अतिरिक्त विकास के अवसरों की संभावनाओं को बढ़ा दिया है।

डीईपी यूनिट, रांची में, वित्त वर्ष 2025 के दौरान समुद्री डीजल इंजनों के पूर्ण शक्ति परीक्षणों हेतु एक नया परीक्षण स्थल चालू किया गया है। परीक्षण स्थल में 6.7

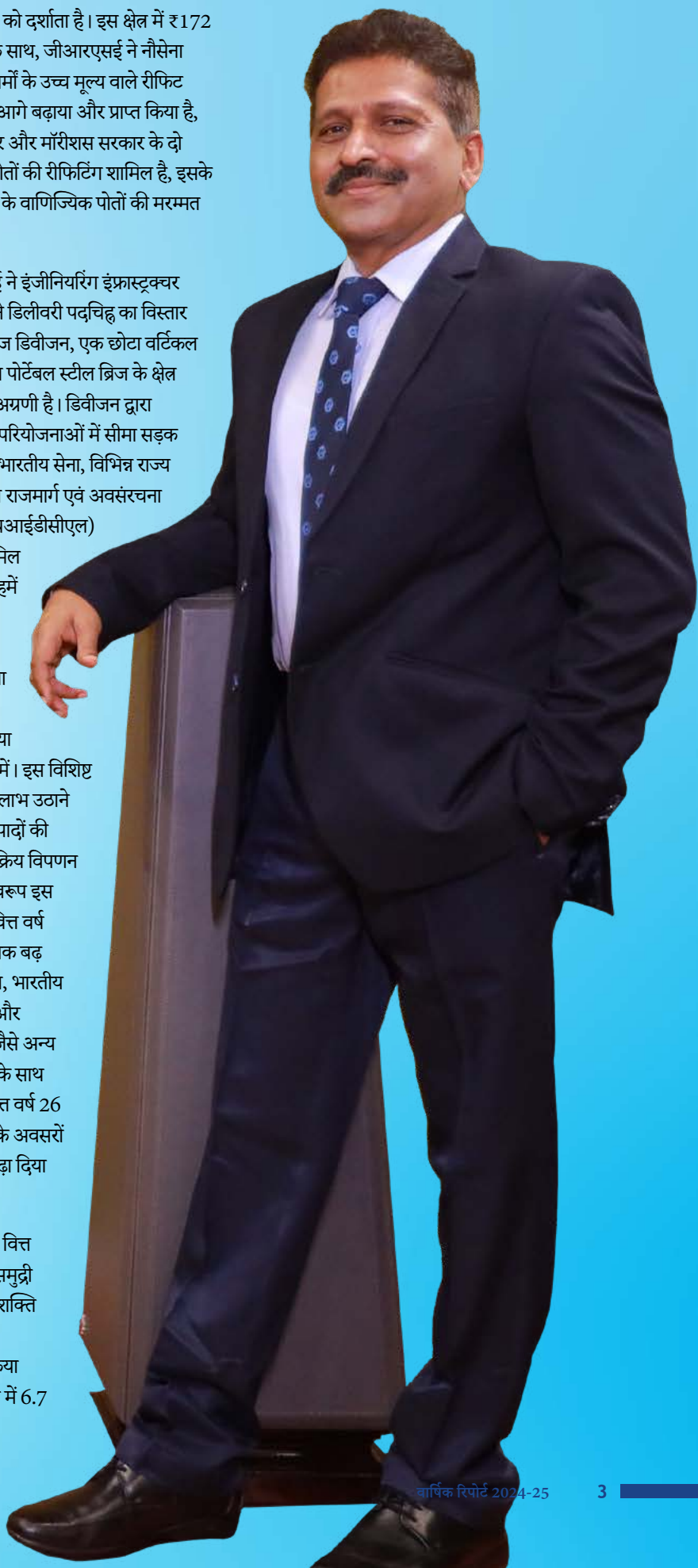

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश जारी.

मेगावाट रेटेड क्षमता का एक स्वदेशी रूप से निर्मित डायनेमोमीटर का प्रावधान किया गया है और इसके साथ, अब दो डीजल इंजनों के पूर्ण शक्ति परीक्षण एक साथ किए जा सकते हैं।

नवाचार और स्वदेशीकरण - हमारे ध्यान देने हेतु क्षेत्र

नवाचार और नई तकनीकों को अपनाना जीआरएसई के संचालन दर्शन का केंद्रबिंदु बना हुआ है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, हमने विभिन्न नौसेना प्रणालियों के सह-विकास हेतु मेसर्स अपोलो माइक्रो सिस्टम्स और मेसर्स मर्लिन हॉक एयरोस्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने नौसेना और वाणिज्यिक प्लेटफार्मों हेतु उन्नत विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन हेतु मेसर्स मेधा सर्वो सिस्टम्स के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ 30 एमएम नौसेना सतह गन के स्वदेशी विकास की दिशा में हमारे प्रयास समुद्री स्वीकृति परीक्षणों के सफल समापन के साथ फलीभूत हुए हैं, जो नौसेना के पोतों पर इस परिष्कृत हथियार प्रणाली की तैनाती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे सतह और पानी के नीचे के स्वायत्त प्लेटफार्म "स्वाधीन" और "नीराक्षी वी2" को अब और अधिक उन्नत क्षमताओं के साथ उन्नत किया गया है, जिनका विभिन्न सेवाओं हेतु सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा चुका है। इन क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, हम भारतीय नौसेना हेतु एएसवी-एमसीएम मेक II परियोजना और एक्सएलएयूवी मेक I परियोजना के विकास हेतु प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं। शिपयार्ड के कार्यों के विभिन्न पहलुओं में एआई को अपनाने में तेजी जारी है और कुल छह एआई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और तीन विकासाधीन हैं। पिछले साल जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना (गेन्स) के सफल शुभारंभ के बाद, दूसरा संस्करण, "गेन्स 24" जुलाई 24 में लॉन्च किया गया था। नवाचार को पोषित करने की इस बेहद सफल पहल में एआई, रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा उत्पादन सहित क्षेत्रों को कवर करते हुए चार परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है। डिजिटल परिवर्तन में जीआरएसई के प्रयासों को मई 25 में "डिजिटल परिवर्तन उत्कृष्टता" पुरस्कार के साथ राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली। गेन्स के पहले दो संस्करणों की सफलता ने हमें प्रेरित किया है और हमने तीसरा संस्करण, गेन्स 25 भी शुरू किया है।

विस्तार - बुनियादी ढाँचा और सहयोग

इसके अलावा, पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर निजी शिपयार्ड के साथ हमारे समझौते भविष्य में वाणिज्यिक पोत निर्माण सहयोग हेतु अवसर प्रदान करते हैं।

इस बीच, हम भारत की प्रस्तावित समुद्री क्लस्टर विकास रणनीति के तहत एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के निर्माण की संभावनाओं को तलाशने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं।

ध्रुवीय अनुसंधान पोतों और अभियान क्रूज पोतों जैसे अन्य विशिष्ट पोतों के डिजाइन और निर्माण में अपनी विशेषज्ञता को और मजबूत करने हेतु, हमने नॉर्वेजियन, स्वीडिश और डेनिश भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

लोगों में निवेश और एक समावेशी कार्यस्थल का निर्माण

जीआरएसई का व्यावसायिक संचालन जन-केंद्रित बना हुआ है, और हमारे कार्यबल में निवेश कंपनी की सफलता का मूल आधार बना हुआ है। हम अपने मौजूदा प्रतिभा पूल को विकसित करने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु नए और अभिनव दृष्टिकोण अपना रहे हैं ताकि वे कंपनी के मिशन से बेहतर ढंग से जुड़ सकें। पिछले एक साल में, हमने कर्मचारियों के कौशल विकास, स्वास्थ्य और नेतृत्व विकास में निवेश बढ़ाया है। संरचित प्रशिक्षण, प्रदर्शन मान्यता और सुपरिभाषित करियर पथ हमें भविष्य हेतु तैयार कार्यबल बनाने में मदद कर रहे हैं। हमने तकनीकी और प्रबंधकीय भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने में भी उल्लेखनीय प्रगति की है और कम प्रतिनिधित्व वाली पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों हेतु अवसर पैदा कर रहे हैं। हमारा "जन-प्रथम" दृष्टिकोण, जो सुरक्षा और समान व्यवहार सुनिश्चित करता है, हमारे संविदा कर्मचारियों तक भी लागू होता है। हम एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण पर केंद्रित हैं जो पहल को प्रोत्साहित करे, सीखने का समर्थन करे और पारस्परिक सम्मान को महत्व दे।

परियोजना के पैमाने और वितरण चक्रों को सहयोग देने के लिए, हमने अपनी समवर्ती पोत निर्माण क्षमता को 20 से बढ़ाकर 28 पोत कर दिया है। यह हमारी मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में अतिरिक्त ड्राई डॉक्स को दीर्घकालिक पट्टे पर लेने के माध्यम से हासिल किया गया है।

परियोजना के पैमाने और डिलीवरी चक्रों का समर्थन करने हेतु, हमने अपनी समवर्ती पोत निर्माण क्षमता को 20 से बढ़ाकर 28 पोत कर दिया है। यह हमारी मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और श्यामा प्रसाद

मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में अतिरिक्त ड्राई डॉक्स को दीर्घकालिक पट्टे पर लेने के माध्यम से हासिल किया गया है।

शासन, स्थायित्व और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना

जीआरएसई का विकास स्थायित्व और सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप बना हुआ है। हमने निरंतर सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, महत्वाकांक्षी स्थायित्व लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्ष के दौरान, हमने अपनी आरबीडी यूनिट में 300 किलोवाट पावर का रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किया है, जिससे हमारी कुल स्थापित सौर क्षमता 2,250 किलोवाट पावर हो गई है, जो हमारे लाइसेंस प्राप्त विद्युत भार के आधे से अधिक को पूरा करने हेतु पर्याप्त है। अन्य चल रहे उपायों में अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था और जल संरक्षण शामिल हैं।

हमारे संगठन के मूल में सत्यनिष्ठा, सम्मान, उत्तरदायित्व, संरक्षा, प्रदर्शन और सहभागिता के सिद्धांत निहित हैं जो सामूहिक रूप से हमारे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं, और पेशेवर और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करते हैं। जिम्मेदार विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे संचालन से आगे बढ़कर समुदाय तक भी फैली हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता में हमारे आउटरीच कार्यक्रमों से हमारे संचालन क्षेत्रों के आसपास के कई इलाकों को लाभ हुआ है। ये पहल हमारे ईएसजी ढांचे का अभिन्न अंग हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी पहुँच बढ़ाने और उनके प्रभाव को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हूँ।

कंपनी ने आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और सेबी लिस्टिंग विनियमों द्वारा तैयार कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया है। कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु आपकी कंपनी को लगातार "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है।

उद्देश्यपूर्ण भविष्य की ओर अग्रसर

हमारी कंपनी के गतिशील व्यावसायिक परिदृश्य को देखते हुए, हम आशा और प्रत्याशा के साथ वित्त वर्ष 26 की ओर देख रहे हैं। आगामी वर्ष हेतु डिलीवरी शेड्यूल मज़बूत रहने की उम्मीद है, जिसमें पी17ए, एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी और सर्वे वेसल (बड़े) सहित विभिन्न परियोजनाओं के प्रमुख चरणों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल होने की संभावना है। व्यापक ऑर्डर पाइपलाइन सक्रिय बनी हुई है, जिसमें भारतीय नौसेना हेतु प्रतिष्ठित ₹25000+ करोड़ के नए पीढ़ी के कॉर्वेट और घरेलू तथा निर्यात दोनों प्रकार के वाणिज्यिक पोतों हेतु अनुबंध पूरा होने की उम्मीद है।

पोतों और पूरी क्षमता से संचालित अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्डों की बढ़ती वैश्विक माँग के साथ, जीआरएसई अपनी पोत निर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने और खुद को एक वैश्विक पोत निर्माता के रूप में स्थापित करने हेतु तैयार है। इसके अलावा, सरकार के पोत निर्माण प्रोत्साहन कार्यक्रमों, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और अमृत काल विज़न 2047 के साथ, पोत निर्माण के अवसर निरंतर बढ़ते रहेंगे।

हम जानते हैं कि माहौल गतिशील बना हुआ है, लेकिन हमें अपनी स्थापित प्रणालियों, प्रतिभा और अनुशासन पर पूरा भरोसा है। हम यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि शेयरधारक मूल्य न केवल वित्तीय परिणामों के माध्यम से, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और संस्थागत विश्वसनीयता के माध्यम से भी सृजित हो।

निष्कर्ष

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, "सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे," और मैं गर्व और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि टीम जीआरएसई बड़े सपने देखती है!

वित्त वर्ष 25 अनुकरणीय प्रदर्शन का वर्ष रहा है जिसने भविष्य हेतु एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण निर्धारित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये असाधारण उपलब्धियाँ विभिन्न कार्यों में निरंतर सुधार और उत्कृष्टता प्राप्त करने की ललक का परिणाम हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी कंपनी अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट नहीं होगी और अपने सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाते हुए, नए उद्देश्य की भावना के साथ उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहेगी।

मैं रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग और केंद्र व राज्य सरकारों के प्रति उनके दृष्टिकोण, समर्थन और मार्गदर्शन हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सड़क संगठन के विश्वास और भरपूर सहयोग हेतु भी आभारी हूँ। निरंतर उत्कृष्टता की ओर इस यात्रा में अटूट समर्थन हेतु निदेशक मंडल, हमारे कर्मचारियों, आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों और प्रौद्योगिकी भागीदारों का हार्दिक धन्यवाद। मैं जीआरएसई में निरंतर विश्वास और भरोसे हेतु अपने शेयरधारकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपनी यात्रा के अगले चरण की शुरुआत करते हुए, मैं आपके दृढ़ और पूरे दिल से समर्थन की आशा करता हूँ। आशा और विश्वास की भावना के साथ, हम सफलता और उत्कृष्टता की नई ऊँचाइयों को छूने का लक्ष्य रखते हैं।

जय हिन्द

कमोडोर पीआर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जीआरएसई के बारे में

जीआरएसई भारत के प्रमुख पोत निर्माण उद्यमों में से एक है, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पोत निर्माण कंपनी है । एक गौरवशाली विरासत के साथ, जीआरएसई को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक हेतु युद्धपोत बनाने वाला देश का पहला शिपयार्ड होने का गौरव प्राप्त है।

विगत वर्षों में, जीआरएसई ने 100 से अधिक अत्याधुनिक युद्धपोतों का निर्माण किया है, जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति इसकी बेजोड़ विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी के विविध उत्पाद पोर्टफोलियो में जटिल नौसैनिक युद्धपोतों से लेकर अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ, जिनमें वाणिज्यिक पोत, उन्नत डेक मशीनरी, समुद्री डीजल इंजन, नेवल सरफेस गन और बेली-प्रकार के पोर्टेबल स्टील ब्रिज शामिल हैं।

जीआरएसई भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, साथ ही वैश्विक स्तर पर देश के पोत निर्माण कौशल में भी योगदान देता रहा है।

व्यवसाय मॉडल

स्वदेशीकरण
पोत निर्माण
दृष्टिकोण
वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पोत निर्माता के रूप में उभरना, डिजाइन, नवोन्मेष, इंजीनियरिंग, टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता और विश्व स्तरीय समुद्री पोतों और प्रणालियों की समय पर सुपुर्दगी हेतु मान्यता प्राप्त करना - वित्त वर्ष 2035 तक महारत्न मान्यता की ओर अग्रसर होना
सह – रेटिंग मूल्य
गुणवत्ता आश्वासन
इंजीनियरिंग
इंजन
नवोन्मेष

दृष्टिकोण

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पोत निर्माता के रूप में उभरना, डिजाइन, नवोन्मेष, इंजीनियरिंग, टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता और विश्व स्तरीय समुद्री पोतों और प्रणालियों की समय पर सुपुर्दगी हेतु मान्यता प्राप्त करना - वित्त वर्ष 2035 तक महारत्न मान्यता की ओर अग्रसर होना

लक्ष्य

डिजाइन क्षमता में आत्मनिर्भर होना और अत्याधुनिक निर्माण प्रक्रियाओं को लागू करना ।

प्रतियोगी मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण युद्धपोतों का निर्माण, सुपुर्दगी समय और उत्पाद सहायता के मामले में ग्राहक की अपेक्षा से अधिक की पूर्ति ।

ग्राहक संतुष्टि,उत्पाद नवोन्मेष,निर्यात संभावनाओं पर पकड़, कर्मचारी और अन्य हितधारक जुड़ाव तथा प्रतिभा विकास के माध्यम से निरंतर विकास प्राप्त करना।

भारत सरकार की पहल और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा कर संचालन के सभी क्षेत्रों मे "सुधार एवं परिवर्तन" ताकि निष्पादन के अगले स्तर को प्राप्त किया जा सके ।

नए भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन का विस्तार करना और नवोन्मेष के माध्यम से उत्पाद पोर्टफोलियों को बढ़ाना ।

मूल्य

निष्पक्षता

जीआरएसई अपने संचालन के सभी स्तरों पर निष्पक्षता पर आधारित एक ठोस प्रतिष्ठा बनाने हेतु समर्पित है। यह ईमानदारी से व्यवसाय करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी बातचीत चाहे ग्राहकों, विक्रेताओं, भागीदारों या आंतरिक टीमों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ की जाए। यह नैतिक दृष्टिकोण न केवल विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि एक स्थिर और सम्मानजनक व्यावसायिक वातावरण को भी बढ़ावा देता है। निष्पक्ष व्यवहार पर जीआरएसई के फोकस ने दीर्घकालिक संबंधों और बार-बार व्यावसायिक जुड़ाव को जन्म दिया है, क्योंकि हितधारकों को कंपनी के सुसंगत और सैद्धांतिक आचरण में विश्वास मिलता है। लेन-देन में पारदर्शिता पूरे संगठन में विश्वसनीयता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है ।

उदारता

जीआरएसई में, उदारता मान्यता, पुरस्कार और सामूहिक सफलता की संस्कृति में परिलक्षित होती है। कंपनी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास संगठन की समग्र उपलब्धियों में योगदान देता है और इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि सफलता सभी स्तरों पर साझा की जाए। संरचित पुरस्कारों, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों और नियमित सम्मान कार्यक्रमों के माध्यम से, जीआरएसई कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और निष्ठा को सक्रिय रूप से बढ़ाता है। योगदान का जश्न मनाकर और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देकर, कंपनी टीम भावना को मजबूत करती है और एक प्रेरित कार्यबल का पोषण करती है। यह उदारता व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का समर्थन करने तक भी फैली हुई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्ति संगठन के साथ-साथ आगे बढ़ें ।

उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर

जीआरएसई अपने संचालन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता हेतु निरंतर प्रयासरत है। यह अपने उत्पादों को परिष्कृत करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्राहक संतुष्टि के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कंपनी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु आधुनिक तकनीकों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं और कर्मचारी कौशल विकास में सक्रिय रूप से निवेश करती है। परिचालन उत्कृष्टता को संरचित योजना, प्रदर्शन मापन और जवाबदेही की संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। नवोन्मेष को बढ़ावा देकर और परिवर्तन को अपनाकर, जीआरएसई यह सुनिश्चित करता है कि वह उभरते उद्योग रुझानों से आगे रहे और भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखे। उत्कृष्टता की खोज केवल एक लक्ष्य नहीं है - यह कंपनी के रग रग में समाहित है।

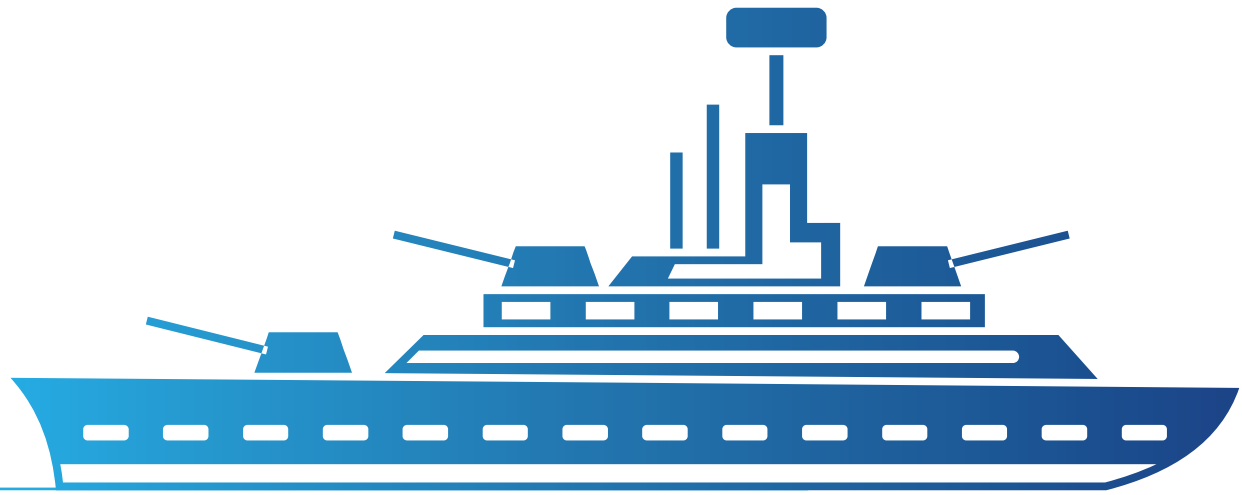

सामुदायिक भागीदारी

जीआरएसई समाज में अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है और अपने संचालन क्षेत्रों के समुदायों के उत्थान और विकास हेतु समर्पित है। अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से, कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे के विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और कौशल निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है। जीआरएसई समाज हेतु दीर्घकालिक मूल्य सृजन में विश्वास करता है और जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हेतु निरंतर प्रयास करता रहता है। कंपनी समुदाय की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्थानीय हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है, जिससे सद्भावना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। सामुदायिक भागीदारी के प्रति इसका दृष्टिकोण उत्तरदायित्व और नागरिकता की गहरी भावना को दर्शाता है।

नवोन्मेष

नवोन्मेष, जीआरएसई की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता का एक प्रमुख स्तंभ है। कंपनी सक्रिय रूप से उभरते बाज़ार की ज़रूरतों की पहचान करती है, नई तकनीकों की खोज करती है और ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप उन्नत समाधान विकसित करती है। डिज़ाइन में सुधार से लेकर उत्पादन तकनीकों तक, जीआरएसई अपने सभी विभागों में प्रयोग और रचनात्मकता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। यह समुद्री नवोन्मेष में अग्रणी बने रहने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करता है। अपनी नवोन्मेष रणनीतियों को भविष्य की रक्षा और वाणिज्यिक माँगों के साथ जोड़कर, जीआरएसई यह सुनिश्चित करता है कि वह गतिशील वैश्विक परिवेश में चुस्त और लचीला बना रहे। संगठन का मानना है कि नवोन्मेष एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है।

कर्मचारियों के कल्याण के प्रति चिंता

जीआरएसई अपने कर्मचारियों को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानता है और उनके समग्र कल्याण पर विशेष ध्यान देता है। कंपनी एक ऐसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देती है जहाँ कर्मचारियों के विचारों का स्वागत और सम्मान किया जाता है, और व्यक्तिगत योगदान को महत्व दिया जाता है। जीआरएसई यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए करियर विकास के अवसर, प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षण संसाधन आसानी से उपलब्ध हों। कंपनी एक सहायक, समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थल बनाकर कार्य-जीवन संतुलन और मनोवैज्ञानिक कल्याण को भी बढ़ावा देती है। कर्मचारी संतुष्टि और जुड़ाव को प्राथमिकता देकर , जीआरएसई न केवल उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि एक निष्ठावान और प्रतिबद्ध कार्यबल का निर्माण भी करता है जो संगठन के मिशन में सार्थक योगदान देता है।

पोत निर्माण कौशल

जीआरएसई की पोत निर्माण विशेषज्ञता भारत की समुद्री रक्षा क्षमता की आधारशिला है। देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित शिपयार्डों में से एक के रूप में, जीआरएसई ने दशकों से तकनीकी रूप से उन्नत नौसैनिक और वाणिज्यिक पोतों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण किया है। कंपनी अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों, तेज़ गश्ती पोतों , लैंडिंग क्राफ्ट आदि का निर्माण करके भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को सहयोग प्रदान करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाती है। इसका अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा, कुशल कार्यबल और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन इसे सटीकता और गति के साथ विश्वस्तरीय पोत बनाने में सक्षम बनाता है। बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्यों के बीच, जीआरएसई भारत की समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने के साथ-साथ निर्यात के अवसरों की भी खोज कर रहा है। पोत निर्माण उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनने की देश की क्षमता को रेखांकित करती है।

वित्त वर्ष 2025 हेतु पोत निर्माण की मुख्य विशेषताएं

4,757.03 करोड़
वित्त वर्ष 2025 में कुल पोत निर्माण आय (वित्त वर्ष 24 में 3,280.33 करोड़ रुपये की तुलना में)

40
जलयान निर्माणाधीन

4
सुपुर्दगी

3
शिलान्यास

8
नए अनुबंध हासिल

पोत निर्माण *कौशल*

फ्रिगेट

ये शक्तिशाली युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों और निगरानी प्रणालियों से लैस होकर समुद्र के अनिवार्य रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी बहु-भूमिका क्षमता उन्हें राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा करने और जटिल नौसैनिक परिदृश्यों में परिचालन श्रेष्ठता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

मिसाइल कोर्वेट

कॉम्पैक्ट लेकिन बेहद शक्तिशाली मिसाइल कोर्वेट जीआरएसई के नौसैनिक रक्षा बेड़े का एक प्रमुख घटक हैं। ये पोत अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से सुसज्जित हैं और आक्रामक और रक्षात्मक समुद्री अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एंटी सबमरीन वारफेयर कोर्वेट

पानी के अंदर खतरों का पता लगाने और उसे बेअसर करने के उद्देश्य से निर्मित, ये कोर्वेट समुद्री सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी उन्नत सोनार प्रणालियाँ और पनडुब्बी रोधी हथियार इन्हें पानी के अंदर रक्षा हेतु अपरिहार्य बनाते हैं ।

लैंडिंग शिप टैंक और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी

ये पोत-थल सैन्य अभियानों हेतु महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सैनिकों, उपकरणों और वाहनों को तटरेखाओं तक पहुँचाने में सक्षम बनाते हैं। ये युद्ध और मानवीय अभियानों में रणनीतिक गतिशीलता और रसद सहायता प्रदान करते हैं।

सर्वे वेसल

जलविज्ञान और समुद्र विज्ञान संबंधी सर्वेक्षणों हेतु डिज़ाइन किए गए ये पोत समुद्री मानचित्रण और नौवहन संबंधी डेटा एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सुरक्षित नौवहन और रणनीतिक समुद्री योजना के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं।

पेट्रोल वेसल

पेट्रोल वेसल (अपतटीय और अंतर्देशीय दोनों) तटीय जल की सुरक्षा करते हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जल में कानून प्रवर्तन बनाए रखते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और गतिशीलता उन्हें निगरानी, तस्करी-रोधी और खोज-बचाव अभियानों हेतु आदर्श बनाती है।

फ्लीट रीप्लेनिशमेंट टैंकर

फ्लीट टैंकर, समुद्र में ईंधन, ताज़ा पानी और रसद की आपूर्ति करके नौसेना के बेड़े की सहनशक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। ये पोत बंदरगाह पर वापस आए बिना बेड़े के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करके मिशन की स्थिरता को बढ़ाते हैं।

डब्ल्यूजे-एफएसी, होवर क्राफ्ट और फास्ट इंटरसेप्टर नाव

ये उच्च गति वाले नाव त्वरित प्रतिक्रिया मिशनों और तटीय रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं । अवरोधन, गश्त और बचाव कार्यों के लिए सुसज्जित, ये नाव जीआरएसई की रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करते हैं। जीआरएसई के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के साथ उसके दीर्घकालिक विश्वास से आता है।

पोत मरम्मत - बेड़े का रखरखाव सुनिश्चित करना

जीआरएसई ने पोत मरम्मत और रखरखाव में खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है, जिसने श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे देशों के नौसैनिक और वाणिज्यिक बेड़े को सेवा प्रदान की है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, कंपनी ने अनुसूचित, अनिर्धारित और आपातकालीन मरम्मत के प्रबंधन के लिए सुसज्जित एक समर्पित पोत मरम्मत यूनिट स्थापित की है। इस टीम में समुद्र और तट पर 25 वर्षों से अधिक के संयुक्त अनुभव वाले पेशेवर शामिल हैं। इस यूनिट को एक मजबूत विक्रेता नेटवर्क, भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला और जीआरएसई की डिज़ाइन और उत्पादन टीमों से मजबूत तकनीकी सहायता का लाभ मिलता है। उनकी सेवाएँ ड्राई डॉकिंग, रीफिट प्रबंधन, और यांत्रिक, विद्युत, हाइड्रोलिक और पाइपिंग कार्यों के साथ-साथ विफलता विश्लेषण और तकनीकी अध्ययनों तक फैली हुई हैं। जीआरएसई हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में बेड़े की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सेवाकालीन सहायता सुनिश्चित करता है, जिससे एक भरोसेमंद रखरखाव भागीदार के रूप में इसकी भूमिका और मजबूत होती है।

पोत मरम्मत प्रभाग से राजस्व जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹19 करोड़ के स्वतंत्र संचालन के साथ शुरु हुआ था, वित्त वर्ष 2024-25 में कई गुना बढ़कर ₹113.82 करोड़ हो गया है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए उच्च मूल्य के रिफिट और तट रक्षकों और वाणिज्यिक पोतों की परियोजनाओं से समर्थन मिला है।

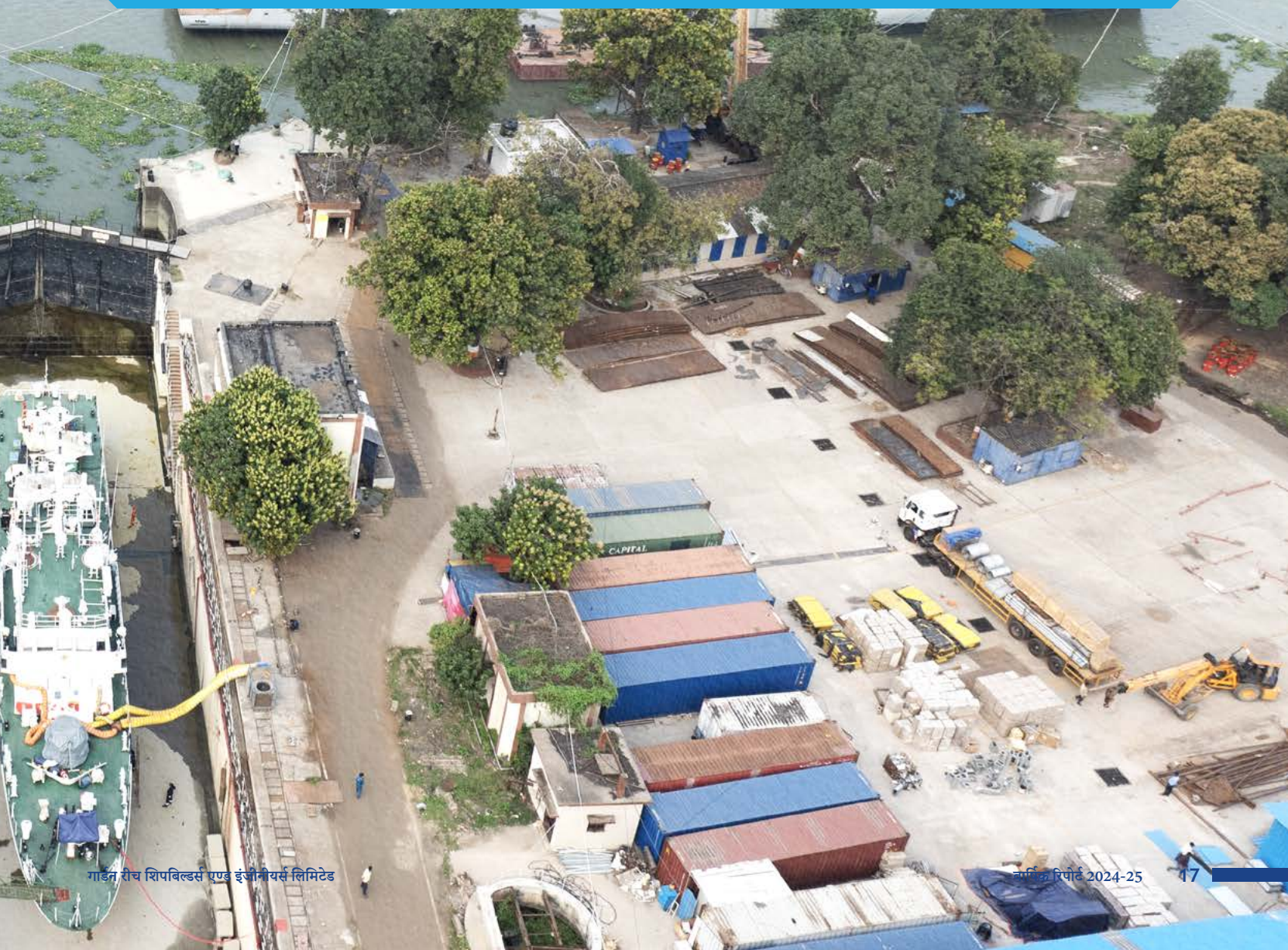

इंजीनियरिंग उत्पाद

जीआरएसई का इंजीनियरिंग प्रभाग विविधीकरण, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी पोत निर्माण विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, जीआरएसई उन्नत इंजीनियरिंग उत्पाद प्रदान करता है जो भारत के बुनियादी ढाँचे और रक्षा क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करते हैं। यह प्रभाग पोर्टेबल पुल और विशेष डेक मशीनरी का निर्माण करता है, जो इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और नवाचार को दर्शाता है। भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हुए, यह प्रभाग अनुकूलित समाधान प्रदान करने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार जारी रखा है। यह राष्ट्रीय इंजीनियरिंग क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही समुद्री इंजीनियरिंग में जीआरएसई के वैश्विक नेतृत्व को भी मजबूत करता है।

इंजीनियरिंग प्रभाग कारोबार (2024-25):
₹149.79 करोड़ (2023-24 में ₹167.17 करोड़ बनाम)

उत्पादन:
2023-24 में 90 पुलों (6,750 एमटी)
बनाम 102 पुलों (7,715 एमटी)

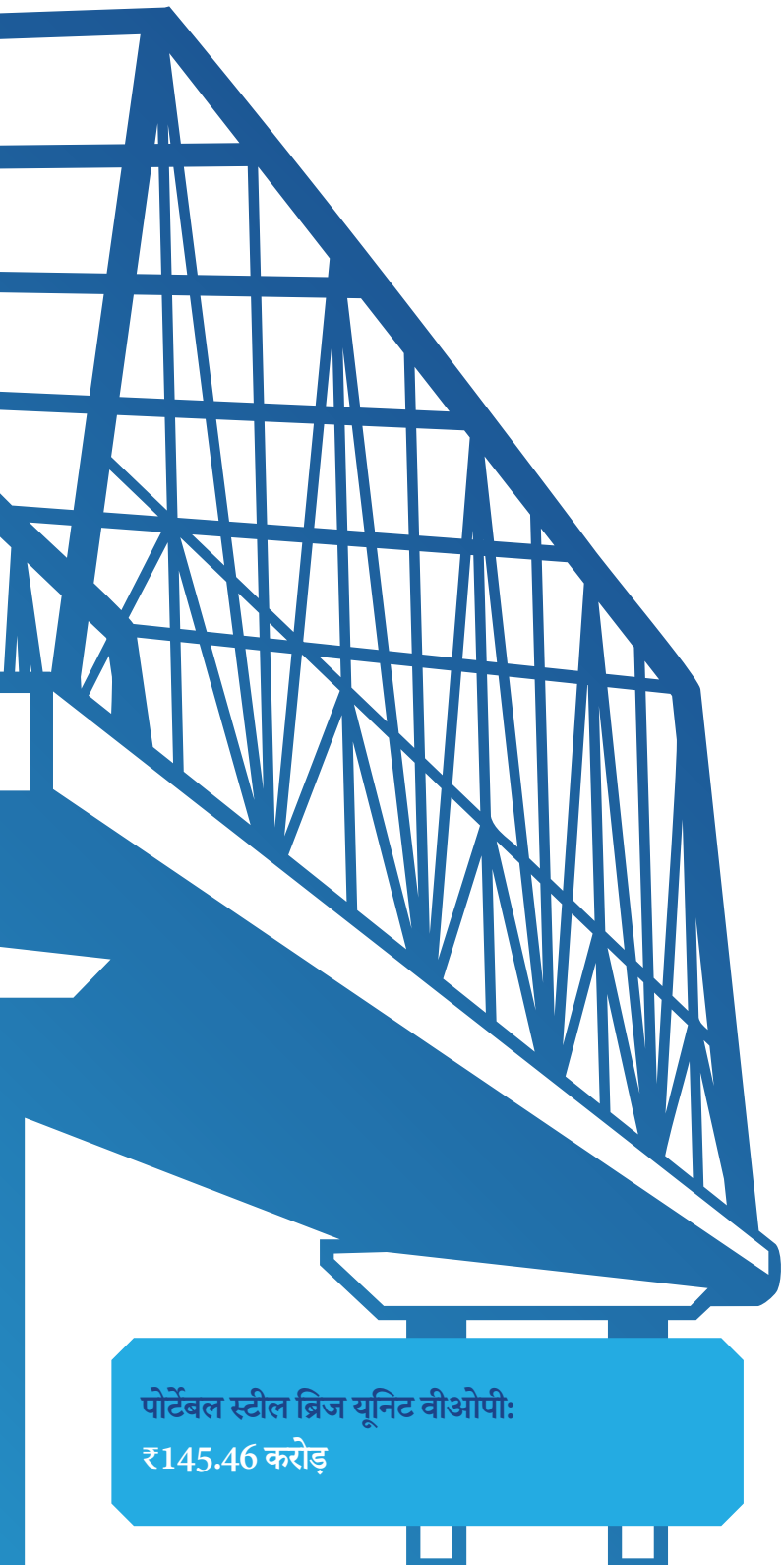

पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट वीओपी:
₹145.46 करोड़

निर्यात:
नेपाल और भूटान को 27.93 करोड़ रुपये मूल्य के 14 सेट

एक विविध पोर्टफोलियो

पोर्टेबल ब्रिज

जीआरएसई के पोर्टेबल ब्रिज गतिशीलता और लचीलेपन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उन्हें आपातकालीन या दूरस्थ क्षेत्रों में त्वरित तैनाती के लिए आदर्श बनाते हैं। आसानी से जोड़े और तोड़े जा सकने वाले, ये पुल उन जगहों पर महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं जहाँ पारंपरिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध नहीं है। ये पुल आपदा राहत, सैन्य रसद और ग्रामीण पहुँच मिशनों में विशेष रूप से मूल्यवान हैं।

डेक मशीनरी मदें

जीआरएसई स्वदेशीकरण और विश्वसनीयता पर ज़ोर देते हुए उन्नत डेक मशीनरी की एक श्रृंखला का विकास और निर्माण करता है। ये प्रणालियाँ कठोर समुद्री वातावरण का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और लंगर डालने, खींचने और माल ढोने जैसे मुख्य पोत संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका मज़बूत डिज़ाइन और तकनीकी सटीकता पोतों के समग्र प्रदर्शन और सुरक्षा को बढ़ाती है।

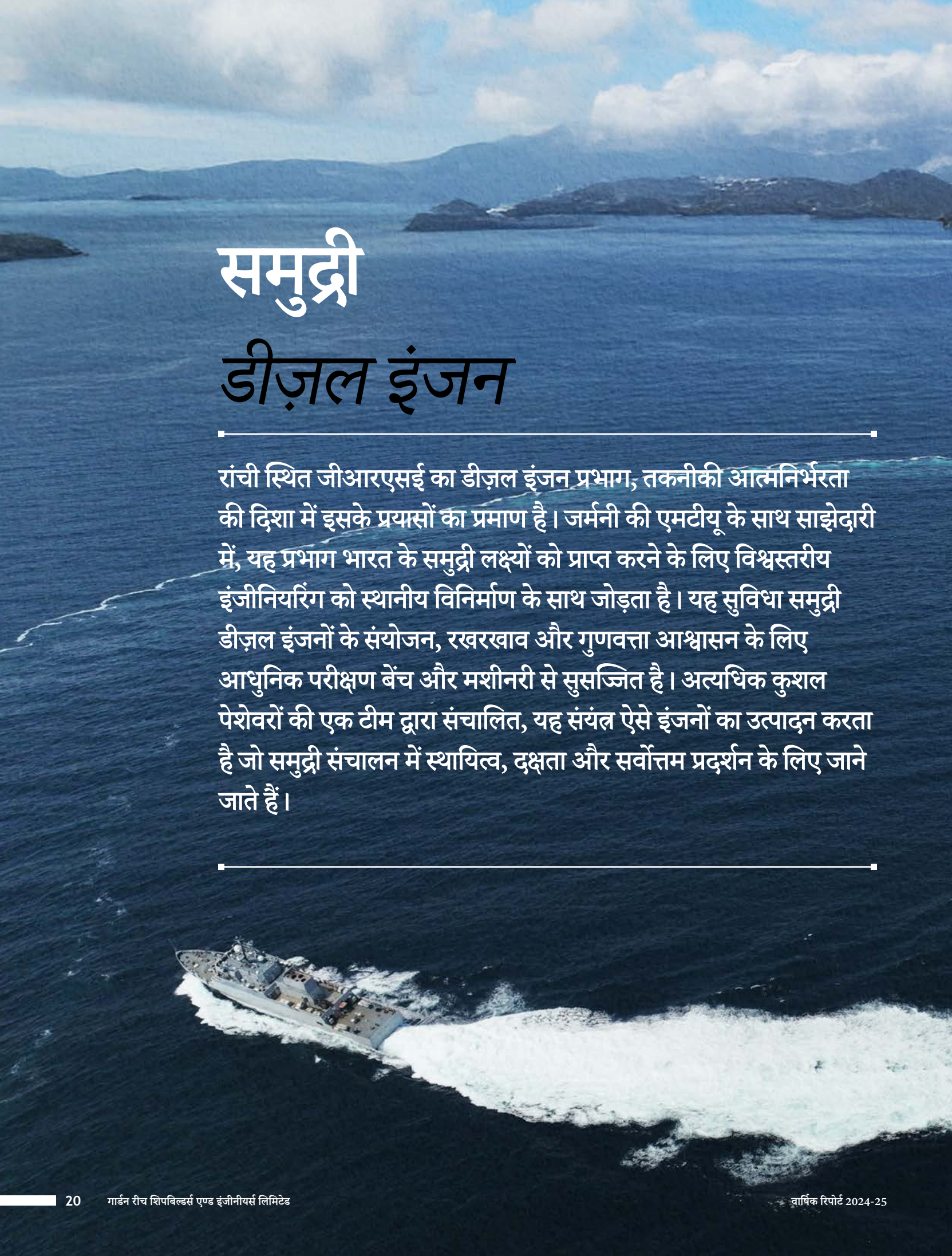

समुद्री डीज़ल इंजन

रांची स्थित जीआरएसई का डीज़ल इंजन प्रभाग, तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में इसके प्रयासों का प्रमाण है। जर्मनी की एमटीयू के साथ साझेदारी में, यह प्रभाग भारत के समुद्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग को स्थानीय विनिर्माण के साथ जोड़ता है। यह सुविधा समुद्री डीज़ल इंजनों के संयोजन, रखरखाव और गुणवत्ता आश्वासन के लिए आधुनिक परीक्षण बेंच और मशीनरी से सुसज्जित है। अत्यधिक कुशल पेशेवरों की एक टीम द्वारा संचालित, यह संयंत्र ऐसे इंजनों का उत्पादन करता है जो समुद्री संचालन में स्थायित्व, दक्षता और सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं।

जीआरएसई *में स्वदेशीकरण*

जीआरएसई "मेक इन इंडिया" पहल का समर्थन करता रहा है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह-उत्पादन, आंतरिक डिज़ाइन और स्थानीय विनिर्माण के माध्यम से स्वदेशीकरण को आगे बढ़ा रहा है। अपने पोतों और प्रणालियों में स्थानीय रूप से प्राप्त घटकों को एकीकृत करके, जीआरएसई आयात पर निर्भरता कम करता है और भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करता है।

रक्षा क्षमताओं का विस्तार

एक ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षा मंत्रालय के साथ 30 एमएम नेवल सरफेस गन के लिए ₹248.50 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर होना था, जिसमें 60% स्वदेशी सामग्री खरीद (इंडिया)' श्रेणी के अंतर्गत है। जीआरएसई अगले पाँच वर्षों में 97 अतिरिक्त प्रणालियों के लिए मेक-II कार्यक्रम से भी जुड़ा है और भारतीय तटरक्षक बल की आवश्यकताओं के लिए उनके साथ संपर्क में है।

पोत निर्माण में, जीआरएसई ने उच्च स्वदेशी फिट स्तर हासिल किया है—पनडुब्बी रोधी उथले जलयानों में 90% से अधिक, सर्वेक्षण पोत (बड़े) में 87% और पी17ए फ्रिगेट्स में 80%। रक्षा मंत्रालय की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के अंतर्गत प्रगति में 41 में से 30 वस्तुओं का सफल स्थानीयकरण शामिल है, जबकि सृजन पोर्टल पर 57 में से 39 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया गया है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

कंपनी ने एआई-सक्षम वेल्डिंग हेलमेट और वाल्व नियंत्रण के लिए लचीली रॉड गियरिंग जैसी नई तकनीकों को पेश किया है। इसने युद्धपोत निर्माण के अलावा बांग्लादेश को 13 मीटर लंबी गश्ती नौकाएँ प्रदान करके और मॉड्यूलर स्टील ब्रिज, मध्यम गति के इंजन और शाफ्टिंग समाधानों में अपनी क्षमताओं को मजबूत करके भी विविधता लाई है।

उन्नत हथियार और सेंसर

जीआरएसई भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नौसैनिक तकनीकों का विकास कर रहा है। इनमें अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए 30 एमएम नेवल सरफेस गन और पनडुब्बी का पता लगाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार शामिल हैं, जिनका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा क्षमता को मज़बूत करना है।

हालिया उपलब्धियाँ

- 30 एमएम नेवल सरफेस गन: स्वदेशी रूप से विकसित और मई 2025 में समुद्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अर्णाला-श्रेणी के युद्धपोतों के लिए डिज़ाइन किया गया, इसमें एक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल है।
- मानवरहित सतह पोत 'जलदूत': निगरानी, टोही और सामरिक सहायता सहित स्वायत्त समुद्री संचालन के लिए डीआरडीओ के एनएसटीएल को वित्त वर्ष 2024-25 में सुपुर्द किया गया।

घरेलू उत्पादन को मज़बूत करना

पनडुब्बी रोधी युद्धक कोर्वेट और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोतों में 85% से ज़्यादा सामग्री स्वदेशी है। रांची स्थित डीज़ल इंजन संयंत्र का आधुनिकीकरण स्थानीयकरण को और बढ़ावा देगा, जिसका लक्ष्य इंजन के 40% पुर्जों का स्वदेशीकरण करना है।

10 वर्षों की मुख्य *वित्तीय बातें*

लाख रु. में

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वित्तीय स्थिति										
इक्विटी शेयर पूंजी	12384	12384	11455	11455	11455	11455	11455	11455	11455	11455
आरक्षित एवं अधिशेष	101042	95767	90698	92376	92568	102257	114334	129927	155889	196471
निवल मूल्य	113426	108151	102154	103831	104023	113712	125789	141382	167344	207926
नियोजित पूंजी	110613	98112	102154	103831	104023	113712	125789	141382	167344	207926
सकल ब्लॉक	56640	60454	47233	39959	43081	49614	68703	72970	75421	81618
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	34370	35834	38917	30225	30369	34020	50065	50761	49257	51516
कार्यकारी पूंजी	76243	62278	60249	68476	56100	54298	56904	72497	98943	137494
प्रचालन परिणाम										
बिक्री	30668	22162	23390	14677	21784	51573	21262	33234	112758	107773
उत्पादन मूल्य	166075	92784	134552	137877	142470	113276	174528	254784	358846	507098
संयोजित मूल्य	63970	47487	62659	61398	68734	66966	81088	95381	133521	147975
कर पूर्व लाभ/(हानि)	24915	2089	12775	17896	22387	20712	25724	30522	48092	70329
कर हेतु प्रावधान	8710	865	3535	6902	6039	5365	6771	7709	12365	17589
कर पश्चात लाभ/(हानि)	16205	1223	9240	10994	16348	15347	18953	22812	35727	52740
विनियोजन										
सीएसआर आरक्षित	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित	1607	-	9554	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी पर प्रस्तावित लाभांश	5322	5408	5080	7,961	8179	5728	6644	7102	10722	15865
प्रस्तावित लाभांश पर कर	1083	1101	1034	1636	1352	-	-	-	-	-
अनुपात										
पीबीटी लाभ/नियोजित पूंजी	0.23	0.02	0.13	0.17	0.22	0.18	0.20	0.22	0.29	0.34
पीबीटी / उत्पादन (वीओपी)	0.15	0.02	0.10	0.13	0.16	0.18	0.15	0.12	0.13	0.14
उत्पादन (वीओपी)/नियोजित पूंजी	1.50	0.95	1.32	1.33	1.37	1.00	1.39	1.80	2.14	2.44
संयोजित मूल्य/ उत्पादन (वीओपी)	0.39	0.51	0.47	0.45	0.48	0.59	0.46	0.37	0.37	0.29
कर्मचारियों की संख्या	2592	2401	2214	2100	1973	1900	1790	1747	1649	1690

कारोबार (वीओपी)

करोड़ ₹ में

वित्तीय वर्ष 25	5,071
वित्तीय वर्ष 24	3,588
वित्तीय वर्ष 23	2,548
वित्तीय वर्ष 22	1,745
वित्तीय वर्ष 21	1,133

कर पूर्व लाभ

करोड़ ₹ में

वित्तीय वर्ष 25	703
वित्तीय वर्ष 24	481
वित्तीय वर्ष 23	305
वित्तीय वर्ष 22	257
वित्तीय वर्ष 21	207

कर पश्चात लाभ

करोड़ ₹ में

वित्तीय वर्ष 25	527
वित्तीय वर्ष 24	357
वित्तीय वर्ष 23	228
वित्तीय वर्ष 22	190
वित्तीय वर्ष 21	153

लाभांश

करोड़ ₹ में

वित्तीय वर्ष 25	158.65
वित्तीय वर्ष 24	107.22
वित्तीय वर्ष 23	71.02
वित्तीय वर्ष 22	66.44
वित्तीय वर्ष 21	57.28

निवल मूल्य

करोड़ ₹ में

वित्तीय वर्ष 25	2,079
वित्तीय वर्ष 24	1,673
वित्तीय वर्ष 23	1,414
वित्तीय वर्ष 22	1,258
वित्तीय वर्ष 21	1,137

जनशक्ति

(सं.)

वित्तीय वर्ष 25	1,690
वित्तीय वर्ष 24	1,649
वित्तीय वर्ष 23	1,747
वित्तीय वर्ष 22	1,790
वित्तीय वर्ष 21	1,900

रिश्तों की पूँजी

हमारी रिश्तों की पूँजी रक्षा बलों, साझेदारों, कार्मिकों और संस्थानों के साथ हमारे विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित है। ये संबंध दृढ़ता, मूल्य प्रदान करने और राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

रक्षा बलों और संबद्ध एजेंसियों के साथ साझेदारी

कंपनी के भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य संबद्ध रक्षा एजेंसियों के साथ मज़बूत संबंध हैं, और इसने 111 युद्धपोतों की सुपुर्द की है - जो किसी भी भारतीय शिपयार्ड द्वारा निर्मित सबसे अधिक संख्या है। ये साझेदारियाँ पोतो की सुपुर्दगी से आगे बढ़कर मरम्मत, जीवनचक्र समर्थन और उन्नत नौसैनिक तकनीकों में संयुक्त पहलों तक फैली हुई हैं।

विक्रेता और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र

हम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर ज़ोर देते हुए एक विविध विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, हमारे कुल खरीद मूल्य का 73.9% एमएसई से प्राप्त हुआ, जिसमें 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त हुआ। हमारी आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई का यह एकीकरण समावेशी विकास और स्वदेशीकरण के उत्प्रेरक के रूप में हमारी भूमिका को दर्शाता है।

कार्मिक जुड़ाव

हमारे 1,690 कार्मिक हमारे संचालन की नींव हैं। समावेशिता, कल्याण और निरंतर सीखने की नीतियाँ उनकी विशेषज्ञता, अनुशासन और प्रतिबद्धता को बल प्रदान करती हैं। हमारे कार्यबल में महिलाओं की संख्या लगभग 5% है, जो विविधता की दिशा में हमारी निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

व्यापक संस्थागत संबंध

हमारे संबंध सरकारी एजेंसियों, राज्य निकायों, वर्गीकरण समितियों और उद्योग संघों जैसे फिक्की, सीआईआई और एसआईडीएम तक फैले हुए हैं। ये जुड़ाव उद्योग में हमारी स्थिति को मज़बूत करते हैं, ज्ञान के आदान-प्रदान को सक्षम बनाते हैं और शासन एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

रिश्ते की पूंजी

अनुभवी कार्यबल

जीआरएसई को सभी प्रमुख कार्यों में उच्च योग्य और अनुभवी पेशेवरों की एक टीम का समर्थन प्राप्त है। वरिष्ठ नेतृत्व में पोत निर्माण, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, वित्त, मानव संसाधन और संचालन के विशेषज्ञ शामिल हैं। यह प्रतिभाशाली कार्यबल परियोजना निष्पादन और ग्राहक संतुष्टि में जीआरएसई के उच्च मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मज़बूत और स्थायी संबंध

जीआरएसई की भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के साथ साझेदारी 1961 में भा.नौ.पो. अजय की सुपुर्दगी के साथ शुरू हुई। तब से, कंपनी ने भारतीय और विदेशी समुद्री बलों को 113 युद्धपोत प्रदान किए हैं और भारत के नौसैनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 800 से ज़्यादा जलयानों का निर्माण किया है। नौसेना निदेशालयों के साथ इसका घनिष्ठ सहयोग परिचालन आवश्यकताओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है और विश्वास और प्रदर्शन पर आधारित दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देता है।

व्यावसायिक विविधीकरण

अपनी क्षमताओं और राजस्व स्रोतों का विस्तार करने के लिए, जीआरएसई ने पोत मरम्मत और वाणिज्यिक युद्धपोत उत्पादन में विविधता लाई है। इसने पोर्टेबल स्टील ब्रिज, डेक मशीनरी और समुद्री डीजल इंजन के निर्माण में भी अपने परिचालन का विस्तार किया है। ये विविधीकरण पहल ऊर्ध्वाधर एकीकरण को बढ़ावा देती हैं, जिससे कंपनी गुणवत्ता और समयसीमा को अधिक कुशलता से नियंत्रित कर पाती है। नवाचार को लक्षित विपणन के साथ जोड़कर, जीआरएसई अपनी बाजार उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है और एक व्यापक समुद्री समाधान प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है।

एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
Engineers Ltd.

निदेशक मंडल

कमोडोर पी आर हरि, भा. नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमोडोर पी आर हरि, भा. नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411), 36 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, 10 जून 2022 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किए। उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में स्नातकोत्तर की डिग्री है। वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने एडब्ल्यूसी महू में पाँचवाँ उच्च रक्षा अभिविन्यास पाठ्यक्रम और नौसेना युद्ध कॉलेज, गोवा में प्रतिष्ठित नौसेना उच्च कमान पाठ्यक्रम भी पूरा किया है।

उनका नौसेना में एक शानदार करियर रहा है, जिसके दौरान उन्होंने रणनीति और संचालन, तकनीकी प्रशासन और सामरिक निर्णय लेने जैसे क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए। उनके पेशेवर अनुभव में नौ जलपोत नियुक्तियाँ शामिल हैं, जिनमें से सात भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर थीं। उन्होंने पूर्वी नौसेना कमान में स्टाफ भूमिकाओं में और दक्षिणी नौसेना कमान के लिए कमांड इंजीनियर अधिकारी के रूप में भी काम किया है। उनके करियर का एक उल्लेखनीय आकर्षण भारत के पहले स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस शिवालिक के कमीशनिंग इंजीनियर अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका थी। उन्हें ग्यारह साल और छह महीने की निरंतर अवधि के लिए जलपोत नियुक्तियों में सेवा करने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

कमोडोर हरि 2016 में मुख्य महाप्रबंधक (पीपी एंड सी) के रूप में कंपनी में शामिल हुए, उस समय सभी नए निर्माण पोतों के लिए उत्पादन योजना की देखरेख करते थे। उन्होंने 21 अक्टूबर 2019 से 10 जून 2022 तक निदेशक (कार्मिक) के रूप में भी कार्य किए, जहाँ उन्होंने जीआरएसई के मानव संसाधन, निगमित योजना और तकनीकी कार्यों का नेतृत्व किए।

श्री राजीव प्रकाश, संयुक्त सचिव (एनएस)
सरकारी नामित निदेशक

श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061), संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली), को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2025 से कंपनी का अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) नियुक्त किया गया है। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बी.ए. ऑनर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, इरास्मस विश्वविद्यालय से विकास अध्ययन में एम.ए. किया है। इसके अलावा, वे 1995 बैच के भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा अधिकारी (आईपी एंड टीएएफएस) हैं।

श्री राजीव प्रकाश को वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के पद पर कार्यभार संभालने से पहले, जून 2022 में भारत सरकार में शामिल होने के बाद, उन्होंने संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक (वायरलेस योजना और वित्त) के रूप में काम किया है। इसके अलावा, वह भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी थे। वर्तमान में, वह क्रमशः 10 दिसंबर 2024 और 19 मई 2025 से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

गौरतलब है कि श्री राजीव प्रकाश इससे पहले 23 जून 2022 से 10 दिसंबर 2024 तक जीआरएसई के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के पद पर भी कार्यरत थे।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोत निर्माण)

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817), भारतीय नौसेना में 23 वर्षों तक सेवा देने के बाद, 2013 में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने 08 जून 2022 से कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कमांडर बोस एक योग्य और अनुभवी नौसेना वास्तुकार हैं, जो 2013 से कंपनी द्वारा संचालित कई परियोजनाओं के प्रभारी रहे हैं। निदेशक (पोत निर्माण) का कार्यभार संभालने से पहले, वे महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू और पी17ए) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से डिप्लोमा प्राप्त किया है। उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। इसके अलावा, वे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग (इंडिया) और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर के सदस्य भी हैं।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), पोत निर्माण, परियोजना निष्पादन और टीम नेतृत्व के सभी पहलुओं में गहन तकनीकी अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक अनुभव लेकर आते हैं। उन्होंने एकीकृत निर्माण (आईसी) पद्धति को अपनाने, डिज़ाइन के लिए वर्चुअल रियलिटी लैबोरेटरी (वीआरएल) के उपयोग और उत्पाद डेटा मॉडल (पीडीएम) तथा उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (पीएलएम) प्रणालियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका निरंतर ध्यान अनुसंधान एवं विकास पहल, बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने पर है। उनके नेतृत्व में, जीआरएसई की आरबीडी यूनिट का उल्लेखनीय उन्नयन हुआ है और यह वर्तमान निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है।

कैप्टन पी. सुनिलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक)

कैप्टन पी. सुनिलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 11193635), भारतीय नौसेना में लगभग 22 वर्षों की कमीशन सेवा प्रदान करने के बाद सितंबर 2016 में जीआरएसई में शामिल हुए। उन्होंने 14 जुलाई 2025 से जीआरएसई के निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) का पदभार ग्रहण किए। वे नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पूर्व छात्र हैं और जेएनयू, नई दिल्ली से बी.टेक (मैकेनिकल) की डिग्री प्राप्त किए है। उन्होंने सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स इंजीनियरिंग (आईआईटी मुंबई) और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन (64वीं डीएसएससी) में मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधियाँ भी प्राप्त की हैं।

इस नियुक्ति से पहले, उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किए और जीआरएसई की फिटिंग आउट यूनिट के यूनिट प्रभारी और ओक्यूपायर थे, जो एक उत्पादन सुविधा है जहाँ तीनों पी17ए श्रेणी के पोतों और एक सर्वे वेसल को तैयार करने का दायित्व है, जिसमें 2,000 से अधिक कार्मिकों का कार्यबल है। कैप्टन पी सुनिलकुमार ने जीआरएसई में अपना कार्यकाल अपर महाप्रबंधक (सामग्री) के रूप में शुरू किया। बाद में उन्होंने महाप्रबंधक (लागत अनुमान और निगमित योजना) की भूमिका निभाई और उसके बाद में उन्हें मुख्य महाप्रबंधक (निगमित योजना और निगमित संचार) के पद पर पदोन्नत किया गया।

वह एक प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर (पीएमपी®), प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पेशेवर (सीआईएससीपी) हैं, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा रखते हैं। उनकी रुचियों में 'व्यक्तिगत वित्त' (उन्होंने सीएफपी® में स्तर 3 प्राप्त किया है), और रणनीति, प्रेरणा और संबंधित विषयों का अध्ययन शामिल हैं।

निदेशक मंडल जारी.

श्री कमलेशभाई शशिकांतभाई मीरानी
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री कमलेशभाई शशिकांतभाई मीरानी (डीआईएन: 11118795) को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 मई 2025 से जीआरएसई का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वे सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट से वाणिज्य में स्नातक हैं और सार्वजनिक क्षेत्र प्रशासन एवं रियल इस्टेट में व्यापक अनुभव रखते हैं।

श्री मीरानी ने राजकोट नगर निगम, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम और टेलीफोन सलाहकार समिति (भारत सरकार) सहित विभिन्न सरकारी निकायों में प्रमुख सलाहकार और नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किए है। इन संगठनों के साथ अपने जुड़ाव के दौरान, उन्होंने वंचित समुदायों के उत्थान, सामाजिक बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और स्थानीय शासन में सुधार पर केंद्रित पहलों का नेतृत्व किए। उनके कार्यकाल में वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख शामिल थी, जिससे नीति नियोजन और संसाधन प्रबंधन में उनकी क्षमताएँ उजागर हुईं। उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र और सार्वजनिक सेवा वितरण की समग्र दक्षता में भी योगदान दिया।

अपनी सार्वजनिक सेवा के अलावा, श्री मिरानी रियल इस्टेट क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और अपने शासन और प्रशासनिक अनुभव को निजी उद्यमों में भी लागू करते हैं। उनकी पेशेवर याला नागरिक उत्तरदायित्व, प्रभावी शासन और व्यावसायिक कौशल के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

कमोडोर पी. आर. हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोत निर्माण)

कैप्टन पी. सुनिलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक)
(14 जुलाई 2025 से)

श्री राजीव प्रकाश, आईपी एवं टीएएफएस
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(10 दिसंबर 2024 से और 15 जुलाई 2025 तक)

श्री कमलेशभाई शशिकांतभाई मिरानी
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(21 मई 2025 से)

श्री संजय दत्तात्रेय पणसे
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(26 दिसंबर 2024 तक)

श्री संजीव मोहंती
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(05 अप्रैल 2025 तक)

डीआईजी सुब्रतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)
(30 अप्रैल 2025 तक)

श्री रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
(31 मई 2025 तक)

डॉ. गरिमा भगत, आईआरएस-आईटी
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(23 दिसंबर 2024 से 14 जुलाई 2025 तक)

स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता

श्री लव वर्मा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)

श्री देबाशीष बंद्योपाध्याय,
पूर्व निदेशक (मानव संसाधन), बीएचईएल

सलाहकार

कमोडोर जयंत चौधरी, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

श्री संदीप महापात्रा

वरिष्ठ प्रबंधन

श्री वेंकटेश मूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक (सीएसबी)

कमोडोर रजत मनचंदा, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक
(योजना – एसवीएल एवं एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)

कमांडर बी मिश्रा, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी एवं परियोजनाएँ)

कमोडोर राजीव श्रीधरण, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (डिज़ाइन एवं पीएस-एनडब्ल्यूडी)

कमोडोर इंद्रजीत दासगुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक
(एसआर एवं टीयू तथा पीएस - 30 एम एम गन परियोजना)

कमोडोर विकास कौशल, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (पीएस-17ए एवं ओआरवी)

कमोडोर नितिन नांगिया, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (एसपी एवं एनटी)

कमोडोर रमेश मेनन, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (बीबी एवं डीईपी)

श्री सुजॉय चक्रवर्ती
मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

कमोडोर विनीत ऐरात, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (बी एवं टीडी, सीसी और एनपीडी)

श्री गुलशन रतन
महाप्रबंधक (सीपी, वीडी एवं स्वदेशीकरण)

श्रीमती अपराजिता घोष
महाप्रबंधक (वित्त)

कमांडर एम के गुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (एमटीएल, एससीसी, एचपी एवं आईपी)

श्री राजीव श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशासन)

कमांडर सतीश चंद्र झा, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (आरबीडी)

श्री गौतम कर्माकर
महाप्रबंधक (एमएफओएस - एफओजे)

श्री प्रशांत कुमार मंडल
महाप्रबंधक (क्यूए)

श्री किंगशुक मिस्त्री
महाप्रबंधक (पीएस-एनजीओपीवी एवं ड्रेजर)

कमांडर अरविंद शंकर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (एच एवं एचओएफ - एफओजे)

श्री एम के पांडे
महाप्रबंधक (प्रभारी एमडब्ल्यू)

श्री डी के जे सिंह
महाप्रबंधक (प्रभारी डीईपी)

कर्नल संजय आनंद, भा.से. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (प्रभारी सुरक्षा, अग्नि एवं रा.भा.)

कमांडर हरीश कुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय - दिल्ली)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
पीएनबी
आईडीबीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
यस बैंक
आरबीएल बैंक
फेडरल बैंक
इंडसइंड बैंक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स मेहता एंड मेहता
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स चटर्जी एंड कंपनी
लागत लेखाकार

रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट

मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

जीआरएसई भवन,
61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता - 700 024
सीआईएन संख्या: L35111WB1934GO1007891
वेबसाइट: www. grse.in

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, साथ ही सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है ।

निदेशकों की रिपोर्ट

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन असाधारण रहा है। इस वर्ष, कंपनी ने परिचालन से राजस्व में 41% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वर्ष के ₹3,592.64 करोड़ के मुकाबले ₹5,075.69 करोड़ रहा । इसके अलावा, ईबीआईडीटीए और पीएटी में क्रमशः 42% और 48% की मजबूत वृद्धि हुई, जो हमारे मजबूत परिचालन प्रदर्शन और लाभप्रदता को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2023-24 के वित्तीय मुख्य बिंदु नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
उत्पादन मूल्य	5,070.98	3,588.46
संचालन से राजस्व	5,075.69	3,592.64
मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	756.10	533.74
वित्तीय लागत	10.32	11.49
मूल्यह्रास	42.49	41.33
कर पूर्व लाभ	703.29	480.92
कर के लिए प्रावधान	175.89	123.65
कर पश्चात लाभ	527.40	357.27
अन्य व्यापक आय (कुल कर)	(2.56)	1.10
कुल व्यापक आय	524.84	358.37

वित्तीय 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 तक आपकी कंपनी की स्थिति नीचे संलग्न है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 25 तक के अनुसार	31 मार्च 24 तक के अनुसार
नियोजित पूंजी	2,079.26	1,673.44
सकल खंड	816.18	754.21
शुद्ध खंड	515.16	492.57
कार्यशील पूंजी	1,374.94	989.43
निवल मूल्य	2,079.26	1,673.44
संवर्धित मूल्य	1,479.75	1,335.21
उत्पादन का मूल्य	5,070.98	3,588.46
कर पूर्व लाभ	703.29	480.92

विवरण	31 मार्च 25 तक के अनुसार	31 मार्च 24 तक के अनुसार
अनुपात:		
ब्याज और कर पूर्व लाभ: व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन (%)	34.32	29.43
कर पश्चात लाभ: शुद्ध मूल्य (%)	25.36	21.35
सकल लाभ: नियोजित पूंजी (%)	36.36	31.89
कर-पूर्व लाभ: उत्पादन का मूल्य (%)	13.87	13.40
उत्पादन का मूल्य: नियोजित पूंजी (%)	243.88	214.44
वर्तमान अनुपात (समय में)	1.17	1.12
लाभांश (%)	28.11	23.14
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	22.38	29.32
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	3.57	3.73

उत्पादन मूल्य

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹3,588.46 करोड़ के मुकाबले ₹5,070.98 करोड़ का रिकॉर्ड उत्पादन मूल्य ('वीओपी') हासिल किया है। कंपनी के तीनों प्रभागों का तुलनात्मक वीओपी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पोत प्रभाग	इंजीनियरिंग प्रभाग	इंजन डिवीजन	विविध	कुल
2024-25	4,870.85	149.79	50.34	-	5,070.98
2023-24	3,373.22	167.17	47.90	0.17	3,588.46

निवल मूल्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक ₹ 2,079.26 करोड़ की निवल संपत्ति की सूचना दी, जबकि 31 मार्च 2024 को यह ₹1,673.44 करोड़ थी।

मूल्य संवर्धन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्य संवर्धन ₹1,479.75 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,335.21 करोड़ था। प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन पिछले वर्ष के ₹ 80.97 लाख की तुलना में बढ़कर ₹87.56 लाख हो गया।

विनियोग

वर्ष 2024-25 में आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों को प्रयोज्य अधिशेष से निम्नलिखित विनियोगों की सिफारिश करने में प्रसन्नता हो रही है:

	(₹ करोड़ में)
कर पश्चात लाभ	527.40
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, निवल कर	(2.56)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	524.84
घटाएँ :	
चुकता पूंजी पर वित्त वर्ष 2023-24 का अंतिम लाभांश	16.50
वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम लाभांश	102.52
लाभ और हानि विवरण में बरकरार रखी शेष राशि	405.82

राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने आयकर और जीएसटी के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने में ₹85.70 करोड़ का योगदान दिया।

लाभांश वितरण नीति

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के विनियम 43ए के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी सूचीकरण विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/GRSE-Dividend-Distribution-Policy.pdf पर उपलब्ध है ।

लाभांश

03 फ़रवरी 2025 को निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने 07 फ़रवरी 2025 (जो इस प्रयोजन हेतु निर्धारित रिकॉर्ड तिथि है) को सदस्यों के रजिस्टर में शामिल शेयरधारकों को ₹10/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹8.95/- का अंतरिम लाभांश अदा किया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 13 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹10/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4.90/- के अंतिम लाभांश की सिफ़ारिश की है। इस प्रकार, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश ₹13.85/- प्रति इक्विटी शेयर होगा।

एमओयू रेटिंग

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के अनुसार आपकी कंपनी को 100 में से **96.5** अंकों के साथ **"उत्कृष्ट" रेटिंग** दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कंपनी को **वित्त वर्ष 2024-25** के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए पुनः **"उत्कृष्ट" रेटिंग मिलने की उम्मीद है ।**

निदेशकों की रिपोर्ट

वर्ष के दौरान कंपनी का प्रदर्शन

क. पोत निर्माण

कंपनी ने 2024-2025 के दौरान ₹4,757.03 करोड़ की कुल पोत नीर्माण आय हासिल की है, जबकि 2023-24 मे यह ₹3,280.33 करोड़ थी। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने 08 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना को एक सर्वेक्षण पोत (बड़ा) सुपुर्द किया, जिसे 18 दिसंबर 2024 को विशाखापट्टनम मे कमीशन किया गया। इसके अलावा, 31 मार्च 2025 तक आपकी कंपनी मे निर्माणाधीन जलयानों का विवरण इस प्रकार है:

परियोजना / जलयान प्रकार	जलयानों की संख्या
भारतीय नौसेना के लिए परियोजना पी-17ए	03
भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	02
भारतीय नौसेना के लिएएएसडबल्यू-एसडबल्यूसी	08
भारतीय नौसेना के लिए एनजी ओपीवी	04
हाइब्रिड फेरी पोत (100पीएएक्स)	07
हाइब्रिड फेरी पोत (200पीएएक्स)	06
ध्वनिक अनुसंधान पोत	01
बहुउद्देश्यीय पोत कोरल 7500	08
ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर	01
कुल प्लेटफ़ॉर्म	**40**

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मैसर्स कार्स्टन रेहडर शिफ्समाक्लर और रीडेरेई जीएमबीएच एंड कंपनी केजी जर्मनी के साथ 08 बहुउद्देश्यीय पोत कोरल 7500 के निर्माण और सुपुर्दगी के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल अनुबंध मूल्य **106.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये पोत "मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड" की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे** और कंपनी की वैश्विक पहुँच और निर्यात क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण माइल स्टोन साबित होंगे।

शिपयार्ड ने 03 जून 2024 को बांग्लादेश को 03 गश्ती एवं निगरानी नौकाएं तथा 28 अक्टूबर 2024 को नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं (एनएसटीएल) को स्वायत्त मानवरहित सतह पोत (यूएसवी), जलदूत भी सुपुर्द किया।

कंपनी ने अपना पहला एएसडबल्यूएसडबल्यूसी पोत 08 मई 2025 को सुपुर्द किया।

कंपनी ने 11 जून 2025 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के लिए दो तटीय अनुसंधान पोतों (सीआरवी) के निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

शिपयार्ड ने वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर प्रमुख उपलब्धियां भी पूरी कीं, जो इस प्रकार हैं:

प्रवत्तिकरण

क्रम सं.	पोत	यार्ड	तारीख
(क)	02 सर्वेक्षण जलयान (बड़ा), भा.नौ.पो. निर्देशक	3026	18 दिसंबर 2024

सुपुर्दगी

क्रम सं.	पोत	यार्ड	तारीख
(क)	बांग्लादेश के लिए 03 गश्ती सह निगरानी नौका	-	03 जून 2024
(ख)	दूसरा सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	3026	08 अक्टूबर 2024
(ग)	एनजी इलेक्ट्रिक फेरी, ढ़ेऊ	2120	09 जनवरी 2025
(घ)	एनएसटीएल के लिए यूएसवी जलदूत	-	28 अक्टूबर 2024

जलावतरण

क्रम सं.	पोत	यार्ड	तारीख
(क)	एंटी -सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडबल्यू एसडबल्यूसी)	3032	25 अक्टूबर 2024

शिलान्यास

क्रम सं.	पोत	यार्ड	तारीख
(क)	8 वीं एंटी -सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडबल्यू एसडबल्यूसी)	3034	10 मई 2024
(ख)	पहली अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती जलयान (एनजीओपीवी)	3037	05 नवंबर 2024
(ग)	दूसरी अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती जलयान (एनजीओपीवी)	3038	05 नवंबर 2024

उत्पादन आरंभ

क्रम सं.	पोत	यार्ड	तारीख
(क)	महासागर अनुसंधान पोत (ओआरवी)	-	29 नवंबर 2024

अनुबंध पर हस्ताक्षर

क्रम सं.	पोत	यार्ड	तारीख
(क)	नौसेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल), डीआरडीओ, कोच्चि, केरल के लिए 01 ध्वनिक अनुसंधान पोत (एआरएस)।	3058	21 अक्टूबर 2024
(ख)	राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के लिए 01 महासागर अनुसंधान पोत (ओआरवी)।	3041	16 जुलाई 2024
(ग)	पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 07 हाइब्रिड फेरी (100 पैक्स)	2124 से 2130	03 अक्टूबर 2024
(घ)	पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 06 हाइब्रिड फेरी (200 पैक्स)।	2131 से 2136	
(ङ)	कार्स्टन रेहडर शिफ़्समैकलर और रीडेरेई जीएमबीएच एंड कंपनी केजी जर्मनी के साथ 04 एमपीवी निर्यात ऑर्डर	3050 to 3053	22 जून 2024
(च)	कार्स्टन रेहडर शिफ़्समैकलर और रीडेरेई जीएमबीएच एंड कंपनी केजी जर्मनी के साथ 02 एमपीवी निर्यात ऑर्डर	3054 और 3055	04 अक्टूबर 2024 और 04 दिसंबर 2024
(छ)	कार्स्टन रेहडर शिफ़्समैकलर और रीडेरेई जीएमबीएच एंड कंपनी केजी जर्मनी के साथ 02 एमपीवी निर्यात ऑर्डर	3056 और 3057	24 मार्च 2025
(ज)	01 58.70 मीटर लंबा 'ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर - टीएसएचडी' (हॉपर कैप. 1000 एम3) बीआईडब्ल्यूटीए, बांग्लादेश के लिए स्पेयर पार्ट्स के साथ, अनुबंध मूल्य 16.575 मिलियन अमरीकी डॉलर	2121	02 जून 2024

ख. पोत की मरम्मत

पोत मरम्मत प्रभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 से लगभग ₹ 19 करोड़ के वार्षिक राजस्व के साथ स्वतंत्र संचालन शुरू किया है और पिछले दो वर्षों में व्यावसायिक राजस्व में कई गुना वृद्धि देखी है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, जीआरएसई ने भारतीय नौसेना के उच्च मूल्य वाले रिफिट के लिए निविदाओं को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है और ₹ 172.40 करोड़ (लगभग) का ऑर्डर बुक प्राप्त किया है। इसके बाद राष्ट्रीय तटरक्षक बल (सेशेल्स), भारतीय तटरक्षक बल और मैसर्स टीआरएसएल पोतों और अन्य वाणिज्यिक पोतों की ड्राई डॉकिंग से जुड़ी कुछ और परियोजनाएँ शुरू की गईं।

पोत मरम्मत गतिविधियों से राजस्व वर्ष 2023-24 में ₹92.89 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹113.82 करोड़ हो गया, जो पर्याप्त वृद्धि और परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

ग. इंजीनियरिंग प्रभाग

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इंजीनियरिंग प्रभाग द्वारा प्राप्त उत्पादन मूल्य (वीओपी) वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹167.17 करोड़ की तुलना में ₹ 149.79 करोड़ था।

पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बेली ब्रिज यूनिट ने कुल ₹145.46 करोड़ का उत्पादन मूल्य (वीओपी) प्राप्त किया है। इसमें 102 ब्रिजों का कुल उत्पादन 7,715 मीट्रिक टन शामिल है, जबकि पिछले वर्ष 90 ब्रिजों का कुल उत्पादन 6,750 मीट्रिक टन था।

कंपनी ने 2024-25 के दौरान नेपाल और भूटान को 27.91 करोड़ रुपये मूल्य (विदेश मंत्रालय (एमईए) के तहत काठमांडू, नेपाल को ब्रिजों के 10 सेट, भूटान के बुनियादी ढांचे और परिवहन मंत्रालय को ब्रिजों के 02 सेट और नेपाल में निजी एजेंसियों को ब्रिजों के 02 सेट के 14 ब्रिजों के सेट भी निर्यात किए हैं)।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल और महत्वपूर्ण भू-संपर्क बहाल करने के लिए केवल एक महीने की छोटी सी अवधि में पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड को बेली ब्रिज के विभिन्न स्पैन के 13 सेटों की डिलीवरी के माध्यम से एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की।

आपकी कंपनी ने डीजीबीआर (बीआरओ) के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत बीआरओ को डबल लेन एमएसबी के 13 सेट सफलतापूर्वक वितरित किए हैं। कंपनी ने बीजीबीआर (बीआरओ) के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रोजेक्ट स्वास्तिक (बीआरओ) को बेली सस्पेंशन ब्रिज के 3 सेट और 230 फीट सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज का 1 सेट भी सफलतापूर्वक वितरित किया है। इन सभी रणनीतिक ब्रिजों ने उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भू-संपर्क बहाल करने में मदद की।

अनुसंधान एवं विकास पहलों के अंतर्गत, आपकी कंपनी ने बीईआरडी, पुर्तगाल के सहयोग से 60 मीटर लंबे स्टील थ्रू टाइप स्थायी ब्रिज का डिज़ाइन और 400 फीट लंबे पैदल सस्पेंशन ब्रिज का डिज़ाइन पूरा कर लिया है। दोनों ब्रिजों की ट्रायल असेंबली प्रगति पर है।

डेक मशीनरी यूनिट

जीआरएसई की डेक मशीनरी इकाई एक आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित समुद्री डेक उपकरण निर्माण इकाई है। डेक मशीनरी इकाई पिछले तीन दशकों से पोतों पर उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का डिज़ाइन और निर्माण कर रही है। ये उपकरण वर्गीकरण समितियों (आईआरएस/एबीएस/आरआईएनए) और रक्षा गुणवत्ता आश्वासन द्वारा प्रमाणन हेतु कठोर समुद्री परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ये उपकरण समुद्री प्लेटफार्मों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जीआरएसई देश के सभी बंदरगाहों पर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग फर्मों के साथ साझेदारी के माध्यम से पुर्जों की आपूर्ति और मरम्मत सहायता के माध्यम से भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को अखिल भारतीय सहायता भी प्रदान करता है। मौजूदा इन्वेंट्री में से कुछ उत्पाद जैसे टेलीस्कोपिक हैंगर, हैंगर डोर, रेल आधारित और साथ ही रेल रहित हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम, डॉक कैपस्टन और विंच को जीआरएसई द्वारा बाजार के रुझानों और भविष्य की आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। इसके बदले में, उत्पाद पोर्टफोलियो में नए उपकरण और परियोजनाएं जोड़ी गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: -

क) भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल के लिए 30 मिमी नौसेना सतह गन।

ख) विद्युत वितरण पैनल (पीडीपी)

ग) समुद्री वाल्व (हल और लाइन)

घ) एमएच60आर, एसके42सी और एएलएच हेलीकॉप्टरों को संभालने के लिए ग्राउंड सपोर्ट उपकरण

ङ) मेथनॉल ईंधन रूपांतरण रेट्रोफिट जैसी हरित शिपिंग परियोजनाएं

यूनिट ने चेन्नई, विजाग, मुंबई, कारवार, गोवा और कोलकाता सहित विभिन्न प्लेटफार्मों और स्थानों पर हार्बर स्वीकृति परीक्षण (एचएटी) / समुद्र स्वीकृति परीक्षण (एसएटी) के अलावा 27 से अधिक डेक मशीनरी उपकरणों के लिए फैक्टरी स्वीकृति परीक्षण (एफएटी) किए हैं।

वर्ष के दौरान, यूनिट ने एबीईआर और बी&डी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, भारतीय नौसेना के कई नए निर्माण यार्डों और परिचालन पोतों को इकतीस (31) से अधिक विभिन्न प्रकार के प्रमुख डेक मशीनरी उपकरणों की आपूर्ति की है। डिवीजन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और पहली बार उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं।

प्रमुख विकास

आरएलएचटीएस और जीएसई एकीकरण : रेललेस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम (आरएलएचटीएस) का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया गया है और सभी चार द्विन हैंगर प्लेटफार्मों (पी15बी पोतों) पर इसका परीक्षण किया गया है। सीलिंग (एसके42सी) हेलीकॉप्टरों के साथ सैट का परीक्षण, सभी एसके42सी संस्करण हेलीकॉप्टरों के अनुरूप संशोधित ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) के साथ दो पी15बी प्लेटफार्मों अर्थात आईएनएस इंफाल और आईएनएस विशाखापत्तनम पर सफलतापूर्वक किया गया है। यह अग्रणी उपलब्धि अपनी तरह की पहली है जिसे दुनिया भर में किसी नौसेना प्लेटफॉर्म पर एसके42सी और एएलएच एमके-आई हेलीकॉप्टरों के लिए उपयुक्त रूप से निर्मित स्वदेशी जीएसई के साथ तैनात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सैट से पहले, आईएनएस शिकरा पर एसके42सी के लिए जीएसई के सफल परीक्षण किए गए थे। यह सफलता उल्लेखनीय रही है क्योंकि सैट बिना किसी अवलोकन के पूरे हो गए

एमएच60आर हेलीकॉप्टरों के लिए जीएसई : नए एमएच60आर हेलीकॉप्टरों के संचालन हेतु जीएसई की आपूर्ति हेतु भारतीय नौसेना की आकस्मिक आवश्यकता के आधार पर, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण का डिज़ाइन और विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। आईएनएस गरुड़ पर हेलीकॉप्टरों के प्रारंभिक फिटमेंट परीक्षण संतोषजनक रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षणों के सफल होने के बाद, जीएसई का निर्माण शुरू हो गया है और अंतिम परीक्षण शीघ्र ही किए जाने की योजना है।

टेलीस्कोपिक हेलीकॉप्टर हैंगर : एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि टेलीस्कोपिक हेलीकॉप्टर हैंगर का डिज़ाइन, विकास, निर्माण और सत्यापन पूरा हो गया है, जिसमें एकीकृत हैंगर दरवाजे हैं, जिन्हें मूल रूप से आयात के लिए नियोजित किया गया था। इस प्रणाली को फ़ैक्टरी स्वीकृति परीक्षणों (एफ़एटी) के माध्यम से इन-हाउस स्थापित किया गया है, जिसके बाद भारतीय नौसेना की संतुष्टि के लिए तीन एसवीएल श्रेणी के पोतों पर बंदरगाह और समुद्र में सफल परीक्षण किए गए हैं।

चौथे एसवीएल पर कार्य शुरू करने (एसटीडबल्यू) का कार्य प्रगति पर है।

आवास सीढ़ी: आवास सीढ़ी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीआरएसई में निर्माणाधीन पी17ए प्लेटफ़ॉर्म के लिए क्लोजर सहित एक आंतरिक आवास सीढ़ी का विकास कार्य शुरू किया गया है। जीआरएसई में पहले पी17ए पोत पर समुद्र में पूरी तरह से स्वचालित सीढ़ी के परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं। शेष दो पोतों के उपकरण एफएटी के लिए तैयार कर दिए गए हैं, जिसके बाद बंदरगाह और समुद्री परीक्षण किए जाएँगे।

मूरिंग/एंकर कैपस्टन : जीआरएसई विभिन्न कैपस्टन और विंडलैस के डिज़ाइन और विकास में अग्रणी रहा है। एलएसटी(एल) और एमडीएल, जीआरएसई, एचएसएल, जीएसएल की अन्य सभी परियोजनाओं के लिए विशेष कैपस्टन विकसित किए गए हैं। जीआरएसई की डीकेएमसी इकाई को 15 टन क्षमता वाले सबसे बड़े शिपमंडल मूरिंग कैपस्टन के डिज़ाइन, विकास, निर्माण और उत्पाद सहायता प्रदान करने पर गर्व है। इस उपकरण को निर्बाध सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ तीन वर्षों का अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध के आधार पर, सभी बंदरगाहों पर एयरक्राफ्ट कैरियर (आईएनएस विक्रांत) को निर्बाध सहायता प्रदान की जा रही है।

डेक क्रेन : सर्वे वेसल लार्ज (एसवीएल) परियोजना के लिए, 13 मीटर की अधिकतम पहुँच वाली दूरबीन क्षमताओं वाली 3 टन की डेक क्रेन का विकास सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस क्रेन का सभी चार एसवीएल पोतों पर परीक्षण किया जा चुका है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

बोट डेविट्स: जीआरएसई ने एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी, एसवीएल और एनजीओपीवी परियोजनाओं के लिए अत्याधुनिक 3टी बोट डेविट्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बोट डेविट्स आठ एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी में से दो पर सिद्ध हो चुके हैं, सभी चार एसवीएल और एनजीओपीवी परियोजना के सभी चार पोतों के लिए एफएटी भी पूरे हो चुके हैं।

समुद्री वाल्व: भारतीय और विदेशी आवश्यकताओं के अनुरूप, नई पीढ़ी के कई युद्धपोतों और अन्य वाणिज्यिक पोतों के निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में टाइप-टेस्टेड वाल्वों के उत्पादन की योजना के साथ, हॉल और लाइन वाल्वों के आंतरिक विकास हेतु एक परियोजना शुरू की गई थी। एक पायलट परियोजना के रूप में, डिज़ाइन और विकास के लिए दस प्रकार के वाल्वों का चयन किया गया था। इन वाल्वों का डिज़ाइन और निर्माण सफलतापूर्वक किया गया है और वर्तमान में ये वाल्व एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से आईएसीएस की भागीदारी में टाइप-टेस्टिंग के अधीन हैं। पाँच वाल्वों के प्रमुख टाइप-टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, और भविष्य में उत्पादन की योजना पर काम किया जा रहा है।

घ. इंजन प्रभाग

रांची स्थित आपकी कंपनी के डीजल इंजन प्लांट (डीईपी) ने पी17ए के शेष आठ 1 मेगावाट डीए की सफलतापूर्वक आपूर्ति कर दी है और इन आपूर्तियों के साथ ही इस परियोजना के लिए एमडीएल और जीआरएसई यार्ड को सभी 28 डीए की आपूर्ति कर दी गई है।

डीईपी रांची ने डब्ल्यू6 रूटीन और सफल फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षणों के पूरा होने के बाद भारतीय तटरक्षक बल को एक (01) एमटीयू 4000 श्रृंखला इंजन भी वितरित किया है।

50.33 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय उत्पादन मूल्य हासिल किया 2024-25 मे, जबकि पिछले वर्ष यह 47.90 करोड़ रुपये थे।

बेली ब्रिज घटकों का निर्माण रांची स्थित डीईपी इकाई में भी किया जा रहा है, जहां डीईपी यूनिट के बेली ब्रिज डिवीजन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग ₹ 27.29 करोड़ का वीओपी और 2142 मीट्रिक टन का उत्पादन हासिल किया है ।

इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीईपी यूनिट ने लगभग ₹ 437 लाख के पूंजी निवेश के साथ एमटीयू इंजनों के परीक्षण के लिए अपने मौजूदा परीक्षण बेड नंबर 1 के उन्नयन को पूरा करके एमटीयू इंजनों के परीक्षण के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि की है।

ङ एनएसजी परियोजना

30 मिमी नौसेना सतह तोपों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 248.50 करोड़ रुपये के अनुबंध पर 24 मई 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हथियार प्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक कदम है।

यह गन "बाय (इंडिया)" श्रेणी के अंतर्गत 60% स्वदेशी सामग्री (आईसी) के साथ स्वदेशीकृत की जा रही है। इस सहयोग से, जीआरएसई ने रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम के निर्माण के लिए एक नया व्यावसायिक खंड स्थापित किया है। एनएसजी-30 को आने वाले 5 वर्षों में भारतीय नौसेना की अतिरिक्त 7 एनएसजी-30 (ईडीओ स्पेयर्स सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भी प्रस्तावित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की आवश्यकताओं के लिए वार्तालाप जारी है। जीआरएसई पहले ही अपने सहयोगी भागीदारों के साथ 15 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुका है।

निर्यात पहल

आपकी कंपनी 2014 में मॉरीशस को एक युद्धपोत, एक अपतटीय गश्ती पोत निर्यात करने वाली पहली भारतीय शिपयार्ड है। जीआरएसई ने सेशेल्स सरकार को एक फास्ट पेट्रोल पोत 'एससीजी पीएस जोरोस्टर' भी निर्यात किया और 31 मार्च 22 को इसकी गारंटी रिफिट और ड्राई डॉकिंग (जीआरडीडी) पूरी की। आपकी कंपनी ने गुयाना गणराज्य को 12.73 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर 01 महासागरीय पोत (ओजीवी) भी निर्यात किया। हाल ही में, बांग्लादेश को 1.82 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की 6 गश्ती और निगरानी नौकाएं वितरित की गई हैं।

आपकी कंपनी ने मित्र देशों को नौसैनिक पोतों के निर्यात की पहल की है और सार्क, आसियान, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की पहचान की है। बांग्लादेश, गुयाना, फ़िलीपींस, सेशेल्स, मलेशिया, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम आदि देशों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा, जीआरएसई नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को नियमित रूप से पोर्टेबल स्टील बेली ब्रिज और उनके कलपुर्जे की आपूर्ति करता है । अन्य मित्र देशों को भी बेली ब्रिज और उनके कलपुर्जों के निर्यात को और बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने निर्यात ऑर्डरों से ₹73.63 करोड़ का राजस्व (वीओपी) अर्जित किया है, जिसमें पोत निर्माण से ₹19.28 करोड़, पोत मरम्मत से ₹26.42 करोड़ और बेली ब्रिज से ₹27.93 करोड़ शामिल हैं।

आपकी कंपनी वर्तमान में निम्नलिखित निर्यात ऑर्डर निष्पादित कर रही है:

क) 01 नंबर 58.70 मीटर लंबा 'ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर - टीएसएचडी' (हॉपर कैप. 1000 एम3) स्पेयर पार्ट्स के साथ बीआईडब्ल्यूटीए, बांग्लादेश के लिए अनुबंध मूल्य 16.575 मिलियन अमरीकी डालर।

ख) मैसर्स कार्स्टन रेहडर शिफ्समाक्लर और रीडेरेई जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी के लिए 08 नग 7500 डीडब्ल्यूटी 'बहुउद्देश्यीय पोत - एमपीवी', अनुबंध मूल्य 106.8 मिलियन अमरीकी डालर।

ग) भूटान से 11.44 करोड़ रुपये मूल्य के 16 प्री-फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील ब्रिज।

ऑर्डर बुक स्थिति

31 मार्च 2025 तक तीन (3) प्रभागों के लिए आपकी कंपनी की कुल ऑर्डर बुक स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रभाग / विभाग	31 मार्च 2025 तक के अनुसार समापन आदेश मूल्य
क	**पोत प्रभाग**	
	पोत (बी एंड डी स्पेयर्स सहित)	22,259.55
	पोत मरम्मत और एएमसी	282.12
	कुल पोत प्रभाग	**22,541.67**
ख	**इंजीनियरिंग प्रभाग**	
	बेली ब्रिज	90.18
	डेक मशीनरी और पंप	21.59
	कुल इंजीनियरिंग प्रभाग	**111.77**
ग	**इंजन डिवीजन**	**27.31**
	कुल (क+ख+ग)	**22,680.75**

नई पहल

दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके निम्नलिखित प्रमुख पहल की हैं:

क) मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इष्टतम विकास और उपयोग करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिससे विश्वव्यापी ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक पोतों का निर्माण किया जा सके।

ख) मैसर्स एसएचएम शिपकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को कोलकाता स्थित अपनी यूनिटों में नौसेना के युद्धपोतों, तटरक्षक पोतों और सरकारी तथा निजी स्वामित्व वाले व्यापारिक समुद्री पोतों सहित सभी प्रकार के पोतों और जलयानों की मरम्मत/मरम्मत और संबद्ध गतिविधियों का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

ग) नौसेना के पोतों में उपयोग के लिए मिश्रित दरवाजों और हैच के विकास और विनिर्माण में सहयोग के लिए मैसर्स मर्लिनहॉक एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर

घ) मैसर्स केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केल्ट्रॉन), तिरुवनंतपुरम, केरल को जल निगरानी के कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कोर और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण और तैनाती के लिए सहयोगात्मक कार्य व्यवस्था के लिए।

ङ) नेवल ग्रुप एस.ए., फ्रांस ने मित्र देश (बांग्लादेश) को बहुमुखी अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) की आपूर्ति के लिए सहयोग हेतु समझौता किया है।

च) मैसर्स मर्करी शिप रिपेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, कारवार, कर्नाटक को पोतों की मरम्मत के कार्य के लिए एक साथ काम करने तथा मरम्मत कार्यों में अपने-अपने कार्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया।

छ) मैसर्स कॉन्सेप्टिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर को जीआरएसई ब्रांड नाम के तहत डेक मशीनरी उत्पाद(ओं) के लिए डिजाइन, ड्राइंग और समर्थन विकसित करने के लिए।

ज) मैसर्स आईओई ऑफशोर इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पुदुक्कोट्टई, तमिलनाडु, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक ड्राइव डेक मशीनरी उत्पाद(उत्पादों) के विकास के लिए।

झ) मैसर्स राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) को अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज और बेली ब्रिज की आपूर्ति के लिए।

अनुसंधान एवं विकास

जीआरएसई सभी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सावधानीपूर्वक चुने गए उद्योग भागीदारों और संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित करता है, जिसमें उत्पाद के विभिन्न पहलुओं, जिनमें उद्योग मानकों का अनुपालन भी शामिल है, पर विस्तृत तकनीकी चर्चा की जाती है। आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान अब तक कार्यान्वित कुछ प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में जीआरएसई के भागीदार रहे हैं। जीआरएसई ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और (स्टार्ट-अप्स/एमएसएमई) के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन भी किए हैं। उद्योग भागीदारों के सहयोग से नवीनतम तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करने की जीआरएसई की पहलों का सारांश आगे के अनुच्छेदों में दिया गया है।

हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियां

हरित/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग विश्व स्तर पर एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। हालाँकि, विशुद्ध सैन्य दृष्टिकोण से, नौसेना के प्लेटफार्मों में हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकती है, फिर भी इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण में योगदान के अलावा, राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर सहनशक्ति और परिचालन लागत में कमी, नौसेना के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रमुख प्रेरक हैं।

अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी: मैरीटाइम इंडिया विजन-2030 में परिकल्पित शून्य उत्सर्जन जल परिवहन और जलमार्गों के बढ़ते उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम के रूप में, आपकी कंपनी ने देश में अपनी तरह की पहली सबसे बड़ी 150 पैक्स शून्य-उत्सर्जन वाली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फेरी का डिजाइन और निर्माण किया है, जिसमें पारंपरिक डीजल इंजन चालित फेरी की जगह लेने की क्षमता है। इस स्वदेशी रूप से विकसित डी-नोवो डिजाइन को आईआईटी खड़गपुर में आगे अनुकूलित और मान्य किया गया था। यह इलेक्ट्रिक फेरी जल परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का एक क्रांतिकारी उपाय है। इस नई पीढ़ी की फेरी का निर्माण और साज-सज्जा क्लासिफिकेशन सोसाइटी, भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस) के लागू प्रावधानों और नियमों के अनुपालन में किया गया है। ऐसी ही एक फेरी का ऑर्डर पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ है और जीआरएसई ने जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल सरकार को सफलतापूर्वक जलयान सुपुर्द किया । कंपनी को इस प्रकार के 13 जलयानों के डिजाइन एवं निर्माण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से एक ऑर्डर प्राप्त हुआ हैं ।

हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी: जीआरएसई उद्योग के साथ मिलकर शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक फेरी के डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के साथ एकीकृत करके संशोधित करने के लिए काम कर रहा है। हाइड्रोजन ईंधन आधारित फेरी परियोजना ने अपने कॉन्सेप्ट डिजाइन के पूरा होने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली इस फेरी को 100 यात्रियों वाले जलयान के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस) से सैद्धांतिक मंजूरी (एआईपी) मिल गई है। यह फेरी हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक प्रणोदन का उपयोग करेगी, जो एक बार ईंधन भरने पर 30 किलोमीटर से अधिक की क्षमता प्रदान करेगी। भारतीय

नौसेना और समुद्री इंजीनियरिंग निदेशालय (डीएमई) ने 100 समुद्री मील की विस्तारित क्षमता वाली 50 यात्रियों वाली फेरी के विकास के लिए एक प्रारंभिक स्टाफ आवश्यकताएँ (पीएसआर) जारी की हैं। जीआरएसई ने दिसंबर 2024 में पीएसआर और आरएफआई प्रतिक्रिया पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं और वर्तमान में परियोजना विकास के अगले चरणों के संबंध में भारतीय नौसेना से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। यह पहल भारत के सतत समुद्री परिवहन की दिशा में प्रयास के अनुरूप है, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने तथा परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा।

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्लान: जीआरएसई भारत सरकार की ग्रीन टग ट्रांजिशन प्लान (जीटीटीपी) को पूरा करने के लिए बंदरगाहों की सुविधा के लिए हाइब्रिड टग के डिजाइन पर भी काम कर रहा है। जीटीटीपी एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के बंदरगाह संचालन को टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल टगबोट्स के साथ बदलना है। योजना में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टगों के संचालन को अनिवार्य किया गया है, जिसमें शुरुआती तैनाती 2025 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में शुरू होनी है। इसका उद्देश्य 2030 तक सभी टगों का कम से कम 50% ग्रीन टग में रूपांतरण प्राप्त करना है । एक तकनीकी समाधान विकसित किया गया है, जिसमें स्वदेशी इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस), और उन्नत नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं ताकि इष्टतम प्रदर्शन और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। हरित टगों को अपनाने से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने, बंदरगाह संचालन स्थिरता में वृद्धि होने और भारत को पर्यावरण-अनुकूल समुद्री समाधानों में अग्रणी के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। समय-सीमा और रणनीति के साथ, जीटीटीपी के कार्यान्वयन से देश के टगबोट संचालन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे वे पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत बनेंगे।

स्वायत्त जलयान

स्वायत्त प्रणालियाँ समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। जटिल प्लेटफार्मों के डिज़ाइन और निर्माण में व्यापक विशेषज्ञता के साथ, जीआरएसई अत्याधुनिक स्वायत्त तकनीकों के विकास के लिए स्टार्ट-अप्स और नवप्रवर्तकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। पूर्णतः स्वायत्त वाहनों के लिक पर केंद्रित, ये पहल विकास के उन्नत चरण में हैं। संयुक्त तकनीकी विचार-विमर्श और वित्त पोषण के माध्यम से भारतीय नौसेना से निरंतर समर्थन के साथ, जीआरएसई नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप परिचालन के लिए तैयार स्वायत्त समाधान प्रदान करने की स्थिति में है।

मानवरहित सतह जलयान (यूएसवी):

क) **जलदूत यूएसवी:** जीआरएसई ने 28 अक्टूबर 2024 को नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), डीआरडीओ को एक अत्याधुनिक मानवरहित सतह पोत (यूएसवी) सुपुर्द किया है। उपरोक्त उपलब्धि जीआरएसई द्वारा आंतरिक विशेषज्ञता के साथ-साथ स्वदेशी स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के प्रयासों का प्रमाण है। 1.5 मीटर लंबाई, 0.8 मीटर चौड़ाई और 0.8 मीटर ऊँचाई वाले इस कॉम्पैक्ट पोत को पानी के नीचे के पोतों और एक मुख्य पोत /तटीय स्टेशन के बीच संचार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

ख) **स्वाधीन यूएसवी:** जीआरएसई ने एक स्टार्ट-अप के सहयोग से मानवरहित सतही जलयान (यूएसवी) विकसित किया है। 'स्वाधीन' एक 5 मीटर लंबा यूएसवी है जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है , साथ ही यह भविष्य के बड़े और अधिक परिष्कृत यूएसवी के लिए एक मज़बूत परीक्षण स्थल के रूप में भी कार्य करेगा। स्वाधीन भारत का पहला परिचालन, विद्युत-चालित, पूर्णतः स्वायत्त जलयान है जो खुले समुद्र में सुरक्षित रूप से संचालित होने में सक्षम है।

ग) **एएसवी एमसीएम स्वायत्त सतह जलयान,बारूदी सुरंग रोधी उपायों के लिए:** एएसवी एमसीएम परियोजना की पहचान नौसेना रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए की गई है। नौसेना रक्षा के गतिशील क्षेत्र में, जहाँ तकनीकी कौशल सर्वोपरि है, बारूदी सुरंग रोधी उपायों के लिए स्वायत्त सतह जलयान (एएसवी एमसीएम) परियोजना भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल के रूप में उभरी है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास अत्याधुनिक स्वायत्त प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए, बारूदी सुरंग रोधी क्षमताओं के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मेक-II श्रेणी के तहत स्वीकृत एएसवी एमसीएम परियोजना, न केवल एक तकनीकी छलांग का प्रतीक है, बल्कि देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की एक व्यापक रणनीति भी है। प्रोटोटाइप विकास से लेकर 'खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम)' श्रेणी के तहत बाद की खरीद तक की यात्रा, बारूदी सुरंग रोधी अभियानों में स्वदेशी उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया को समाहित करती है। यह उद्यम नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच तालमेल का प्रतीक है, जो भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक रक्षा समाधानों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

पोत आधारित ड्रोन: यह समझा जाता है कि भारतीय नौसेना वर्तमान में अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स से रेडियो-नियंत्रित ड्रोन का संचालन कर रही है। स्वायत्त यूएवी (यूएवी) का समावेश, जो स्वायत्त रूप से संचालित हो सके और जहाज से लॉन्च / रिकवर किया जा सके, एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। वर्तमान में जीआरएसई (GRSE) द्वारा एक स्टार्ट-अप के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा यूएवी दिन और रात में स्वायत्त संचालन तथा डेक पर स्वायत्त रिकवरी करने में सक्षम होगा, जिसमें किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रोटोटाइप यूएवी दिन-रात निगरानी प्रदान करने और मातृजहाज (मदरशिप) पर स्थित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को वीडियो फीड देने तथा एक पूर्व-परिभाषित मिशन को स्वायत्त रूप से पूरा करने में सक्षम होगा। प्रोटोटाइप परीक्षण पूरा होने के बाद यूएवी की रेंज और कार्यक्षमता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया / उन्नत किया जा सकेगा।

मेक इन इंडिया पहल

रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के तहत, स्वदेशीकरण प्रयासों के माध्यम से, जीआरएसई ने पोतों में स्वदेशी सामग्री का उच्च प्रतिशत सफलतापूर्वक शामिल करके सराहनीय प्रगति की है। आंतरिक डिज़ाइन क्षमता, तकनीकी नवाचारों और रणनीतिक साझेदारियों ने एंटी-सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट (एएसडबल्यू -एसडबल्यूसी) के लिए 90% से अधिक, बड़े सर्वेक्षण जलयान (एसवीएल) के लिए 87% और पी17ए फ्रिगेट्स के लिए 80% स्वदेशी उपकरण फिट करने में सफलता प्राप्त की है। कुछ पहलों का विवरण इस प्रकार है: -

क) **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ (पीआईएल):** आत्मनिर्भर भारत के सतत अनुसरण और घरेलू उद्योग को अवसर प्रदान करने के लिए, डीडीपी/रक्षा मंत्रालय ने डीपीएसयू के लिए पाँच (05) जनहित याचिकाएँ अधिसूचित की हैं, जिनके लिए उनके सामने दर्शाई गई समय-सीमा के बाद आयात पर प्रतिबंध रहेगा । जीआरएसई के पास रक्षा मंत्रालय/डीडीपी द्वारा प्रख्यापित 5 जनहित याचिकाओं में कुल 41 वस्तुएँ हैं, जिनमें से अब तक 30 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

ख) **स्वदेशीकरण पोर्टल (सृजन रक्षा पोर्टल):** रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) और सेवाओं की स्वदेशीकरण पहलों को बढ़ावा देने और निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा 14 अगस्त 2020 को सृजन रक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। आज तक, जीआरएसई ने पोर्टल पर 57 वस्तुएँ (41 पीआईएल वस्तुएँ और 16 गैर-पीआईएल वस्तुएँ सहित) अपलोड की हैं, जो पहले आयात की जाती थीं या स्वदेशी विक्रेता उपलब्ध नहीं थे। अब तक, जीआरएसई ने 39 वस्तुओं (30 पीआईएल और 9 गैर-पीआईएल वस्तुएँ) का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया है।

ग) **मेक-II का कार्यान्वयन :** डीडीपी/रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार और जीआरएसई मंडल द्वारा अनुमोदित, जीआरएसई की खरीद नियमावली में 09 जुलाई 2019 को "मेक-II" प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु एक रूपरेखा" को अपनाया गया (उद्योग द्वारा वित्तपोषित प्रोटोटाइप विकास)। आज तक, जीआरएसई ने मेक-II पहल के अंतर्गत 7 वस्तुओं की पहचान की है और उनमें से 4 वस्तुओं का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया जा चुका है। डीडीपी/रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार, चालू परियोजना के लिए संभावित समय-सीमा सहित विस्तृत योजना 18 मार्च 2025 को प्रस्तुत की गई।

01 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक की अवधि के लिए डीडीपी/एमओडी पीआईएल के तहत स्वदेशीकृत कुछ प्रमुख वस्तुओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क) **एआई सक्षम वेल्डिंग हेलमेट ।** जीआरएसई ने मैसर्स ज़ीकर्स के सहयोग से एआई सक्षम वेल्डिंग हेलमेट का एक प्रोटोटाइप डिजाइन और विकसित किया है, जो वेल्डर को वेल्ड की गुणवत्ता और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया देता है, हेलमेट एमआईजी और टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रियाओं के दौरान वेल्डर द्वारा तत्काल सुधारात्मक नियंत्रण के लिए वोल्टेज, करंट, ट्रैवर्स स्पीड, इलेक्ट्रोड स्टिक आउट आदि जैसे वेल्डिंग मापदंडों का वास्तविक समय प्रदर्शन प्रदान करता है।

ख) **वाल्व के लिए लचीली रॉड गियरिंग** में एक उच्च-प्रदर्शन वाल्व कपलर, जिसमें राइजिंग स्टेम हो या न हो, वाल्व गियर्ड एक्ट्यूएटर्स, लचीली शाफ्ट और एक डेक बॉक्स/हैंडल ऑपरेटर (विकल्प के रूप में संकेतक सहित) शामिल हैं। यह लचीली रॉड गियरिंग एक नया नवाचार है जो आस-पास की सहायक वस्तुओं को बाधित/हस्तक्षेप किए बिना, परिकल्पित नियंत्रण स्थान के माध्यम से वाल्वों में द्रव प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है।

ग) **सतत तटीय और समुद्री मत्स्य पालन परियोजना के लिए 13 मीटर गश्ती नौका ।** 13 मीटर गश्ती नौकाओं का निर्माण भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तहत किया गया था। जीआरएसई द्वारा बांग्लादेश को 13 मीटर गश्ती नौकाओं की सफल आपूर्ति, एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में जीआरएसई की स्थिति को और मजबूत करती है।

नवाचार

जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना: जीआरएसई ने माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना (गेन्स) के दूसरे संस्करण, गेन्स -2024 का शुभारंभ किया। इस ओपन चैलेंज को देश भर के नवप्रवर्तकों से प्राप्त 66 प्रतिक्रियाओं के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिनमें से 10 आशाजनक प्रस्तावों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुना गया। नवप्रवर्तकों के साथ विस्तृत तकनीकी विचार-विमर्श और चर्चाओं वाली एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद, मैसर्स आईआईटी गुवाहाटी प्रौद्योगिकी नवाचार एवं विकास फाउंडेशन (आईआईटीजी टीआईएंडडीएफ) और मैसर्स क्लाउडमेटिका टेक्नोलॉजीज से प्राप्त प्रस्तावों को जीएआईएनएस 2024 का विजेता घोषित किया गया और उन्हें औपचारिक विकास अनुबंध प्रदान किया गया और जीआरएसई द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

आईडीईएक्स परियोजनाएं : जीआरएसई आईडीईएक्स मार्ग के माध्यम से चयनित विभिन्न स्टार्ट-अप के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है और निम्नलिखित उत्पादों/समाधानों का सह-विकास कर रहा है:

- सक्रिय रोल स्थिरीकरण नौसेना पोत के लिए प्रणाली (डीआईएससी -05) का डिज़ाइन
- एआई सक्षम वेल्डिंग हेलमेट (डीआईएससी -06)
- वाई-फाई कनेक्टिविटी के बिना उद्योग 4.0 का कार्यान्वयन (डीआईएससी -09)
- मॉड्यूलर स्टील ब्रिज के लिए अत्यधिक टिकाऊ गैर-फिसलन इपॉक्सी पहनने योग्य सतह (डीआईएससी -10)

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने और सैन्य श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2018 में "मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति" (एमआरजीएस) की स्थापना की गई थी। मंत्रालय का यह प्रोत्साहन जीआरएसई पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और सरलता को प्रोत्साहित करते हुए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बन गया है। जीआरएसई ने 202 आईपीआर (एमआरजीएस लॉन्च होने के बाद 198 आईपीआर) दायर किए हैं, जिनमें से 110 आईपीआर (19 पेटेंट, 74 कॉपीराइट और 17 ट्रेडमार्क) आज तक स्वीकृत हो चुके हैं। जीआरएसई ने अब तक अपने कर्मचारियों के साथ-साथ निजी विक्रेताओं सहित 1420 कार्मिको को आईपीआर जागरूकता पर प्रशिक्षित किया है।

उद्योग 4.0 और गुणवत्ता आश्वासन 4.0 का कार्यान्वयन: जीआरएसई ने अपने परिचालन में बदलाव लाने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और सतत विकास हासिल करने के उद्देश्य से उद्योग 4.0 (या शिपयार्ड 4.0) को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। परिचालन की विशिष्ट प्रकृति और आईटी सुरक्षा अनुपालन आवश्यकताओं के पालन की आवश्यकता को देखते हुए, शिपयार्ड ने सभी परिचालनों में पैन-यार्ड दृष्टिकोण अपनाने के बजाय चरणबद्ध कार्यान्वयन का विकल्प चुना है। आई 4.0 और गुणवत्ता आश्वासन 4.0 के कार्यान्वयन की दिशा में नई पहल जीआरएसई में एक सतत प्रक्रिया है। परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

i) ऑनलाइन बिल प्रसंस्करण प्रणाली (ओबीपीएस)
ii) ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण पोर्टल (ओवीआरपी)
iii) पोत निर्माण में रोबोटिक वेल्डिंग

iv) बाहरी पतवार की रोबोटिक पेंटिंग

v) एआई सक्षम सामग्री कोड जनरेशन के लिए सॉफ्टवेयर का विकास

vi) टैब आधारित ऑनलाइन निरीक्षण निगरानी प्रणाली (ओएमएस)

vii) एआई सक्षम स्वचालित वेल्ड दोष पहचान प्रणाली का संस्करण 2

viii) चरणबद्ध ऐरे अल्ट्रासोनिक परीक्षण का विस्तारित अनुप्रयोग

आधारभूत संरचना और तकनीकी आधुनिकीकरण

कार्यात्मक एवं उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन पर ज़ोर देते हुए, कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) के एक भाग के रूप में ₹68 करोड़ खर्च किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निर्मित/आधुनिकीकृत और वर्तमान में प्रगति पर चल रही कुछ प्रमुख सुविधाएँ निम्नलिखित हैं:

क) **आरबीडी यूनिट में नया स्टील स्टॉकयार्ड:** आरबीडी में गैन्ट्री क्रेन की स्थापना के साथ-साथ नए स्टील स्टॉकयार्ड का निर्माण पूरा हो गया है।

ख) **आरबीडी में डिह्यूमिडिफायर कक्ष का निर्माण:** आरबीडी यूनिट में लगभग 864 वर्ग मीटर के डिह्यूमिडिफायर कक्ष का निर्माण पूरा हो गया है।

ग) **शॉप और स्टोरों का नवीनीकरण:** आरबीडी, 61-पार्क और तारातला यूनिटों में प्रमुख शॉप और स्टोरों का नवीनीकरण पुरानी एस्बेस्टस शीट को धातु शीट से बदलने, संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और संबद्ध कार्यों के साथ पूरा हो गया है।

घ) **रूफटॉप सोलर प्लांट:** वायुमंडलीय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु हरित ऊर्जा पहल के एक भाग के रूप में, इस वर्ष 61पी (400 किलोवाट) और तारातला यूनिट (150 किलोवाट) में 550 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट चालू किया गया है। इसके साथ ही, कंपनी के रूफटॉप सोलर प्लांट की कुल क्षमता अब 2800 किलोवाट यानी 2.80 मेगावाट हो गई है, जो कुल स्वीकृत भार का 50% से अधिक है।

ङ) **मेन गेटों का पुनर्निर्माण:** आधुनिक रूप के साथ बेहतर सौंदर्य प्राप्त करने , सुरक्षा बढ़ाने और कुशल पैदल यात्री/वाहन आवाजाही के लिए, गेट-1 और गेट-2 का पुनर्निर्माण अप्रैल 2024 के दौरान पूरा किया गया।

च) **एफओजे में हार्डस्टैंड का निर्माण:** उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एफओजे में लगभग 3200 वर्ग मीटर कंक्रीट हार्डस्टैंड का निर्माण पूरा हो गया है।

छ) **टावर क्रेन:** पोतों के आउटफिटिंग कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, मेन में डॉल्फिन जेट्टी पर और आरबीडी में गंगा और हुगली जेट्टी पर टावर क्रेन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। ईडीसी: अगस्त 2025

ज) **आरबीडी यूनिट में कंक्रीट हार्डस्टैंड:** उत्पादन गतिविधि के लिए आरबीडी में लगभग 12000 वर्ग मीटर कंक्रीट हार्डस्टैंड का निर्माण कार्य पूरा होने के कगार पर है। ईडीसी: जुलाई 2025

झ) **आरबीडी यूनिट में वाणिज्यिक पोत निर्माण के लिए पोत लॉन्चिंग पैड:** आरबीडी यूनिट में वाणिज्यिक पोत निर्माण के लिए लगभग 10216 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले पोत लॉन्चिंग पैड का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। ईडीसी: जून 2025

ञ) **ईओटी क्रेन:** 61 पार्क में 4 10टी ईओटी क्रेन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ईडीसी: जुलाई 2025

ट) **एस्बेस्टस मुक्त जीआरएसई:** कोलकाता स्थित यूनिटों के शेष एस्बेस्टस शेड को धातु की चादरों से बदलने के लिए निविदा जारी कर दी गई है ताकि जीआरएसई को पूरी तरह से एस्बेस्टस मुक्त बनाया जा सके। ईडीसी: मार्च 2026

भविष्य का दृष्टिकोण

इस समय भारतीय नौसेना के लिए 17 युद्धपोतों के साथ-साथ 35 गैर-रक्षा प्लेटफार्मों के डिजाइन और निर्माण के लिए एक मजबूत ऑर्डर बुक जीआरएसई के लिए रोमांचक समय लेकर आई है। हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भरता' को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए की गई सभी नीतिगत पहलों के साथ, आने वाले वर्षों में युद्धपोत निर्माण का समग्र परिदृश्य काफी सकारात्मक दिख रहा है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की महत्वाकांक्षी अधिग्रहण योजना के कारण रक्षा पोत निर्माण खंड आशाजनक दिख रहा है, जो भारतीय पोत निर्माताओं और पूरे इको-सिस्टम के लिए काफी उत्साहजनक है। पिछले एक साल के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए कई अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किए गए हैं और निकट भविष्य में कुछ और आने की उम्मीद है। जीआरएसई पोतों की घरेलू और वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक पोत निर्माण खंड में प्रवेश करने की भी योजना बना रही है। आपकी कंपनी ने मित्र देशों (एफएफसी) में निर्यात बाजार को बढ़ावा देने के लिए समुद्री नौका (कार्गो + यात्री), बहुउद्देशीय पोत, टग, ड्रेजर, बजरे और ई-फेरी को लक्षित गैर-रक्षा उत्पादों के रूप में चिन्हित किया है। शिपयार्ड ने बांग्लादेश के लिए 01 उन्नत ड्रेजर और जर्मनी के लिए 08 बहुउद्देशीय पोतों के निर्माण हेतु निर्यात आदेश प्राप्त करके वाणिज्यिक पोत निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

पोत निर्माण में वैश्विक खिलाड़ी बनने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने का यह कंपनी के लिए एक अच्छा अवसर है। संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों और आधुनिक उपकरणों को अपनाने की हमारी इच्छाशक्ति कंपनी की दक्षता, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कंपनी ने अपने मुख्य कार्य क्षेत्रों में उद्योग 4.0 प्रथाओं को अपनाने के लिए कदम उठाए हैं।

जीआरएसई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 61 पार्क इकाई में 400 kWp क्षमता और तारातला यूनिट में 150 kWp क्षमता के नए संयंत्रों के उद्घाटन के साथ अपनी हरित ऊर्जा उपस्थिति को और मज़बूत किया है। इसके साथ ही, जीआरएसई में रूफटॉप सौर संयंत्रों की कुल क्षमता अब 2800 kWp हो गई है, जो 4 मेगावाट के अनुबंधित भार का 70% है। जीआरएसई अपनी हरित पहलों के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता में निरंतर वृद्धि करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डीईपी रांची इकाई में 250 kWp क्षमता के नए रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

जीआरएसई ने 09 जनवरी 25 को पश्चिम बंगाल सरकार को भारत की सबसे बड़ी "पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 150 यात्री कैटामारन फेरी - डीएचईयू" सौंपी। इस शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक यात्री कैटामारन फेरी ने हुगली नदी के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्गों पर यात्री परिवहन में क्रांति ला दी - 1। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के जल परिवहन विभाग से 07 नग 100 पैक्स और 06 नग 200 पैक्स हाइब्रिड फेरी की आपूर्ति के आदेश प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीआरएसई को नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल), डीआरडीओ, कोच्चि, केरल के लिए 01 नंबर ध्वनिक अनुसंधान पोत (एआरएस) और राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के लिए 01 नंबर महासागर अनुसंधान जलयान (ओआरवी) की आपूर्ति का आदेश भी प्राप्त हुआ। जीआरएसई कई परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिनमें नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है, जैसे मानवरहित सतह जलयान, स्वायत्त जलगत जलयान, पोत आधारित ड्रोन, हरित प्लेटफार्म आदि।

स्थिर व्यावसायिक विकास और स्थिरता के लिए आपकी कंपनी की प्रमुख भविष्य की योजनाएँ इस प्रकार हैं:

क) लागत, सुपुर्दगी समय, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से संपूर्ण परिचालन पर नज़र रखते हुए निर्यात में वृद्धि करके एक वैश्विक कंपनी बनना। इस संबंध में, जीआरएसई मित्र देशों को रक्षा और वाणिज्यिक पोतों के निर्यात हेतु भू-रणनीतिक पहुँच बढ़ाने के सभी अवसरों पर सक्रिय

रूप से काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आक्रामक विपणन रणनीति के परिणामस्वरूप वर्तमान निर्यात ऑर्डरों ने अब जीआरएसई को निर्यात बाजार, विशेष रूप से यूरोप में, पैर जमाने में मदद की है।

ख) अगले पांच वर्षों में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय सेना, बीआरओ, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय शिपिंग निगम, कोच्चि जल मेट्रो, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य राज्य सरकारों की ओर से संभावित और संभावित अवसरों के आकलन की दिशा में निरंतर प्रयास।

ग) आपकी कंपनी को भारत में निर्मित और भारतीय ध्वज वाले पोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत सरकार के प्रयास में एक बड़ा अवसर भी नज़र आ रहा है, जो हमारे समुद्री व्यापार को आगे बढ़ाएँगे। निकट भविष्य में तेल, उर्वरक और इस्पात उद्योगों को आपूर्ति करने वाले 100 से ज़्यादा पोतों के लिए नई परियोजनाओं के निर्माण की उम्मीद है। जीआरएसई ने इस माँग का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन और निर्माण संसाधनों को बढ़ाकर खुद को तैयार किया है।

घ) रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण क्षेत्रों की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए, जीआरएसई ने 2028 तक कोलकाता के बाहर एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि आंतरिक क्षमता में वृद्धि हो सके। यह विस्तार अपने वर्तमान नदी तटीय शिपयार्ड की अंतर्निहित सीमाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। जीआरएसई पूर्वी और पश्चिमी तट पर संभावित विकल्पों की खोज कर रहा है, साथ ही पश्चिम बंगाल में उच्च ज्वारीय गहराई वाले क्षेत्रों में भूमि के टुकड़े भी अधिग्रहित कर रहा है।

ङ) आपकी कंपनी का मानना है कि उत्पादन प्रक्रियाओं में नवाचार के साथ-साथ बेहतर दक्षता और संसाधनों का इष्टतम उपयोग, उत्पादन लागत को कम करने की कुंजी है। कंपनी अपनी खरीद और उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए अपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने का इरादा रखती है।

च) आपकी कंपनी ने रीफिट और मरम्मत व्यवसाय को और अधिक सुदृढ़ करने और विस्तारित करने की योजना बनाई है और जीआरएसई निर्मित पोतों और अन्य कंपनियों के पोतों के एएमसी और रीफिट के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, गृह मंत्रालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु सरकार से सक्रिय रूप से ऑर्डर प्राप्त करने का लक्ष्य बना रही है।

छ) विविधीकरण की दिशा में, इंजीनियरिंग और इंजन व्यवसाय खंडों के विकास पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। जीआरएसई, बेली-प्रकार और उन्नत पूर्व-निर्मित संस्करणों जैसे मॉड्यूलर और पोर्टेबल स्टील ब्रिजों के निर्माण में अपनी उपस्थिति का विस्तार जारी रखे हुए है, जो रक्षा, आपदा राहत और दूरस्थ संपर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें मध्यम गति के इंजनों और शाफ्टिंग/प्रोपेलरों के स्वदेशीकरण के प्रयास भी शामिल हैं।

ज) आपकी कंपनी स्वायत्त पोतों के प्रोटोटाइप के सफल विकास पर लगातार काम कर रही है, साथ ही हरित पोतों, विशेष रूप से फेरी और टग में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। इन क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में अपनी जगह बनाने और घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के साथ-साथ निर्यात के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है।

झ) जीआरएसई ने भारतीय नौसेना की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेवल सरफेस गन और अन्य आर्टिलरी सिस्टम के डिज़ाइन, विकास और निर्माण की एक रणनीतिक पहल भी शुरू की है। आगे चलकर, जीआरएसई को इस मोर्चे पर लगातार ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।

विविधता, स्थिरता और समावेशिता पर जोर देने वाली विक्रेता विकास पहल

जीआरएसई एक ऐसे प्रतिमान को बढ़ावा दे रहा है जहाँ विक्रेताओं को स्वतंत्र संस्थाओं के बजाय उद्यम के अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है। हमारा विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन और सतत विकास के सिद्धांतों को प्रतिबिम्बित करता है।

कंपनी की विक्रेता विकास नीति मौजूदा क्षेत्रों में विक्रेता पूल का विस्तार करके और भविष्य की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक मज़बूत और विविध आपूर्तिकर्ता आधार तैयार करने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाता है और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जीआरएसई सक्षम भागीदारों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के लिए पूरे वर्ष ऑनलाइन और ऑफलाइन विक्रेता विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करता है।

व्यापार को और आसान बनाने के लिए, जीआरएसई ने एक ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण पोर्टल विकसित किया है, जो संभावित विक्रेताओं के लिए सुलभ दूरस्थ ऑनबोर्डिंग प्रदान करता है। इस पोर्टल को व्यापक स्वीकृति मिली है, सैकड़ों आवेदन पहले ही जमा हो चुके हैं और कई और आवेदन प्रक्रिया में हैं। सुव्यवस्थित और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया ने टर्नअराउंड समय को काफी कम कर दिया है।

गुणवत्ता विक्रेता मूल्यांकन हमारी विकास प्रक्रिया का आधार बना हुआ है। विश्वसनीय साझेदारियाँ स्थापित करने के लिए, जीआरएसई की आंतरिक टीमें विस्तृत मूल्यांकन करती हैं, जिसमें साइट विज़िट भी शामिल हैं। इस प्रयास का उद्देश्य लीड टाइम को कम करना, नवाचार को बढ़ावा देना और पोत निर्माण में उत्कृष्टता के जीआरएसई के लक्ष्य के अनुरूप क्षमताओं का निर्माण करना है।

जीआरएसई विक्रेता साझेदारी के माध्यम से सृजित पारस्परिक मूल्य के बारे में जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। कंपनी नियमित रूप से आईसीसी, बीसीसीआई, एमएसएमई-डीएफओ, आईआईएफ, एनएसआईसी-एनएसएसएचओ, ईईपीसी, आईईईएमए, आईआईएम इंदौर, बीजीबीएस, एनपीसी, डीसीसीआई, एफओएसएमआई, डीजीक्यूए जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में आयोजित राष्ट्रव्यापी उद्योग मंचों में भाग लेती है।

मजबूत विक्रेता शिकायत निवारण तंत्र, ऑनलाइन बिल प्रसंस्करण और विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन जैसी पहल पारदर्शिता, विश्वास और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखण में योगदान करती हैं।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, जीआरएसई, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसएमई सहित, एमएसएमई को शामिल करने पर विशेष ज़ोर देता है। उल्लेखनीय है कि जीआरएसई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमएसएमई सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, जिसमें एमएसई से 25% और महिला-स्वामित्व वाली एमएसई से 3% खरीद हासिल की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹ 1320.81 मूल्य की वस्तुओं की खरीद की एमएसई से 1.5 करोड़ रुपये की खरीद की गई है, जो कुल वार्षिक खरीद मूल्य का लगभग 73.9% है (एमएसई के लिए लागू अपवर्जन को ध्यान में रखते हुए)। एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची आपकी कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/policies-for-msme/ पर उपलब्ध है ।

जीआरएसई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है, जो कई वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई व्यापार प्राप्तियों के निर्बाध वित्तपोषण और छूट को सक्षम बनाता है।

रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, जीआरएसई स्वदेशी रक्षा निर्माताओं के मानचित्रण के लिए इंडिया डिफेंस मार्ट (आईडीएम) और एससी/एसटी एमएसई से खरीद की त्रैमासिक ट्रैकिंग के लिए संबंध पोर्टल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम)

सरकारी ई-मार्केट (जेम) की स्थापना (2017 से) के बाद से, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जेम पर ₹ 1599.06 करोड़ की उच्च लक्ष्य खरीद माल्रा लगातार हासिल की है।

सूचान प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी के पास एक मज़बूत आईटी सिस्टम है और आपूर्ति श्रृंखला, वित्त, मानव संसाधन, पेरोल, विक्रेता प्रबंधन और संयंत्र रखरखाव जैसी सभी प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एसएपी ईआरपी में निर्बाध रूप से एकीकृत किया गया है। इसमें कोलकाता में एक अत्याधुनिक ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर और मुंबई में एक आपदा रिकवरी सेंटर की स्थापना शामिल है । इसके अलावा, कंपनी डिज़ाइन कार्यों को बेहतर बनाने के लिए अवीवा सीएडी, वीआर लेब और पीडीएम-पीएलएम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के नेतृत्व में एक सुस्पष्ट संगठनात्मक संरचना के साथ साइबर सुरक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। कंपनी ने सभी यूनिटों में आईएलएल-आधारित इंटरनेट लैन से पृथक सुरक्षित इंट्रानेट लैन लागू किया है, व्यापक साइबर सुरक्षा संवर्धित जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया है, और आईटी अवसंरचना दक्षता को अनुकूलित करने के लिए केंद्रीकृत एसएपी-ईआरपी प्रबंधन किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी सुरक्षित वीपीएन एक्सेस और उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधानों के माध्यम से दूरस्थ कार्य को सुगम बनाती है। कंपनी के पास कंपनी-व्यापी व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली भी है जो प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए है।

मानव संसाधन एवं प्रशासन

श्रमशक्ति

31 मार्च 2025 (एएन) तक कंपनी के पेरोल में कुल श्रमशक्ति संख्या 1,660 थी, जिसमें 488 मंडल स्तर और मंडल स्तर से नीचे के अधिकारी और नियमित रोल पर 109 पर्यवेक्षक, निश्चित अवधि के अनुबंध पर 23 अधिकारी और 64 पर्यवेक्षक शामिल थे।

31 दिसंबर 2024 तक एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/महिलाओं आदि के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ जनवरी से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान की गई कुल भर्ती के विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "क और ख" में दिए गए हैं।

मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों के प्रावधानों से छूट दी गई है ।

औद्योगिक संबंध

इस अवधि के दौरान डीईपी, रांची सहित कंपनी की सभी यूनिटों में औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहे।

कर्मचारियों की सक्रिय श्रेणी के लिए एकमात्र सौदाकारी संघ की मान्यता के लिए चुनाव 27 जून 2024 को आयोजित किए गए थे। चुनाव पश्चिम बंगाल सरकार के ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए थे।

प्रबंधन और जीआरडब्ल्यू लिमिटेड क्लर्क यूनियन ने कार्यालय सहायक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संशोधित पदोन्नति नीति को अंतिम रूप दे दिया है। मंडल की मंजूरी मिलने के बाद, जीआरएसई कार्यालय सहायक श्रेणी के कर्मचारी पदोन्नति नियम-2024 24 दिसंबर 2024 को प्रसारित किए गए।

पश्चिम बंगाल आधारित यूनिटों और डीईपी यूनिट, रांची के लिए कर्मचारियों की संघीकृत श्रेणी के प्रमाणित स्थायी आदेशों में संशोधन के बाद सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के एफआर (56) (आई) के अनुरूप संघीकृत कर्मचारियों के संबंध में विशेष समिति के माध्यम से समयपूर्व सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी प्राप्त हुई और योजना को अप्रैल, 2025 से प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

मानव संसाधन विकास

कंपनी ने ऐसे माहौल में कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता और एकजुट टीम वर्क को प्रोत्साहित करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, आपकी कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तकनीकी, नेतृत्व, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, कार्यात्मक, क्रॉस- फंक्शनल और व्यवहारिक दक्षता विकास विषयों को शामिल करते हुए एक सुपरिभाषित वार्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार और कार्यान्वित की है। वर्ष के दौरान, भारत में बाहरी एजेंसियों/प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनार में प्रतिभागियों को नामांकित करके आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 4000 प्रशिक्षण मानव-दिवस (लगभग) प्राप्त किए गए। प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों के संकाय/प्रशिक्षकों को आमंत्रित करके, साथ ही इन-हाउस संकाय के माध्यम से भी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कर्मचारी सहभागिता पहल

क) जीआरएसई दिवस समारोह:

66 वाँ जीआरएसई दिवस 19 अप्रैल 2025 को मनाया गया। वर्ष 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को 'जीआरएसई श्री' और 'सीएमडी प्रशस्ति' पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 में शैक्षणिक प्रदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को जीआरएसई मेरिट पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का एक अतिरिक्त आकर्षण जीआरएसई के नए लोगो का अनावरण था। इस अवसर पर जीआरएसई की वार्षिक इन-हाउस पत्रिका 'जीआरएसई वार्ता 2025' और हिंदी पत्रिका 'राजभाषा जागृति' का भी विमोचन किया गया। 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए और 40 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले छह कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। 61 पार्क यूनिट को सबसे स्वच्छ यूनिट घोषित किया गया और स्वच्छ यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया।

जीआरएसई दिवस पुरस्कार विजेता

ख) जीआरएसई परिवार दिवस "अहोबन' का समारोह

अहोबान पूरे जीआरएसई परिवार के लिए आनंद और उल्लास से भरा एक दिन है। परिवार के सदस्य इस वार्षिक आयोजन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस वर्ष अहोबन 19 जनवरी 2025 (रविवार) को जीआरएसई कर्मचारियों के प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए सुविचारित कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया। इस आयोजन में लगभग 1200 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया।

अहोबन - 2025

ग) वनिता 2025: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

जीआरएसई ने 12 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के एक भाग के रूप में "वनिता - एक डे-आउट कार्यक्रम" का आयोजन करके महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस कार्यक्रम ने जीआरएसई की महिला कर्मचारियों को एक साथ आने और जश्न मनाने के लिए एक मंच पर लाया।

इस कार्यक्रम में विभिन्न समूह गतिविधियां और आकर्षक सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे, जिससे सभी प्रतिभागियों के बीच सौहार्द और आनंद को बढ़ावा मिला।

वनिता 2024

घ) आउटबाउंड टीम निर्माण कार्यक्रम

वरिष्ठ प्रबंधन स्तर (मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक) के अधिकारियों के लिए आउटबाउंड टीम निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण अंतर-टीम संबंधों का निर्माण करना तथा संगठनात्मक लक्ष्यों की बेहतर पूर्ति के लिए बेहतर अंतर-विभागीय सामंजस्य स्थापित करना था।

अधिकारियों के लिए आउटबाउंड टीम निर्माण कार्यशाला - दिल से दूसरों से जुड़ना

ङ) नेतृत्व विकास कार्यक्रम:

क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यात्मक निदेशकों के क्षमता निर्माण हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य निगमित प्रशासन, वित्त, जोखिम प्रबंधन, रणनीतिक प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में कार्यात्मक निदेशकों के कौशल को बढ़ाना था।

ख) उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम - "गर्व के साथ आगे बढ़ें: विकसित हों, समृद्ध हों, सशक्त हों" विषय पर वरिष्ठ प्रबंधन की महिला अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उन प्रणालीगत पूर्वाग्रहों और असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया जो महिलाओं की उन्नति में बाधा डालते हैं और प्रतिभागियों को आज के प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक परिदृश्य में नेतृत्व के रूप में उभरने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और मानसिकता से लैस किया गया।

ग) उप महाप्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के लिए "21वीं सदी में नेतृत्व और प्रबंधन" पर मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

घ) प्रबंधन विकास कार्यक्रम नव नियुक्त सहायक प्रबंधकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें व्यक्तित्व विकास, प्रबंधकीय कौशल, सॉफ्टस्किल्स, टीम निर्माण आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया।

"21वीं सदी में नेतृत्व और प्रबंधन" पर मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

नव नियुक्त सहायक प्रबंधकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम

च) उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

जीआरएसई में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा एनएसीई (नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर्स) कोटिंग इंस्पेक्टर प्रोग्राम (स्तर-1); मरीन एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग), परियोजना प्रबंधन, एनडीटी (गैर-विनाशकारी परीक्षण) विधियों आदि विषयों पर तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया।yard.

छ) अप्रेंटिस प्रशिक्षण

कंपनी के पास तारातला यूनिट में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र नामक एक समर्पित प्रशिक्षु प्रशिक्षण विभाग है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 196 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और तकनीशियन अप्रेंटिस श्रेणियों के अंतर्गत अप्रेंटिस शामिल थे और उनकी कुल संख्या कुल मानवशक्ति का लगभग 12% थी। तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षुओं के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। यार्ड में ऑन-जॉब प्रशिक्षण के लिए रखे जाने से पहले सभी प्रशिक्षुओं के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

ज) वार्षिक स्वास्थ्य जांच

वार्षिक स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया और इस पहल से 96.84% कर्मचारी (1590) लाभान्वित हुए।

झ) मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और संशोधन

संगठनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभा अधिग्रहण, प्रतिभा प्रबंधन , कर्मचारियों के कल्याण और करियर प्रगति हेतु मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की जाती है। कंपनी ने कार्य पर समय, इंटर्नशिप योजना, जीआरएसई सुपरएनुएशन पेंशन योजना में एनपीएस के कार्यान्वयन, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और कारखाने के अंदर दुर्घटनाओं/चोटों से निपटने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति नीति, भर्ती और पदोन्नति नियमों जैसी कई मौजूदा नीतियों की समीक्षा की गई और संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार उन्हें संशोधित किया गया।

ञ) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)

संविधि /सरकारी निर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को सभी आवश्यक छूट/रियायतें प्रदान कीं ।

ट) महिला सशक्तिकरण

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक कंपनी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल कर्मचारियों की संख्या का 5% होगा। 2024 के दौरान, कुल 89 कर्मचारियों की भर्ती में से 03 महिला कर्मचारी थीं, जो 3.4% है।

काम पर संरक्षा

शिपयार्ड ने कंपनी में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्यस्थल पर संरक्षा मानदंडों और प्रक्रियाओं की गहन निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से संरक्षा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान 2.72 (स्थायी श्रमिकों के लिए) और 0.29 (ठेकेदार श्रमिकों के लिए) की संरक्षा आवृत्ति दर हासिल की है।

उच्च संरक्षा मानक बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी ने समूह संरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क (जीएसटीके) के माध्यम से ठेकेदार कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को सिस्टम-आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया है, जहां सामग्री हैंडलिंग, गर्म काम, विद्युत संरक्षा, पेंटिंग गतिविधि, ऊंचाई पर काम गतिविधि, सीमित स्थान पर काम आदि जैसे विभिन्न विषयों पर संरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के 300 बैच (लगभग) मेन, एफओजे और आरबीडी यूनिट में आयोजित किए गए हैं।

संरक्षा मॉक ड्रिल

औद्योगिक सुरक्षा

जीआरएसई एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इस शिपयार्ड को भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अंतर्गत "निषिद्ध स्थान" घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या 2145/(I)(7)-P दिनांक 30 मार्च 2004 के अंतर्गत धारा-2 खंड 8 उपखंड (क) प्रकाशित किया गया है। इसे गृह मंत्रालय के खुफिया ब्यूरो द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से श्रेणी 'क' अर्थात "अत्यधिक संवेदनशील" में भी रखा गया है।

हमारी कंपनी की उत्पादन यूनिटों की भौतिक सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपा गया है। इसके अलावा, चौबीसों घंटे सशस्त्र कर्मियों द्वारा जल-तट पर गश्त और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर एक सुदृढ़ सीसीटीवी प्रणाली लागू है। सभी कर्मचारियों का प्रवेश/निकास चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। गेट पास जारी करने से पहले सभी ठेकेदार श्रमिकों का पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा रहा है।

राजभाषा

जीआरएसई भारत सरकार की राजभाषा (रा.भा) नीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया है। राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों में शामिल हैं :

क) **हिंदी माह समारोह :** कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में सितंबर-अक्टूबर माह के दौरान हिंदी माह और हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी माह के दौरान, कंपनी के कर्मचारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

ख) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति :** विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में तिमाही आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें आयोजित की गईं।

ग) **प्रोत्साहन :** प्रोत्साहन योजनाओं का सभी कर्मचारियों के बीच प्रचार किया गया तथा इन योजनाओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

घ) **हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी के बाहर हिंदी प्रतियोगिताएँ :** राजभाषा का प्रयोग केवल जीआरएसई की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित करके कंपनी के बाहर भी इसका प्रचार किया जाता है। आर्य परिषद विद्यालय, खिदिरपुर में एक हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई । कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । संघमित्रा विद्यालय, कोलकाता में हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई और योग्य छात्र को पुरस्कार वितरित किए गए ।

ङ) **नराकास के तत्वावधान में हिंदी प्रतियोगिता:** जीआरएसई ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में जीआरएसई भवन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य संगठनों के लिए 19 दिसंबर 2024 को हिंदी यात्रा वृत्तांत/संस्मरण लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बड़ी संख्या में नामित कर्मचारियों ने भाग लिया।

च) **राजभाषा पुरस्कार:**

(i) **नराकास राजभाषा शील्ड :** नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू) द्वारा कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए जीआरएसई को **राजभाषा शील्ड प्रदान** की गई है। कोलकाता । 28 अगस्त 2024 को कोलकाता में आयोजित एक भव्य समारोह में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के के माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया । पुरस्कार जीआरएसई के निदेशक (कार्मिक) द्वारा प्राप्त किया गया।

(ii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष **2024-25** के लिए जीआरएसई को सक्रिय भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया। 22 जनवरी 2025 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में जीआरएसई ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया यह पुरस्कार ग्रहण किया ।

(iii) **विभिन्न अंतर-पीएसयू हिंदी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार:** जीआरएसई कर्मचारियों ने वर्ष 2024-25 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को नराकास (पीएसयू), कोलकाता के तत्वावधान में विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में 02 अलग-अलग पुरस्कार जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। ।

(iv) प्रबंधक (राजभाषा) को जीआरएसई में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए नराकास द्वारा **प्रशंसा पत्र** प्रदान किया गया है।

पुरस्कार और सम्मान

वर्ष के दौरान , आपकी कंपनी को विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। कंपनी को प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण सम्मान निम्नलिखित हैं:

क) **'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' पर पुरस्कार** - जीआरएसई को 14-15 जून 24 को जयपुर में इंडियन एक्सप्रेस समूह के पीएसई शिखर सम्मेलन में रेडियोग्राफी फिल्म की जांच करने और दोषों का पता लगाने के लिए एआई आधारित सॉफ्टवेयर "आई-वेल्ड इंस्पेक्टर" को लागू करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ख) **सतत शासन चैंपियन पुरस्कार** - जीआरएसई को 24 जून 2024 को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 में 'सतत शासन चैंपियन पुरस्कार' प्राप्त हुआ।

ग) **सीएसआर टाइम्स अवार्ड्स 2024** - जीआरएसई को 23 अगस्त 2024 को गोवा में 'सीएसआर टाइम्स अवार्ड्स 2024' में 'हेल्थकेयर' और 'कौशल विकास' श्रेणियों में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए ।

घ) **संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएच एंड ई) उत्कृष्टता पुरस्कार 2024** - जीआरएसई को औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए 22 अगस्त 2024 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा प्रतिष्ठित 'एसएच एंड ई उत्कृष्टता पुरस्कार 2024' प्राप्त हुआ।

ङ) **सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार** - निदेशक (वित्त), जीआरएसई को दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल (डीएसआईजे) 2024 से अगस्त 24 के महीने में 'सर्वश्रेष्ठ रिटर्न' (एमआईडी कैप) श्रेणी के लिए 'सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार' प्राप्त हुआ।

च) **स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार** - जीआरएसई ने 01 अगस्त 24 को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार - 2023 (डीडीपी, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित) प्राप्त किया , जिसमें उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ ।

छ) **नराकास राजभाषा शील्ड** - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिष्ठित 'राजभाषा शील्ड' जीआरएसई को प्रदान की गई यह जानकारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) के अध्यक्ष द्वारा 28 अगस्त 2024 को कोलकाता में आयोजित एक प्रस्तुति समारोह के दौरान दी गई ।

ज) **सीएचआरओ ऑफ द ईयर अवार्ड 2024** - जीआरएसई के निदेशक (कार्मिक), डीआईजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) को 19 सितंबर 24 को बेंगलुरु में 23वें एशिया पैसिफिक एचआरएमसी अवार्ड्स 2024 समारोह में प्रतिष्ठित 'सीएचआरओ ऑफ द ईयर अवार्ड' प्राप्त हुआ।

झ) **उभरती प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम उपयोग का पुरस्कार :** जीआरएसई को 26 सितंबर 2024 को दिल्ली में 9वें गवर्नेंस नाउ पीएसयू आईटी पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित 'उभरती प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम उपयोग का पुरस्कार' प्राप्त हुआ।

ञ) **12 दिसंबर 2024** को अपने अभिनव **न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी** के लिए "उद्योग-अकादमिक साझेदारी 2024 में शीर्ष उद्योग उत्कृष्टता" श्रेणी में **सीआईआई उद्योग-अकादमिक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ ।**

ट) **जीआरएसई को** 23 दिसंबर 2024 को दो श्रेणियों में 14 वें आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया ।

ठ) **डबल्यूआईपीएस पुरस्कार 2025** – जीआरएसई को 17 से 18 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में डबल्यूआईपीएस के 35 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सार्वजनिक क्षेत्र में महिला' (डबल्यूआईपीएस) पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ ।

ड) **11वें गवर्नेंस नाउ पीएसयू पुरस्कार** - 28 फ़रवरी 2025 को आयोजित 11वें गवर्नेंस नाउ पीएसयू पुरस्कारों में जीआरएसई को नेतृत्व, वित्तीय प्रदर्शन और संचार आउटरीच में उत्कृष्टता के लिए तीन पुरस्कार प्राप्त हुए। नेतृत्व पुरस्कार जीआरएसई के सीएमडी को प्रदान किया गया और जीआरएसई को समग्र वित्तीय प्रदर्शन और संचार आउटरीच श्रेणियों में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ ।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

आपकी कंपनी व्यावसायिक संचालन के सभी क्षेत्रों में निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा पर ज़ोर देती है। आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत लागू विनियमों का अनुपालन करती है। और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश, निदेशक मंडल की संरचना, अर्थात् एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, को छोड़कर, लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, कंपनी क्रमशः 11 दिसंबर 2024 और 27 दिसंबर 2024 से अपनी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन करने में असमर्थ रही। इसके अलावा, इसी कारण लेखा परीक्षा समिति 13 नवंबर 2024 को हुई पिछली बैठक के 120 दिनों के भीतर बैठक करने में विफल रही।

जीआरएसई एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है और कंपनी ने महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पदों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचना दे दी है। कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन करने का भी प्रयास करती है।

इसके अलावा, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि सीपीएसई को दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। डीपीई ने वर्ष 2024-25 के लिए जीआरएसई को "उत्कृष्ट" ग्रेड दिया है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34 के अनुसार और डीपीई दिशानिर्देश, निगमित प्रशासन पर एक रिपोर्ट और मैसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

आपकी कंपनी के मंडल में कुल दस (10) निदेशक हैं जिनमें चार (4) पूर्णकालिक निदेशक, पांच (5) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक जिनमें एक (1) महिला निदेशक और एक (1) सरकारी नामित निदेशक शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद का नाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
(क)	श्री राजीव प्रकाश	सरकार द्वारा नामित निदेशक	-	11 दिसंबर 2024
(ख)	डॉ. गरिमा भगत	सरकार द्वारा नामित निदेशक	23 दिसंबर 2024	-
(ग)	श्री संजय दत्तात्रेय पांसे	स्वतंत्र निदेशक	-	27 दिसंबर 2024

रोटेशन से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 206 और 207 के अनुसार, कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), निदेशक (पोत निर्माण), जो निदेशक मंडल में सेवा कर चुके हैं और सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों में सबसे लंबे समय तक कार्यरत हैं, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा मानदंडों की घोषणा और पूर्ति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी को अपने सभी स्वतंत्र निदेशकों से घोषणापत्र प्राप्त हुए हैं, जो पुष्टि करते हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने भारतीय निगमित मामलों के संस्थान (आईआईसीए) में अपना पंजीकरण करा लिया है और अपना नाम कंपनी के डेटाबैंक में शामिल कर लिया है। स्वतंत्र निदेशकों को वैधानिक समय-सीमा के भीतर नियुक्ति देनी होगी तथा जहां भी लागू हो, उन्हें निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन दक्षता परीक्षा भी देनी होगी।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

वर्ष 2024-25 के दौरान, 27 अक्टूबर 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की नौ (09) बैठकें आयोजित की गईं। अधिक जानकारी के लिए कृपया ' निगमित गवर्नेंस पर रिपोर्ट' देखें ।

पारिश्रमिक नीति और मंडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन

आपकी कंपनी रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की एक कंपनी है। कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आपकी कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 194 और 216 में यह भी उल्लेख है कि भारत के राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति करेंगे और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करेंगे। चूँकि मंडल स्तर की नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, इसलिए ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

लेखा परीक्षा समिति

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार उचित थी, 27 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि को छोड़कर।

अधिक जानकारी के लिए कृपया ' निगमित गवर्नेंस पर रिपोर्ट ' देखें।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, आपके निदेशकगण एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि: -

क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और इसमें कोई भौतिक विचलन नहीं है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2025 तक आपकी कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग) निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे 'चलती चिंता' के आधार पर तैयार किए हैं;

ङ) निदेशकों ने आपकी कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं तथा यह सुनिश्चित किया था कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हों तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हों।

वैधानिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत मैसर्स गुहा, नंदी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं ।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसरण में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने आपकी कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स चटर्जी एंड कंपनी, लागत लेखाकार, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार, आपकी कंपनी के मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने हेतु मैसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिवों को नियुक्त किया है। मैसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिवों की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट यहां उपलब्ध है। परिशिष्ट - "सी" इस रिपोर्ट के संबंध में । सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। हालाँकि, सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा अपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई अन्य टिप्पणियाँ और स्पष्टीकरण स्वतः स्पष्ट हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के विनियम 24ए के अनुसार , कंपनी ने मैसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिवों से वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की है , जो कंपनी पर लागू सेबी विनियमों/परिपत्रों/इसके तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करती है और उक्त रिपोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ दायर की गई थी। उक्त रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स एस गुहा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

शून्य

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23 के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया। आपके निदेशकगण सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के नोट 32 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्षों के खुलासे दिए गए हैं। संबंधित पक्षों के लेन-देन के विवरण पर

प्रपत्र एओसी-2, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(h) के अंतर्गत आवश्यक, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट- "घ" के रूप में संलग्न किया गया है । कंपनी की संबंधित पक्ष लेन-देन पर एक नीति है, जिसे https://grse.in/policies/GRSE_Policy_for_Related_Party_Transactions.pdf पर देखा जा सकता है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान , आपकी कंपनी ने निम्न कार्य नहीं किए:

क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण दिया गया हो;

ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी गई है या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है; न ही

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों को अभिदान, खरीद या अन्यथा के माध्यम से अर्जित किया गया हो।

सतर्कता तंत्र

अपनी सतर्कता प्रणाली के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है, ताकि आपके कंपनी के कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आपकी कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना प्रबंधन को देने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार, एक व्हिसल ब्लोअर आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (या कोई भी व्यक्ति जिसे उसने अपनी शक्तियाँ सौंपी हैं) को लिखित संचार भेज सकता है। वैकल्पिक रूप से, व्हिसल ब्लोअर इस तरह के संरक्षित प्रकटीकरण को सीधे अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति को भेज सकता है। एक बार संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, मामले की जाँच के लिए आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित एक कार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष , लेखा परीक्षा समिति की सदस्यता वाली एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी। व्हिसल ब्लोअर नीति को आपकी कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Whistle-Blower-Policy-1.pdf पर देखा जा सकता है ।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निर्धारित प्रारूप (फॉर्म एमजीटी-7) में वार्षिक रिटर्न आपकी कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/annual-returns/ पर उपलब्ध होगा ।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

सेबी लिस्टिंग विनियमों और सीपीएसई के लिए निगमित गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है ।

निगमित सामाजिक दायित्व

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड की निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) परियोजनाएँ भारत सरकार के सतत एवं समावेशी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, सतत विकास और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। कंपनी अपने सीएसआर प्रयासों का विस्तार करने के लिए समर्पित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका योगदान समाज में सार्थक बदलाव लाता रहे। जीआरएसई के लिए सीएसआर केवल एक दायित्व ही नहीं, बल्कि उसके व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को सामाजिक और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़कर, जीआरएसई एक जिम्मेदार निगमित नागरिकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है और राष्ट्रीय विकास में योगदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत करता है। जीआरएसई ने सीएसआर को अपने निगमित प्रशासन और मूल दर्शन में समाहित कर लिया है, जो सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व दोनों ही व्यावसायिक कार्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जीआरएसई की सीएसआर पहलों ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने, वंचित और कमजोर बच्चों के समग्र विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और समाज के वंचित वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन पहलों ने वंचित आबादी के एक बड़े हिस्से के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान की गई सीएसआर पहलों पर वार्षिक रिपोर्ट की विस्तृत रूपरेखा " परिशिष्ट-ङ " में संलग्न है।

जोखिम प्रबंधन

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 21 के अनुसार , कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति का विवरण और उसके कार्यक्षेत्र, जोखिम प्रबंधन नीति आदि निगमित प्रशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं और जोखिम प्रबंधन पर एक विस्तृत नोट प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यावसायिक दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। सेबी लिस्टिंग विनियमों का विनियमन 34(2)(एफ) यह निर्धारित करता है कि वार्षिक रिपोर्ट में सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में एक व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट शामिल होगी। तदनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक विस्तृत नोट प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी रक्षा प्लेटफार्मों के उत्पादन में लगी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के तहत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी का खुलासा आवश्यक नहीं है क्योंकि एमसीए ने 04 सितंबर 2015 की अधिसूचना जीएसआर संख्या 680 (ई) के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट प्रदान की है।

आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, आरटीआई मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 'सूचना' प्रदान करने के लिए ऑनलाइन/कार्यालय माध्यम से कुल 212 आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष की प्रारंभिक शेष संख्या 27 थी। वर्ष के दौरान कुल 237 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया गया, जिनमें 03 आरटीआई आवेदन अन्य संबंधित लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए गए और शेष 02 आरटीआई आवेदनों को वर्ष 2025-2026 तक "आगे बढ़ाया गया" माना गया।

वर्ष 2024-2025 के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से कुल 22 आरटीआई प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं और 01 प्रथम अपील को पिछले वर्ष की "प्रारंभिक शेष" के रूप में आगे बढ़ाया गया। कुल 21 आरटीआई प्रथम अपीलों का निर्णय लिया गया और उनका उत्तर दिया गया तथा शेष 02 आरटीआई प्रथम अपीलों को वर्ष 2025-26 तक "आगे बढ़ाया" गया।

इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 04 आरटीआई द्वितीय अपीलें दायर की गईं। अब तक कुल 02 आरटीआई द्वितीय अपीलों पर सुनवाई और निर्णय हो चुका है तथा शेष 02 आरटीआई द्वितीय अपीलों को वर्ष 2025-26 तक "आगे ले जाया" गया है।

तिमाही रिटर्न सीआईसी की वेबसाइट के साथ-साथ डीओपीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। सीआईसी के निर्देशानुसार, सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण को आरटीआई लिंक के अंतर्गत जीआरएसई की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, आंतरिक समिति का पुनर्गठन 18 अक्टूबर 2024 को किया गया था। पश्चिम बंगाल स्थित यूनिटों के लिए प्रारंभिक रूप से 10 सदस्यों वाली इस समिति में एक सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण वर्तमान में 9 सदस्य हैं। डीईपी यूनिट, रांची के लिए एक अलग आंतरिक समिति कार्यरत है। डीईपी की आंतरिक समिति का पुनर्गठन 29 मार्च 2023 को किया गया था, जिसमें 5 सदस्य हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 21 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं:

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
(ii)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(iii)	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
(iv)	यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	05
(v)	*नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति*	*लागु नहीं*

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का अनुपालन

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के संबंध में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों का पालन कर रही है। अधिक विवरण के लिए कृपया 'बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) देखें।

लोक शिकायतें

शिकायत का पारदर्शी एवं समय-बद्ध तरीके से निवारण के सुविधार्थ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, जन अभियोग एवं पेंशन, भारत सरकार ने एक वेब आधारित मॉनीटरिंग सिस्टम www.pqportal.gov.in (पीजी पोर्टल) पर प्रारंभ किया है ।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ऑनलाइन/ऑफ़लाइन माध्यम से कुल 17 जन शिकायत याचिकाएँ प्राप्त हुईं और 06 जन शिकायतों को पिछले वर्ष की "प्रारंभिक शेष" के रूप में आगे लाया गया। कुल 20 जन शिकायतों का समाधान किया गया और शेष 03 जन शिकायत याचिकाओं को वर्ष 2025-26 तक आगे ले जाया गया।

सतर्कता गतिविधियाँ

आपकी कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है। सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य कंपनी की सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित करना है। इस दिशा में, विभाग का ध्यान निगरानी और जांच के साथ-साथ दंडात्मक और निवारक सतर्कता पर भी रहा है। निवारक सतर्कता कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, विभाग ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया है। वर्ष के दौरान, कई क्षेत्रों की जाँच की गई और विभिन्न प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन, विश्लेषण और जाँच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जाँच और संतुलन प्रणालियाँ आवश्यक मापदंडों के अनुसार काम कर रही हैं। कुछ मामलों में, प्रबंधन को प्रणालीगत सुधारों के लिए सलाह दी गई। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ भी की गईं:

क) जीआरएसई के विभिन्न स्थानों पर सीवीओ और सतर्कता अधिकारियों द्वारा आवधिक/आश्चर्यजनक दौरे आयोजित किए गए।

ख) निम्नलिखित कई निवारक सतर्कता उपाय किए गए:

(i) फाइलों को बेतरतीब ढंग से उठाया गया और उनकी जांच की गई;

(ii) सीवीसी की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जीआरएसई की अपनी ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के अतिरिक्त जीआरएसई वेबसाइट से भी जुड़ी हुई है; फर्जी और गुमनाम शिकायतों को कम करने के लिए ईमेल ओटीपी आधारित शिकायत प्रणाली शुरू की गई है।

(iii) जीआरएसई की सभी यूनिटों में शिकायत पेटियां स्थापित की गई हैं;

(iv) सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2024 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:

- सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।
- ग्राम सभा दरबेश मोलर चक गांव, काकद्वीप, पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थी।
- जीआरएसई कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कार्टून निर्माण, नारा लेखन, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।
- वीएडब्ल्यू 2024 की प्रस्तावना के रूप में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 100 कर्मचारियों ने भाग लिया।

ग) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच की गई और उचित कार्रवाई की गई।

घ) वर्ष 2024 के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) के 20% की जांच पूरी हो गई है।

ङ) लगभग 1,515 मामलों में मंडल स्तर से नीचे के अधिकारियों की सतर्कता स्थिति/मंजूरी संबंधी जानकारी दी गई। मंत्रालय की इच्छानुसार मंडल स्तर के अधिकारियों की सतर्कता प्रोफ़ाइल संबंधी जानकारी भी दी गई।

च) संगठन के हित में कई प्रणाली सुधारों का सुझाव दिया गया।

छ) प्रत्येक तिमाही में मुख्य सतर्कता अधिकारी और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बीच संरचित बैठकें आयोजित की गईं।

ज) संवेदनशील पोस्टों की समीक्षा की गई है और उनकी पहचान की गई है।

झ) जीआरएसई की सतर्कता मंजूरी नीति की समीक्षा की गई।

ञ) निम्नलिखित सतर्कता गतिविधियाँ ऑनलाइन जारी हैं:

(i) वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करना

(ii) कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी का प्रसंस्करण

अखंडता संधि

खरीद गतिविधियों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पहलों में से एक, बड़े मूल्य के अनुबंधों में सत्यनिष्ठा संधि लागू करना है। रक्षा मंत्रालय और सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने ₹2 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के सभी ऑर्डर/अनुबंधों के लिए सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा संधि अपनाई है और केवल वे विक्रेता/बोलीदाता ही बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएँगे जो कंपनी के साथ आईपी के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सत्यनिष्ठा संधि मूलतः संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और प्रमुख (जीआरएसई) के बीच एक समझौते की परिकल्पना करती है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण का सहारा न लेने के लिए प्रतिबद्ध करती है। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता ही बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएँगे, जो प्रमुख के साथ इस तरह के समझौते के लिए प्रतिबद्ध होंगे। किसी विशेष अनुबंध के संबंध में सत्यनिष्ठा संधि, बोलियों के आमंत्रण के चरण से अनुबंध के अंतिम समापन तक प्रभावी रहेगी। इसका कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देगा और भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन से बाहर कर देगा।

सीवीसी की सिफारिश के अनुसार , कंपनी ने कंपनी में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आईईएम ने ₹2 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के ऑर्डर/अनुबंधों की निगरानी की और वाणिज्यिक विभाग के साथ तिमाही बैठकें और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ अर्धवार्षिक संरचित बैठकें आयोजित कीं।

सामान्य

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ था:

क) संबंधित वित्तीय वर्ष में वित्तीय विवरण या मंडल की रिपोर्ट में किसी स्वैच्छिक संशोधन के लिए विस्तृत कारण, जिसमें संशोधन किया गया हो।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाओं से संबंधित विवरण।

ग) लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का निर्गमन।

घ) विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो आपकी कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य के संचालन को प्रभावित करता हो।

आभार

आपके निदेशकगण रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों के प्रति उनके निरंतर समर्थन, सहायता और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। निदेशकगण भारत सरकार और पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा अन्य राज्यों की सरकारों के प्रति भी उनके निरंतर सहयोग और बहुमूल्य समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण विशेष रूप से भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक मुख्यालय, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), गृह मंत्रालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, विभिन्न राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभागों, पश्चिम बंगाल और कोलकाता के पुलिस विभाग और अन्य सम्मानित ग्राहकों तथा व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति आपके कंपनी में उनके द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के लिए आभारी हैं। यदि हम युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक, तटरक्षक रिफिट उत्पादन अधीक्षक और उनकी समर्पित टीमों, जिनकी देखरेख में हमारे पोतों का निर्माण/रिफिटिंग किया जा रहा है, के सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम अपने कर्तव्य में विफल होंगे। साथ ही, हम सभी वर्गीकरण समितियों, विशेष रूप से आईआरएस, एबीएस, बीवीआर और डीएनवी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने गुणवत्ता और आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया है।

निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा मंडल , बेंगलुरु के पदेन सदस्य, रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (नौसेना), मुंबई, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), कोलकाता, कंपनी रजिस्ट्रार, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल , भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड द्वारा दी गई बहुमूल्य सलाह और उनसे प्राप्त सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, कंपनी के वैधानिक, लागत, आंतरिक और सचिवीय लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकरों, ट्रेड यूनियनों और संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना करते हैं। कर्मचारियों के उत्साह और अथक प्रयासों ने आपकी कंपनी को कई मौजूदा और नए खिलाड़ियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उद्योग में अग्रणी बने रहने में सक्षम बनाया है।

कृते निदेशक मंडल

हस्ता/-

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 जुलाई, 2025

कमोडोर पीआर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08591411

परिशिष्ट क

31 दिसंबर 2024 को स्थायी एवं संविदा पर काम करने वाले अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग एवं महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण

समूह/वर्ग	कुल शक्ति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कर्मचारी
ग्रुप-ए	459	78	30	132	66	12	29
समूह-बी	28	3	1	9	7	-	4
समूह-सी	1158	288	51	196	39	40	49
समूह-डी (सफाईवाला को छोड़कर)	5	2	-	-	1	-	-
समूह-डी (सफाईवाला)	2	2	-	-	-	-	-
कुल	**1652**	**373**	**82**	**337**	**113**	**52**	**82**

परिशिष्ट – ख

स्थायी श्रेणी और अनुबंध श्रेणियों के अंतर्गत (नियत अवधि/जर्नीमेन) 2024 के दौरान की गई भर्ती का विवरण

समूह/वर्ग	कुल शक्ति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कर्मचारी
ग्रुप-ए	11	1	-	6	6	-	-
समूह-बी	6	-	-	2	5	-	-
समूह-सी	72	21	3	28	-	5	3
समूह-डी (सफाईवाला को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-
समूह-डी (सफाईवाला)	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**89**	**22**	**3**	**36**	**11**	**5**	**3**

परिशिष्ट ग

फॉर्म एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम,2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में ,
सदस्यगण,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700024

हमने **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** (इसके बाद "कंपनी" उल्लेखित) द्वारा लागू सांवाधिक प्रावधानों और अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया था, जिससे हमें निगमित आचरण/सांवाधिक अनुपालन और अपनी मत व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिला ।

कंपनी के किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और दायर रिटर्न और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड में कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी सचिवीय लेखापरीक्षा के सत्यापन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी मत में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि कंपनी के पास उचित मंडल प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तहत है:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के तहत की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और विनियमों और उसके तहत बनाए गए उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल अधिनियम,1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल **(इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018; **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993; 2021 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम)

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2019, जैसा कि भारत सरकार('डीपीई दिशानिर्देश'); के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी और संशोधित किया गया है:

(iv) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून अर्थात्:

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;

(ख) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016 ;

(ग) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत प्रतिपादित नियम;

(घ) वायु (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम, 1981;

(ङ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम

(च) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010;

(छ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित सीमा को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है, जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17(1) (बी), अधिनियम की धारा 149(4) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के तहत आवश्यक है।

2. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17(1)(ए) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 149(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक अपने मंडल में एक भी महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी ।

3. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 18(1) के अनुसार , अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान, सीपीएसई पर निगमित प्रशासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, 27 दिसंबर 24 से 31 मार्च 25 तक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था। हालांकि, कंपनी के पास 26 दिसंबर 2024 तक लेखा परीक्षा समिति की उचित संरचना थी।

4. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 19(1) के अनुसार , अधिनियम की धारा 178 के प्रावधानों और सीपीएसई पर निगमित प्रशासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, 11 दिसंबर 24 से 31 मार्च 25 तक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था। हालांकि, कंपनी के पास 10 दिसंबर 2024 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की उचित संरचना थी।

5. सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए कुछ अन्य निगमित प्रशासन प्रावधानों के संबंध में, कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक ढाँचा यथासंभव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे नियामक ढाँचे के मद्देनजर, सेबी लिस्टिंग विनियमों, अर्थात् अनुसूची II के भाग सी के पैरा ए के साथ पठित विनियम 17(4) और (10), विनियम 18(2) और (3) , अनुसूची II के भाग डी के पैरा ए के साथ पठित विनियम 19(4) और विनियम 25(4) आदि में प्रदान की गई कुछ निगमित प्रशासन आवश्यकताओं का कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन, उपर्युक्त को छोड़कर, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए थे।

मंडल/समिति की बैठकों के कार्यक्रम के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए जाते हैं, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां बैठकें कम समय के नोटिस पर आयोजित की गई थीं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से लिया गया निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवाही के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां की हैं जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

(क) कंपनी ने 20 सितंबर, 2024 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 14.4% यानी 1.44 रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया।

(ख) कंपनी के निदेशक मंडल ने 03 फरवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 89.5% यानी 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 8.95 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया ।

कृते मेहता एंड मेहता,
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

हस्ता/-
रवीना दुगर अग्रवाल
साझेदार
एसीएस सं.: 51836
सीपी सं.: 26055
यूडीआईएन:
पीआर सं. 3686/2023

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 जुलाई, 2025

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक - क

सेवा में ,
सदस्यगण,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700024

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सचिवीय रिकॉर्ड के लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी मत व्यक्त करना है।

2) हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सटिकटता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी मत को एक उचित आधार प्रदान करते है ;

3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानून, नियम और विनियमन के अनुपालन और आयोजनों आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है ।

5) निगमित और अन्य लागू कानूनों,नियमों,विनियमों,मानकों के प्रावधानों का अनुपानल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी ।

6) फॉर्म एमआर-3 में हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल की गई पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में, उक्त नियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच विभिन्न प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न अधिकारियों के साथ दाखिल करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और कवरेज को सत्यापित नहीं किया है।

7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है,जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते मेहता एंड मेहता,
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

हस्ता/-
रवीना दुगर अग्रवाल
साझेदार
एसीएस सं.: 51836
सीपी सं.: 26055
यूडीआईएन: A051836F000926138
पीआर सं. 3686/2023

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 जुलाई, 2025

परिशिष्ट - घ

फॉर्म संख्या एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, के 2014 के नियम 8 (2) के अनुवर्ती)

कंपनी / अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा अनुबंध / समझौतों के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र , जिसमें तीसरे अनंतिम उपबंध के तहत कुछ आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन शामिल हैं:

1. आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर नहीं हुए अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
संविदा की मुख्य शर्तें या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो	लागू नहीं
ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक वह तिथि, जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था	लागू नहीं

2. आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर हुए सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
संविदा की मुख्य शर्तें या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो	लागू नहीं
मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कोई नहीं

कृते निदेशक मंडल

हस्ता/-
कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08591411

परिशिष्ट – ङ

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

I. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की, जिससे समावेशी और सतत विकास, विशेष रूप से हाशिए पर और वंचित समुदायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

जीआरएसई के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रयास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप वंचित समुदायों/समाज के वर्गों के समग्र विकास, स्वास्थ्य शिविरों, स्वास्थ्य सेवा पहलों, टीबी उन्मूलन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वच्छता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास, हरित पहलों आदि पर केंद्रित थे। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन वंचित समुदायों के उत्थान, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने, आर्थिक प्रगति को गति देने आदि के उद्देश्य से किया गया था।

कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है और उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों के अनुरूप है। यह नीति समय-समय पर जारी प्रासंगिक सरकारी निर्देशों और दिशानिर्देशों द्वारा भी निर्देशित है। सीएसआर गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख मंडल -स्तरीय निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व ("सीएसआर एवं एसडी") समिति द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं। यह समिति सभी प्रस्तावित परियोजनाओं की गहन समीक्षा करती है, कार्यान्वयन रणनीतियों का आकलन करती है, और निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए वार्षिक सीएसआर कार्य योजना की अनुशंसा करती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी सीएसआर परियोजनाओं को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वित किया गया। सीएसआर एवं एसडी समिति ने प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ मिलकर इन पहलों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, मध्यावधि सुधार किए जा सकें।

II. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं

(क) वार्षिक थीम पर आधारित परियोजनाएँ - स्वास्थ्य और पोषण

क. रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ के गदाधर अभ्युदय प्रकल्प (जीएपी) की 14 इकाइयों को समर्थन

गदाधर अभ्युदय प्रकल्प, भारत में वंचित बच्चों की सहायता के लिए रामकृष्ण मिशन द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है। यह परियोजना आर्थिक रूप से वंचित बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवा और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य नियमित कक्षाओं, पौष्टिक भोजन, चिकित्सा जाँच, खेलकूद, पाठ्येतर गतिविधियों और मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से उनके शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर इन बच्चों का समग्र विकास करना है।

अपनी सीएसआर पहल के एक भाग के रूप में, जीआरएसई ने पश्चिम बंगाल {घोलापारा-01, अग्रघाटी-01, नौरा-01, कूच बिहार-01, खिदिरपुर-02 (मुर्शिदाबाद), दार्जिलिंग-01 (प्रथम और द्वितीय तिमाही), कृष्णानगर-01 (तृतीय और चतुर्थ तिमाही)} और झारखंड {रांची और खूंटी के आकांक्षी जिलों में : मोरहाबादी-01, मालियादा-01, सिरका-01, गेतलसूद-01, महेशपुर-01, रांची टीबी सेनेटोरियम-02} में 14 जीएपी इकाइयों को सहायता प्रदान की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को शैक्षिक सामग्री, पोषण संबंधी सहायता और स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान की गई। जीएपी पहल लगभग 750 बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक उत्थान पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में जीआरएसई की भागीदारी सामुदायिक कल्याण और शैक्षिक सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो वंचित बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है।

ख. मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर

जीआरएसई अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत नियमित रूप से मासिक स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन करता रहा है ताकि स्थानीय वंचित आबादी के लिए अपनी आरबीडी यूनिट के साथ-साथ सुंदरबन के पिछड़े इलाकों जैसे अग्रघाटी (उत्तर 24 परगना) और नौरा (दक्षिण 24 परगना) में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार हो सके। इन शिविरों में स्थानीय डॉक्टरों द्वारा आवश्यक नैदानिक जाँचें की गईं, जिनमें सामान्य स्वास्थ्य जाँच, निवारक जाँच और निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं। लाभार्थियों को इन शिविरों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और इस पहल के माध्यम से लगभग 8177 वंचित और संकटग्रस्त पुरुषों और महिलाओं को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हुई। जीआरएसई सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है, जिससे एक स्वस्थ समाज में योगदान मिलता है।

ग. टीबी निक्षय मित्र

भारत सरकार के प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी निक्षय मित्र पहल का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने सीएसआर प्रयासों के हिस्से के रूप में, जीआरएसई ने कोलकाता नगर निगम के सहयोग से कोलकाता के मानसतला (48 मरीज), प्रांतिक (41 मरीज), केएमसी वार्ड 134 (68 मरीज) में 157 तपेदिक रोगियों को गोद लिया है , और उनके स्वास्थ्य लाभ में मदद के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा उन्हें आवश्यक पोषण संबंधी सहायता भी प्रदान की है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि प्रभावित व्यक्तियों को नियमित रूप से उचित आहार योजना और मनोवैज्ञानिक समर्थन मिले ताकि वे इस बीमारी से प्रभावी ढंग से लड़ सकें। इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेकर, जीआरएसई ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान दिया है और इस तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। जीआरएसई को वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान टीबी नियंत्रण और रोकथाम में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए 19 दिसंबर 2024 को केएमसी से एक प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र मिला।

घ. टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान

जीआरएसई ने टीबी उन्मूलन के लिए 100-दिवसीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित एक पहल है जिसका उद्देश्य 2025 तक भारत में टीबी उन्मूलन के प्रयासों

को गति प्रदान करना है। अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रतिबद्धता के तहत, कंपनी ने टीबी की रोकथाम, शीघ्र पहचान और पूर्ण उपचार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, टीबी पहचान शिविर और परामर्श सत्र आयोजित किए हैं। इस पहल ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने के भारत के मिशन में योगदान दिया है।

ङ. रक्तदान शिविर

जीआरएसई अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत समय-समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करता रहा है। एक शिविर 14 जून 2024 को सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर, कोलकाता (ठाकुरपुकुर कैंसर सेंटर) के सहयोग से और दूसरा 28 फ़रवरी 2025 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (कोलकाता) के सहयोग से आयोजित किया गया। इन दोनों शिविरों में लगभग 150 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। इस पहल से चिकित्सा आपात स्थितियों में रक्त की कमी को दूर करने और ज़रूरतमंद मरीज़ों के जीवन रक्षक उपचार में योगदान देने में मदद मिली।

च. स्थानीय श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण (चिकित्सा जांच)

निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व को समझते हुए, जीआरएसई ने स्थानीय श्रमिकों के लिए चिकित्सा जाँच शिविर आयोजित किए, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार सुनिश्चित हुआ। इन शिविरों में स्थानीय श्रमिकों के लिए आवश्यक 11 प्रकार की चिकित्सा जाँचें की गईं , जैसे कि पूर्ण रक्त गणना, रक्त शर्करा परीक्षण, सीरम यूरिक एसिड, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, टीएसएच, विटामिन-डी3, ईसीजी, और नेत्र जाँच। सफाई कर्मचारियों (सफाई मित्रा) पर विशेष ध्यान दिया गया । । इस परियोजना से लगभग 5343 स्थानीय श्रमिकों को लाभ मिला और यह पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की बाधा को दूर करने के लिए जीआरएसई की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, जिससे स्थानीय समुदाय के स्वस्थ और समृद्ध जीवन में योगदान मिलता है।

छ. तुपुदाना, रांची, झारखंड (रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ की एक इकाई) स्थित रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम को चिकित्सा उपकरण

तुपुदाना स्थित रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम देश के सबसे पुराने टीबी अस्पतालों में से एक है, जो क्षय रोग (टीबी) के रोगियों के गुणवत्तापूर्ण उपचार और पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध है। यह सेनेटोरियम टीबी रोगियों को उपचार के अलावा पोषण संबंधी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी व्यापक देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित है।

जीआरएसई ने बेहतर उपचार और देखभाल प्रदान करने की अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्णतः स्वचालित रैंडम-एक्सेस क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइज़र, एनेस्थेटिक मशीन, नवजात वेंटिलेटर और डेंटल सर्जरी यूनिट जैसे चिकित्सा उपकरण प्रदान करके अपने सीएसआर सहयोग का विस्तार किया है । इस पहल का उद्देश्य सेनेटोरियम के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मज़बूत करना है, जो वंचित पृष्ठभूमि के टीबी रोगियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के मिशन के अनुरूप 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है।

ज. पुरुलिया, पश्चिम बंगाल स्थित लेप्रोसी मिशन अस्पताल (टीएलएमटीआई की एक इकाई) को चिकित्सा उपकरण

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में स्थित लेप्रोसी मिशन अस्पताल, लेप्रोसी रोग और इससे जुड़ी अन्य उपेक्षित बीमारियों के लिए एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। यह संस्थान लेप्रोसी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने, कलंक को दूर करने और इस रोग से पीड़ित लोगों के समावेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने चिकित्सा केंद्र के अलावा, यह अस्पताल पुनर्वास कार्यक्रमों के साथ-साथ फिजियोथेरेपी और सुधारात्मक सर्जरी भी प्रदान करता है, ताकि लोगों को अपनी गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता वापस पाने में मदद मिल सके।

जीआरएसई ने पुरुलिया में लेप्रोसी मिशन अस्पताल की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से अप्पा स्कैन मैक्स, केराटोमेट्री के साथ ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ईसीजी मशीन, एबीसी पैनल और गद्दे के साथ फाउलर बेड, इनक्यूबेटर, आईसीयू बेड मोटराइज्ड, बेडसाइड लॉकर, ओटी लाइट, सर्जिकल कॉटरी मशीन, सिरिंज पंप एक्यूरा, गद्दे के साथ रोगी स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, डिजिटल बीपी उपकरण, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस सामग्री, ऑटोक्लेव मशीन, डेंटल चेयर और सहायक उपकरण जैसे चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं।

झ. मातृ भवन अस्पताल, कोलकाता (रामकृष्ण सारदा मिशन की एक इकाई) को चिकित्सा उपकरण

रामकृष्ण शारदा मिशन मातृ भवन अस्पताल, महिलाओं और बच्चों की सेवा के लिए समर्पित एक प्रमुख केंद्र है। मातृ भवन महिलाओं के शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास पर केंद्रित है और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर कमजोर परिस्थितियों में रहने वालों को सहायता प्रदान करता है।

जीआरएसई ने मातृ भवन अस्पताल को प्यूरिटन बेनेट यूनिवर्सल वेंटिलेटर, 6 पैरामीटर वाला पेशेंट मॉनिटर, पूरी तरह से आधुनिक रिमोट कंट्रोल वाला 5 फंक्शन वाला आईसीयू बेड, डिफाइब्रिलेटर, बायोमेकर युक्त पीओसीटी डिवाइस , फ़ोर्स्ड एयर पेशेंट वार्मिंग यूनिट, डीवीटी (डीप वेन थ्रोम्बोसिस) पंप, प्रेशर एयर मैट्रेस जैसे चिकित्सा उपकरण प्रदान करके अपना सहयोग बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य वंचित रोगियों के लिए बेहतर उपचार सुविधाओं हेतु अस्पताल के स्वास्थ्य सेवा ढाँचे को बढ़ाना है। मातृ भवन अस्पताल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ञ. बागबाजार के सहयोग से कोलकाता के चितपुर स्थित मां शारदा स्वनिर्वर केंद्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना

चितपुर में स्थित माँ शारदा स्वनिर्भर केंद्र एक प्रसिद्ध सामाजिक संस्था है। यह केंद्र विशेष रूप से महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और वंचित वर्ग के युवाओं में आत्मनिर्भरता, सामाजिक कल्याण और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

के चितपुर स्थित मां शारदा स्वर्णिम केंद्र में फ्लेबोटोमी में चिकित्सा तकनीशियन (60 प्रशिक्षु) और जनरल ड्यूटी सहायक (30 प्रशिक्षु) के रूप में महत्वाकांक्षी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा के लिए एक सीएसआर पहल की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर महिलाओं को व्यावहारिक चिकित्सा कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावहारिक प्रशिक्षण और एनएसडीसी प्रमाणन के माध्यम से जीआरएसई चिकित्सा क्षेत्र में कौशल अंतर को पाटने में मदद कर रहा है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करके जीआरएसई न केवल आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता का समर्थन करता है बल्कि स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को भी मजबूत करता है, जिससे समाज में बेहतर चिकित्सा सेवाओं में योगदान मिलता है।

सीएसआर गैलरी

जीआरएसई के निदेशक (कार्मिक) द्वारा मार्च 2025 में बालीपाड़ा , दाधा पंचायत, ओडिशा में महिला स्वयं सहायता समूह को सत्तू बनाने और वजन करने का मशीनें प्रदान की गईं

वंचित टीबी रोगियों को लाभान्वित करने हेतु जनवरी 2025 में रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम, तुपुदाना, रांची को चिकित्सा उपकरण

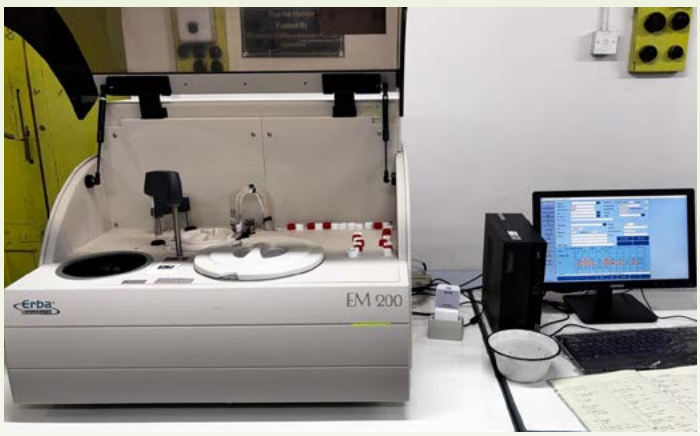

जनवरी 2025 में वंचित रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोलकाता के रामकृष्ण शारदा मिशन भवन को आवश्यक चिकित्सा उपकरण दान किए गए

24 अगस्त एवं जनवरी 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 18,000 पौधे लगाए गए

दिसंबर 2024 में मलयदा , खूंटी और महेशपुर, रांची में सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन

सीएसआर गैलरी

अक्टूबर 2024 में लेपरोसी मिशन पुरुलिया होम एंड हॉस्पिटल, पुरुलिया को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए "टीएलएमटीआई" के साथ समझौता ज्ञापन

अक्टूबर 2024 में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम, तुपुदाना , रांची के साथ समझौता ज्ञापन

सितंबर 2024 में, अगरहाटी , नोवारा और राजाबगान में मासिक स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, जिससे वंचित मरीजों को लाभ प्राप्त हुआ।

स्थानीय श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण (चिकित्सा जांच) अपोलो हॉस्पिटल्स के सहयोग से सितंबर 2024 में किया गया

अगस्त 2024 में भारतीय मस्तिष्क पक्षाघात संस्थान (आईआईसीपी), कोलकाता में सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों को सहायता प्रदान करना और प्रारंभिक अवस्था में मदद हेतु सहयोग प्रदान करना

सीएसआर गैलरी

अगस्त 2024 में माँ सारदा, स्वनिर्वर केंद्र, चितपुर में वंचित वर्ग के प्रशिक्षुओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना

जीआरएसई परियोजना आकांक्षा – क्राइ के सहयोग से, जुलाई 2024 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में वंचित वर्ग के बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना

सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर के सहयोग से 14 जून 2024 को रक्तदान शिविर

गदाधर अभ्युदय प्रकल्प - मई 2024 में रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ के सहयोग से पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में वंचित बच्चों का समग्र विकास

मई 2024 में मस्तिष्क प्रभावित बच्चों के 05 कक्षाओं को गोद लेने और प्रारंभिक हस्तक्षेप क्लिनिक के लिए आईआईसीपी के साथ समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 24-25 में सुलभ इंटेरनेशनल के सहयोग से स्थानीय स्कूलों में शौचालयों का रखरखाव

ट. परियोजना आकांक्षा - चाइल्ड राइट्स एण्ड यू (सीआरवाई) के सहयोग से कोलकाता के हेस्टिंग्स और खिदिरपुर में 300 कमजोर बच्चों का समग्र विकास

खिदिरपुर में लगभग 300 वंचित और कमजोर बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है। इस साझेदारी के माध्यम से, जीआरएसई हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण और समग्र कल्याण को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह परियोजना बेहतर सीखने के अवसर सुनिश्चित करने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने और बच्चों के विकास के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दिशा में काम करती है। परियोजना आकांक्षा का समर्थन करके, जीआरएसई बाल कल्याण और शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, और युवा मस्तिष्कों को एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों से सशक्त बनाता है। यह पहल सामाजिक उत्थान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रति जीआरएसई के समर्पण को दर्शाती है, जो अगली पीढ़ी के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है।

ठ. सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन - पश्चिम बंगाल शाखा के सहयोग से 20 स्कूलों (कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा) में शौचालयों की दैनिक सफाई और रखरखाव

सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूबी शाखा) के सहयोग से कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा के 20 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शौचालयों की दैनिक सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने की पहल की है। इस पहल में बाथरूम, मूत्रालय, वॉश बेसिन, सिंक, शौचालय, नल, वाटर प्यूरीफायर, ओवरहेड टैंक, जलाशय आदि की दैनिक सफाई शामिल है, जिसमें मामूली मरम्मत और रखरखाव भी शामिल है। लड़कियों के स्कूलों पर विशेष ध्यान देने के साथ 20 स्थानीय सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कवर किया गया और लगभग 25,841 छात्र इस परियोजना से दैनिक आधार पर लाभान्वित हुए। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता और स्वस्थ सीखने के माहौल को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से युवा लड़कियों को स्वच्छ और सुरक्षित टॉयलेट सुविधाएं प्रदान करके लाभान्वित करना है । नियमित रखरखाव सुनिश्चित करके, जीआरएसई ने खराब स्वच्छता के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद की और स्वच्छ विद्यालय अभियान का समर्थन किया। इस पहल से न केवल स्कूल में उपस्थिति और छात्रों की भलाई में सुधार हुआ, बल्कि स्वच्छता और सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ी।

ड. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, कोलकाता की 06 कक्षाओं और प्रारंभिक हस्तक्षेप परियोजना को अपनाना

तारातल्ला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) एक अग्रणी संस्थान है जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात और अन्य विकासात्मक विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को विशिष्ट देखभाल, शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह संस्थान समावेशी शिक्षा पर ज़ोर देता है और प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली व्यक्तिगत देखभाल योजनाएँ बनाने के लिए परिवारों के साथ मिलकर काम करता है। आईआईसीपी प्रमस्तिष्क पक्षाघात के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और समावेशन की वकालत करने में भी सक्रिय है।

जीआरएसई ने छह कक्षाओं (शिक्षा एवं विकास इकाई I, III, IV और V तथा वरिष्ठ एवं मध्य स्तर की कक्षा जिसमें लगभग 80 बच्चे हैं) और प्रारंभिक हस्तक्षेप परियोजना को सहयोग देने के लिए आईआईसीपी के साथ साझेदारी की है। यह पहल मस्तिष्क पक्षाघात और अन्य तंत्रिका-संचालन विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा, चिकित्सा और कौशल विकास प्रदान करने पर केंद्रित है। आईआईसीपी को सहयोग देकर, जीआरएसई यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान, सहायक तकनीक और पुनर्वास देखभाल मिले, जिससे वे अधिक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सशक्त हों। प्रारंभिक हस्तक्षेप परियोजना शिशुओं, छोटे बच्चों और अन्य बच्चों के शीघ्र निदान और चिकित्सीय सहायता में और सहायता करती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है।

ढ. परिचय फाउंडेशन के सहयोग से बालीपाड़ा , दाधा पंचायत, ओडिशा में एक स्वयं सहायता समूह को 14 सत्तू मशीन एवं 07 वजन तौलने की मशीनें उपलब्ध कराये गये।

जीआरएसई ने परिचय फाउंडेशन के सहयोग से ओडिशा के दाधा पंचायत के बालीपाड़ा में स्वयं सहायता समूह को 14 सत्तू मशीनें और स्वयं सहायता समूह को वजन तौलने की मशीनें प्रदान करके अपना सहयोग बढ़ाया है । इस पहल का उद्देश्य लघु उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं और हाशिए के समुदायों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। सत्तू मशीनें स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पौष्टिक खाद्य उत्पाद बनाने में सक्षम बनाती हैं, जबकि वजन तौलने की मशीनें बिक्री के लिए सटीक माप सुनिश्चित करती हैं, जिससे उनकी दक्षता और आय सृजन बढ़ता है। इस पहल को अपनाकर जीआरएसई महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, वित्तीय स्वतंत्रता और कौशल विकास में योगदान देता है, जिससे इन समुदायों में स्थायी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। यह पहल सामाजिक उत्थान, रोजगार सृजन और समावेशी विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए जीआरएसई की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

(ख) अन्य परियोजनाएँ

क. बागबाजार के सहयोग से कोलकाता के चितपुर स्थित मां शारदा स्वनिर्वर केंद्र में युवाओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण

चितपुर में स्थित माँ शारदा स्वनिर्भर केंद्र एक प्रसिद्ध सामाजिक संस्था है। यह केंद्र विशेष रूप से महिलाओं, ट्रांसजेंडर और वंचित वर्ग के बीच आत्मनिर्भरता, सामाजिक कल्याण और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

स्वनिर्भर केंद्र के सहयोग से फील्ड टेक्नीशियन एसी एवं अन्य घरेलू उपकरणों में 30 प्रशिक्षुओं, कंप्यूटर प्रचालक के रूप में 90 प्रशिक्षुओं और सिलाई मशीन प्रचालक के रूप में 30 प्रशिक्षुओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन किया। इस पहल का उद्देश्य वंचित युवाओं, विशेषकर महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को उद्योग-संबंधित कौशल प्रदान करके, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़े, सशक्त बनाना था। इस प्रशिक्षण ने लाभार्थियों को स्थायी आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया। कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर, यह कार्यक्रम "कौशल भारत" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है और हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करता है।

ख. मोराबादी , रांची (रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ की एक इकाई) के सहयोग से मालियादा (खूंटी जिला) और महेशपुर (रांची जिला) में 02 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सहयोग से खूंटी (आकांक्षी ज़िला) के मलयदा और रांची ,खूंटी (आकांक्षी ज़िला) के महेशपुर में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू किया है । इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता, स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य में सुधार लाना है, खासकर उन वंचित ग्रामीण इलाकों में जहाँ उचित स्वच्छता सुविधाओं की पहुँच सीमित थी। स्वच्छ और सुव्यवस्थित सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराकर, यह परियोजना स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देती है

जिससे खुले में शौच कम होता है और एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा मिलता है। यह पहल न केवल स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के सम्मान, संरक्षा और कल्याण को भी बढ़ावा देती है।

ग. टुमॉरोज़ फाउंडेशन के सहयोग से गार्डन रीच, कोलकाता और उसके आसपास के 130 स्कूली छात्रों को नौकरी-उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया

जीआरएसई ने टुमॉरो फाउंडेशन के सहयोग से, कोलकाता के गार्डन रीच क्षेत्र में 130 स्कूली छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता सहित मोबाइल मरम्मत, वित्तीय साक्षरता सहित आभूषण डिजाइन और वित्तीय साक्षरता सहित सौंदर्य एवं कल्याण में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य युवा शिक्षार्थियों को व्यावहारिक कौशल और उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण से लैस करना, उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उन्हें भविष्य के करियर के अवसरों के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया, छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान से सशक्त बनाया गया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया। शैक्षणिक शिक्षा और कौशल-आधारित शिक्षा के बीच की खाई को पाटने के द्वारा, यह पहल "कौशल भारत" के दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जो समावेशी विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इस तरह के रणनीतिक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हस्तक्षेपों के माध्यम से युवा सशक्तिकरण के प्रति जीआरएसई की प्रतिबद्धता, एक बेहतर भविष्य के लिए कुशल और आत्मनिर्भर कार्यबल के निर्माण के प्रति उसके समर्पण को रेखांकित करती है।

घ. बंगाल के बांकुरा में बिल एडगर मेमोरियल वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर (टीएलएमटीआई की एक इकाई) को 03 स्मार्ट क्लासरूम और 01 आईटी लैब प्रदान की गई।

पश्चिम बंगाल के बांकुरा में स्थित बिल एडगर मेमोरियल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, लेप्रोसी से पीड़ित छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। बिल एडगर मेमोरियल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, लेप्रोसी से पीड़ित छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक साधन प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जीआरएसई ने संस्थान को 3 स्मार्ट क्लासरूम और 1 आईटी लैब के लिए उपकरण प्रदान किए हैं। इस पहल का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा में आधुनिक तकनीक को एकीकृत करके डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। स्मार्ट कक्षाओं ने एक संवादात्मक और आकर्षक शिक्षण वातावरण प्रदान किया, जबकि आईटी लैब ने छात्रों को कंप्यूटर साक्षरता और तकनीकी कौशल से सुसज्जित किया, जिससे उनकी रोजगार संभावनाओं में सुधार हुआ। प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा को बढ़ावा देकर, यह परियोजना डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कौशल प्रदान करती है। ऐसी पहलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के प्रति जीआरएसई की प्रतिबद्धता, समावेशी विकास और सतत विकास के उसके दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

ङ. स्वच्छता ही सेवा 2024 (17 सितंबर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 तक) मनाया गया

जीआरएसई ने स्वच्छता ही सेवा 2024 में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मज़बूत किया। इस राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों की सफ़ाई, जागरूकता अभियान और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना था। जीआरएसई के कर्मचारी और स्वयंसेवक इन प्रयासों में उत्साहपूर्वक शामिल हुए और सामुदायिक क्षेत्रों, स्कूलों और कार्यस्थलों में स्वच्छ परिवेश सुनिश्चित किया। स्वच्छता और ज़िम्मेदारी से अपशिष्ट निपटान की संस्कृति को बढ़ावा देकर, इस पहल ने जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया।

च. विशेष अभियान 4.0 (02 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक) आयोजित किया गया

जीआरएसई ने विशेष अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो भारत सरकार द्वारा संचालित एक पहल है जो स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और कुशल अभिलेख-संरक्षण पर केंद्रित है। इस अभियान का उद्देश्य व्यवस्थित रूप से अव्यवस्था को दूर करने, अप्रचलित अभिलेखों के निपटान और कार्यालय स्वच्छता को बेहतर बनाकर कार्यस्थल की दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार करना था। जीआरएसई ने सफाई अभियान और जागरूकता कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कीं, जिससे कार्यस्थल अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल बना। स्वच्छ भारत और सुशासन के व्यापक दृष्टिकोण के साथ जुड़कर, इस पहल ने परिचालन उत्कृष्टता और सतत विकास के प्रति जीआरएसई की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। विशेष अभियान 4.0 के माध्यम से, जीआरएसई एक स्वच्छ, अधिक कुशल और पर्यावरण के प्रति जागरूक भविष्य के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहा है।

छ. रक्षा मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा (01 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024)

जीआरएसई ने रक्षा मंत्रालय के स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हुए, जीआरएसई ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस विशेष पखवाड़े का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड में व्यापक स्वच्छता अभियानों, अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना था। स्वयंसेवकों ने सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे स्वच्छता और जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान की संस्कृति को बढ़ावा मिला। स्वच्छ और हरित भारत के लिए रक्षा मंत्रालय के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, जीआरएसई राष्ट्र निर्माण और सतत सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित होते हैं।

ज. सुंदरबन द्वीप पर 12000 मैंग्रोव पौधों का रोपण और संदेशखली (उत्तर 24 परगना), सागर द्वीप (सुंदरबन, दक्षिण 24 परगना), तुपुदाना (रांची, झारखंड) में 7000 फलदार वृक्षों का रोपण/ वितरण।

जीआरएसई ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 12,000 मैंग्रोव पौधों का रोपण और 7,000 फलदार वृक्षों का रोपण/ वितरण किया। मैंग्रोव वृक्षारोपण पहल का उद्देश्य तटीय लचीलापन बढ़ाना, मृदा अपरदन को रोकना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, फलदार वृक्षों के वितरण ने वनीकरण प्रयासों में योगदान दिया, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए बेहतर वायु गुणवत्ता, मृदा संरक्षण और बेहतर आजीविका जैसे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हुए। इन हरित पहलों के माध्यम से, जीआरएसई पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, और भावी पीढ़ियों के लिए एक हरित और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देता है।

झ. कोलकाता में प्रशिक्षुओं को वजीफा प्रदान किया गया

जीआरएसई ने लगभग 199 प्रशिक्षुओं को वजीफे का एक हिस्सा प्रदान किया जिससे कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। इस पहल का उद्देश्य युवा प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योग-संबंधित अनुभव प्रदान करके उनकी रोज़गार क्षमता को बढ़ाना था। वित्तीय सहायता से उन्हें बिना किसी वित्तीय बाधा के उद्योग-संबंधित अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। व्यावसायिक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा में निवेश करके, जीआरएसई, स्किल इंडिया मिशन के साथ जुड़ता है और देश के लिए एक कुशल कार्यबल को बढ़ावा देता है। वजीफे के इस समर्थन ने न केवल प्रशिक्षुओं को अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और करियर विकास में भी योगदान दिया, जिससे भविष्य के लिए एक स्थायी और कुशल प्रतिभा पूल बनाने की जीआरएसई की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

III. सीएसआर पुरस्कार

जीआरएसई को अपनी अनुकरणीय सीएसआर पहलों के लिए व्यापक रूप से मान्यता मिली है और इसने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किए हैं जो सामाजिक विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीआरएसई को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए:

क. 25 जून 2024 को, जीआरएसई ने रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

ख. 23 अगस्त 2024 को, जीआरएसई को "हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स" और "कौशल विकास" के लिए 11वें राष्ट्रीय सीएसआर टाइम्स अवार्ड्स 2024 में दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

ग. 21 दिसंबर 2024 को, "सीएसआर और स्थिरता" के लिए "वर्ष का सीईओ/सीएमडी/एमडी" के लिए 14वां आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2024।

IV. सीएसआर समिति की संरचना

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
(क)	श्री संजीव मोहंती अंशकालिक गैर - सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	3	3
(ख)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोत निर्माण)	सदस्य	3	3
(ग)	डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) निदेशक (कार्मिक)	सदस्य	3	3

V. वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाती है - https://grse.in/board-of-directors-and-committees/ और https://grse.in/csr-projects-and-policy/

VI. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) ।- कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार लागू नहीं।

VII. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से कटौती के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
शून्य			

VIII. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ।

(क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत –

₹ 693.70 लाख

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष

लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष हेतु सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष (7क+7ख-7ग) के लिए कुल सीएसआर दायित्व

₹ 693.70 लाख

VIII. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
₹ 6.95 करोड़			शून्य		

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
वित्त वर्ष 2024-25 में कोई चालू परियोजना नहीं है												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए **चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य** पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	झारखंड और पश्चिम बंगाल के आदिवासी गांवों के 530 वंचित बच्चों का समग्र विकास	मद संख्या (i) - कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	झारखंड पश्चिम बंगाल	रांची और खूंटी (आकांक्षी जिले) उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूचबिहार , मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, नादिया	94.96	नहीं	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ	सीएसआर 00006101
2	जीआरएसई चिकित्सा सेल द्वारा राजाबागान (कोलकाता), नौरा (दक्षिण 24 परगना) और अग्रहाटी (उत्तर 24 परगना) में मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना	29.49	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
3	जीआरएसई चिकित्सा सेल द्वारा एमडीआर टीबी निक्षय मित्र - टीबी रोगियों को सहायता प्रदान की गई	मद संख्या (i) - कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	17.09	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
4	जीआरएसई चिकित्सा सेल द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	00.29	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
5	जीआरएसई चिकित्सा सेल द्वारा 02 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	01.49	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
6	जीआरएसई चिकित्सा सेल द्वारा स्थानीय श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण (चिकित्सा जांच)	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना	79.17	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
7	तुपुदाना , रांची, झारखंड (रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ की एक इकाई) स्थित रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम को चिकित्सा उपकरण	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	झारखंड	रांची (आकांक्षी जिला)	43.60	नहीं	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ	सीएसआर 00006101
8.	पुरुलिया, पश्चिम बंगाल (टीएलएमटीआई की एक इकाई) स्थित लेप्रोसी मिशन अस्पताल को चिकित्सा उपकरण	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	नहीं	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	36.62	नहीं	लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट भारत	सीएसआर 00001796
9.	मातृ भवन अस्पताल, कोलकाता (रामकृष्ण सारदा मिशन की एक इकाई) को चिकित्सा उपकरण	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	39.05	नहीं	रामकृष्ण शारदा मिशन	सीएसआर 00005055

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
10.	बागबाजार के सहयोग से युवाओं (फ्लेबोटोमी - 60 प्रशिक्षु और जनरल ड्यूटी सहायक - 30 प्रशिक्षु) को रोजगारोन्मुखी चिकित्सा प्रशिक्षण	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	28.12	नहीं	रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ	सीएसआर 00002806
11.	परियोजना आकांक्षा - चाइल्ड राइट्स एण्ड यू (सीआरवाई) के सहयोग से कोलकाता के हेस्टिंग्स और खिदिरपुर में 300 कमजोर बच्चों का समग्र विकास	मद संख्या (i) - कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	26.98	नहीं	चाइल्ड राइट्स एण्ड यू	सीएसआर 00000805
12.	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन - पश्चिम बंगाल शाखा के सहयोग से 10 महीनों तक 20 स्कूलों में शौचालयों आदि की दैनिक सफाई और रखरखाव	मद संख्या (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना	54.30	नहीं	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, पश्चिम बंगाल शाखा और जीआरएसई	सीएसआर 00000185
13.	इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, कोलकाता की 06 कक्षाओं और प्रारंभिक हस्तक्षेप क्लिनिक को अपनाना	मद संख्या (i) - कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	74.80	नहीं	इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, कोलकाता	सीएसआर 00001730
14.	परिचय फाउंडेशन के सहयोग से बालीपाड़ा, दाधा ग्राम पंचायत, ओडिशा में एक स्वयं सहायता समूह को 14 सतू मशीन एवं 07 वजन मापने की मशीन उपलब्ध कराये गये।	मद संख्या (i) - कुपोषण उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	नहीं	ओडिशा	खोरधा	05.67	नहीं	परिचय फाउंडेशन	सीएसआर 00002652

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
15.	बागबाजार के सहयोग से युवाओं को (फील्ड तकनीशियन - 30, कंप्यूटर प्रचालक - 90 और सिलाई मशीन प्रचालक - 30) रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण	मद संख्या (ii) - व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करते हुए रोजगार को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	16.92	नहीं	रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ	सीएसआर 00002806
16.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी , रांची के सहयोग से माल्यादा (खूंटी) और महेशपुर (रांची) में 02 सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	मद संख्या (i) – स्वच्छता को बढ़ावा देना	हाँ	झारखंड	रांची और खूंटी (आकांक्षी जिले)	04.35	नहीं	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ	सीएसआर 00006101
17.	टुमॉरोज़ फाउंडेशन के सहयोग से गार्डन रीच, कोलकाता और उसके आसपास के 130 स्कूली छात्रों को नौकरी-उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण	मद संख्या (ii) - व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करते हुए रोजगार को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	13.23	नहीं	टुमॉरोज़ फाउंडेशन	सीएसआर 00002010
18.	पश्चिम बंगाल के बांकुरा स्थित बिल एडगर मेमोरियल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (टीएलएमटीआई की एक इकाई) को प्रशिक्षण उपकरण प्रदान किया गया।	मद संख्या (ii) - व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करते हुए रोजगार को बढ़ावा देना।	नहीं	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा	23.00	नहीं	लेप्रोसी रोग मिशन ट्रस्ट भारत	सीएसआर 00001796
19.	17 सितंबर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा 2024 का आयोजन किया गया	मद संख्या (i) - स्वच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	झारखंड पश्चिम बंगाल	रांची और खूंटी (आकांक्षी जिले) कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना	01.78	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
20.	02 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान 4.0 का आयोजन किया गया	मद संख्या (i) - स्वच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद	01.30	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
21.	रक्षा मंत्रालय द्वारा 01 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक स्वच्छता अभियान गया पखवाड़ा का आयोजन किया गया ।	मद संख्या (i) - स्वच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	झारखंड पश्चिम बंगाल	रांची और खूंटी (आकांक्षी जिले) कोलकाता, उत्तर 24 परगना	01.94	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
22.	सुंदरबन द्वीप पर 12000 मैंग्रोव पौधे रोपे गए और संदेशखली (उत्तर 24 परगना), सागर द्वीप (दक्षिण 24 परगना), तुपुदाना (रांची) में 7000 फलदार वृक्ष पौधे रोपे गए/ वितरित किए गए।	मद संख्या (iv) – पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और वनस्पतियों एवं जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना	हाँ	झारखंड पश्चिम बंगाल	रांची (आकांक्षी जिले) कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना	14.18	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
23.	नियोजित प्रशिक्षुओं को वैधानिक आवश्यकता से अधिक वजीफा दिया जाता है	मद संख्या (ii) - व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करते हुए रोजगार को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	86.67	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
		कुल				**695.00**			

(घ) प्रशासनिक मद में व्यय की गई राशि ओवरहेड्स- **शून्य**

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू- **लागू नहीं**

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ)- **₹ 695 लाख**

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विशिष्ट	राशि (₹ लाख में)
(मैं)	धारा 5)135) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**693.70**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	**695.00**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	**1.34**
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष , यदि कोई हो	**00**
(वी)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**00**

IX. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए **अव्ययित** सीएसआर राशि का विवरण:

क्रं. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष।	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष (₹) में व्यय की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो।			आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि₹ (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.			00				

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रं. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना पुरी हुई /चल रहे की स्थिति -
					00			
	कुल							

पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए (परिसंपत्ति-वार विवरण) सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें ।

1. पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि
2. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि
3. उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि-
4. निर्मित या अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का विवरण प्रदान करें ।

क्रं. सं.	पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि (₹ लाख में)	उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण	पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान
01.	15 दिसंबर 2024	4.35	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, रांची (रामकृष्ण मिशन की एक इकाई, बेलूर मठ), मोरहाबादी, रांची, झारखंड - 834008	02 सामुदायिक शौचालय	झारखंड के कुंती जिला के मालियादा - 835216 और झारखंड के रांची जिले में महेशपुर - 835103

क्रं. सं.	पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि (₹ लाख में)	उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण	पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान
02.	24 दिसंबर 2024	43.60	रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम (रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ की एक इकाई), तुपुदाना, रांची, झारखंड - 835221	01 पूर्णतः स्वचालित रैंडम-एक्सेस क्लिनिकल केमिस्ट्री विश्लेषक, 01 एनेस्थेटिक मशीन, 01 नवजात वेंटिलेटर, 01 डेंटल सर्जरी यूनिट	रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम (रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ की एक इकाई), तुपुदाना, रांची, झारखंड - 835221
03.	12 जनवरी 2025	0.77	मां सारदा स्वनिरवर केंद्र (रामकृष्ण मठ की एक इकाई, बागबाजार), 20, प्राण कृष्णा मुखर्जी रोड, घोष बागान, चितपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700002	01 डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड	मां सारदा स्वनिर्वर केंद्र, 20, प्रान कृष्णा मुखर्जी रोड, घोष बागान, चितपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700002
04.	17 जनवरी 2025	24.52	लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल पुरुलिया (लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया की एक इकाई), मंगुरिया, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल - 723101	01 अप्पा स्कैन मैक्स, 01 ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर केराटोमेट्री के साथ (टेबल सहित), 01 ईसीजी मशीन (3 चैनल), 50 फाउलर बेड एबीसी पैनल और गद्दे के साथ, 01 इनक्यूबेटर, 05 आईसीयू बेड मोटराइज्ड थ्री-फंक्शन, 50 बेडसाइड लॉकर, माइनर ओटी के लिए 01 ओटी लाइट, 01 सर्जिकल कॉटरी मशीन, 01 सिरिंज पंप एक्यूरा, 05 रोगी स्ट्रेचर गद्दे के साथ, 10 व्हीलचेयर, 10 डिजिटल बीपी उपकरण, 01 ऑटोक्लेव मशीन, 01 डेंटल चेयर और सहायक उपकरण	लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल पुरुलिया (लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया की एक इकाई), मंगुरिया, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल - 723101
05.	02 फ़रवरी 2025	39.05	रामकृष्ण सारदा मिशन मातृ भवन अस्पताल (रामकृष्ण सारदा मिशन की एक इकाई), 7ए, श्री मोहन लेन, कोलकाता - 700026	01 प्यूरिटन बेनेट यूनिवर्सल वेंटिलेटर, 02 6 पैरामीटर रोगी मॉनिटर, 06 पूरी तरह से आधुनिक रिमोट कंट्रोल 5 फंक्शन आईसीयू बेड, 01 डिफाइब्रिलेटर, 01 बायोमेकर के साथ पीओसीटी डिवाइस, 01 फोर्स्ड एयर रोगी वार्मिंग यूनिट, 01 डीवीटी (डीप वेन थ्रोम्बोसिस) पंप 01 नं. प्रेशर एयर गद्दे	रामकृष्ण सारदा मिशन मातृ भवन अस्पताल, 7ए, श्री मोहन लेन, कोलकाता - 700 026।
06.	17 मार्च 2025	5.67	परिचय फाउंडेशन, फ्लैट नं. 45, पॉकेट 5, मयूर विहार चरण-1, दिल्ली-110091	14 सत्तू मशीन और 07 वजन तौलने की मशीन	परिचय फाउंडेशन का स्वयं सहायता समूह, बालीपाड़ा, दाधा ग्राम पंचायत, ओडिशा - 116936

क्रं. सं.	पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि (₹ लाख में)	उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण	पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान
07.	24 मार्च 2025	23.00	बिल एडगर मेमोरियल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया की एक इकाई), बांकुरा, पश्चिम बंगाल - 722101	स्मार्ट क्लास रूम - 03 स्मार्ट बोर्ड इंटरएक्टिव टच, 03 कंप्यूटर सेट टेबल और कुर्सियों के साथ, 03 ग्रीन बोर्ड, 03 व्हाइट बोर्ड, 03 नोटिस बोर्ड, 60 कुर्सियां राइटिंग पैड के साथ, 03 अलमारी, 03 फैकल्टी टेबल (चैरिस सहित) आईटी लैब - 18 कंप्यूटर सेट (सॉफ्टवेयर के साथ), 1 परियोजना, 20 टेबल और कुर्सियां, 1 ग्रीन बोर्ड, 1 व्हाइट बोर्ड, 1 नोटिस बोर्ड, 1 वैक्यूम क्लीनर गीला/सूखा, 1 फैकल्टी टेबल और कुर्सी, 2 1.5 टन एयर कंडीशनर	बिल एडगर मेमोरियल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल - 722101

XI. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं - **लागू नहीं**

हस्ता/-
श्री कमलेशभाई मिरानी
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन: 11118795

हस्ता/-
कमोडोर पी. आर. हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08591411

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग परिदृश्य

1.1 वैश्विक परिदृश्य

पोतनिर्माण :

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग में पुनरुत्थान हो रहा है, जो नौसेना के आधुनिकीकरण, हरित और स्वायत्त पोतों की मांग और वैश्विक व्यापार सुधार से प्रेरित है। वैश्विक पोत निर्माण बाजार का आकार 2024 में 150.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 में 155.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 में 203.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पूर्वानुमानित अवधि 2025-2033 में 3.43% की सीएजीआर से बढ़ रही है। यह प्रत्याशित वृद्धि उभरते बाजारों में आर्थिक विकास, समुद्री व्यापार की वृद्धि, डी- कार्बोनाइजेशन पर वैश्विक फोकस और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है। भू-राजनीतिक तनावों के बीच नौसेना के खर्च में वृद्धि, स्वायत्त और स्मार्ट पोतों का प्रसार पोत डिजाइन और निर्माण में नवाचार, डिजिटलीकरण और स्वचालन पर ध्यान केंद्रित करने, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, शिपयार्ड उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

पोत मरम्मत

रक्षा और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए पोत मरम्मत बाजार, जो एक साथ मिलकर लगभग 100 मिलियन डॉलर का अवसर प्रस्तुत करता है। अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर ₹15,000 करोड़ का कारोबार होगा। वैश्विक पोत मरम्मत बाजार में वर्तमान में चीन, सिंगापुर और मध्य पूर्व के शिपयार्ड का दबदबा है, जिसका मुख्य कारण कुशल कार्यबल और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता है। हालाँकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, फिर भी देश की स्थिति अनुकूल है क्योंकि वैश्विक व्यापार का 7% से 9% हिस्सा समुद्र तट से 300 समुद्री मील के भीतर से होकर गुजरता है।

पोत मरम्मत उद्योग श्रम -प्रधान होने के कारण, भारत के पास इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मज़बूत कार्यबल होने का लाभ है। हालाँकि, भारतीय पोत मरम्मत बाज़ार में अप्रयुक्त क्षमता का कारण प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता में कमी है। शिपयार्ड ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने पोत मरम्मत बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

1.2 भारतीय परिदृश्य

पोतनिर्माण:

भारतीय रक्षा पोत निर्माण अगले दशक में ₹ 1.5 लाख करोड़ से अधिक मूल्य का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पोत निर्माण भी ₹12000 – ₹ 15000 करोड़/वर्ष, के अवसर प्रस्तुत करता है। जिसमें तटीय शिपिंग, ड्रेजर, फेरी और क्रूज और गैस वाहक सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। इसके अलावा, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 ('एमआईवी 2030') का लक्ष्य कार्गो और यात्रियों की आवाजाही बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों और तटीय मार्गों के उपयोग में बड़ी वृद्धि करना है। 2030 तक परिचालन जलमार्गों की संख्या 16 से बढ़ाकर 23 करने का लक्ष्य है, इन जलमार्गों पर वार्षिक कार्गो आवाजाही 73 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष होने की उम्मीद है। फेरी संचालन द्वारा वार्षिक यात्री आवाजाही भी 2030 तक 14 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ हो जाने का अनुमान है। भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ये अवसर, ग्रीन शिपिंग में परिवर्तन के राष्ट्रीय प्रयास के साथ, देश में पोत निर्माताओं के लिए एक नया अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार द्वारा पोत निर्माण उद्योग (गैर- रक्षा जहाजों के लिए) को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली पोत निर्माण नीति का उद्देश्य भारतीय पोत निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करना है। हमारी सरकार ने नदियों के परिवहन नेटवर्क को और विकसित करने की आवश्यकता को पहचाना है और नई 'राष्ट्रीय रसद नीति' के तहत विभिन्न पहलों से अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा मिलने और भारत में निर्मित पोतों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। आपकी कंपनी वाणिज्यिक पोत निर्माण क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने के लिए सरकार की इन पहलों का लाभ उठा रही है।

रक्षा पोत निर्माण सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के शिपयार्डों के लिए ध्यान का क्षेत्र बना हुआ है। जहाँ आपकी कंपनी सहित पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में अग्रणी हैं, वहीं निजी शिपयार्ड भी भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी क्षमता बढ़ाने और अपने मौजूदा पोत निर्माण बुनियादी ढाँचे को संशोधित करने के लिए विशिष्ट उपाय कर रहे हैं। निजी शिपयार्डों में, एलएंडटी शिपबिल्डिंग और शॉफ्ट शिपयार्ड, जिन्होंने वाणिज्यिक पोत निर्माण कंपनियों के रूप में पोत निर्माण बाजार में प्रवेश किया था, खुद को सक्षम युद्धपोत निर्माता के रूप में पुनर्स्थापित कर रहे हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की महत्वाकांक्षी पोत अधिग्रहण योजनाओं के कारण भारतीय पोत निर्माण उद्योग की ऑर्डर बुक में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि दोनों बलों की योजना 200-200 पोतों का फ्लीट रखने की है। अगले 15 वर्षों तक चलने वाले उनके संयुक्त पोत निर्माण कार्यक्रम से संकेत मिलता है कि वे आने वाले वर्षों में 150 से अधिक युद्धपोतों के लिए ऑर्डर देंगे।

पोत मरम्मत

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक युद्धपोतों के रखरखाव, मरम्मत, रिफिट और उन्नयन के क्षेत्र में प्रत्याशित बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए, जीआरएसई भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जलयानों की मरम्मत और रिफिटिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

भारतीय वाणिज्यिक पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का श्रेय प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतो की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता के अंतर को दिया जा सकता है। लागत में कमी के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी और पोत की मरम्मत निष्पादन चक्र के समय में वृद्धि करने वाले प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे शामिल हैं।

हालाँकि, वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भारतीय पोत मरम्मतकर्ताओं के लिए अवसर की एक खिड़की प्रदान करता है।

'एमआईवी 2030' के तहत, सरकार आत्मनिर्भर नीति का लाभ उठाते हुए घरेलू मांग को व्यवस्थित करने, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सुधारने, व्यापार करने में आसानी और मुक्त व्यापार डिपो, क्लस्टर आदि समुद्री निर्माण करके दक्षता में सुधार करने जैसी पहलों पर जोर दे रही है।

2. उत्पाद और सेवाएं

एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, जीआरएसई मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए युद्धपोतों के निर्माण में संलग्न है। 5 टन की नावों से लेकर 24,600 टन के फ्लीट टैंकर के निर्माण तक, जीआरएसई ने देश के प्रमुख युद्धपोत निर्माता के रूप में अपनी क्षमता सिद्ध की है। पिछले 65 वर्षों में, जीआरएसई ने लगभग 800 प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिनमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, मॉरीशस सरकार और सेशेल्स सरकार के लिए 111 युद्धपोत शामिल हैं, जो देश में किसी भी शिपयार्ड द्वारा निर्मित और वितरित युद्धपोतों की सबसे अधिक संख्या है। पिछले कुछ वर्षों में, जीआरएसई ने इन-हाउस पोत डिजाइन और पोत निर्माण के लिए शीर्ष क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और फ्रिगेट, एंटी-सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट, मिसाइल कॉर्वेट, फ्लीट टैंकर, लैंडिंग शिप टैंक (बड़े), लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू), ऑफशोर पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल, इनशोर पेट्रोल वेसल, वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, सर्वे वेसल (बड़े) आदि जैसे कई जटिल युद्धपोतों को सफलतापूर्वक डिजाइन और निर्माण करके स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिपयार्ड ने शून्य उत्सर्जन पोतों को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक मिशन भी शुरू किया है और ऐसा ही एक पोत " ढेउ " (देश में सबसे बड़ा शून्य उत्सर्जन नौका) पहले से ही समाचार बना रहा है क्योंकि वह हुगली नदी पर सफलतापूर्वक संचालित होता है मानवरहित सतही पोत , स्वायत्त जलगत वाहन और पोत आधारित ड्रोन भी शिपयार्ड के लिए कुछ अन्य फोकस क्षेत्र हैं, जहां विभिन्न उन्नत वाहन पहले से ही विकसित किए जा चुके हैं और उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल किए जा चुके हैं।

रक्षा और वाणिज्यिक, दोनों क्षेत्रों में पोत मरम्मत व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पोत मरम्मत प्रभाग बनाया है । बड़े पैमाने पर पोत मरम्मत और रीफिटिंग के लिए बुनियादी ढाँचे के विस्तार हेतु, जीआरएसई ने 07 अक्टूबर 2021 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य कोलकाता के खिद्दरपुर स्थित एसएमपीके के खिद्दरपुर ड्राई डॉक (केपीडीडी) परिसर के तीन मौजूदा ड्राई डॉक के विकास और उपयोग के लिए है। इसके अलावा, पोत मरम्मत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एसएमपीके से एक और ड्राई डॉक का अधिग्रहण किया जा रहा है।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत के अलावा, जीआरएसई ने इंजीनियरिंग व्यवसाय में भी विविधता लाई है। इंजीनियरिंग उत्पादों में विभिन्न श्रेणियों और प्रकारों के पूर्व-निर्मित स्टील ब्रिज और विभिन्न डेक मशीनरी आइटम जैसे एंकर कैपस्टन, बोट डेविट आदि शामिल हैं। कंपनी का इंजन प्रभाग समुद्री डीजल इंजनों की असेंबली/परीक्षण/ओवरहालिंग और डीजल अल्टरनेटर के निर्माण में संलग्न है।

जीआरएसई ने हथियारों के क्षेत्र में भी विविधता ला दी है। एक स्थानीय फर्म के सहयोग से, एक प्रतिष्ठित विदेशी संस्था से तकनीकी सहायता प्राप्त, 30 मिमी नेवल गन का ऑर्डर वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है। व्यापक परीक्षण और ट्रायल के बाद पहली गन नौसेना को सफलतापूर्वक प्रदान की जा चुकी है।

3. एसडबल्यूओटी विश्लेषण

गतिशील परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जीआरएसई ने एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण किया है और निम्नलिखित की पहचान की है:--

ताकत:

(क) कोलकाता में चार शिपयार्डों का कब्ज़ा, जिनमें से तीन पोत निर्माण के लिए तथा एक पोत मरम्मत के लिए समर्पित है।

(ख) चार बड़े पोतों के जलावतरण के बाद फिटिंग करने के लिए समर्पित जेटी।

(ग) आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 45001:2018, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन।

(घ) 5 टन की नावों से लेकर 24600 टन के बेड़े के टैंकरों तक के पोतों के व्यापक स्पेक्ट्रम का उत्पादन करने की सिद्ध क्षमता।

(ङ) डिजाइन सॉफ्टवेयर सहित एक सहज आईटी नेटवर्क के साथ अच्छे बुनियादी ढांचे के संदर्भ में पोत डिजाइन के लिए सिद्ध इन-हाउस क्षमता।

(च) विस्तृत डिजाइन और मूल्यांकन के लिए समर्पित वर्चुअल रियलिटी (वीआर) लैब।

(छ) मजबूत ई-प्रोक्योरमेंट और ई-नीलामी प्रणाली।

(ज) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल जैसे मुख्य ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध।

(झ) नवीनतम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का लाभ उठाते हुए सुस्थापित नियोजन कार्य।

(ञ) रक्षा और वाणिज्यिक पोतों और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में कई गुना वृद्धि के लिए समर्पित निर्यात सेल।

(ट) जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना (जीएआईएनएस) के माध्यम से पोत निर्माण में अभिनव समाधानों के विकास के लिए देश में स्टार्टअप इको सिस्टम की अपार क्षमता का लाभ उठाना।

(ठ) अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन।

(ड) हाई-स्पीड डीजल इंजन और वाटरजेट प्रणोदन प्रणाली के स्वदेशी विकास के लिए वैश्विक फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन।

(ढ) विभिन्न परिचालन गतिविधियों को करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा होना।

कमजोरियां:

(क) नदी शिपयार्ड होने के नाते नदी में सिल्टिंग के प्रभाव के साथ नौगम्य चैनल की गहराई और चौड़ाई सीमित होने के कारण कठिनाइयाँ ।

(ख) संकीर्ण सड़कों वाले घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में कंपनी का स्थित होना।

(ग) भारत के पूर्वी हिस्से में कमजोर पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र।

अवसर

(क) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की अधिग्रहण योजना का उद्देश्य फ्लीट साइज़ का महत्वपूर्ण विस्तार करना है।

(ख) गृह मंत्रालय और आईडब्ल्यूएआई की अधिग्रहण योजना तथा सागरमाला और जल मार्ग विकास जैसी भारत सरकार की पहलों पर जोर।

(ग) ऋण सुविधा (एलओसी) के विस्तार सहित निर्यात पर जोर देने संबंधी सरकारी नीति।

(घ) विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका में छोटे और मध्यम आकार के युद्धपोतों और गश्ती जलयानों के लिए निर्यात क्षमता।

(ङ) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए पोतों की मरम्मत और रिफिट में महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता।

(च) निजी शिपयार्ड के साथ सहयोग के माध्यम से क्षमता और सामर्थ्य वृद्धि।

(छ) आक्रामक विपणन, क्षमता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से ब्रिजों, इंजीनियरिंग उत्पादों और इंजनों में व्यापार की मात्रा बढ़ाने की गुंजाइश।

(ज) विभिन्न प्रकार के जलयानों के बुनियादी डिजाइन विकसित करने की क्षमता जिसका उपयोग अन्य शिपयार्ड को डिजाइन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने में किया जा सकता है, जिससे डिजाइन कार्यालय एक अलग लागत केंद्र बन सकता है।

(झ) ऑटोनोमस जलयानों और हरित पोतों के लिए बढ़ता बाजार।

(ञ) अन्य शिपयार्ड के साथ रणनीतिक सहयोग का लाभ उठाना, जैसे कि क्षमता का विस्तार करने के लिए मोडेस्ट शिपयार्ड के साथ समझौता ज्ञापन।

आशंकाएं

(क) निजी और सार्वजनिक शिपयार्ड से प्रतिस्पर्धा।

(ख) पोत निर्माण के हर चरण में ग्राहकों पर बड़ी निर्भरता।

(ग) प्रमुख पोत निर्माण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए स्थानीय स्तर पर सहायक उद्योग की अपेक्षाकृत कम उपलब्धता।

(घ) समयसीमा पर संभावित प्रभाव के साथ, ग्राहक द्वारा विशिष्ट फर्मों के नामांकन के कारण उपकरण वितरण में देरी ।

(ङ) ग्राहक के स्वीकृत निर्माण विनिर्देश के संबंध में अनुरूपता का अभाव।

(च) छोटे खिलाड़ियों से इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा।

(छ) भारतीय पोत निर्माण उद्योग में उभरती निजी क्षेत्र की फर्में और भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए पोत निर्माण/ पोत मरम्मत पर उनका प्रभाव।

उपरोक्त एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण से यह पता चलता है कि कंपनी को उपलब्ध अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी ताकत का लाभ उठाने की जरूरत है, साथ ही एक अच्छी तरह से विविध, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और विकास की दिशा में आंतरिक दक्षता और आधुनिक मानव संसाधन प्रथाओं में लगातार सुधार करना होगा। केंद्रित शिपयार्ड। कंपनी के पास रक्षा, वाणिज्यिक, तटीय सुरक्षा और अंतर्देशीय जल पोतो के निर्माण और पोत मरम्मत के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। रक्षा के साथ-साथ वाणिज्यिक पोत निर्माण के लिए निर्यात बाजार में नए अवसर उभर रहे हैं जिनका प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभ उठाने की आवश्यकता है। तदनुसार, कंपनी की ताकत के आधार पर ऐसे अवसरों का दोहन करने और इसकी कमजोरियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर कंपनी के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आधारभूत सुविधाओं तथा उत्पादन सुविधाओं की ताकत भरोसेमंद वेंडर विकास को सुदृढ़ करती है जो पोतनिर्माण में सहयोग दे सकें ताकि आने वाले अवसरों को काम में लगायी जा सके और प्रत्याशित आशंकाओं के प्रभाव को कम किया जा सके ।

4. हमारी रणनीतियां

हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का दोहन करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत रणनीतियों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं:

(क) पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर नई पोत निर्माण सुविधाओं के सृजन के माध्यम से जहाज निर्माण क्षमता में वृद्धि।

(ख) लागत में कमी और आंतरिक दक्षता में सुधार पर जोर दिया जाएगा जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।

(ग) संचालन में नए युग की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं ।

(घ) शिपयार्ड के व्यावसायिक संचालन में उद्योग 4.0 को उपयुक्त रूप से अपनाएं।

(ङ) "समय पर" डिलीवरी और गुणवत्ता अपेक्षाओं से अधिक के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने पर ध्यान दें।

(च) युद्धपोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री को अधिकतम उपयोग ।

(छ) निर्माण अवधि को कम करने के लिए स्थानों और एकीकृत निर्माण सुविधा का इष्टतम उपयोग ।

(ज) निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस विपणन प्रयास के माध्यम से व्यवसाय विकास।

(झ) केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संबद्ध इंजीनियरिंग व्यवसायों का विकास करना।

(ञ) योग्यता अंतराल की पहचान और एक केंद्र बिन्दु पर समग्र व्यापार रणनीति रखते हुए कर्मचारियों को उपयुक्त समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ाना ।

(ट) पूर्वी क्षेत्र में पोत निर्माण गतिविधियों के लिए वाइवरेंट इकों सिस्टम के विकास की सुविधा बनाना।

(ठ) हरित ऊर्जा प्लेटफार्मों और ऑटोनोमस व्हिक्ल्स सहित नई प्रौद्योगिकी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पाद विविधीकरण ।

(ड) प्रौद्योगिकी अंतराल को कम करने और अत्याधुनिक उत्पादों को विकसित करने के लिए पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स /उद्योग के साथ कार्य साझेदारी को बढ़ावा देना ।

5. सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी 23 फरवरी 2018 को जारी की गई अधिसूचना में रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक

लेखा मानक के आवेदन की सीमा तक छूट दी । इसलिए, इस रिपोर्ट में सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस संलग्न नहीं हैं ।

6. आउटलूक

रक्षा और गैर- रक्षा , दोनों ही क्षेत्रों में पोत निर्माण क्षेत्र लगातार आशाजनक दिख रहा है । इस रक्षा क्षेत्र में, यह मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की पोत अधिग्रहण योजनाओं के कारण है। भारत सरकार द्वारा पहले से ही कार्यान्वित और कार्यान्वित की जा रही कई पहलों से गैर-रक्षा क्षेत्र में भारतीय पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है ।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में कार्यरत है और विशेष रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आवश्यक बड़े, मध्यम और छोटे आकार के पोतों में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त कर चुकी है, और अपने द्वारा निर्मित पोतों के लिए उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है। आपकी कंपनी ने 08 अक्टूबर 2024 को अपना 110 वाँ युद्धपोत (सर्वेक्षण पोत वृहद 'आईएनएस निर्देशक ' भारतीय नौसेना को) सौंप दिया है, जो देश के किसी भी शिपयार्ड द्वारा प्राप्त एक अद्वितीय उपलब्धि है।

जीआरएसई अपने सभी उत्पाद खंडों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहा है । रक्षा क्षेत्रों के उन ऑर्डरों के लिए निजी पोत निर्माण प्लेयर्स से सख्त प्रतिस्पर्धी हैं जहां से कंपनी को प्रमुख व्यवसाय मिलता है । सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय शिपयार्ड से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोत निर्माण के ऑर्डरों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी रखती है और विकास की गति को बनाए रख रही है ।

पोत मरम्मत गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, रणनीतिक रूप से स्थित एसएमपी के 03 मौजूदा ड्राई डॉक को विकसित करने और उपयोग करने के लिए जीआरएसई और एसएमपी (केओपीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) और उसके बाद एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सुविधा की निकटता जीआरएसई के पोत मरम्मत प्रयासों को बढ़ावा देती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस नई अधिग्रहीत सुविधा में कई वाणिज्यिक और साथ ही भारतीय तटरक्षक पोतो की डॉकिंग और मरम्मत/रीफिट सफलतापूर्वक की गई। उक्त समझौते के तहत, जीआरएसई और एसएमपीके, कोलकाता दोनों रक्षा और वाणिज्यिक क्षेत्रों में पोत की मरम्मत और रिफिट में नए व्यापार के अवसरों की खोज में एक गतिशील साझेदारी विकसित करने के लिए तत्पर हैं, जिससे राजस्व सृजन होगा और कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और रोजगार में योगदान मिलेगा। कोलकाता में पीढ़ी. यह सहयोग पोतो की मरम्मत और मरम्मत सहित अतिरिक्त पोत निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए जीआरएसई की भविष्य की रणनीति में भी योगदान देगा । कंपनी टीमों को मजबूत करके अपनी पोत मरम्मत गतिविधियों पर अतिरिक्त जोर दे रही है।

7. चुनौतियों का सामना करने के उपाय

निरंतर प्रदर्शन और विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की जाती हैं:

क) व्यापार करने में आसानी" पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामग्री प्रबंधन / आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना।

ख) विक्रेता विकास और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण

ग) समर्पित परियोजना प्रबंधन टीमों के निर्माण के माध्यम से पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन प्रणाली में सुधार।

घ) नई प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से पोत निर्माण प्रौद्योगिकी / प्रक्रियाओं को उन्नत करना

ङ) ब्रिज यूनिट, डेक मशीनरी यूनिट और डीजल इंजन प्लांट के उत्पादों को उन्नत करना

च) निर्यात के लिए ठोस विपणन प्रयास के माध्यम से विशेष रूप से लक्षित देशों में एमआर नियुक्त करके व्यवसाय विकास ।

छ) युद्धपोतों से लेकर हथियारों तक" के उत्पादों के साथ उत्पाद विविधीकरण

ज) निर्यात / विशेष परियोजनाओं के लिए रणनीतिक साझेदारियां बनाना

झ) पोत मरम्मत (एसआर) व्यवसाय से वीओपी बढ़ाने के उपाय

ञ) पोर्टेबल पुलों, डेक मशीनरी और डीजल इंजन व्यवसायों की वीओपी बढ़ाने के उपाय

ट) पीएलएम सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए 100% अनुपालन प्राप्त करें

ठ) राजस्व व्यय में कमी

ड) कुशल जोखिम विश्लेषण और शमन योजनाएं

ढ) संचालन के बेहतर प्रबंधन के लिए नए युग की प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाएं

ण) शिपयार्ड क्षमता में वृद्धि

त) "नवाचार एवं नई प्रौद्योगिकी" विभाग का निर्माण

थ) भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाना

द) वाणिज्यिक पोत निर्माण विभाग का निर्माण।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी परिचालन की प्रभावशीलता और दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण लागू करती है जो व्यवसाय की प्रकृति और आकार के लिए उपयुक्त है। आंतरिक नियंत्रण ढांचे को विश्वसनीय वित्तीय और परिचालन जानकारी रिकॉर्ड करने और प्रदान करने, लागू कानूनों का अनुपालन करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, उचित प्राधिकरण के साथ लेनदेन निष्पादित करने और कॉर्पोरेट नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी ने अपने प्रत्येक कार्य के संचालन को निर्देशित करने, अपने व्यवसाय के संचालन में ईमानदारी सुनिश्चित करने, नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने में सटीकता और पूर्णता, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा पता लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ और नीतियाँ निर्धारित की हैं। गतिशील और विकसित होते कारोबारी माहौल के लिए विभिन्न नीतियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाता है। इन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रक्रिया स्वामी की हैं। निरंतर आंतरिक निगरानी तंत्र जोखिमों और मुद्दों की समय पर पहचान सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, जो कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की निगरानी करता है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना की समीक्षा करती है, जिसमें मुख्य व्यवसाय संचालन, कॉर्पोरेट विभाग और सहायक कार्य शामिल होते हैं और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों की रिपोर्ट निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है। कंपनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन भी है। लेखा परीक्षा समिति आपकी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

9. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने मंडल द्वारा अनुमोदित एक मजबूत जोखिम प्रबंधन नीति और चार्टर लागू किया है।कंपनी के पास जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, उपचार और रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा है। कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन (‹ईआरएम›) प्रक्रिया आईएसओ 31000 मानकों पर आधारित है । बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (‹आरएमसी›) निरीक्षण प्रदान करती है और पूरे संगठन में ईआरएम ढांचे को लागू करने के लिए टोन सेट करती है । यह प्रमुख जोखिमों की स्थिति, सभी स्थानों पर ईआरएम कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ जोखिम प्रशासन की समीक्षा करता है । कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) द्वारा किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने तथा कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है । मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) आरएमसी एवं आरएमएससी के संयोजक हैं। यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, शमन योजनाएँ तैयार करती हैं, कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और शीर्ष प्रबंधन को भी सूचित करती हैं । समिति समय-समय पर जोखिम प्रबंधन और शमन पर मंडल को अद्यतन करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यकारी प्रबंधन उचित रूप से डिजाइन किए गए ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है ।

10. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा और विश्लेषण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 25 तक के अनुसार	31 मार्च 24 तक के अनुसार
कुल आय	5,410.53	3,892.26
परिचालन से राजस्व	5,075.69	3,592.64
उत्पादन का मूल्य	5,070.98	3,588.46
कुल लाभ	756.10	533.74
कर पूर्व लाभ	703.29	480.92
कर व्यय	175.89	123.65
कर पश्चात लाभ	527.40	357.27
निवल मूल्य	2,079.26	1,673.44
प्रति शेयर बुक वैल्यू (रू में)	181.51	146.09
प्रति शेयर आय (रू में)	46.04	31.19
प्रति शेयर लाभांश (रू में)	13.85	9.36

अनुपात विश्लेषण:

अनुपात	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	31 मार्च 2024 तक के अनुसार	विचरण का %
देनदारों का कारोबार	22.38	29.32	-24
आविष्करण आवर्त	1.25	0.99	26
ब्याज कवरेज अनुपात	69.13	42.86	44
वर्तमान अनुपात	1.17	1.12	4
ऋण इक्विटी अनुपात	0.004	0.005	-20
सकल लाभ हाशिया (%)	13.97	13.71	2
निवल लाभ सीमा (%)	10.39	9.94	5
नेट वर्थ पर रिटर्न (%)	28.11	23.14	21

(करोड़ रू में)

आयात और निर्यात	31 मार्च 25 तक के अनुसार	31 मार्च 24 तक के अनुसार
वर्ष के दौरान खपत किए गए आयात	419.00	332.88
वर्ष के दौरान किए गए निर्यात	73.63	46.90

- **सकल राजस्व** में 39.01% की वृद्धि दर्ज की गई जो 2023-24 में ₹3,892.26 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹5,410.53 करोड़ हो गया।
- **उत्पादन का मूल्य** 2023-24 में ₹3,588.46 करोड़ से 41.13% बढ़कर 2024-25 में ₹5,070.98 करोड़ हो गया है।
- **शुद्ध लाभ (पीबीटी)** में 46.24% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2023-24 में ₹480.92 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹703.29 करोड़ हो गया।
- **इन्वेंटरी टर्नओवर**: कंपनी के टर्नओवर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जबकि औसत इन्वेंटरी स्तर पिछले वर्ष के समान ही रहा। इसलिए, इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात में सुधार हुआ है।
- **ब्याज कवरेज अनुपात**: ब्याज व्यय/वित्त लागत कम है और लाभ में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज कवरेज अधिक है।
- **नेट वर्थ पर रिटर्न**: कर के बाद लाभ (पीएटी) 2023-24 में ₹ 357.27 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 527.40 करोड़ हो गया, जिसके परिणामस्वरूप नेट वर्थ पर रिटर्न में वृद्धि हुई।
- **प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन** 2023-24 में ₹80.97 लाख से बढ़कर 2024-25 में ₹87.56 लाख हो गया है।
- **प्रति शेयर बुक वैल्यू** 2023-24 में ₹146.09 से बढ़कर 2024-25 में ₹181.51 हो गई है।

11. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों के बारे में विवरण विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल हैं ।

12. मानवशक्ति

31 मार्च 2025 तक के अनुसार आपकी कंपनी की कर्मचारी शक्ति 1660 व्यक्तियों की थी ।

31 मार्च 2025 तक के अनुसार कुल कर्मचारी	अधिकारीयों	पर्यवेक्षकों	कार्यालय सहायक	वर्कमेन		
				प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1660	511	173	60	767	149	916

13. पर्यावरण संरक्षण

आपकी कंपनी स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती है, जो कि क्लीनर प्रौद्योगिकियों में लाने और पुनरावृत्ति, पुन: उपयोग और दृष्टिकोण को कम करने के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करती है। प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट कचरे का निपटान और धातु स्क्रैप, ई-कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

14. संरक्षण ऊर्जा का प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी ' *निदेशकों की रिपोर्ट* ' में दी गई है ।

15. निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता (सीएसआर)

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट के खंड में दी गई है,जो 'परिशिष्ट - "ई" के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है ।

सावधानी कथन - *कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, अनुमानों और अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत 'दूरदर्शी बयान' हो सकते है । वास्तविक परिणाम इस तरह की अपेक्षाओं, भविष्य की योजनाएं और अन्य से जो व्यक्त या निहित हो, से अलग हो सकते हैं । कई कारक कंपनी के परिचालन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। इनमें जलवायु परिस्थितियों और मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां, सरकारी नियम और कराधान, प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल हैं, जिस पर कंपनी का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है ।*

निगमित शासन पर रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए)

अंगीकृत निगमित शासन दर्शन

1. आपकी कंपनी का निगमित प्रशासन, नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से, नियामकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और समग्र समाज सहित हमारे सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन और उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। हमारा मानना है कि प्रभावी निगमित प्रशासन एक लचीले और सफल उद्यम की आधारशिला है। कंपनी का प्रशासनिक ढाँचा मज़बूत नेतृत्व, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा पर आधारित है। हमारी निगमित संरचना, व्यावसायिक प्रथाएँ और प्रकटीकरण तंत्र हमारे प्रशासनिक दर्शन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जो हमारे संचालन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं।

2. कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 («सेबी सूचीकरण विनियम») के लागू प्रावधानों के साथ-साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन किया है।

निदेशक मंडल

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जिसकी कुल चुकता शेयर पूंजी का 74.50% भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के पास है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।

4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाला निदेशक मंडल, कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह रणनीतिक दिशा प्रदान करता है, कार्य-निष्पादन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है, और एक संरचित दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के माध्यम से कंपनी के विज़न स्टेटमेंट के अनुरूप दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करता है।

5. मंडल को शेयरधारकों के लिए शासन, प्रदर्शन और मूल्य सृजन की अंतिम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभावी और समय पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए, मंडल ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

मंडल का आकार और संरचना

6. कंपनी के मंडल में कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक, गैर-कार्यकारी (अंशकालिक सरकारी) सरकार द्वारा नामित निदेशक और गैर-कार्यकारी (अंशकालिक गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों का संयोजन हैं । 31 मार्च 2025 तक, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन शामिल नहीं है। उक्त तिथि के अनुसार, मंडल में (06) निदेशक शामिल हैं जिनमें (04) पूर्णकालिक निदेशक, (01) सरकार द्वारा नामित निदेशक और (01) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं।

7. 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद की संख्या #		अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या ##		अन्य सूचीबद्ध संस्था और श्रेणी में निदेशक पद
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	
पूर्णकालिक / कार्यात्मक निदेशक (कार्यकारी)						
कमोडोर पी. आर. हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त) *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	10 जून 2022	-	-	-	-	-
श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ*	01 जुलाई 2020	-	-	-	-	-
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), निदेशक, (पोत निर्माण) [	08 जून 2022	-	-	-	-	-
डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी, (सेवानिवृत्त), निदेशक (कार्मिक)	20 जून 2023	-	-	-	-	-
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)						
श्री राजीव प्रकाश, [2] सरकार द्वारा नामित निदेशक *संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली)*	23 जून 2022	-	03	-	-	2

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद की संख्या #		अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या ##		अन्य सूचीबद्ध संस्था और श्रेणी में निदेशक पद
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	
डॉ गरिमा भगत सरकार द्वारा नामित निदेशक *संयुक्त सचिव (भूमि व्यवस्था)*	23 दिसंबर 2024	-	02	-	-	-
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) (गैर-कार्यकारी)						
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे	27 दिसंबर 2021	-	03	1	03	-
श्री संजीब मोहंती	06 अप्रैल 2022	-	-	-	-	-

निजी लिमिटेड कंपनियां, विदेशी कंपनियां, धारा 8 कंपनियां और वैकल्पिक निदेशक पद को छोड़कर ।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया जाता है।

[1] 01 जून 2025 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त

[2] 01 मई 2025 से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में सेवानिवृत्त

[3] 29 अप्रैल 2024 से बीईएमएल लिमिटेड के सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया गया

[4] 10 सितंबर 2024 से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त

[5] 11 दिसंबर 2024 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में पद समाप्त

[6] 23 दिसंबर 2024 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त

[7] 27 दिसंबर 2024 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया

[8] 06 अप्रैल 2025 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया

8. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में एक (1) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक को शामिल किया गया है। नवनियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा नीचे दिया गया है:

डॉ. गरिमा भगत, संयुक्त सचिव (भूमि प्रणाली), रक्षा मंत्रालय

डॉ. गरिमा भगत आईआईटी दिल्ली से बी.टेक (गोल्ड मेडलिस्ट), एम.टेक , एमए (अर्थशास्त्र), एलएलबी (गोल्ड मेडलिस्ट) और पीएचडी हैं। उन्होंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (1990) में प्रथम स्थान और यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (1994) में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह 1996 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (आईआरएस-आईटी) हैं।

सरकार में 28 वर्षों से अधिक के सार्वजनिक सेवा अनुभव के साथ , डॉ. भगत ने कराधान, भ्रष्टाचार विरोधी, सार्वजनिक खरीद, प्रशासन और प्रतिस्पर्धा कानून जैसे क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता अर्जित की है। उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल (सीबीडीटी) और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में मुख्य सतर्कता अधिकारी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में संयुक्त महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। डॉ. भगत विभिन्न शीर्ष शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित विजिटिंग फैकल्टी सदस्य भी रही हैं। वह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध पत्रों के साथ-साथ कराधान पर 3 पुस्तकों की लेखिका हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (भूमि प्रणाली) के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका से पहले , उन्होंने दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में कार्य किया।

कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ उनका कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर भी नहीं है।

अन्य निदेशक पद:

क्रम सं.	कंपनियों/निगम निकायों/फर्मों/ व्यक्तियों के संघ का नाम	रुचि या सरोकार की प्रकृति / रुचि या सरोकार में परिवर्तन	वह तिथि जिस दिन रुचि या चिंता उत्पन्न हुई/बदल गई
1.	आर्मर्ड वेहिक्ल्स निगम लिमिटेड	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23 दिसंबर 2024 (नियुक्ति)
2.	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23 दिसंबर 2024 (नियुक्ति)
3.	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	19 मई 2025 (नियुक्ति)

मुख्य मंडल विशेषज्ञता और कौशल

9. आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से की जाती है । ये नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक गहन जाँच प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं।

10. आपकी कंपनी के मंडल में योग्य सदस्य शामिल हैं जो आवश्यक कौशल, क्षमता, विशेषज्ञता और अनुभव लेकर आते हैं जिससे वे मंडल और उसकी समितियों पर प्रभावी निगरानी और बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मंडल निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन करे। नीचे दी गई तालिका उन प्रमुख कौशलों, विशेषज्ञताओं और विशेषताओं का सारांश प्रस्तुत करती है जो मंडल के अनुसार, कंपनी के प्रभावी संचालन के लिए, विशेष रूप से इसके व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में, आवश्यक हैं:

कौशल और गुण	विवरण
संगठनात्मक उद्देश्य	उद्योग और परिचालन गतिशीलता, राष्ट्र की समुद्री आवश्यकताओं, और व्यापक सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, नियामक और प्रतिस्पर्धी वातावरण (घरेलू और वैश्विक दोनों) को समझने की क्षमता। उभरते अवसरों और जोखिमों की पहचान करने और कंपनी के लिए एक आकर्षक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के विकास में योगदान करने की क्षमता।
वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल	लेखांकन, वित्त, व्यावसायिक रणनीति, सामान्य प्रबंधन पद्धतियाँ, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन, श्रम कानून, आंतरिक नियंत्रण और संकट प्रबंधन में विशेषज्ञता। सुदृढ़ व्यावसायिक निर्णय क्षमता और समष्टि आर्थिक जागरूकता।
नीति मूल्यांकन	कानूनी ढांचे, लागू सरकारी निर्देशों और उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं के आलोक में नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का आकलन और समीक्षा करने की क्षमता।
निगमित शासन	नियामक अनुपालन, मंडल और प्रबंधन जवाबदेही, हितधारक संरक्षण, और निगमित प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं की मजबूत समझ, साथ ही शासन ढांचे को समर्थन और मजबूत करने की क्षमता।
प्रौद्योगिकी की समझ	प्रौद्योगिकी और नवाचार में उभरते रुझानों की समझ, जिनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ सकता है, तथा आवश्यक हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने की क्षमता, जिनका उपयोग व्यवसाय को अधिक प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने में किया जा सकता है।
संस्कृति निर्माण	एक नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता। हितों के टकराव को दूर करने और ईमानदारी एवं आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की क्षमता।

11. व्यक्तिगत निदेशकों के मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं की सूची नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता					
	संगठनात्मक उद्देश्य	वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल	नीति मूल्यांकन	शासन प्रणाली	तकनीकी समझ	संस्कृति निर्माण
कमोडोर पी. आर. हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	√	√	√	√	√	√
श्री रमेश कुमार दाश	√	√	√	√	√	√
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	√	√	√	√	√	√
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)	√	√	√	√	√	√
डॉ. गरिमा भगत	√	√	√	√	√	√
श्री संजीव मोहंती	√	√	√	√	-	√

मंडल प्रक्रिया

12. निदेशक मंडल की बैठक हर तिमाही में कम से कम एक बार और ज़रूरत पड़ने पर अधिक बार होती है। ये बैठकें प्रमुख नीतियों और रणनीतियों की समीक्षा और निर्माण, कार्य-निष्पादन की निगरानी और समीक्षा, उच्च-मूल्य वाले अनुबंधों को मंज़ूरी देने और कंपनी के कामकाज के महत्वपूर्ण पहलुओं पर निगरानी रखने के लिए एक मंच का काम करती हैं। मुख्य एजेंडा मदों में आम तौर पर शामिल हैं: व्यापार को आसान बनाने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और सरलीकरण, व्यावसायिक विकास के लिए रणनीतिक योजना, शक्तियों और अधिकारों का प्रत्यायोजन, तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा और अनुमोदन, वार्षिक खातों, बजट और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन, और उन मामलों पर विचार जो मंडल के समक्ष रखे जाने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक हैं।

13. आपकी कंपनी संरचित और सुनियोजित मंडल बैठकों पर विशेष बल देती है। विस्तृत एजेंडा नोट्स, व्यापक पृष्ठभूमि सामग्री द्वारा समर्थित, निदेशकों को सूचित और प्रभावी निर्णय लेने में सुविधा के लिए समय से पहले ही भेज दिए जाते हैं। मंडल के सदस्यों को अध्यक्ष के परामर्श से चर्चा और विचार के लिए अतिरिक्त मुद्दे उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। आवश्यकतानुसार, आपकी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मंडल बैठकों में भाग लेने और विशिष्ट मुद्दों पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंशकालिक निदेशक मंडल की विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, प्रौद्योगिकी, वित्त, विपणन, लोक नीति, शासन और संचालन जैसे क्षेत्रों में अपनी व्यापक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं, जिससे मंडल की चर्चाओं और निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

बैठकें और उपस्थिति

14. वर्ष 2024-25 के दौरान मंडल की नौ (09) बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

क्रम संख्या	दिनांक	मंडल की संख्या शक्ति	वर्तमान निदेशकों की संख्या
1.	22 मई 24	07	06
2.	07 जून 24	07	07
3.	30 जुलाई 24	07	07
4.	08 अगस्त 24	07	06
5.	28 अक्तूबर 24	07	06
6.	13 नवंबर 24	07	06
7.	16 दिसंबर 24	06	06
8.	03 फरवरी 25	06	06
9.	11 मार्च 25	06	05

15. वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो मंडल बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल (80) दिन का था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति									उपस्थिति का%	20 सितंबर 24 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति
	22 मई 24	07 जून 24	30 जुलाई 24	08 अगस्त 24	28 अक्तूबर 24	13 नवंबर 24	16 दिसंबर 24	03 फरवरी 25	11 मार्च 25		
कमोडोर पी. आर. हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
श्री रमेश कुमार दाश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
श्री राजीव प्रकाश	×	✓	✓	×	×	×	ला.न.	ला.न.	ला.न.	33.33	✓
डॉ. गरिमा भगत	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	✓	×	50.00	ला.न.
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ला.न.	ला.न.	100	✓
श्री संजीव मोहंती	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] 11 दिसंबर 2024 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया गया

[2] 23 दिसंबर 2024 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त

[3] 27 दिसंबर 2024 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया

मंडल की समितियां

16. आपकी कंपनी के दैनिक कार्यों की केंद्रित निगरानी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, मंडल ने सात (7) उप-समितियों का गठन किया है। इन समितियों को विशिष्ट ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और ये कुशल निर्णय प्रक्रिया और प्रशासन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंडल समितियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. लेखा परीक्षा समिति;

ख. मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति;

ग. निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनिबिलिटी समिति;

घ. शेयरधारक संबंध समिति;

ङ. जोखिम प्रबंधन समिति

च. प्रोक्योरमेंट समिति

छ. विधि समिति

17. प्रत्येक समिति एक परिभाषित चार्टर या संदर्भ की शर्तों के तहत काम करती है और अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को विचार और अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है।

18. निदेशक मंडल की उपर्युक्त उप-समितियों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है।

मंडल की अनिवार्य समितियां

लेखा परीक्षा समिति

19. श्री संजय दत्तात्रेय पणसे का कार्यकाल पूरा होने के बाद लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका । स्वतंत्र निदेशक । कंपनी के मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, इस अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 («सेबी सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इसका पुनर्गठन नहीं किया गया।

20. रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति उनके यहाँ लंबित है। कंपनी समय-समय पर अपने मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ मामला उठाती रही है।

21. 26 दिसंबर 2024 तक निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

(क)	श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य
(ग)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (पोत निर्माण)*	सदस्य

22. निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के महाप्रबंधक (वित्त), अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा), सांविधिक लेखा परीक्षक (तिमाही और वार्षिक लेखाओं पर चर्चा के लिए) और आंतरिक लेखा परीक्षक (आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा के लिए) नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं, जैसा भी लागू हो।

23. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में उल्लेखित तथा सेबी सूचीबद्ध विनियमन के अंतर्गत बनाए गए नियम व लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार है । समिति का प्रमुख कार्य है वित्तीय रिपोर्टों, आपकी कंपनी के वित्त, लेखा और विधि अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की समीक्षा जिसे प्रबंधन और मण्डल ने नियत किया है और आपकी कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखांकन और सामान्यता: वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा करके निदेशक मंडल की सहायता करना ।

24. लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और आपकी कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति मंडल को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है । समिति व्हिसल ब्लोअर नीति के कामकाज और कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के प्रभावी कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है ।

25. लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष मंडल बैठकों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की प्रेक्षण से मंडल को अवगत कराता है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए मंडल को इसकी अनुवर्ती बैठक में प्रस्तुत किया जाता हैं । वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

26. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पाँच (5) बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और उनमें भाग लिया गया					उपस्थिति का %
	22-मई 24	07-जून -24	07-अगस्त -24	27-अक्तूबर -24	13-नवंबर -24	
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	✓	✓	✓	100
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [1] *निदेशक (पोत निर्माण)*	✓	✓	✓	✓	×	100

✓ - *उपस्थित* × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति

27. कंपनी की मानव संसाधन, नामांकन और समिति 01 अप्रैल 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक विधिवत गठित और कार्यात्मक थी। हालाँकि, 10 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक, श्री राजीव प्रकाश, सरकारी नामित निदेशक और श्री संजय दत्तात्रेय पणसे, स्वतंत्र निदेशक के पद छोड़ने के बाद लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। कंपनी के मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, इस अवधि के दौरान मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इसका पुनर्गठन नहीं किया गया।

28. आपकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति उनके यहाँ लंबित है। कंपनी समय-समय पर कंपनी के मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ मामला उठाती रही है।

29. 10 दिसंबर 2024 तक निदेशक मंडल की मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार थी:

(क)	श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य
(ग)	श्री राजीव प्रकाश [1] *सरकार द्वारा नामित निदेशक*	सदस्य

30. निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

31. मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं: -

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और अधिकारियों (मंडल स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना;

(ख) मानव संसाधन मुद्दे से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना और अपनी सिफारिशें देना;

(ग) मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

32. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की चार (04) बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और उनमें भाग लिया गया				उपस्थिति का %
	07-जून -24	05-जुलाई -24	07-अगस्त-24	12- नवंबर -24	
श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	✓	✓	100
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	✓	✓	100
श्री राजीव प्रकाश *सरकार द्वारा नामित निदेशक*	×	✓	✓	✓	75

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

33. वर्ष के दौरान मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गईं है ।

34. **निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन** – निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने मंडल, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) और अनुसूची IV के पैरा VIII के प्रावधानों का पालन करने से छूट दे दी है। आपकी कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रक्षा मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सस्टेनिबिलिटी समिति

35. आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने एक व्यापक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता ("सीएसआर और एसडी") नीति अपनाई है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इस नीति के अनुरूप, एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक समर्पित सीएसआर और एसडी समिति का गठन किया गया है। यह समिति आपकी कंपनी की सीएसआर और सततता गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

36. सीएसआर और एसडी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं: -

(क) कंपनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल- VII में यथानिर्धारित एक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सास्टेनेबिलिटी नीति तैयार करना और मण्डल को सिफ़ारिश करना,जिसमें आपकी कंपनी द्वारा ली जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।

(ख) सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश;

(ग) अपनी कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सस्टेनेबिलिटी नीति और समय-समय पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी ।

37. 31 मार्च 2025 के अनुसार निदेशक मण्डल की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन निम्नानुसार है:

(क)	श्री संजीब मोहंती स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), निदेशक, (पोत निर्माण)	सदस्य
(ग)	डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

38. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

39. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर एवं एसडी कमेटी की तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और उनमें भाग लिया गया			उपस्थिति का %
	08-जून-2024	12-नवंबर -2024	03-फरवरी -2024	
श्री संजीब मोहंती [1] स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	100
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), निदेशक, (पोत निर्माण)	✓	✓	✓	100
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [2] निदेशक (कार्मिक)	✓	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

शेयरधारक संबंध समिति

40. शेयरधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 20 के अनुरूप किया गया था।

41. सेबी लिस्टिंग नियमों के अनुरूप, शेयरधारकों के संबंध समिति के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठक आदि से संबंधित शिकायतों सहित सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा;

(iv) आपकी कंपनी द्वारा दावा नहीं किए गए लाभांश की माला को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस के समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना ।

42. 31 मार्च 2025 तक के अनुसार निदेशक मंडल की शेयरधारक संबंध समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त)*	सदस्य
(ग)	डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

[1] 28 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल

43. कंपनी सचिव शेयरधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है, और वह अनुपालन अधिकारी भी है।

44. वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की हितधारकों की संबंध समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति	उपस्थिति का%
	12 फरवरी 2024	
श्री संजीब मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	✓	100
श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त)*	✓	100
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	✓	100

✓ - *उपस्थित* × - *अनुपस्थित* *ला.न.-लागू नहीं*

45. **अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम** - सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, मंडल ने कंपनी सचिव श्री संदीप महापात्रा को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है।

46. 31 मार्च 2025 तक निवेशक शिकायतों की स्थिति और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 13 (3) के तहत रिपोर्ट की गई स्थिति निम्नानुसार है:

01 अप्रैल 2024 तक शिकायतें	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	5
वर्ष के दौरान हल किया गया	5
शेयरधारकों की संतुष्टि के लिए हल नहीं	0
31 मार्च 2025 तक लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति

47. जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 21 के अनुरूप किया गया ।

48. जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।

ख. पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय ;

ग. कारोबार निरंतरता योजना।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;

(iii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना; सुनिश्चित करें कि कंपनी चल रही और नई व्यावसायिक गतिविधियों दोनों में जोखिमों और पुरस्कारों के बीच विवेकपूर्ण संतुलन प्राप्त करने के लिए उचित उपाय कर रही है।

(iv) दो साल में कम से कम एक बार, समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करने जिसमें, बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना भी शामिल है ;

(v) कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति भूमिका उत्तरदायित्व और प्राधिकार की समीक्षा और मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के दायरे की रूपरेखा तैयार करना।

(vi) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना; जोखिम रणनीतियों, नीतियों, ढांचे, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में मंडल की सहायता करना।

(vii) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश/समीक्षा करना ।

(viii) जोखिम प्रबंधन समिति के पास, यदि वह आवश्यक समझे किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करने, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने और प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार होगा ।

49. 31 मार्च 2025 को निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त)*	अध्यक्ष
(ख)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) निदेशक, (पोत निर्माण)	सदस्य
(ग)	डीआइजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
(घ)	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
(ङ)	श्री संजीब मोहंती [2] *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य
(च)	श्री सुनील कुमार पनंगडन [2] मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य
(छ)	श्रीमती मधुमिता खसनोबिस [3] जोखिम समन्वयक	सदस्य सचिव

[1] *27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में समाप्त*

[2] *27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में भर्ती किया गया*

50. जोखिम समन्वयक सदस्य और समिति के सचिव भी हैं।

51. वर्ष 2024-25 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति		उपस्थिति का%
	07 अगस्त 24	16 दिसंबर 24	
श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त)*	✓	✓	100
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) निदेशक, (पोत निर्माण)	✓	✓	100
डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) निदेशक (कार्मिक)	✓	✓	50
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	100
श्री संजीब मोहंती[2] *स्वतंत्र निदेशक*	ला.न.	ला.न.	ला.न.
श्री सुनील कुमार पनंगडन[2] मुख्य जोखिम अधिकारी	✓	✓	100
श्रीमती मधुमिता खसनोबिस[3] जोखिम समन्वयक	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] 27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में समाप्त

[2] 27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में भर्ती किया गया

मंडल की अन्य समितियां

प्रोक्योरमेंट समिति

52. प्रोक्योरमेंट समिति को निम्नलिखित के संबंध में मंडल की पूर्ण शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं:

(क) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सामग्री, उपकरण, टूल्स, स्टोर और पुर्जों की खरीद, रूसी स्रोतों सहित आयात, कार्यों की स्वीकृति, उप-अनुबंध और सुविधा किराया आदि के लिए आदेश देने के लिए ₹30 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ख) मंडल/सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में प्रदान की गई मदों के संबंध में ₹5 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों का अनुमोदन ।

(ग) प्रोक्योरमेंट समिति आपकी कंपनी के प्रोक्योरमेंट नियमावली, सीवीसी दिशानिर्देशों, सरकारी विनियमों आदि के अनुपालन में सभी प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों की जांच करती है और ऐसे प्रस्तावों के लिए अपनी स्वीकृति देती है। प्रक्रियाओं से किसी भी विचलन की स्थिति में, समिति की सिफारिशों के साथ प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंडल के समक्ष रखा जाता है। तथापि, यदि समिति को लगता है कि किसी विशेष प्रस्ताव पर मंडल द्वारा विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे समिति की सिफारिशों के साथ मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) प्रोक्योरमेंट समिति द्वारा अनुमोदित समस्त प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों को मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

53. 31 मार्च 2025 तक के अनुसार निदेशक मंडल की प्रोक्योरमेंट समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
(ग)	श्री संजीब मोहंती [2] *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य
(घ)	श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त)	सदस्य
(ङ)	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) निदेशक, (पोत निर्माण)	सदस्य

[1] *27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में समाप्त*

[2] *27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में भर्ती किया गया*

54. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

55. प्रोक्योरमेंट समिति के अध्यक्ष मंडल की बैठक के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की टिप्पणियों के बारे में मंडल को अवगत कराते हैं।

56. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की ग्यारह (11) बैठकें हुई। वित्तीय 2024-25 के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित और भाग ली गई बैठकें											उपस्थिति का %
	23 अप्रैल 24	11 जून 24	30 जुलाई 24	07 अगस्त 24	05 सितंबर 24	14 अक्टूबर 24	13 नवंबर 24	16 दिसंबर 24	29 जनवरी 25	03 फ़रवरी 25	11 मार्च 25	
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100
श्री संजीब मोहंती [2] *स्वतंत्र निदेशक*	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	✓	✓	✓	100
श्री रमेश कुमार दाश , निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), [1] निदेशक, (पोत निर्माण)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] *27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में समाप्त*

[2] *27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में भर्ती किया गया*

विधि समिति

57. निदेशक मंडल की विधि समिति का गठन कंपनी के कराधान मामलों के अलावा विधि मामलों की समीक्षा, निगरानी और उचित कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए की गई ।

58. श्री संजय दत्तात्रेय पानसेके सेवा समाप्ती के बाद 27 दिसंबर 2024 से, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध न होने के कारण, कंपनी 27 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक निदेशक मंडल की कानूनी समिति का पुनर्गठन करने में असमर्थ रही।

59. 26 दिसंबर 2024 तक निदेशक मंडल की विधि समिति की संरचना इस प्रकार है:

क)	श्री संजीब मोहंती स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
(ग)	डीआइजी सुब्रोतो घोष भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

[1] *27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में समाप्त*

60. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

61. वर्ष 2024-25 के दौरान विधिक समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित और भाग ली गई बैठकें		उपस्थिति का %
	08-जून-2024	12-नवंबर-2024	
श्री संजीव मोहंती *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	100
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे[1] *स्वतंत्र निदेशक*	✓	✓	100
डीआईजी सुब्रतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) निदेशक (कार्मिक)	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] *27 दिसंबर 2024 से समिति के सदस्य के रूप में समाप्त*

वरिष्ठ प्रबंधन

62. सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के खंड 5बी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम	पद का नाम	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन
		सीएफओ और सीएस	
1.	श्री रमेश कुमार दाश	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	-
2.	श्री संदीप महापात्र	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	-
		वरिष्ठ प्रबंधन	
3.	श्री वेंकटेश मूर्ति	मुख्य महाप्रबंधक (सीएसबी)	-
4.	कमोडोर रजत मनचंदा, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (पीपी एवं सी)	-
5.	कमांडर भास्कर सेनगुप्ता, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (सीपी एवं सीसी एवं बीडीएम)	-
6.	कैप्टन पी. सुनिलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (एफओजे)	-
7.	कमांडर बी मिश्रा, भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी एवं परियोजनाएं)	-
8.	कमोडोर जयंत चौधरी, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (सीएमडी के सलाहकार)	
9.	कमोडोर. राजीव श्रीधरन, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (पीएस-एनजीओपीवी, आईएंडएनटी)	-
10.	कमोडोर. इंद्रजीत दासगुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (एसआर एवं टीयू)	-
11.	कमोडोर विकास कौशल, भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (पीएस -पी 17ए)	-
12.	कमोडोर. नितिन नांगिया, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (पीएस)	11 फ़रवरी 2025 को नियुक्त
13.	कमोडोर रमेश मेनन, भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त)	मुख्य महाप्रबंधक (बीबी एवं डीईपी)	12 मार्च 2025 को नियुक्त
14.	श्री गुलशन रतन	महाप्रबंधक (क्यूए, वीडी और स्वदेशिकरण)	-
15.	श्री सुजॉय चक्रवर्ती	महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)	-
16.	कमोडोर. विनिथ एराट, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (डिज़ाइन)	-
17.	श्रीमती लिपि दास	महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)	01 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त
18.	श्रीमती अपराजिता घोष	महाप्रबंधक (वित्त)	-

क्रम सं.	नाम	पद का नाम	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन
19.	श्री एन. पार्थीपन	महाप्रबंधक (बेली ब्रिज)	-
20.	कमांडर गौरव पांडे, भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (एफओजे)	अगस्त 2024 को सेवा समाप्त
21.	कमांडर. मनोज कुमार गुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (एमटीएल, एससीसी, एचपी और आईपी)	-
22.	श्री राजीव श्रीवास्तव	महाप्रबंधक (मानव संसाधन)	-
23.	श्री सनत दत्ता	महाप्रबंधक (वाईएम)	▪ 01 अगस्त 2024 को पदोन्नत ▪ 01 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे
24.	श्री गौतम कर्मकार	महाप्रबंधक (एफओजे)	01 नवंबर 2024 को पदोन्नत
25.	श्री संजय कुमार	महाप्रबंधक (प्रभारी) – (वित्त - बैंकिंग)	01 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त
26.	कमांडर सतीश चंद्र झा, भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (आरबीडी इकाई)	01 नवंबर 2024 को पदोन्नत
27.	श्री मानस कुमार पांडे	महाप्रबंधक (प्रभारी) – (मेन वर्क्स)	▪ 23 अप्रैल 2024 को (मेन वर्क्स प्रभारी के रूप में नामित ▪ 1 अक्टूबर 2024 को महाप्रबंधक (प्रभारी) के पद पर पदोन्नत
28.	श्री डी के जे सिंह	महाप्रबंधक (प्रभारी) – (डीईपी)	1 अक्टूबर 2024 को पदोन्नत
29.	कर्नल संजय आनंद, (सेवानिवृत्त)	महाप्रबंधक (प्रभारी) – सुरक्षा, अग्नि और राजभाषा	1 अक्टूबर 2024 को पदोन्नत

पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

63. एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें उनकी नियुक्ति का कार्यकाल, पारिश्रमिक पैकेज और अन्य नियम व शर्तें भी शामिल होती हैं। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए, या सेवानिवृत्ति की तिथि तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। संविदा अवधि पूरी होने से पहले त्यागपत्र देने की स्थिति में, तीन (3) महीने की पूर्व सूचना अवधि आवश्यक है, और ऐसी पूर्व सूचना के मामले में, उसके बदले में तीन (3) महीने के वेतन के बराबर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

64. आपकी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक समय-समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंडल स्तर के अधिकारियों के वेतन भत्ते लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी नियुक्ति शर्तों द्वारा शासित होते हैं, और अन्य लाभ और सुविधाएं जीआरएसई के नियमों के अनुसार हैं। मंडल स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है । इसके अतिरिक्त, कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू नीति के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों के रूप में पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन अर्थात प्रदर्शन-संबंधित वेतन (पीआरपी) देय हैं।

65. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम	वेतन*	अनुलाभ	पीएफ/ग्रेच्युटी/पेंशन में कंपनी का योगदान	प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	कुल
कमोडोर पी. आर. हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	52.58	0.80	8.06	16.29	**77.73**
कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) *निदेशक (पोत निर्माण)*	57.70	0.66	7.47	12.01	**77.84**
श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	44.18	2.64	6.07	10.23	**63.12**
डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*	61.98	0.66	7.33	11.27	**81.24**

* *वेतन में बकाया राशि शामिल है*

66. वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

67. सरकारी नामित निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे सरकार के अगले आदेश तक पद पर बने रहते हैं। वे मंडल या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी भी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं।

68. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, लेकिन वे मंडल या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के पात्र होते हैं। कंपनी निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹25,000/- और निदेशक मंडल की उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹20,000/- बैठक शुल्क का भुगतान करती है। बैठक शुल्क के अतिरिक्त, कंपनी अंशकालिक निदेशकों द्वारा मंडल और अन्य समिति की बैठकों में भाग लेने के संबंध में किए गए यात्रा और आवास व्यय की भी प्रतिपूर्ति करती है।

69. कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Terms-and-Conditions-of-Appt-of-Non-Exutive-Directors.pdf पर प्रकट किए गए हैं।

70. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की जाने वाली बैठक फीस इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	मंडल की बैठकें	समिति की बैठकें	कुल पारिश्रमिक
श्री संजय दत्तात्रेय पानसे[1]	1.75	3.80	**5.55**
श्री संजीव मोहंती	2.25	3.60	**5.85**

[1] *27 दिसंबर 2024 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया*

71. इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अंशकालिक निदेशकों का कंपनी के साथ कोई अन्य आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है।

72. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास कंपनी में कोई शेयर नहीं होगा।

मूल्यांकन के मानदंड

73. चूंकि मंडल स्तर पर नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं , इसलिए ऐसे नियुक्तियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

74. वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई।

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की पुष्टि

75. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

76. मंडल की राय में , स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

वार्षिक आम बैठकें

77. आपकी कंपनी की पिछली तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	तिथि और समय	कार्यक्रम का स्थान	विशेष प्रस्ताव पारित
2021-22	26 सितंबर 22 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय: जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2022-23	22 सितंबर 23 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय: जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2023-24	20 सितंबर 24 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय: जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ

डाक मतपत्र

78. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई डाक मतपत्र नहीं लिया गया।

79. डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है ।

डाक मतपत्र की प्रक्रिया

80. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, साथ ही उनके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों और निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित करती है। शेयरधारकों को भौतिक मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। डाक मतपत्र सूचनाएँ शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ईमेल पतों पर, जहाँ भी उपलब्ध हों, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती हैं। जिन मामलों में ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वहाँ सूचनाएँ अनुमत माध्यमों से भौतिक रूप में भेजी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करती है।

81. कट-ऑफ तिथि तक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारक निर्धारित मतदान अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या विधिवत भरे हुए डाक मतपत्र जमा करके मतदान करने के पात्र हैं। मतदान अवधि समाप्त होने पर, संवीक्षक मतों की जाँच और सत्यापन करता है और अध्यक्ष को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। डाक मतपत्र के परिणाम मतदान समाप्ति के 48 घंटों के भीतर घोषित किए जाते हैं।

82. परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.grse.in) पर प्रदर्शित किए जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को सूचित किए जाते हैं। यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें विधिवत भरे हुए डाक मतपत्र या ई-वोटिंग की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक पारित माना जाएगा।

निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम और प्रशिक्षण

83. परिचय कार्यक्रम आमतौर पर मंडल प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। सभी नए निदेशकों को मंडल में शामिल होने के समय कंपनी के संचालन का अवलोकन कराया जाता है। उन्हें अभिविन्यास सत्रों के माध्यम से आपकी कंपनी की संस्कृति, मूल्यों, प्रतिबद्धताओं और संचालन से परिचित कराया जाता है। उन्हें निगमित प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित और सहायता भी दी जाती है।

84. इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को मंडल/समिति की बैठकों में निम्नलिखित के संबंध में निरंतर जानकारी दी जाती है:
    - उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी काम करती है;
    - कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक प्रभागों का व्यावसायिक वातावरण और परिचालन मॉडल, जिसमें महत्वपूर्ण विकास शामिल हैं;
    - विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कंपनी पर प्रभाव पड़ेगा।

85. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण https://grse.in/board-of-directors-and-committees/Familiarisation_Programme_2023-24.pdf पर देखा जा सकता है।

मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता

86. आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग और सेबी (एलओडीआर) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, «मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता» को अपनाया है। यह संहिता निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और कंपनी के निगमित प्रशासन ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाई गई है।

87. संहिता की एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी गई है और यह आपकी कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों, जिन पर उक्त संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इसके प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, इस आशय का एक घोषणापत्र, जिस पर आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, इस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

इनसाइडर ट्रेडिंग कोड

88. सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने ‹अंदरूनी व्यापार की रोकथाम और अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता› अपनाई है। यह संहिता कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना के कब्जे में रहते हुए नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने, रिपोर्ट करने और प्रतिबंधित करने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करती है। यह संहिता दिशानिर्देश निर्धारित करती है, जो उन्हें कंपनी के शेयरों के साथ व्यवहार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और किए जाने वाले प्रकटीकरणों के बारे में सलाह देती है, और उल्लंघन के परिणामों के प्रति आगाह करती है। यह संहिता कंपनी की प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने और नैतिक मानकों का पालन करने के लिए बनाई गई है। इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://grse.in/wp-content/uploads/2022/08/Insider-Trading-Code-GRSE.pdf **पर देखा जा सकता है ।**

शेयरधारक जानकारी

89. सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के अनुसार प्रकट की जाने वाली विभिन्न शेयरधारक जानकारी इस रिपोर्ट के ‘अनुलग्नक I’ में *शेयरधारक सूचना* ‹ शीर्षक से दी गई है।

खुलासे

90. (क) **हितों का टकराव:** वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने निदेशकों के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है जिससे आपकी कंपनी के समग्र हितों के साथ संभावित टकराव हो। निदेशकों का पारिश्रमिक (जहाँ भी लागू हो) प्राप्त करने के अलावा, मंडल के सदस्यों का आपकी कंपनी के साथ कोई ऐसा भौतिक आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है, जो मंडल के अनुसार, निदेशकों की निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता हो।

(ख) **संबंधित पक्ष लेनदेन:** वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी का कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं है, जिससे कंपनी के समग्र हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष लेनदेन का समेकित प्रकटीकरण निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। कंपनी की संबंधित पक्ष लेनदेन नीति https://grse.in/policies/GRSE_Policy_for_Related_Party_Transactions.pdf पर देखी जा सकती है।

(ग) **महत्वपूर्ण सहायक कंपनियाँ:** आपकी कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है। हालाँकि, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण पर कंपनी की नीति सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16 के अनुसार बनाई गई है, जो कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Policy-for-Determining-Material-Subsidiaries-GRSE.pdf पर उपलब्ध है ।

(घ) **कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंध:** कोई नहीं

(ङ) **कंपनी में निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या :** कंपनी के 200 इक्विटी शेयर डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त),

निदेशक (कार्मिक) के पास थे और कंपनी के 15 इक्विटी शेयर कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), निदेशक (पोत निर्माण) के पास थे। इसके अलावा, गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास कंपनी में कोई शेयर नहीं था।

(च) **सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 22 और सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुरूप व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। नीति को कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कानूनी या नियामक आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन, कंपनी से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध कदाचार पर चिंता व्यक्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि वे आगे आ सकें और सजा/उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार के डर के बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें।

वर्ष के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों या उसके अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

कंपनी की व्हिसलब्लोअर नीति का सारांश भी '*निदेशक रिपोर्ट*' में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

(छ) **लेखा पुस्तकों में डेबिट किए गए व्यय की मदें, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं:** शून्य

(ज) **व्यक्तिगत प्रकृति के तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए व्यय:** शून्य

(झ) **वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(ए)	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	571.95	562.71
(बी)	प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	12.26	12.79
(सी)	(ए) पर (बी) का प्रतिशत	2.14	2.27
(डी)	कुल व्यय के % के रूप में वित्त व्यय	0.22	0.34

(ञ) **तिमाही अनुपालन रिपोर्ट:** कंपनी ने निगमित प्रशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत कर दी है। इसे कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/corporate-governance-report/ पर भी अपलोड किया गया है ।

(ट) **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम** : कंपनी एक ऐसा कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक कर्मचारी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए और उसे समान व्यवहार मिले। अधिक जानकारी के लिए कृपया निदेशक रिपोर्ट के 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण' अनुभाग देखें।

(ठ) **ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशकों की रुचि है:** शून्य

(ड) **निदेशक मंडल की समितियों की सिफारिश** : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां मंडल ने मंडल की किसी भी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

(ढ़) **वैधानिक लेखा परीक्षकों को शुल्क :** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी को सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क ₹22,08,000/- है। विवरण '*वित्तीय विवरण*' के नोट 27 में उपलब्ध हैं।

(ण) **गैर -अनुपालन का विवरण :** पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर आपकी कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई उदाहरण या मामला नहीं है और निम्नलिखित को छोड़कर पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज / सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड / प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है:

एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना:

वित्तीय वर्ष	नोटिस तिथि	गैर-अनुपालन की अवधि	सेबी (एलओडीआर) के गैर-अनुपालन की प्रकृति	लगाई गई (जीएसटी सहित) जुर्माने की राशि
2020-21	15 फ़रवरी 21	31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹4,30,700/-
	17 मई 21	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,31,000/-
2021-22	20 अगस्त 21	30 जून 2021 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1), 9(1)/ 19(2)	₹6,40,740
	22 नवंबर 21	30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1), 9(1)/ 19(2)	₹9,77,040
	21 फ़रवरी 22	31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही	विनियम 17 (1), 17 (2ए), 18(1), 19(1)/ 19(2), 20 और 21	₹12,34,280
	20 मई 22	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1), 19(1)/ 19(2), 20 और 21	₹11,49,320

वित्तीय वर्ष	नोटिस तिथि	गैर-अनुपालन की अवधि	सेबी (एलओडीआर) के गैर-अनुपालन की प्रकृति	लगाई गई (जीएसटी सहित) जुर्माने की राशि
2022-23	22 अगस्त 22	30 जून 2022 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1) और 19(1)/19(2)	₹6,50,180
	21 नवंबर 22	30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	21 फ़रवरी 23	दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	22 मई 23	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,31,000
2023-24	21 अगस्त 23	30 जून 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,36,900
	21 नवंबर 23	30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	22 फ़रवरी 24	दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	22 मई 24	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,36,900
2024-25	21 अगस्त 24	30 जून 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,36,900
	21 नवंबर 24	30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	17 मार्च 25	दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1) और 18(1)	₹5,52,240
	29 मई 25	मार्च 2025 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1) और 19(1)/19(2)	₹9,55,800
		कुल		**₹1,19,77,000**

बीएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना:

वित्तीय वर्ष	नोटिस तिथि	गैर-अनुपालन की अवधि	सेबी (एलओडीआर) के गैर-अनुपालन की प्रकृति	लगाई गई जुर्माने (जीएसटी सहित) की राशि
2021-22	20 अगस्त 21	30 जून 2021 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1), 19(1)/ 19(2)	₹6,40,740
	22 नवंबर 21	30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1), 19(1)/ 19(2)	₹9,77,040
	21 फ़रवरी 22	31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही	विनियम 17 (1), 17 (2ए), 18(1), 19(1)/ 19(2), 20 (2)/ (2ए) और 21(2)	₹12,34,280
	20 मई 22	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1), 19(1)/ 19(2), 20(2)/ (2ए) और 21(2)	₹11,49,320
2022-23	22 अगस्त 22	30 जून 2022 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1) और 19(1)/19(2)	₹6,50,180
	21 नवंबर 22	30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	21 फ़रवरी 23	दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	22 मई 23	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,31,000
2023-24	21 अगस्त 23	30 जून 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,36,900
	21 नवंबर 23	30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	22 फ़रवरी 24	दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	22 मई 24	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,36,900
2024-25	21 अगस्त 24	30 जून 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,36,900
	21 नवंबर 24	30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1)	₹5,42,800
	17 मार्च 25	दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1) और 18(1)	₹5,52,240
	29 मई 25	मार्च 2025 को समाप्त तिमाही	विनियम 17(1), 18(1) और 19(1)/19(2)	₹9,55,800
		कुल		**₹1,10,15,300**

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा ये जुर्माना अलग-अलग अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण लगाया गया था।

उपर्युक्त नोटिस के जवाब में, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित कर स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र निदेशकों की कमी कंपनी की ओर से किसी लापरवाही या चूक के कारण नहीं थी। सीपीएसई होने के नाते किसी कंपनी के मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की जाती है, और इसलिए, यह मामला कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। तदनुसार, कंपनी ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को बकाया जुर्माने को माफ करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है और लगाए गए जुर्माने की छूट के लिए स्टॉक एक्सचेंज की नीति के प्रावधानों के अनुसार छूट मांगी गई है। उक्त नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित गैर-अनुपालन के अनुपालन को प्राप्त करने के बाद ही माफी के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या और एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मामला प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है ।

(त) **अनिवार्य अनुपालन:** सीपीएसई के लिए निगमित गवर्नेंस पर सेबी लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का कंपनी द्वारा 31 मार्च 2025 तक विधिवत अनुपालन किया गया है, सिवाय इसके कि नीचे खुलासा किया गया है।

(थ) **`सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अनुपालन:** सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है:

(i) **मंडल:** सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची II के भाग ई के पैरा ए के अनुसार, मंडल का एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष कार्यालय बनाए रखने का हकदार हो सकता है और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है। कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है और इसलिए यह प्रावधान हम पर लागू नहीं होता है।

(ii) **शेयरधारक अधिकार:** आपकी कंपनी अपनी वेबसाइट https://grse.in/financial-results/ पर तिमाही और छमाही वित्तीय परिणाम प्रदर्शित करती है। और व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम भी प्रकाशित करता है। हमने शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की सूचना ईमेल द्वारा दी है, साथ ही आवश्यकतानुसार सभी शेयरधारकों को पत्र भी भेजे हैं।

(iii) **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** आपकी कंपनी भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, पारदर्शी, सत्य और निष्पक्ष तरीके से खातों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछले बीस वर्षों (2005-2006 से 2024-25) के दौरान कोई लेखापरीक्षा योग्यता नहीं रही है। इस वर्ष आपकी कंपनी को केग से भी "शून्य" टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय जारी की है।

(iv) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख प्रशासनिक रूप से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। उन्हें नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी तिमाही आधार पर अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

(v) **स्वतंत्र निदेशक:** वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 27 अक्टूबर 2024 को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी। हालाँकि, वर्ष के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी ऐसी एक से अधिक बैठकें आयोजित करने में असमर्थ रही। कंपनी सुशासन प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्ध है और आगे चलकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो ऐसी बैठकें आयोजित करने का प्रयास करेगी।

(द) **मंडल की योग्यता पर कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र :** मैसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के मंडल के किसी भी निदेशक को सेबी/निगमित मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उपरोक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक II में दिया गया है।

(ध) **अन्य विनियामक अनुपालन** : वर्ष के दौरान, कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के भाग 'ग' में उल्लिखित निगमित प्रशासन रिपोर्ट के पैरा (2) से (10) तक की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) और (त) में निर्दिष्ट निगमित प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करती है, सिवाय निदेशक मंडल की संरचना और कंपनी के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के, जैसा कि ऊपर बताया गया है और परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा समिति और मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन न होना, और इस रिपोर्ट में संबंधित स्थानों पर आवश्यक जानकारी का खुलासा न करना।

(न) **निगमित प्रशासन प्रमाणन** : मैसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों से अनुपालन प्रमाणपत्र, अनुपालन की पुष्टि करता है सेबी लिस्टिंग विनियमों और सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक निगमित गवर्नेंस की शर्तों के साथ इस रिपोर्ट के अनुलग्नक III के रूप में प्रदान किया गया है।

(प) **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन**: कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार मंडल को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणन देते हैं, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ *अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न है। सीएमडी और सीएफओ सेबी लिस्टिंग* विनियमों के विनियम 33(2) के अनुसार मंडल के समक्ष वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते समय वित्तीय परिणामों पर तिमाही प्रमाणन भी देते हैं ।

घोषणा

14 मई, 2010 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, यह घोषित किया जाता है कि आपकी कंपनी के सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता/-
कमोडोर पी. आर. हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीभा.नौ. : 08591411

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 जुलाई, 2025

अनुलग्नक – I

शेयरधारक जानकारी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आम बैठक

तारीख	**शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025**
स्थान	**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से एजीएम ।** **[मीटिंग के लिए डीम्ड वेन्यू: पंजीकृत और निगमित कार्यालय: जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024]**
समय	**10 : 30 बजे**

लाभांश भुगतान

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, एजीएम में अनुमोदित होने पर, 19 सितंबर 2025 को या उसके बाद भुगतान किया जाएगा । आपकी कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है। पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (रू में)	कुल लाभांश का भुगतान (करोड़ रू में)
2024-25*	13.85	158.65
2023-24	9.36	107.22
2022-23	6.20	71.02
2021-22	5.80	66.44
2020-21	5.00	57.28

** ₹10/ - प्रति शेयर के लिए ₹8.95 प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश शामिल है ।*

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों की लिस्टिंग

2. 10 अक्तूबर 2018 से प्रभावी आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") में सूचीबद्ध किए गए । आपकी कंपनी ने एनएसई और बीएसई दोनों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय पर किया है । स्टॉक कोड के साथ एनएसई और बीएसई का विवरण नीचे दिया गया है:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी / 1, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.) मुंबई 400 051 वेबसाइट: www.nseindia.com	जीआरएसई
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001 वेबसाइट: www.bseindia.com	542011

संचार के माध्यम

3. निगमित वित्तीय प्रदर्शन पर सुसंगत, तुलनीय, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन के मूल में है। आपकी कंपनी का एक वेबसाइट (www.grse.in) है जिस पर जीआरएसई के नेतृत्व, प्रबंधन, उत्पाद स्पेक्ट्रम,सीएसआर पहल, वार्षिक रिपोर्ट,नीतियाँ, वित्तीय सूचनाएँ आदि से संबन्धित जानकारी प्रदान की जाती है ।

4. सभी मूल्य-संवेदनशील जानकारी, सांविधिक सूचनाएँ और शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी/डेटा, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में स्टॉक एक्सचेंजों, जैसे एनएसई और बीएसई, को बताया जाता हैं। आपकी कंपनी अपने तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम आदि प्रमुख समाचार पत्रों जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), प्रभात खबर (हिंदी में), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), ई समय (बंगाली में) और वर्तमान (बंगाली में) में प्रकाशित करती है। 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के परिणाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) और ई समय (बंगाली में) में प्रकाशित किए गए थे। वित्तीय परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए थे:

30 जून 2024 को समाप्त तिमाही	अगस्त 2024 के महीने में
30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही	नवंबर 2024 के महीने में
31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	फरवरी 2025 के महीने में
31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष	मई 2025 के महीने में

5. आपकी कंपनी की वेबसाइट पर *'इन्वेस्टर्स कॉर्नर'* अनुभाग के अंतर्गत वित्तीय परिणामों, विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतिकरण और स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी जैसे सूचना और निगमित घोषणाएँ, शेयरधारण पैटर्न, निगमित शासन रिपोर्ट, लाभांश आदि शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, वेबसाइट पर 'न्यूज़ रूम' अनुभाग में कंपनी की सभी प्रमुख प्रेस विज्ञप्तियाँ और प्रासंगिक मीडिया रिपोर्टें शामिल हैं।

वित्तीय कैलेंडर

6. कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल के दिन से आरंभ होता है और अगले वर्ष मार्च 31 के दिन समाप्त होता है । वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिणामों की घोषणा हेतु हमारा अस्थायी कैलेंडर नीचे दिया गया हैं:

समाप्त तिमाही	जारी परिणाम
30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2025 का दूसरा सप्ताह
30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए	नवंबर 2025 का दूसरा सप्ताह
तिमाही और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली नौ महीने के लिए	फरवरी 2026 का दूसरा सप्ताह
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	मई 2026 का दूसरा/तीसरा सप्ताह

शेयर और द्रव्यता का अभौतिकरण

7. कंपनी के इक्विटी शेयर भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के तहत डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं / डिपॉज़िटरी सिस्टम के तहत कंपनी के शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई INE382Z01011 है ।

8. 31 मार्च 2025 को कंपनी के जारी किए गए 100 % (लगभग) इक्विटी शेयर 11,45,52,000 हैं । कंपनी के सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल अभौतिक रूप में रखे गए हैं । भौतिक और डीमैट फॉर्म में शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है:

फॉर्म	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
एनएसडीएल के साथ डीमैट फॉर्म	10,03,13,178	87.57
सीडीएसएल के साथ डीमैट फॉर्म	1,42,38,817	12.43
भौतिक फॉर्म	5	0.00

9. कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा होल्डिंग 74.50% है, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार नहीं किया जाता हैं । कंपनी के शेष 25.50% शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार किए गए शेयर हैं । 31 मार्च, 2025 तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 31 मार्च, 2024 के रू 8,764.37 करोड़ के मुकाबले रू 19,295.71 करोड़ रहा है।

31 मार्च 2025 तक शेयरधारिता का वितरण

10. आकार के अनुसार शेयरधारिता के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है:

इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारक		शेयरधारिता	
	संख्या.	%	संख्या	%
1-500	409420	98.90	14304589	12.49
501-1000	2731	0.66	2014771	1.76
1001-2000	1079	0.26	1566857	1.37
2001-3000	296	0.07	735214	0.64
3001-4000	102	0.02	366003	0.32
4001-5000	91	0.02	417263	0.36
5001-10000	136	0.03	994442	0.87
>10000	131	0.03	94152861	82.19
कुल	**413986**	**100.00**	**11,45,52,000**	**100.00**

31 मार्च 2025 तक शेयरधारण का पैटर्न

11. कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न नीचे दिया गया है:

क्रं. सं.	शेयरधारक का नाम और श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की कुल संख्या	एससीआरआर 1957 के अनुसार शेयरधारिता% की गणना
प्रमोटर शेयरधारक				
	केन्द्रीय सरकार	1	8,53,41,240	74.50
(1)	**प्रमोटर कुल शेयरधारिता**	**1**	**8,53,41,240**	**74.50**

क्रं. सं.	शेयरधारक का नाम और श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की कुल संख्या	एससीआरआर 1957 के अनुसार शेयरधारिता% की गणना
सार्वजनिक शेयरधारिता				
	संस्थागत			
क	म्यूचुअल फंड्स	16	18,73,553	1.64
ख	वैकल्पिक निवेश फंड्स	3	2,48,752	0.22
ग	वित्तीय संस्थान / बैंक	-	-	-
घ	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	2	2191	0.00
ङ	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	78	44,00,637	3.84
च	बीमा कंपनियां	9	49185	0.04
(क)	कुल संस्थागत शेयरधारिता	108	65,74,318	5.74
	गैर-संस्थागत			
क	निकाय कॉर्पोरेट	701	7,33,293	0.64
ख	सार्वजनिक और अन्य	4,13,176	2,19,03,149	19.12
(ख)	कुल गैर संस्थागत शेयरधारिता	4,13,877	2,26,36,442	19.76
(2)	**कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (क) + (ख)**	**4,13,985**	**2,92,10,760**	**25.5**
कुल शेयरधारिता (1) + (2)		**4,13,986**	**11,45,52,000**	**100.00**

12. कंपनी के पास कोई बकाया ग्लोबल डिपॉज़िटरी रसीदें, अमेरिकन डिपॉज़िटरी रसीदें, वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत नहीं है।

शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान

13. नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कुल जारी/चुकता शेयर पूंजी और भौतिक रूप में धारित शेयरों का सत्यापन और समाधान करने के लिए एक कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान किया गया। लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने पुष्टि की कि कुल जारी/चुकता पूंजी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ-साथ भौतिक रूप में धारित शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। इसके अलावा, सेबी (डिपॉज़िटरीज़ और पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुपालन में, एक कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और प्रमाणित शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) को प्रस्तुत की गई।

वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियाँ

14. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी को वस्तु और वस्तु जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा है । इसलिए, आपकी कंपनी को बचाव की गतिविधियां करने की आवश्यकता नहीं है ।

15. कंपनी को सामग्री और सेवाओं की खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिमों का सामना करना पड़ता है । ये खरीद ज़्यादातर विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नता की प्रतिपूर्ति के लिए विनिमय दर भिन्नता खंड के तहत कवर की जाती हैं । इसलिए, इस संबंध में आपकी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

क्रेडिट रेटिंग

16. वर्ष के दौरान, मैसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने आपकी कंपनी को दीर्घावधि सुविधाओं के लिए केयर एएए/स्टेबल और अल्पावधि बैंक सुविधाओं के लिए केयर ए1+ की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की है।

शेयर अंतरण प्रणाली

17. कंपनी के शेयरों का कारोबार डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाता है। कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 40 के अनुसार डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाएगा।

18. कंपनी के बोर्ड ने कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, प्रेषण और रूपांतरण का अधिकार कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सौंप दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के शेयरधारकों से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, प्रेषण और रूपांतरण के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, 01 दिसंबर 2024 तक, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी ने कंपनी के निदेशक मंडल को उसकी जानकारी के लिए कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, प्रेषण और रूपांतरण पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालाँकि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024 के अनुसार, सेबी ने 13 दिसंबर 2024 से इस रिपोर्टिंग आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

दावा रहित लाभांश

19. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ़') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ('नियम'), के साथ पढ़ें जाने वाले सभी भुगतान नहीं किए गए या दावा नहीं किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'आईईपीएफ़' में सात वर्षों के पूरा होने के बाद हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है । इसके अलावा, नियमों के अनुसार, उन शेयरों के संबंध में, जिनका लाभांश शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ़ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डीमैट खाते में भी स्थानांतरित किया जाएगा । 31 मार्च 2025 तक पिछले वर्षों से संबंधित दावा नहीं किए गए लाभांश को आईईपीएफ़ में हस्तांतरित किया जाना बाकी नहीं है ।

20. कंपनी ने आईईपीएफ के प्रावधानों के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिसका विवरण कंपनी की वबसाइट https://grse.in/iepf/ पर उपलब्ध है । 31 मार्च 2025 तक के अनुसार कंपनी के पास पड़े अनपेड़ तथा दावा रहित लाभांश राशि कंपनी की वैबसाइट https://grse.in/iepf/ और निगमित मामलों के मंत्रालय के वैबसाइट at www.iepf.gov.in. पर अपलोड किए गए है ।

डिमैट सस्पेंस अकाउंट / अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट

21. कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट में कोई शेयर नहीं है ।

निवेशक सेवाएं

22. इक्विटी शेयरों के संबंध में आपकी कंपनी के लिए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट है।

पत्राचार के लिए पता:
205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055
ईमेल: info@alankit.com

23. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को निवेशकों द्वारा (05) भी शिकायतें प्राप्त हुई है , जिसका समय रहते निपटारा कर दिया गया ।

24. कंपनी द्वारा निवेशक शिकायतें प्राप्त करने के लिए निर्धारित ई-मेल आईडी Invest.grievance@grse.in है ।

अनुपालन अधिकारी का विवरण / निवेशक के पत्राचार के लिए पता

नाम : **श्री संदीप महापात्र**
पदनाम : कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
पता : गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता – 700 024
दूरभाष: +91 (033) 2469 8101
फैक्स: +91 (033) 2469 8150
ईमेल: co.sec@grse.co.in
वेबसाइट: www.grse.in

संयंत्र स्थान

पोत निर्माण की गतिविधियाँ	इंजीनियरिंग गतिविधियाँ	इंजन गतिविधियाँ
मेन वर्क्स यूनिट 43/46, गार्डन रीच रोड कोलकाता – 700 024	**61 पार्क यूनिट** 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024	**डीईपी रांची यूनिट** प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, रांची-834004
राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट 44, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 044	**तारातला यूनिट** पी -2 / 2, तारातला रोड, कोलकाता – 700 088	
फिटिंग आउट जेट्टी यूनिट पी -70, कार्ल मार्क्स सरणी, कोलकाता – 700 043		

विवरण का अद्यतन

डीमैट फॉर्म में धारित शेयरों के लिए

25. कंपनी उन शेयरधारकों को नोटिस, रिपोर्ट और लेखा और अन्य संचार इलेक्ट्रोनिक मोड में भेजती है, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के पास अन्य शेयरधारकों को भौतिक मोड में अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं । शेयरधारक जो कंपनी के पास अपने ई-मेल पते को पंजीकृत या अपडेट करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को एक अनुरोध भेजकर इसे अपडेट कर सकते हैं ।

26. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते का विवरण, जिसमें आईएफ़एससी (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड) और एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) शामिल है, अपने संबंधित डीपी को प्रदान करें या उसे अपडेट करें ताकि लाभांश राशि का समय पर और सटीक क्रेडिट सुनिश्चित हो सके।

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए

27. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निरंतर और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए अपने पते, अधिदेश, बैंक विवरण या अन्य प्रासंगिक जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में कंपनी के आरटीए या कंपनी को तुरंत सूचित करें।

अनुलग्नक - II

निदेशकों की गैर – आयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) (सूचिकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता-700024

मैंने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, सीआईएन: L35111WB1934GOI00 7891 और निगमित कार्यालय जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच, कोलकाता-700024, भारत में पंजीकृत कार्यालय (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन की जांच की है । कंपनी द्वारा विनियमन 34 (3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित (सूचिकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ हमारे समक्ष इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था ।

हमारी राय में और हमें प्राप्त उपयुक्त जानकारी (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा सत्यापन के अनुसार, जैसा कि कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक और स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।

क्रम.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	08591411	10 जून, 2022
2.	श्री रमेश कुमार दाश	08511344	01 जुलाई, 2020
3.	कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	09631817	08 जून, 2022
4.	डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)	10205285	20 जून, 2023
5.	डॉ. गरीमा भगत	10881164	23 दिसंबर 2024
6.	श्री संजीव मोहन्ती	09559883	06 अप्रैल, 2022

सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके मंडल में सभी निदेशक अर्थात कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का चयन सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशक के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते **माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन: F005126G000909227

दिनांक: 01 अगस्त, 2025
स्थान: कोलकाता

अनुलग्नक – III

निगमित शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड
कोलकाता-700024

मैंने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा-निर्देश ("डीपीई दिशानिर्देश") और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 ("सेबी एलओडीआर") की अनुसूची V के अनुच्छेद सी और डी और ई तथा विनियम 17 से 27 और विनियमन 46 (2) के खंड (बी) से (I) में निर्धारण के अनुसार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की जांच की है ।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा परीक्षण उक्त विनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह कंपनी की के वित्तीय विवरणों के न ही लेखा परीक्षा है और न ही मत व्यक्त करता है ।

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों, दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के आधार पर किए गए अभिलेखों की जांच से मेरे निष्कर्षों के आधार पर, और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण वारंट किया गया, मेरी राय में, कंपनी ने सेबी एलओडीआर और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था, जैसा कि सेबी एलओडीआर के विनियमन 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है।

(ख) कंपनी के मंडल में स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि सेबी एलओडीआर के विनियमन 17(1)(ए) के तहत आवश्यक है।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, सेबी एलओडीआर के विनियम 18(1) के अंतर्गत, कंपनी 27 दिसंबर 2024 से निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन करने में असमर्थ है। हालाँकि, कंपनी के पास 26 दिसंबर 2024 तक लेखा परीक्षा समिति का उचित गठन था।

(घ) वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, सेबी एलओडीआर के विनियम 19(1) के अंतर्गत, कंपनी 11 दिसंबर 2024 से निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करने में असमर्थ है। हालाँकि, कंपनी के पास 10 दिसंबर 2024 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का उचित गठन था।

(ङ) सेबी एलओडीआर अर्थात उप-विनियम 17(4), विनियम 18(3) में प्रदान की गई कुछ निगमित शासन आवश्यकताएं, अनुसूची II के भाग सी पैरा ए और विनियम 19(4) के साथ पठित अनुसूची II के भाग डी पैरा ए के साथ पठित कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है ।

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान के अनुपालन में निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को प्रदान की गई छूट के मद्देनजर, कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (10) का अनुपालन नहीं किया है। जिसके लिए सेबी एलओडीआर विनियम 25 (4) और संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और निदेशक मंडल के प्रदर्शन की समीक्षा की आवश्यकता होती है।

मैं यह भी कहती हूं कि कंपनी रक्षा मंत्रालय ("एमओडी") के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार के पास हैं। कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को समय-समय पर रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

मैं आगे कहती हूं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन के रूप में हैं और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके माध्यम से प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते **माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन: F005126G000909227

दिनांक: 01 अगस्त, 2025
स्थान: कोलकाता

अनुलग्नक IV

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
कोलकाता

मंडल के प्रिय सदस्यों,

हम, कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री रमेश कुमार दाश, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित करते हैं कि:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिय हमने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (कंपनी) के नकदी प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हम अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि:

   (i) इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से असत्य विवरण नहीं है या किसी भी तात्विक तथ्य को छोड़ा गया या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

   (ii) ये विवरण कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानक, लागू विधि और विनियमों के अनुपालन में हैं ।

2. हम सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जिससे धोखाधड़ी, गैर-कानूनी या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन होता हैं ।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं । हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमारी जानकारी के अनुसार इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में यदि कोई कमी पाई गई हो, तो उसे लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. हमने लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि :

   (i) संदर्भित वर्ष के दौरान तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है;

   (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया हैं, और उक्त में परिवर्तन होने पर का खुलासा वित्तीय विवरण के नोट्स में किया गया है; तथा

   (iii) हमारी जानकारी के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के दौरान कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्राणाली में किसी प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी नहीं हुई हैं, जिसमें प्रबंधन या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

कोलकाता
13 मई, 2025

हस्ता/-
रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ
डीआईएन : 08511344

हस्ता/-
कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08591411

व्यावसायिक ज़िम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

अनुभाग ए: सामान्य खुलासे

I. सूचीबद्ध यूनिट का विवरण

1.	**सूचीबद्ध यूनिट की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)।**	:	L35111WB1934GOI007891
2.	**सूचीबद्ध यूनिट का नाम**	:	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
3.	**निगमन का वर्ष**	:	26 फरवरी 1934
4.	**पंजीकृत कार्यालय पता**	:	जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024
5.	**निगमित पता**	:	जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024
6.	**ईमेल**	:	co.sec@grse.co.in
7.	**दूरभाष**	:	033-2469 8101
8.	**वेबसाइट**	:	www.grse.in
9.	**वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की गई है**	:	2024-25
10.	**स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं**	:	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) 2. बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
11.	**प्रदत्त पूंजी**	:	₹1,14,55,20,000
12.	**बीआरएसआर रिपोर्ट के संबंध में कोई जिज्ञासा होने पर उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफ़ोन, ईमेल पता) जिससे संपर्क किया जा सके**	:	श्री संदीप महापात्र (कंपनी सचिव), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, जीआरएसई भवन , 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता 700024, टेलीफोन: 033-2469 8545 ई-मेल: co.sec@grse.co.in
13.	**रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर (यानी यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)।**	:	स्टैंडअलोन आधार
14.	**आश्वासन प्रदाता के नाम**	:	लागू नहीं
15.	**प्राप्त आश्वासन के प्रकार**	:	लागू नहीं

II. उत्पाद और सेवाएं

16. व्यवसाय गतिविधियाँ का विवरण (टर्नओवर का 90%):

क्रम संख्या	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यवसाय गतिविधि का विवरण	यूनिट के कारोबार का %
01.	उत्पादन	(i) पोत निर्माण	93.81%
		(ii) इंजीनियरिंग	2.95%
		(iii) डीजल इंजन	1.00%
02.	सेवा	(iv) पोत की मरम्मत	2.24%

17. यूनिट द्वारा बेची गईं उत्पाद/सेवाएं (यूनिट के टर्नओवर का 90%):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कारोबार का % योगदान
01.	पोत निर्माण	301	93.81%
02.	इंजीनियरिंग	281	2.95%
03.	डीजल इंजन	711	1.00%
04.	पोत की मरम्मत	331	2.24%

III. प्रचालन

18. स्थानों की संख्या जहाँ संयंत्र और/या प्रचालन /कार्यालय का यूनिट स्थित हैं:

स्थान	संयंत्र की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	7 (सात)	6 (छ:)	13 (तेरह)
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

19. यूनिट द्वारा सेवित बाज़ार :

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	हमारे उत्पाद की पहुँच रक्षा बलों के माध्यम से पूरे भारतीय क्षेत्र तक है ।
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	लगभग 11 देश

ख. यूनिट के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का क्या योगदान है ?

1.45%

ग. ग्राहक के प्रकार का संक्षिप्त

जीआरएसई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों को रक्षा और नागरिक संचालन के लिए आपूर्ति करता है। कंपनी की अधिकांश आपूर्ति भारतीय रक्षा सेवाओं, अर्थात् भारतीय नौसेना (आईएन), भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी), भारतीय सेना (आईए), और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को की जाती है। इसके अतिरिक्त, जीआरएसई केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), राज्य लोक निर्माण विभागों (राज्य पीडब्ल्यूडी), और राज्य सरकार निकायों जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भी सेवाएँ प्रदान करता है।

IV. कार्मिक

20. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवरण : 2024-25

क. कार्मिक और कर्मी (दिव्यांग सहित):

क्रं. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	593	541	91.23	52	8.77
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ई)	116	105	90.52	11	9.48
3.	**कुल कार्मिक (डी + ई)**	**709**	**646**	**91.11**	**63**	**8.89**
कर्मी						
4.	स्थायी (एफ)	930	906	97.42	24	2.58
5.	स्थायी के अतिरिक्त (जी)	46	46	100	0	0
6.	**कुल कर्मी (एफ + जी)**	**976**	**952**	**97.54**	**24**	**2.46**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कर्मी:

क्रं. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)
दिव्यांग कार्मिक						
1.	स्थायी (डी)	14	13	92.86	1	7.14
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ई)	1	1	100	0	0
3.	**कुल दिव्यांग कार्मिक (डी + ई)**	**15**	**14**	**93.33**	**1**	**6.67**
दिव्यांग कर्मी						
4.	स्थायी (एफ)	34	32	94.12	2	5.88
5.	स्थायी के अतिरिक्त (जी)	4	4	100	0	0
6.	**कुल दिव्यांग कर्मी (एफ + जी)**	**38**	**36**	**94.74**	**2**	**5.26**

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)
निदेशक मण्डल	6	1	16.67
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	1	0	0

22. स्थायी कार्मिकों और कर्मियों के लिए टर्नओवर दर

(गत 03वर्षों के ट्रेंड्स का खुलासा करें)

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कार्मिक	1.50 %	1.90%	1.50 %	3.20 %	3.92%	3.30 %	2.60 %	0	2.60 %
स्थायी कर्मी	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. धारित, सहायक और संबंद्ध कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (ए) धारित/सहायक/संबंद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यमों का नाम

क्र सं.	धारित/सहायक/संबंद्ध कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों का नाम	क्या धारित/ सहायक/संबंद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यम है, इंगित करें	सूचीबद्ध यूनिट द्वारा रखे गए शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित यूनिट , सूचीबद्ध यूनिट के व्यवसाय उत्तरदायित्व में भाग लेता है ? (हाँ/नहीं)
01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: **हाँ**

क. कारोबार - ₹5,07,568.77 लाख

ख. निवल मूल्य - ₹2,07,926.24 लाख

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/फरियाद:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा और सेबी स्कोर प्लेटफॉर्म, एनएसई, बीएसई और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से प्राप्त निवेशक शिकायतों/शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर समाधान किया गया है।

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ (www.pgportal.gov.in)	17	3	इन शिकायतों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।	19	6	इन शिकायतों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	नहीं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
शेयरधारकों	हाँ*	5	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ (शिकायतें ईमेल या पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसलिए, कोई वेब लिंक उपलब्ध नहीं है)	0	0	सेवा संबंधी मामले	1	1	सेवा संबंधी मामले
ग्राहकों	हाँ**	0	0	ग्राहकों के साथ संरचित बैठक में मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है और इसमें भाग लिया गया है।	0	0	ग्राहकों के साथ संरचित बैठक में मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है और इसमें भाग लिया गया है।
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ (कोई वेब लिंक उपलब्ध नहीं)	-	-	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

* शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों को कंपनी द्वारा सीधे और आरटीए के सहयोग से संभाला जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी के पास सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी है। इसलिए, कोई वेब लिंक नहीं है ।

** जीआरएसई रक्षा ग्राहकों से संबंधित है और इसलिए सभी संचार ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार गोपनीय मोड के माध्यम से होता है, अतः कोई वेब लिंक नहीं है।.

26. यूनिट के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्रम संख्या.	पहचान गए भौतिक मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1.	पर्यावरणीय पदचिह्न - जल प्रबंधन	जोखिम	रीसाइक्लिंग से संबंधित मौजूदा और उभरते नियमों का अनजाने में अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप आर्थिक दंड और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है	अपशिष्ट उत्पादन में कमी, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को अधिकतम करना।	नकारात्मक
2.	विनियामक अनुपालन	जोखिम	विनियामक अनुपालन का उल्लंघन करने पर अक्सर जुर्माना और जुर्माने सहित कानूनी सजा दी जाती है	1. पारदर्शिता और अनुपालन पर ध्यान देने के साथ एक मजबूत नैतिक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण 2. अनुपालन-संबंधी जोखिमों के संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन करना	नकारात्मक

क्रम संख्या.	पहचान गए भौतिक मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
3.	निगमित प्रशासन - बोर्ड संरचना	जोखिम	जीआरएसई एक सीपीएसई है, निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और कंपनी का अधिनियम/नियम/विनियम के तहत निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर रिक्ति को भरने पर कोई नियंत्रण नहीं है, ताकि इसका अनुपालन किया जा सके।	कंपनी समय पर निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय के साथ अग्रिम कार्रवाई कर रही है।	नकारात्मक
4.	सतत आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग	अवसर	हरित, स्थानीय और सामाजिक रूप से सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना स्थानीय रोजगार पैदा करने के साथ-साथ स्थिरता और विविधता में योगदान कर सकता है	लागू नहीं	सकारात्मक
5.	मानव पूंजी विकास	अवसर	कर्मचारी/प्रतिभा विकास और प्रतिधारण में निवेश से उत्पादकता और नवाचार में सुधार होता है।	लागू नहीं	सकारात्मक
6.	सकारात्मक श्रम प्रथाएँ	अवसर	कार्यस्थल और औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने से उत्पादकता और संगठनात्मक सामंजस्य में सुधार होता है।	लागू नहीं	सकारात्मक
7.	स्वास्थ्य और संरक्षा	जोखिम	स्वास्थ्य और संरक्षा किसी भी व्यवसाय के प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। जोखिम मूल्यांकन उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय करने के लिए आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खतरे और जोखिम कर्मचारियों और श्रमिकों को नुकसान न पहुँचाएँ।	वरिष्ठ स्तर पर प्रशिक्षण / जागरूकता / तकनीकी उन्नयन / समीक्षा	नकारात्मक
8.	अपशिष्ट प्रबंधन	अवसर	अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और संसाधन दक्षता बढ़ाने का अवसर।	लागू नहीं	सकारात्मक

अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1.	क. क्या आपकी यूनिट की नीति/ नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती है। (हाँ नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. यदि उपलब्ध हो तो नीतियों का वेब लिंक	नीतियां कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/policies/ और कंपनी के इंट्रानेट पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।								
2.	क्या यूनिट ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हाँ नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हाँ नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4. आपकी यूनिट द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानकों (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम	सेबी विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधान	आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015, आईएसओ 45001: 2018	आईएसओ 45001: 2018 और डीपीई दिशानिर्देश	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी	डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी	आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2018	डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देश	आईएसओ 9001: 2015 और एसडीजी
5. परिभाषित समयसीमा के साथ यूनिट द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो।	वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय, गैर-वित्तीय लक्ष्यों और अनुपालन मापदंडों के लिए 100 अंकों के वेटेज के साथ जीआरएसई और रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध यूनिट का प्रदर्शन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।	वर्ष 2024-25 के लिए एमओयू का मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन पूरा होने पर, इसे आगे के मूल्यांकन और रेटिंग देने के लिए एमओडी/डीपीई को प्रस्तुत किया जाएगा।								

7. **शासन, नेतृत्व और निरीक्षण**

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का बयान, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है *(सूचीबद्ध यूनिट के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)*

जीआरएसई में, स्थिरता हमारे परिचालन सिद्धांतों में गहराई से समाहित है। वर्षों से, हमने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ठोस और तरल अपशिष्ट दोनों के ज़िम्मेदार उपचार और निपटान, और जल के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए निवेश किया है।

हमने विभिन्न प्रक्रिया सुधारों को लागू किया है और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों, धुआँ निस्सारक यंत्रों, चिलर/एयर कंडीशनिंग प्रणालियों और ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटिंग की स्थापना की दिशा में काम किया है, जिससे परिचालन दक्षता और पर्यावरण अनुपालन में वृद्धि हुई है।

सामाजिक मोर्चे पर, हम मानवाधिकारों की रक्षा, मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देने और अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों के स्वास्थ्य और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शासन के मोर्चे पर, एक सीपीएसई के रूप में, हम स्थानीय और राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित लागू नियमों, विनियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करते हैं और शासन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हमारे पास मज़बूत शासन तंत्र हैं। हमारा मज़बूत शासन ढाँचा संचालन के सभी क्षेत्रों में जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करता है।

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीति) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।

डीआईएन नंबर	10205285
नाम	डीआइजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)
पद का नाम	निदेशक (कार्मिक)
टेलीफ़ोन नंबर।	033-24691040
ईमेल आईडी	dp@grse.co.in

9. क्या यूनिट के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। — हाँ । प्रबंधन समिति ।

10. **कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:**

	समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	उपरोक्त नीतियों के विरूद्ध निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई	निदेशक									नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की जाती है और जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक अद्यतन किए जाते हैं।								
	सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार*	निदेशक									जब भी आवश्यकता हो ।								

* स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अंतर्गत निदेशक मंडल की संरचना और उसकी समिति के गठन को छोड़कर, अनुपालन किया गया। चूँकि कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से की जाती है। तदनुसार, निदेशकों के नामांकन और रिक्त पदों को भरने के लिए मामला प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को भेज दिया गया है। यह वर्तमान में विचाराधीन है।

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
11.	क्या यूनिट ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है? (हाँ नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं.	कोई बाहरी मूल्यांकन नहीं किया गया, हालांकि, नीतियां, प्रक्रियाएं और अनुपालन आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षकों, नियामकों, संसदीय समितियों, प्रशासनिक मंत्रालय आदि द्वारा जांच/समीक्षा के अधीन हैं। नीतियों को समय-समय पर संबंधित विभाग और व्यवसाय प्रमुखों द्वारा प्रबंधन और/या कंपनी के बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन के साथ देखा और अद्यतन किया जाता है।								
12.	यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर «नहीं» है अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाना चाहिए:									
	संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	चूंकि कंपनी ने सभी नौ सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाई हैं, इसलिए लागू नहीं है।								
	यूनिट उस स्तर पर नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हाँ/नहीं)									
	यूनिट के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
	इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

अनुभाग सी: सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक यूनिट द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है , नेतृत्व संकेतकों का खुलासा स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1:

व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	1	निगमित प्रशासन, वित्त, जोखिम प्रबंधन, रणनीतिक प्रबंधन, आदि।	25
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2	ईएसजी और शासन नीति	100
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	107	कर्मचारियों के कल्याण, सीडीए, संरक्षा, पर्यावरण और स्थिरता आदि से संबंधित प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम।	31.47
कर्मी	40	प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ज्ञान/कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।	51.54

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (यूनिट द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है (नोट: यूनिट सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और यूनिट की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी:

	मुद्रा				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रू में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है (हाँ/नहीं)
दंड/जुर्माना	1	एनएसई* बीएसई*	25,87,740 25,87,740	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित सेबी (एलओडीआर विनियम), 2015 के विनियम 17(1) का अनुपालन नहीं कर सकी। यह गैर-अनुपालन भारत सरकार द्वारा एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण हुआ। परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा समिति (27 दिसंबर 2024 से) और नामांकन एवं पारिश्रमिक (11 दिसंबर 2024 से) का गठन 31 मार्च 2015 तक नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18(1) और 19(1)/19(2) का अनुपालन नहीं हो सका। एक सीपीएसई के रूप में, कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ऐसी नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से की जाती हैं। यह मामला हमारे प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है तथा वर्तमान में विचाराधीन है।	Yes
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

गैर -मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है (हाँ/नहीं)
कैद होना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदा अपील/संशोधन का विवरण जहाँ मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

मामले का विवरण	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") की धारा 17(1) का अनुपालन न करने के कारण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मौद्रिक दंड लगाया गया, जो कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशकों सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता से उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 18(1) और 19(1)/19(2) के अनुसार लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करने में भी असमर्थ रही। विशेष रूप से, कंपनी के पास 11 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक विधिवत गठित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और 27 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लेखा परीक्षा समिति नहीं थी। एक सीपीएसई होने के नाते, कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, जो राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से भारत सरकार का विशेषाधिकार है। यह मामला प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है और वर्तमान में विचाराधीन है। नियुक्तियों में देरी और परिणामस्वरूप अनुपालन न होना कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। जुर्माना नोटिस के जवाब में, कंपनी ने 22 अगस्त 2024, 22 नवंबर 2024, 18 मार्च 2025 और 30 मई 2025 के पत्रों के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को तिमाही-वार जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें जुर्माने में छूट का अनुरोध किया गया। हालाँकि, सेबी के एसओपी के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे अनुरोधों पर तब तक विचार करने में असमर्थ हैं जब तक कि अंतर्निहित गैर-अनुपालन का अनुपालन/समाधान नहीं हो जाता।	एनएसई और बीएसई

4. **क्या संस्था के पास संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है और यदि उपलब्ध हो,तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ। कंपनी व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर अपने घटकों के कार्यों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालन करने में विश्वास करती है। इस उद्देश्य से, कंपनी ने आचार संहिता अपनाई है, जो कंपनी और उसके कर्मचारियों के कार्यों का मार्गदर्शन और संचालन करने वाले सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है। इसके अनुरूप, कंपनी में एक व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की गई है, जो कर्मचारियों को संहिता के संभावित उल्लंघनों की रिपोर्ट सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को करने की व्यवस्था प्रदान करती है। नीति का वेब लिंक https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Whistle-Blower-Policy-1.pdf है।

इसके अलावा, खरीद और अनुबंध प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, जीआरएसई ने ₹200 लाख और उससे अधिक मूल्य के सभी ऑर्डर/अनुबंधों के लिए सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा संधि (इंटीग्रिटी पैक्ट) को अपनाया है। यह सत्यनिष्ठा संधि बोलीदाताओं को समय-समय पर जारी की जाने वाली उच्च मूल्य की निविदाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे को स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (आईईएम) के समक्ष उठाने में सक्षम बनाती है। आईईएम की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा की जाती है, जो सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

5. **ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:**

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
निदेशक	शून्य	शून्य
के.एम.पी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कर्मी	शून्य	शून्य

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:**

	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

वित्तीय वर्ष के दौरान जीआरएसई पर भ्रष्टाचार और हितों के टकराव से संबंधित मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक संस्थाओं द्वारा कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई नहीं की गई।

8. **देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:**

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
देय खातों के दिनों की संख्या	90	107

9. **व्यापार का खुलापन:**

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर		मैट्रिक्स	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
खरीदारी का संकेन्द्रण	1.	कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	शून्य*	शून्य*
	2.	व्यापारिक घरानों की संख्या जहाँ से खरीदारी की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	3.	व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से की गई खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री का संकेन्द्रण	1.	कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री	शून्य	शून्य
	2.	डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	3.	डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
आरपीटी का हिस्सा	1.	खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद / कुल खरीद)	शून्य	शून्य
	2.	बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)	शून्य	शून्य
	3.	ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण एवं अग्रिम)	शून्य	शून्य
	4.	निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल किया गया निवेश)	शून्य	शून्य

*जीआरएसई सामग्री की खरीद योग्य आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से की जाती है, अर्थात, सीधे ओईएम या उनके अधिकृत वितरक/स्टॉकिस्ट के माध्यम से।

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम:**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)।
शून्य	लागू नहीं	शून्य

2. **क्या यूनिट के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।**

हाँ, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव को प्रबंधित करने और उनसे बचने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। निदेशक पद, समिति के पदों और शेयरधारिता से संबंधित प्रकटीकरण/घोषणाएँ बोर्ड सदस्यों से नियुक्ति के समय और उसके बाद हर साल प्राप्त की जाती हैं।

संबंधित पक्षों या संभावित रूप से इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से जुड़े किसी भी लेन-देन में प्रवेश करने से पहले, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिन निदेशकों को किसी भी एजेंडा मद में रुचि रखने वाला निदेशक माना जाता है, वे बोर्ड/समिति की बैठकों में ऐसे मामलों पर चर्चा या मतदान में भाग लेने से परहेज करते हैं।

सिद्धांत 2:

व्यवसाय को ऐसे तरीके से सामान और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक

1. **यूनिट द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।**

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कैपेक्स	2.34%	4.68%	हरित ऊर्जा में सुधार

2. (ए) **क्या यूनिट के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं?**

   हाँ। कंपनी भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति का पालन करती है,जिसके तहत आपूर्ति में न्यूनतम 20% स्थानीय सामग्री का उपयोग अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, यदि बोलीदाताओं में कोई एमएसएमई शामिल है, तो क्रय वरीयता मार्जिन शर्तों के अधीन, उन्हें निविदा माला की 25% खरीद के लिए विचार किया जाएगा। 25% लक्ष्य में से 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित है।

   सभी बोलीदाताओं को एक आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है जो नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है और रिश्वतखोरी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है। इसके अलावा,₹2 करोड़ मूल्य की खरीद के लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।.

   (बी) **यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गये थे?**

   यद्यपि सभी विक्रेताओं के लिए सतत सोर्सिंग मानकों का औपचारिक अनुपालन अनिवार्य नहीं है, फिर भी कई आपूर्तिकर्ताओं ने स्वेच्छा से इन प्रथाओं को अपनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल खरीद मूल्य का 74% उन आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों से प्राप्त किया गया जिन्होंने सतत प्रथाओं को लागू किया है।

3. (ए) **प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

   जीआरएसई मुख्य रूप से युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, जहाज इंजन और अन्य सहायक उपकरण जैसे पूंजीगत सामान बनाती है, जिनका परिचालन जीवन लंबा होता है, अक्सर 25 वर्ष से भी अधिक। ये उत्पाद सामरिक और राष्ट्रीय संरक्षा के लिए हैं और बिक्री के बाद कंपनी को वापस नहीं किए जाते।

   अपने जीवनकाल के अंत में, इन उत्पादों को आमतौर पर पुन: उपयोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है और संबंधित स्वामियों द्वारा कबाड़ के रूप में निपटाया जाता है। इस प्रकार, कंपनी इन वस्तुओं के पुनर्ग्रहण या निपटान प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती है।

4. **क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) यूनिट की गतिविधियों पर लागू है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें।**

   ईपीआर जीआरएसई की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या यूनिट ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

एनआईसी कोड	उत्पाद का नाम /सेवा	% का कुल कारोबार योगदान	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन संचालित किया गया	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया (हाँ नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम का उल्लेख किया गया (हाँ नहीं) यदि हाँ, तो वेब -लिंक प्रदान करें ।
लागू नहीं – कंपनी मुख्य रूप से पोत बनाती है, जो दीर्घकालिक पूंजीगत वस्तुएँ हैं। एक बार डिलीवरी के बाद, ये उत्पाद कंपनी को वापस नहीं आते, इसलिए जीवन चक्र आकलन (एलसीए) नहीं किया जाता।					

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो कार्रवाई के साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें। उसी को कम करने के लिए लिया गया।**

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	कार्रवाई की
शून्य		

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
	शून्य	शून्य

कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाओं से एक निश्चित मात्रा में धातु स्क्रैप उत्पन्न होता है। अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय किए जाते हैं। स्क्रैप के एक हिस्से का आंतरिक रूप से पुन: उपयोग किया जाता है, जबकि शेष का निपटान एक निर्धारित और अनुमोदित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

4. **उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुन: उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में):**

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	पुन: उपयोग किए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से उतारू	पुन: उपयोग किए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से उतारू
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
ई-कचरा	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
खतरनाक अपशिष्ट	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
अन्य अपशिष्ट	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

जीआरएसई एक बी2बी वातावरण में काम करता है और युद्धपोतों और संबंधित प्रणालियों जैसे पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करता है, जिनकी सेवा अवधि लंबी होती है (आमतौर पर 25 वर्ष से अधिक)। उत्पादों की प्रकृति और उनके उपयोग के कारण, उनके जीवन-चक्र के अंत में ग्राहक से उत्पादों या पैकेजिंग सामग्री को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

उत्पाद श्रेणी बताएं	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों का %
	लागू नहीं

पोत निर्माण, पोत मरम्मत और कंपनी के अन्य उत्पादों के मामले में पैकेजिंग का कोई उपयोग नहीं है। इसके अलावा, एक बार बिक जाने के बाद, उत्पाद कंपनी के पास वापस नहीं आएंगे।

सिद्धांत 3

व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **(ए) कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:**

वर्ग	कुल (ए)	द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा(*)		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	541	-	-	-	-	-	-	15	2.77	-	-
महिला	52	-	-	-	-	2	3.85	-	-	-	-
कुल	**593**	-	-	-	-	2	0.34	**15**	**2.53**	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	105	-	-	-	-	-	-	2	1.90	-	-
महिला	11	-	-	-	-	1	9.09	-	-	-	-
कुल	**116**	-	-	-	-	**1**	**0.86**	**2**	**1.72**	-	-

(बी) श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

वर्ग	कुल (ए)	द्वारा कवर किए गए श्रमिकों का %									
		स्वास्थ्य बीमा (*)		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष	906	-	-	-	-	-	-	3	0.33	-	-
महिला	24	-	-	-	-	1	4.17	-	-	-	-
कुल	**930**	-	-	-	-	**1**	**0.11**	**3**	**0.32**	-	-
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य											
पुरुष	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**46**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) कंपनी के मेडिकल अटेंडेंस नियमों के तहत कंपनी द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा का प्रबंधन किया जाता है।

(सी) निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.64%	0.93%

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

फ़ायदे	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	% के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिक	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/एनए)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/एनए)
पीएफ	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ग्रेच्युटी	100	100	लागू नहीं	100	100	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य - (जीआरएसई पेंशन योजना)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी:

(i) चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान कंपनी की यूनिटों में स्थापित कंपनी औद्योगिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा रखा जाता है। विशेष उपचार के लिए, कर्मचारियों/श्रमिकों को सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजा जाता है। चूँकि स्थायी कर्मचारियों/श्रमिकों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान कंपनी द्वारा रखा जाता है, इसलिए कोई अलग से स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया जाता है।

(ii) भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सेवानिवृत्ति लाभ के भाग के रूप में जीआरएसई पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किया जाता है।

(iii) ईएसआई प्रावधान लागू नहीं हैं, क्योंकि जीआरएसई द्वारा सभी कर्मचारियों को पहले से ही समान या बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार यूनिट के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या यूनिट द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

हाँ। जीआरएसई के सभी कार्यालय परिसर और यूनिटों दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं। कंपनी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी ढाँचे की पहुँच में सुधार लाने और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

4. क्या यूनिट के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, पॉलिसी का वेब लिंक https://www.grse.in/equal-opportunity-policy/ है।

5. **पैरेंटल अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें।**

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
लिंग	कार्य दर पर लौटें	अवधारण दर	कार्य दर पर लौटें	अवधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	100%	100%	100%	100%

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हाँ
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	हाँ
कर्मचारी	हाँ
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	हाँ

जीआरएसई निवारण प्रणाली सहित कई ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किए हैं । ये प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों और श्रमिकों को व्यवस्थित रूप से अपनी समस्याएँ उठाने, प्रतिक्रिया देने और कंपनी के साथ एक संरचित और पारदर्शी तरीके से अपनी राय/विचार साझा करने में सक्षम बनाते हैं।

7. **सूचीबद्ध यूनिट द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:**

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
वर्ग	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों / श्रमिकों (ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)	% (बी/ए)	कुल कर्मचारी / संबंधित श्रेणी के श्रमिक (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	% (डी/ सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	**593**	**443**	**74.70**	**580**	**438**	**75.52**
▪ पुरुष	541	407	75.23	529	402	75.99
▪ महिला	52	36	69.23	51	36	70.59
कुल स्थायी श्रमिक	**930**	**930**	**100.00**	**993**	**993**	**100.00**
▪ पुरुष	906	906	100.00	965	965	100.00
▪ महिला	24	24	100.00	28	28	100.00

8. **कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25					वित्त वर्ष 2023-24				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और संरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और संरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)		सं. (इ)	% (ई/डी)	सं. (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	646	240	37.15	426	65.94	593	91	15.35	441	74.37
महिला	63	31	49.21	45	71.43	58	11	18.97	49	84.48
कुल	**709**	**271**	**38.22**	**471**	**66.43**	**651**	**102**	**15.67**	**490**	**75.27**
श्रमिक										
पुरुष	952	236	24.79	132	13.87	966	309	31.99	187	19.36
महिला	24	7	29.17	1	4.17	28	8	28.57	3	10.71
कुल	**976**	**243**	**24.90**	**133**	**13.63**	**994**	**317**	**31.89**	**190**	**19.11**

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल (ए)	सं. (बी)	%(बी / ए)	कुल (सी)	सं. (डी)	%(डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	646	646	100.00	593	593	100.00
महिला	63	31	49.21	58	58	100.00
कुल	**709**	**271**	**95.49**	**651**	**651**	**100.00**
श्रमिक						
पुरुष	952	236	24.79	966	966	100.00
महिला	24	7	29.71	28	28	100.00
कुल	**976**	**243**	**24.90**	**994**	**994**	**100.00**

10. स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए. क्या यूनिट द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं) ।यदि हाँ, ऐसी प्रणाली की कवरेज?

हाँ। जीआरएसई ने अपनी सभी यूनिटों में एक व्यापक व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) लागू की है, जो लागू मानकों के अनुसार आईएसओ प्रमाणित हैं।

कंपनी कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और संरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं से भी बढ़कर है। स्वास्थ्य और संरक्षा जीआरएसई के सभी कार्यों का अभिन्न अंग हैं, और कार्यस्थल से संबंधित बीमारियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

ओएचएसएमएस सक्रिय जोखिम मूल्यांकन, निवारक उपायों के कार्यान्वयन और सभी प्रासंगिक नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुगम बनाता है। आंतरिक और निगरानी लेखापरीक्षा और मूल्यांकन नियमित आधार पर किए जाते हैं, जिससे संरक्षा मानकों और प्रदर्शन में निरंतर सुधार होता है।

बी. कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

कंपनी कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और उनसे जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए, नियमित और गैर-नियमित, दोनों ही स्तरों पर, एक संरचित दृष्टिकोण अपनाती है। प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

(i) खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन

(ii) पहलू और प्रभाव रजिस्टर

(iii) सूची जांचें

(iv) संरक्षा निरीक्षण/टिप्पणियाँ

(v) ड्राइव एवं अभियान

(vi) संरक्षा लेखापरीक्षा

(vii) कार्य क्षेत्र की निगरानी

सी. क्या कंपनी के पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रिया है? (हाँ नहीं)

हाँ

डी. क्या कंपनी के कर्मचारियों/कर्मचारियों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हाँ नहीं)

हाँ

11. संरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

संरक्षा घटना I संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
खोए हुए समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति काम किए गए घंटे)	कर्मचारी	2.72	1.24
	श्रमिक (ठेकेदार)	0.29	0.66
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	07	03
	श्रमिक (ठेकेदार)	03	06
मरने वालों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक (ठेकेदार)	शून्य	01
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक (ठेकेदार)	शून्य	शून्य

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए यूनिट द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कंपनी ने सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए हैं:

(i) उचित वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, मशीन गार्ड और निकास प्रणाली सहित पर्याप्त कार्यस्थल बुनियादी ढांचे का प्रावधान।

(ii) बुनियादी सुविधाएं, जैसे सुरक्षित पेयजल, विश्राम कक्ष और समर्पित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ।

(iii) सभी प्रासंगिक कार्य गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत संरक्षा उपकरणों की आपूर्ति और प्रवर्तन।

(iv) जागरूकता और प्रशिक्षण पहल, जिसमें संरक्षा संकेत, एहतियाती बोर्ड का प्रदर्शन, तथा अग्नि, संरक्षा, स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा पर नियमित प्रशिक्षण शामिल हैं।

(v) कार्य परमिट प्रणालियों का कार्यान्वयन, जिसमें उच्च जोखिम वाली गतिविधियां जैसे ऊंचाई पर काम करना, गर्म कार्य और ब्लास्टिंग/पेंटिंग कार्य शामिल हैं।

(vi) स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच ।

(vii) संरक्षा दिवस का उत्सव, जिसमें संरक्षा बैनर, संरक्षा बैज का वितरण, संरक्षा शपथ लेना और संरक्षा जागरूकता पोस्टर प्रदर्शित करना आदि शामिल है।

(viii) कार्यस्थल पर संरक्षा जागरूकता और संरक्षा संस्कृति के लिए कर्मचारियों के लिए ‹व्यवहार आधारित संरक्षा ‹ प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
स्वास्थ्य और संरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन (संस्था या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा) किया गया
स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाएँ	100
काम करने की स्थिति	100

वर्ष 2024-25 के दौरान, डीएनवी लेखापरीक्षक द्वारा एमपीवी परियोजना के लिए डीएनवी बिल्डर्स रिव्यू के दौरान एचएसई संरक्षा लेखापरीक्षा किया गया।

15. संरक्षा -संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

(i) सभी संरक्षा संबंधी घटनाओं की गहन जाँच की जाती है, और सुधारात्मक कार्रवाइयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संगठन भर में महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जाता है। इन सुधारात्मक उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन बाद में संरक्षा लेखापरीक्षा के दौरान किया जाता है।

(ii) मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और «ठेकेदारों के संरक्षा दिशानिर्देश» की समीक्षा की जाती है और घटना की प्रकृति और संबंधित विशिष्ट परिचालन क्षेत्र के आधार पर उन्हें अद्यतन किया जाता है।

(iii) स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम/चिंताओं को निम्नलिखित जोखिम नियंत्रण पदानुक्रम के माध्यम से संबोधित किया जाता है, अर्थात उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण (प्रौद्योगिकी/डिजिटलीकरण आदि का उपयोग), प्रशासनिक नियंत्रण (संरक्षा क्षमता निर्माण, निगरानी और पर्यवेक्षण, दृश्य प्रदर्शन आदि) और पीपीई का उपयोग।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या संस्था (ए) कर्मचारियों (हाँ /नहीं) (बी) श्रमिकों (हाँ /नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई मुआवजा पैकेज प्रदान करती है।**

क.	कर्मचारी	हाँ
ख.	श्रमिक	हाँ

2. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि की कटौती और जमा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए यूनिट द्वारा किए गए उपायों को उपलब्ध कराएं ।**

मूल्य श्रृंखला भागीदारों के बिलों का निपटान, बिलों के साथ प्रस्तुत जमा/प्रेषण चालानों का सत्यापन करके संबंधित प्राधिकारियों को लागू वैधानिक बकाया राशि का प्रेषण सुनिश्चित करने के बाद किया जाता है।

3. **ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:**

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कर्मचारी	0	0	0	0
श्रमिक	2	1	2	1

नोट: सभी मामलों में परिवार के सदस्यों को संविदा के तहत उपयुक्त रोजगार पर रखा गया है ।

4. **क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ नहीं)**

नहीं ।

5. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

श्रम कानूनों और अधिनियमों के दायरे में काम करते हैं , जिसके कारण केंद्र और राज्य श्रम विभाग, मूल्य श्रृंखला भागीदारों के परिसरों में स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों से संबंधित आवधिक निरीक्षण करते हैं। इन निरीक्षणों के दौरान पहचानी गई किसी भी कमी को संबंधित भागीदारों द्वारा नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से दूर किया जाता है।

	मूल्य शृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाएँ	शून्य
काम करने की स्थिति	शून्य

6. **मूल्य श्रृंखला साझेदारों के स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

यह लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वर्तमान में अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए कोई मूल्यांकन नहीं करती है।

सिद्धांत 4

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

जीआरएसई के पास अपने प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने और उनके साथ जुड़ने के लिए एक सुस्पष्ट प्रणाली है। हितधारक जुड़ाव एक सतत और अभिन्न प्रक्रिया है जिसके तहत कंपनी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करती है ताकि उनकी अपेक्षाओं को समझा जा सके और साझा मूल्य सृजन हेतु आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ विश्वास, पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही के आधार पर मज़बूत और रचनात्मक संबंध बनाए हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले मामलों पर नियमित प्रतिक्रिया तंत्र सहित निरंतर दो-तरफ़ा संचार प्रक्रिया ने जीआरएसई को स्थायी हितधारक संबंध विकसित करने में सक्षम बनाया है।

प्रमुख हितधारकों में ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, शेयरधारक, सरकारी प्राधिकरण, नियामक और वैधानिक निकाय, लेखा परीक्षक, बैंकर और कंपनी की परिचालन यूनिटों और प्रभागों के आसपास के स्थानीय समुदाय शामिल

2. **आपकी संस्था के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कार्यव्यस्तता की आवृत्ति बताएं।**

हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में की गई है (हाँ/नहीं)	संचार (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), के चैनल अन्य	कार्यव्यस्तता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	कार्यव्यस्तता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
ग्राहकों	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें, वेबसाइट आदि।	नियमित रूप से	ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी आवश्यकता, शिकायतों का समाधान, व्यावसायिक पूछताछ आदि का मूल्यांकन ।
निवेशक/ शेयरधारक	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, पत्र, बैठकें, प्रेस विज्ञप्तियां, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण, वार्षिक रिपोर्ट, निवेशक बैठकें, निवेशक कॉल आदि।	नियुक्ति त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर और जब भी कार्यक्रम होता है तब की जाती है।	सभी आयोजनों के लिए शेयरधारकों की मंजूरी, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक शिकायतों और प्रकटीकरणों का समाधान आवश्यक है।
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, नोटिस बोर्ड, ई-न्यूज़लैटर, पत्रिका, घटनाओं पर सी एंड एमडी का संदेश, शॉप काउंसिल, प्लांट काउंसिल, पोर्टल (आस्क अन्वेषा), पुरस्कार और मान्यता, पारिवारिक गतिविधि कार्यक्रम ‹ अहोबन ‹ के माध्यम से जुड़ाव, आदि।	साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और कभी-कभी	कंपनी की गतिविधियों, मजबूत कर्मचारी जुड़ाव, मान्यता और पुरस्कार, मजबूत संगठन संस्कृति का निर्माण, नेतृत्व विकास, यूनियन जुड़ाव पर जानकारी।
विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, जीआरएसई वेबसाइट, विक्रेता बैठक आदि।	नियमित रूप से	विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को इसके बारे में जागरूक करना: • सार्वजनिक खरीद नीति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) • आयात प्रतिस्थापन • जेम पोर्टल पर जारी निविदाओं में भाग लेना • जीआरएसई के शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करना और उन पर नज़र रखना। • जीआरएसई गुणवत्ता उद्देश्य
उद्योग निकाय, नियामक	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें	जब भी आवश्यकता हो	लागू कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें
विशेषज्ञ / शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान	नहीं	पारस्परिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर सहयोगात्मक आवश्यकता-आधारित कार्यकलाप, केस आधारित बैठकें।	आवश्यकता आधार	ग्राहक की आवश्यकता और विनियामक आवश्यकताओं के साथ तकनीकी, प्रबंधकीय और नेतृत्व संरेखण सुनिश्चित करना
सरकार; गैर सरकारी संगठन; स्थानीय समुदाय; मीडिया. उद्योग विश्लेषक, समाज	नहीं	आवश्यकतानुसार: शासन आरएफआई/आरएफपी; प्रस्तुतियाँ, परियोजना बैठकें, समीक्षाएँ, उचित परिश्रम, कॉल और बैठकें, सम्मेलन और सेमिनार, सर्वेक्षण, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन; मीडिया साक्षात्कार और उद्धरण, प्रायोजित कार्यक्रम, विश्लेषक बैठक	मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जब भी आवश्यकता हो।	• जीआरएसई प्रदर्शन और रणनीति के बारे में बताएं; • सार्वजनिक और व्यावसायिक चिंताओं के बारे में जानकारी साझा करें और योगदान करें; • जिम्मेदार व्यावसायिक मुद्दों पर जीआरएसई की प्रतिक्रिया पर चर्चा करें।

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

   जीआरएसई अपने हितधारकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने में दृढ़ता से विश्वास करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा नेतृत्व विभिन्न मंचों के माध्यम से हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक, पर्यावरणीय या सामाजिक विषयों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल किया जाए। इस जुड़ाव को सुगम बनाने के लिए, जीआरएसई ने प्रमुख चिंता के क्षेत्रों के लिए समर्पित कई समितियाँ स्थापित की हैं:

   - संरक्षा, स्वास्थ्य और स्थिरता (एसएचएस) समिति संरक्षा , स्वास्थ्य और टिकाऊ मुद्दों पर हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और कंपनी की प्रासंगिक नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।
   - निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, सीएसआर नीतियों के निर्माण और बोर्ड को उनकी सिफ़ारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप सीएसआर बजट आवंटन, गतिविधियों और व्यय की सावधानीपूर्वक निगरानी करती है।
   - हितधारकों की संबंध समिति को लाभांश भुगतान, संरक्षा धारकों और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के प्रदर्शन से संबंधित वैधानिक अनुपालन और सेवाओं का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है, जिससे हमारी बातचीत में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।

   शेयरधारकों की भागीदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह मंच हमें अपने हितधारकों की बदलती ज़रूरतों और चिंताओं के प्रति सजग रहने का अवसर देता है, जिससे उनके हितों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी बने रहने की हमारी प्रतिबद्धता और भी मज़बूत होती है।

2. **क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।**

   हाँ। निगमित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रयासों में सुधार के क्षेत्रों की पहचान के लिए हितधारकों से परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है। हितधारकों ने जीआरएसई के विभिन्न पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रयासों, जैसे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशीकरण, आयात प्रतिस्थापन उपकरणों का विकास, सौर ऊर्जा का संवर्धन एवं उपयोग, महिला कर्मचारियों का सशक्तिकरण, आदि को अपना समर्थन प्रदान किया है।

   जीआरएसई की परिचालन सीमाओं के बाहर सीएसआर परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के मामले में, स्थानीय समुदायों, नियामक निकायों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया जाता है। उनकी प्रतिक्रिया प्रभावी संसाधन आवंटन में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि शुरू की गई पहल अधिकतम प्रभाव और सामाजिक मूल्य प्रदान करें।

3. **कमजोर/हाशिये पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों और की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।**

   कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनी की कार्रवाई में निम्नलिखित कुछ कार्यक्रम शामिल हैं:

   क) समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शारीरिक रूप से दिव्यांगो के लिए नियुक्ति में आरक्षण।

   ख) सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कंपनी ने निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की हैं:

      i. बेरोजगार युवाओं को कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण
      ii. पिछड़े क्षेत्र के आईटीआई को अपनाना।
      iii. भारतीय मस्तिष्क पक्षाघात संस्थान (आईआईसीपी), कोलकाता की कक्षाओं का समर्थन करके दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना।
      iv. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम
      v. क्राई के सहयोग से कमजोर बच्चों को अध्ययन, सीखने और बढ़ने के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना।

   ग) एमएसएमई को परियोजना निविदा में प्राथमिकता दी गई है, तथा महिला स्वामित्व वाली और एससी/एसटी स्वामित्व वाली एमएसएमई को खरीद का एक निर्धारित हिस्सा दिया गया है।

सिद्धांत 5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और संस्था की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (बी)	% (बी ० ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	593	173	29.17	580	152	26.21
स्थायी के अलावा अन्य	116	50	43.10	71	20	28.17
कुल कर्मचारी	**709**	**223**	**31.45**	**651**	**172**	**26.42**
श्रमिक						
स्थायी	930	10	1.08	993	4	0.40
स्थायी के अलावा अन्य	46	0	0.00	1	0	0.00
कुल श्रमिक	**976**	**10**	**1.02**	**994**	**4**	**0.40**

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25					2023-24				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं.	%	सं.	%		सं.	%	सं.	%
कर्मचारी										
स्थायी	**593**	-		**593**	**100**	**580**	-		**580**	**100**
▪ पुरुष	541	-		541	100	529	-		529	100
▪ महिला	52	-		52	100	51	-		51	100
स्थायी के अलावा अन्य	**116**	-		**116**	**100**	**71**	-		**71**	**100**
▪ पुरुष	105	-		105	100	64	-		64	100
▪ महिला	11	-		11	100	7	-		7	100
श्रमिक										
स्थायी	**930**	-		**930**	**100**	**993**	-		**993**	**100**
▪ पुरुष	906	-		906	100	965	-		965	100
▪ महिला	24	-		24	100	28	-		28	100
स्थायी के अलावा अन्य	**46**	-		**46**	**100**	**1**	-		**1**	**100**
▪ पुरुष	46	-		46	100	1	-		1	100
▪ महिला	0	-		0	0	0	-		0	0

3. **निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण**

क) औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी औसत (लाख रू. में)	संख्या	संबंधित श्रेणी का पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी औसत(लाख रू. में)
निदेशक मंडल (बीओडी)				
▪ कार्यात्मक निदेशक	4	77.78	0	लागू नहीं
▪ सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	शून्य	1	शून्य
▪ स्वतंत्र निदेशक	1	लागू नहीं	0	
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	43.50	0	0
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी:				
अधिकारियों	506	22.67	39	23.44
पर्यवेक्षकों	177	8.42	28	10.76
श्रमिकों	1009	16.24	28	12.74

टिप्पणी:

(i) 31.03.2025 को निदेशक मंडल और केएमपी पर विचार किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) और 17(2) के अनुसार वेतन और अनुलाभ के आधार पर औसत वेतन निकाला गया।

(ii) निदेशक मंडल और केएमपी का पारिश्रमिक विवरण निगमित गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, जो वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 का हिस्सा है।

(iii) सरकार द्वारा नामित निदेशक को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

(iv) स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड और आईटी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त होता है।

ख) संस्था द्वारा महिलाओं को दी गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में सकल मजदूरी, निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	4.76%	4.89%

4. **क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ नहीं)**

हाँ, मानव संसाधन विभाग के प्रमुख एक केन्द्र बिन्दु है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसमें योगदान किए गए मानव अधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार हैं ।

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।**

कंपनी में मानवाधिकार मुद्दों के निवारण के लिए कोई अलग तंत्र मौजूद नहीं है। हालाँकि, सेवा-संबंधी मामलों और अन्य मुद्दों पर कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने के लिए शिकायत तंत्र काम कर रहा है।

कंपनी व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत रिपोर्ट करने वाले या जांच में भाग लेने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव, प्रतिशोध या उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। व्हिसल ब्लोअर नीति, आचार संहिता और शिकायत नीति शिकायतकर्ता की पहचान की रक्षा करने और जांच के प्रत्येक चरण के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता रखती है। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न से उत्पन्न मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है, कार्य समिति काम करने की स्थिति, संरक्षा मुद्दों आदि से संबंधित शिकायतों से निपटती है और शिकायत निवारण नीति कर्मचारी शिकायतों की रिपोर्ट करने और उन्हें हल करने के लिए तंत्र प्रदान करती है।

कंपनी में जाति, पंथ, लिंग, धर्म, भाषा, शारीरिक विशेषताओं, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सेवा संबंधी मामलों और अन्य मुद्दों पर कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित समितियाँ मौजूद हैं : -

क) कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण समिति

ख) लोक शिकायत का निपटारा लोक शिकायत अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के परामर्श से किया जाता है।

ग) यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन ।

घ) सामान्य मुद्दों पर विचार करने के लिए कर्मचारी संपर्क समिति

ङ) महिला कर्मचारियों के लिए कर्मचारी संपर्क समिति

च) व्हिसल ब्लोअर तंत्र, व्हिसल ब्लोअर को किसी भी उत्पीड़न / उत्पीड़न से बचाने के लिए है ।

6. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
वेतन	6	2	जिसमें 2023 की 01 लंबित शिकायत का 2024 के दौरान समाधान शामिल है	3	3	शिकायतों को वीत्त वर्ष 2024-25 तक आगे बढ़ाया गया है
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अन्य	शून्य	शून्य	-	3	0	-

7. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:**

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	0	0
महिला कर्मचारी/ श्रमिक	87	86
पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों की शिकायतों का प्रतिशत	0	0
पीओएसएच पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

जीआरएसई में यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए एक उचित व्यवस्था है। जीआरएसई में एक समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली भी है, जिसके अंतर्गत शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। विस्तृत जाँच की जाती है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।

9. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ नहीं)**

हाँ, मानवाधिकार की आवश्यकता व्यावसायिक समझौते या अनुबंध का हिस्सा बनती है। जीआरएसई और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंध में बाल श्रम, न्यूनतम मजदूरी आदि जैसे मानवाधिकार आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खंड शामिल हैं।

10. **वर्ष के लिए आकलन:**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरण या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100
यौन उत्पीड़न	100
कार्यस्थल पर भेदभाव	100
वेतन	100

जीआरएसई मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी संयंत्रों और कार्यालयों का व्यापक मूल्यांकन करता है। आंतरिक टीमें प्रत्येक सुविधा का कठोर मूल्यांकन करती हैं, जो किसी भी उल्लंघन की पहचान करने और उसे सुधारने के लिए डिज़ाइन किए गए मजबूत जांच और नियंत्रण द्वारा समर्थित है। इनका मूल्यांकन कंपनी की वरिष्ठ नेतृत्व टीम द्वारा नियमित रूप से चल रही समीक्षाओं के हिस्से के रूप में किया जाता है।

इसके अलावा, सभी जीआरएसई यूनिटों का समय-समय पर केंद्रीय और राज्य श्रम विभागों, पीएफ और ईएसआई विभागों और अन्य सरकारी संस्थानों या विभागों द्वारा प्रासंगिक कानून/अधिनियम/क़ानून से संबंधित अनुपालन और खामियों की पहचान के लिए निरीक्षण किया जाता है।

11. **उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें?**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने अपने परिचालनों की पूरी लगन से निगरानी की और कोई महत्वपूर्ण जोखिम या चिंता नहीं पाई। हालाँकि, जिम्मेदार निगमित प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हम अपनी गतिविधियों की निरंतर निगरानी के माध्यम से सतर्क दृष्टिकोण बनाए रखते हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकार शिकायतों/शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

   शून्य. कंपनी को 2024-25 के दौरान मानवाधिकार सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के संबंध में कोई शिकायत/शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

2. **आयोजित किसी भी मानवाधिकार संबंधी परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण।**

   सभी स्थान वैधानिक प्रावधानों का 100% अनुपालन बनाए रखते हैं। इसकी विधिवत रिपोर्टिंग भी क़ानून के अनुसार संबंधित सरकारी कार्यालयों को की जाती है। इसके लिए उचित परिश्रम को समय-समय पर आंतरिक निरीक्षण के माध्यम से भी विनियमित किया जाता है।

3. **क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

   हाँ

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

   जीआरएसई ने मानवाधिकार मानदंडों पर अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन नहीं किया क्योंकि ये संस्थाएं श्रम संबंधी कानूनों/अधिनियमों/क़ानूनों के अंतर्गत आती हैं और संबंधित सरकारी विभाग/संस्था द्वारा मूल्यांकन या निरीक्षण किया जाता है।

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   लागू नहीं

सिद्धांत 6

व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	9,087 जीजे	6,537 जीजे
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
ऊर्जा खपत (सी)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	9,087 जीजे	6,537 जीजे
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (डी)	37,916 जीजे	31,703 जीजे
कुल ईंधन खपत (ई)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (एफ)	शून्य	शून्य
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	37,916 जीजे	31,703 जीजे
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	47,003 जीजे	38,240 जीजे
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालन से राजस्व)	9.26 जीजे / करोड़	10.64 जीजे / करोड़
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	191.31 जीजे / करोड़	219.91 जीजे / करोड़
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	0	0
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक यूनिट द्वारा चुना जा सकता है	0	0

परिचालन से राजस्व (करोड़ रु .) : वित्त वर्ष 2024-25: 5,075.69 और वित्त वर्ष 2023-24: 3,592.64

राजस्व समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के प्रयोजन के लिए, विश्व बैंक के अनुसार रूपांतरण कारक @20.66 आईएनआर/यूएसडी पर विचार किया गया है।

(पीपीपी हेतु सोर्स- https://www.imf.org/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMDC)

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है ? यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। - नहीं

2. **क्या यूनिट के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

लागू नहीं

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	3,06,600	2,92,000
(ii) भूजल	3,31,007	3,07,560
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	5,41,036	4,09,211
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	**11,78,643**	**10,08,771**
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	**11,78,643**	**10,08,771**
जल तीव्रता प्रति रुपया कारोबार के अनुसार (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व)	**232.21 केएल/ करोड़**	**280.79 केएल / करोड़**
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार में जल तीव्रता (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व, पीपीपी के लिए समायोजित)	**4,797.46 केएल/ करोड़**	**5,801.12 केएल/ करोड़**
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता	**0**	**0**
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक यूनिट द्वारा चुना जा सकता है	0	0

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम - जी नहीं

4. **छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	2,050	41,834
(ii) भूजल के लिए		
▪ कोई उपचारनहीं	22,300	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल को		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(v) अन्य		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	24,350	41,834

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

5. **क्या यूनिट ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

हाँ। अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार के लिए हमारे उत्पादन स्थानों पर ईटीपी (10 केएलडी क्षमता तक) और सोक पिट स्थापित किए गए हैं। ईटीपी से उपचारित पानी का उपयोग बागवानी और अन्य गैर-पोर्टेबल उपयोगों के लिए किया जाता है।

6. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में यूनिट द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
एनओएक्स	-	लागू नहीं	लागू नहीं
एसओएक्स	-	लागू नहीं	लागू नहीं
कणिकीय पदार्थ (पीएम)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। - लागू नहीं

7. **निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2, सीएच4 , एन2 ओ, एचएफ़सीएस, पीएफ़सीएस, एसएफ़6 , एनएफ़3 में विभाजन , यदि उपलब्ध हो)	*सीओ2 समतुल्य मीट्रिक टन*	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2 , सीएच4 , एन2ओ, एचएफ़सीएस, पीएफ़सीएस, एसएफ़6 , एनएफ़3 में विभाजन , यदि उपलब्ध हो)	*सीओ2 समतुल्य मीट्रिक टन*	7,972 टन प्रति वर्ष	6,305 टन प्रति वर्ष
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	-	1.571	1.755
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार के लिए कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	-	32.46	36.26
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	-	-	-
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक यूनिट द्वारा चुना जा सकता है	-	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

8. **क्या यूनिट के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

हाँ। कंपनी विभिन्न ऊर्जा संरक्षण पहलों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सक्रिय रूप से समाधान कर रही है। इस संबंध में एक प्रमुख कदम मेन, एफओजे, टीयू, 61 पार्क और आरबीडी सहित कई यूनिटों में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना है।

आज तक, कंपनी ने 2.80 मेगावाट (2800 किलोवाट पावर) की संचयी क्षमता वाले रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को चालू किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इन संयंत्रों ने सामूहिक रूप से 25,24,166 किलोवाट घंटा बिजली उत्पन्न की, जिसमें से 74,364 किलोवाट घंटा सीईएससी ग्रिड को निर्यात की गई।

19,10,794 किलोग्राम सीओ$_2$ {केडब्ल्यूएच x 0.757 (अर्थात उत्सर्जन कारक) = किलोग्राम सीओ2} की अनुमानित कमी आई ।

9. **यूनिट द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (ए)	0	0
ई-कचरा (बी)	1.71	0
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	0	0
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)	0	2900
बैटरी बर्बादी (ई)	0	0
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)	पेंट ड्रम, इंसुलेशन, एलेक्ट्रोड – 119.82 केबल – 6 ग्रीस – 1.29	केबल – 11 गंदा तेल – 16
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (रचना के आधार पर विभाजन अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर)	0	0
कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	**128.82**	**2927**
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व)	**0.025** एमटी / करोड़	**0.82** एमटी / करोड़
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	**0.52** एमटी / करोड़	**16.94** एमटी / करोड़
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	**0**	**0**
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक यूनिट द्वारा चुना जा सकता है	**0**	**0**
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया जाना	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	**0**	**0**
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	905	900
कुल	**905**	**900**

* 38 पुराने एयर कंडीशनरों का निपटान किया गया, जिनमें से प्रत्येक का औसत वजन लगभग 45 किलोग्राम था।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

10. **आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

विभिन्न उत्पादन यूनिटों ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी आंदोलन) नियम, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण की दिशा में विभिन्न उपाय किए हैं। 1981), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल अधिनियम 1974 (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), आदि। सभी इकाइयाँ आईएसओ 14001 प्रमाणित हैं और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करती हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित अनुसार सभी उत्सर्जन और अपशिष्ट उत्पादन की निगरानी की जाती है।

हमारी विनिर्माण गतिविधि में, अपशिष्ट उत्पादन में कमी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जाता है और धातु शीट को काटने के लिए हमारी नेस्टिंग योजना इस पहलू का ध्यान रखने के लिए बनाई जाती है। जीआरएसई में, पुनर्विक्रय मूल्य वाले ठोस अपशिष्ट/स्क्रैप को एकत्र किया गया, अलग किया गया, संग्रहीत किया गया और बेचा गया।

यूनिटों में उत्पन्न होने वाले खतरनाक कचरे का निपटान नियामक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

कंपनी, अपने संचालन के हिस्से के रूप में, पुराने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम (आईटी) और संचार सिस्टम से ई-कचरा उत्पन्न करती है, जिसे उनके जीवन की समाप्ति या क्षति के बाद निपटाने की आवश्यकता होती है। उत्पन्न और एकत्र किए गए ई-कचरे को निर्दिष्ट क्षेत्रों (कवर के तहत) में संग्रहीत किया जाता है और अधिकृत डिस्मेंटलर्स / रिसाइक्लर्स / रिफर्बिशर्स के माध्यम से निपटान के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से नीलाम किया जाता है।

11. यदि यूनिट के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आस-पास संचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	संचालन/कार्यालय के स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तो क्या करें?
जीआरएसई का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में/आसपास कोई परिचालन/कार्यालय नहीं है।			

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर यूनिट द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हाँ/नहीं)	उपयुक्त वेब संपर्क
लागू नहीं। हमारे किसी भी स्थान पर ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की आवश्यकता हो।					

13. क्या यूनिट भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (Y/N)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

क्रम सं.	कानून निर्दिष्ट करें / विनियमन / दिशानिर्देश जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन के विवरण प्रदान करें	कोई जुर्माना / दंड / नियामक द्वारा की गई कार्रवाई प्रदूषण जैसी एजेंसियां नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय द्वारा	सुधारात्मक कार्रवाई की गई, यदि कोई
लागू नहीं				

जी हाँ, जीआरएसई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम – गार्डन रीच, कोलकाता

(ii) परिचालन की प्रकृति – पोत निर्माण

(iii) जल निकासी, खपत और निर्वहन निम्नलिखित प्रारूप में:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) ऊपरी तह का पानी	3,06,600	2,92,000
(ii) भूजल	3,31,007	3,07,560
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	5,41,036	4,09,211
(iv) समुद्री जल/ अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	11,78,643	10,08,771
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	11,78,643	10,08,771
प्रति रुपया कारोबार में जल तीव्रता (पानी की खपत/ कारोबार)	**232.21 केएल/ करोड़**	**280.79 केएल/ करोड़**
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक यूनिट द्वारा चुना जा सकता है	-	-
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) सतही जल के लिए		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	2,050	41,834
(ii) भूजल के लिए		
▪ कोई उपचारनहीं	22,300	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल को		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(v) अन्य		
▪ कोई उपचार नहीं	0	0
▪ उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	24,350	41,834

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम – नहीं

2. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन एवं इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	यूनिट	2024-25	2023-24
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफ़सीएस, पीएफ़सीएस, एसएफ़6, एनएफ़3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	0	0	0
प्रति रुपए टर्नओवर पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	0	0	0
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक यूनिट द्वारा चुना जा सकता है	0	0	0

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

3. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में सूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर यूनिट के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ प्रदान करें।**

लागू नहीं ।

4. **यदि यूनिट ने संसाधन दक्षता में सुधार करने या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:**

एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में, संगठन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को स्वीकार करता है। वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए, जीआरएसई अपने उत्पादों और सेवाओं के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे ग्राहकों को उत्पाद के जीवन चक्र में कम पर्यावरणीय पदचिह्नों के साथ एक स्थायी तरीके से बिजली उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जा सके।

आंतरिक परिचालन में भी, संगठन ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर एक बड़ा जोर दे रहा है। कंपनी ने विभिन्न जीआरएसई स्थानों पर सौर फोटो वोल्टेइक (रूफ टॉप) संयंत्रों की कुल 2.80 मेगावाट यूनिट स्थापित की है, जिसने कंपनी को ऊर्जा मिश्रण को और अधिक टिकाऊ बनाने में मदद की है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने जल और ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं, वनरोपण अभियान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र संसाधन अनुकूलन सहित कई पर्यावरणीय पहल की हैं। इन प्रयासों का सामूहिक उद्देश्य परिचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।

क्र. सं.	पहल की गई	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम

5. **क्या यूनिट के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।**

हाँ। व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन से संबंधित जोखिमों को कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के अंतर्गत संबोधित किया जाता है, जो परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करने और संभावित व्यवधानों पर समय पर प्रतिक्रिया देने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है। इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यह व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन ढाँचे का हिस्सा है। जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/policies पर उपलब्ध है।

6. **यूनिट की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में यूनिट द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।**

कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

7. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।**

शून्य। मूल्य श्रृंखला भागीदारों का उनके संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव के लिए स्वयं मूल्यांकन किया गया।

8. **कितने हरित क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं?**

क. सूचीबद्ध इकाई द्वारा: लागू नहीं

ख. शीर्ष दस (क्रमश: खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य शृंखला भागीदारों द्वारा: शून्य

सिद्धांत 7

व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **(क) व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।**

कंपनी ने आठ (08) व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ निगमित सदस्यता ली है।

(ख) शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो यूनिट सदस्य/संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)	राष्ट्रीय
2	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
3	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
4	बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई)	राज्य
5	रक्षा प्रौद्योगिकीविदों का समाज (एसओडीईटी)	राष्ट्रीय
6	इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन (आईएसबीए)	राष्ट्रीय
7	सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम)	राष्ट्रीय
8	भारतीय समुद्री केंद्र (आईएमसी)	राष्ट्रीय

2. **नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर यूनिट द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

जीआरएसई पर नियामक अधिकारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का कोई उदाहरण नहीं उठाया गया।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
शून्य		

नेतृत्व संकेतक

1. **यूनिट द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:**

जीआरएसई विभिन्न व्यापार और उद्योग संघों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकार और नियामक निकायों के समक्ष उद्योग प्रतिनिधित्व भी शामिल है। कंपनी व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, पारदर्शी, ज़िम्मेदार और रचनात्मक तरीके से नीतिगत वकालत में भाग लेती है।

क्र. सं.	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की वकालत के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हाँ/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
शून्य					

सिद्धांत 8

व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए:

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर यूनिट द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित है (हाँ नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संप्रेषित (हाँ/नहीं)	उपयुक्त वेब लिंक
शून्य					

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी यूनिट द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:**

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एवं आर चल रहा है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर एवं आर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
शून्य						

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।**

शिकायतें लोक शिकायत पोर्टल (www.pgportal.gov.in) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं । इसके अतिरिक्त, कंपनी के सीएसआर विभाग के पास अपनी सभी सीएसआर परियोजनाओं में सामुदायिक फीडबैक तंत्र है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति/समूह इस वार्षिक अभ्यास के माध्यम से या आवश्यकतानुसार अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकता है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट)।**

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	73.83% (लगभग)	73.74% (लगभग)
भारत के अंदर से सीधे प्राप्त	0	0

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कार्यों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें**

स्थान	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
ग्रामीण	-	-
अर्ध शहरी	-	-
शहरी	-	-
महानगर	100%	100%

(स्थान को आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा - ग्रामीण / अर्ध-शहरी / शहरी / महानगरीय)

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों में से प्रश्न 1):**

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
लागू नहीं	

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी यूनिट द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (रू में)
1	झारखंड	रांची	79.50 लाख
2	झारखंड	खूंटी	15.52 लाख

3. (क) **क्या आपके पास कोई तरजीही खरीद नीति है जहाँ आप हाशिए पर मौजूद/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ नहीं)**

हाँ

(ख) आप किन हाशिये पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

सामाजिक श्रेणी (एससी/एसटी) महिलाओं के स्वामित्व वाली कंपनियाँ

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
एमएसई से की गई कुल खरीद	73.83%	73.74%
सामाजिक श्रेणी (एससी/एसटी) उद्यमियों से खरीद	3.11%	1.69 %
महिला उद्यमियों से खरीद	6.19%	5.51 %

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी यूनिट के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):**

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहण (हाँ नहीं)	साझा लाभ (हाँ/नहीं)	लाभ अंश की गणना का आधार
1	शून्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
	शून्य	

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
I	पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी गांवों के लगभग 750 वंचित बच्चों का समग्र विकास	लगभग 750	100
ii	जीआरएसई मेडिकल सेल द्वारा राजाबागान (कोलकाता), नाओरा (दक्षिण 24 परगना) और अग्रहाटी (उत्तर 24 परगना) में मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर	8,177	लागू नहीं
iii	टीबी निक्षय मित्र - जीआरएसई मेडिकल सेल द्वारा एमडीआर टीबी रोगियों को सहायता प्रदान की गई	157	100
iv	जीआरएसई मेडिकल सेल द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान	लागू नहीं	लागू नहीं
v	जीआरएसई मेडिकल सेल द्वारा 02 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए	लगभग 150	50
vi	जीआरएसई मेडिकल सेल द्वारा स्थानीय श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण (चिकित्सा जांच)	5,343	लागू नहीं
vii	तुपुदाना , रांची, झारखंड (रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ की एक यूनिट) स्थित रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम को चिकित्सा उपकरण	लागू नहीं	100
viii	पुरुलिया , पश्चिम बंगाल स्थित कुष्ठ मिशन अस्पताल (टीएलएमटीआई की एक यूनिट) को चिकित्सा उपकरण	लागू नहीं	100
ix	शारदा मिशन मातृ को चिकित्सा उपकरण भवन अस्पताल, कोलकाता (रामकृष्ण शारदा मिशन की एक यूनिट)	लागू नहीं	लागू नहीं
x	बागबाजार के सहयोग से युवाओं को रोजगारोन्मुखी चिकित्सा प्रशिक्षण (फ्लेबोटोमी - 60 प्रशिक्षु और जनरल ड्यूटी सहायक - 30 प्रशिक्षु)	90	100
xi	प्रोजेक्ट आकांक्षा - चाइल्ड राइट्स एंड यू (सीआरवाई) के सहयोग से कोलकाता के हेस्टिंग्स और खिदिरपुर में 300 कमजोर बच्चों का समग्र विकास	300	100

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
xii	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन - पश्चिम बंगाल शाखा के सहयोग से 10 महीनों तक 20 स्कूलों में शौचालयों आदि की दैनिक सफाई और रखरखाव	25,841	100
xiii	भारतीय मस्तिष्क पक्षाघात संस्थान, कोलकाता की 06 कक्षाओं और प्रारंभिक हस्तक्षेप क्लिनिक को अपनाना	80	लागू नहीं
xiv	14 नग उपलब्ध कराये गये। चट्टू मशीन एवं 07 नग. परिचय फाउंडेशन के सहयोग से बालीपाड़ा , दाधा ग्राम पंचायत, ओडिशा में एक स्वयं सहायता समूह को वजन मापने की मशीन	14	लागू नहीं
xv	बागबाजार के सहयोग से युवाओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण (फील्ड तकनीशियन - 30, कंप्यूटर ऑपरेटर - 90 और सिलाई मशीन ऑपरेटर - 30)	150	100
xvi	02 नग का निर्माण। रामकृष्ण मिशन आश्रम , मोरहाबादी , रांची के सहयोग से माल्यादा (खूंटी) और महेशपुर (रांची) में सामुदायिक शौचालय	150	लागू नहीं
xvii	टुमॉरोज़ फाउंडेशन के सहयोग से गार्डन रीच, कोलकाता और उसके आसपास के 130 स्कूली छात्रों को नौकरी-उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण	130	100
xviii	बांकुरा स्थित बिल एडगर मेमोरियल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (टीएलएमटीआई की एक यूनिट) को प्रशिक्षण उपकरण प्रदान किए गए।	100	100
xix	17 सितंबर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा 2024 का आयोजन किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं
xx	02 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान 4.0 का आयोजन किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं
xxi	रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्वच्छता 01 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक पखवाड़ा	लागू नहीं	लागू नहीं
xxii	सुंदरबन द्वीप पर 12000 मैंग्रोव पौधे रोपे गए और संदेशखली (उत्तर 24 परगना), सागर में 7000 फलदार वृक्ष पौधे रोपे गए/वितरित किए गए। द्वीप (दक्षिण 24 परगना), तुपुदाना (रांची)	लागू नहीं	लागू नहीं
xxiii	नियोजित प्रशिक्षुओं को वैधानिक आवश्यकता से अधिक वजीफा दिया जाता है	199	लागू नहीं

सिद्धांत 9

व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।**

   रक्षा बलों के पास मुद्दों को उठाने के लिए एक सुस्थापित, संरचित और समय-समय पर बैठकें होती हैं। कंपनी द्वारा इसका पालन एवं अनुपालन किया जा रहा है।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है:**

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, पोत इंजन और रणनीतिक/राष्ट्रीय संरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अन्य सहायक उपकरण हैं। अत: लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, पोत इंजन और रणनीतिक/राष्ट्रीय संरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अन्य सहायक उपकरण हैं। एक बार उत्पाद बिकने के बाद वे कंपनी के पास वापस नहीं आएंगे।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	2024-25		टिप्पणी	2023-24		टिप्पणी
	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
विज्ञापन देना	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
साइबर संरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अनुचित व्यापार आचरण	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अन्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

4. **संरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:**

	संख्या	वापस बुलाने का कारण
स्वैच्छिक स्मरण	शून्य	लागू नहीं
जबरन वापस बुलाना	शून्य	लागू नहीं

5. **क्या यूनिट के पास साइबर संरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ। यह नीति गोपनीय प्रकृति की है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर संरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की संरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई ।**

कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में कोई महत्वपूर्ण शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिसके लिए किसी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो।

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :**

क) डेटा उल्लंघनों की संख्या - शून्य

ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत – लागू नहीं

ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो - लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ यूनिट के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

जीआरएसई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी वेबसाइट - www.grse.in से प्राप्त की जा सकती है ।

2. **उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

अनुबंध संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार ग्राहकों को उपकरण/सिस्टम पर परिचालन मैनुअल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।**

कंपनी का मुख्य उत्पाद पोत है, जिसका उपयोग मुख्यतः भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। कंपनी ग्राहकों को जब भी ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होगी, सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. **क्या यूनिट उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी यूनिट ने यूनिट के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, यूनिट के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण यूनिट से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ नहीं)**

लागू नहीं। कंपनी के उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें प्रदर्शित/स्टेंसिल करने के लिए किसी मानक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्र, और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, तथा वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को कंपनी के मामलों की स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित लाभ, इक्विटी में बदलाव और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

मामले पर जोर:

हम वित्तीय विवरणों के नोट 48 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो परियोजनाओं पी17ए और एनजीओपीवी के संबंध में पूरा करने के लिए लागत के अनुमान में परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन करता है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। चालू वर्ष में हमने जिन प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की पहचान की है, वे इस प्रकार हैं:

मुख्य लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखा परीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया
1. पोत निर्माण अनुबंधों से राजस्व की मान्यता कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से पोत निर्माण से प्राप्त होता है। ऐसे अनुबंधों पर राजस्व समय के साथ पहचाना जाता है क्योंकि प्रदर्शन दायित्वों को समय के साथ पूरा किया जाता है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रदर्शन दायित्व से राजस्व को तभी पहचानती है जब वह दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को इनपुट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, अर्थात पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित वास्तविक लागतों की तुलना करके। जैसा कि वर्ष के दौरान, वित्तीय विवरणों के नोट 20 में बताया गया है,कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹4,44,852.57 लाख (₹3,06,918.46 लाख) के कुल परिचालन राजस्व में से पोत निर्माण से ₹5,07,568.77 लाख (₹3,59,264.23 लाख) कमाए हैं। यह क्षेत्र हमारी लेखापरीक्षा के लिए इस तथ्य के कारण महत्वपूर्ण था कि पूर्णता के चरण के निर्धारण और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि की दिशा में प्रगति के मापन तथा प्रत्येक अनुबंध को पूरा करने की लागत का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल होते हैं।	हमने राजस्व और लागत मान्यता प्रक्रिया पर कंपनी के नियंत्रण की समझ प्राप्त की ताकि प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन का आकलन किया जा सके। हमारी मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं • भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रबंधन के निष्पादन दायित्वों के आकलन का मूल्यांकन करने के लिए अनुबंधों और सेवा आदेशों की समीक्षा; • परियोजना टीमों द्वारा अनुमोदित लागत अनुमान अनुसूचियां प्राप्त करना और प्रतिबद्ध व्यय, बजटीय दरों और आज तक की वास्तविक लागतों के साक्ष्य पर सहमति जताते हुए लागतों को पूरा करने का सत्यापन करना; • संभावित डिलीवरी समय के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय परिसमाप्त क्षति के प्रबंधन के आकलन की पुष्टि करने के लिए पत्राचार की समीक्षा।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखा परीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया
2. इन्वेंट्री वर्ष के अंत तक कंपनी के पास ₹3,55,224.67 लाख (₹3,98,444.14 लाख) मूल्य का इन्वेंट्री है, वित्तीय विवरणों के नोट 9 का संदर्भ लें। उपरोक्त में ₹3,41,744.45 लाख (₹3,86,725.80) मूल्य के कच्चे माल और उपकरण शामिल हैं, जो ज्यादातर परियोजना विशिष्ट हैं। कंपनी इन इन्वेंट्री का विस्तृत मदवार रिकॉर्ड रखती है और इन्वेंट्री के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उन्हें परियोजनावार वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी इन्वेंट्री का नियमित भौतिक सत्यापन करती है, जिसमें ऐसी वस्तुओं की स्थिति और उपयोगिता का तकनीकी मूल्यांकन शामिल है और पहचान की गई अनुपयोगी/अप्रचलित वस्तुओं के लिए पुस्तकों में आवश्यक प्रावधान करती है। इन्वेंट्री के मूल्यांकन का आधार वित्तीय विवरणों के नोट 1.2(एच) में निर्धारित किया गया है। हमने इन्वेंट्री प्रबंधन को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है क्योंकि इन्वेंट्री कंपनी की परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, खरीद, जारी करने, खपत, इन्वेंट्री के लेखांकन, तकनीकी मूल्यांकन और भौतिक सत्यापन के माध्यम से अनुपयोगी, अप्रचलित वस्तुओं की पहचान की समय पर पहचान कंपनी की लाभप्रदता पर बड़ा प्रभाव डालती है।	हमारी इन्वेंट्री की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: • सामग्री की खरीद और जारी करने की मान्यता के लिए अपनाए जाने वाले आधार को समझना तथा यह सुनिश्चित करना कि ये सामान्य रूप से अपनाए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • वस्तुवार/अनुबंधवार इन्वेंट्री के रिकार्ड की समीक्षा। • प्रबंधन द्वारा किए गए इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन/तकनीकी मूल्यांकन पर रिपोर्ट की समीक्षा और उसके आधार पर पहचान की गई धीमी गति से चलने वाली/गैर-चलने वाली/अप्रचलित वस्तुओं के लिए वर्ष के अंत में प्रावधान की पर्याप्तता सुनिश्चित करना। हमने कंपनी की इन्वेंट्री प्रावधान नीति का गंभीरता से मूल्यांकन किया, जिसमें पुरानी इन्वेंट्री और उनकी मूवमेंट स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया; हमने इन्वेंट्री मदों के कुछ नमूनों के मूल्य का सत्यापन किया है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या उन्हें भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर रखा गया है।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है जिसमें सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, व्यवसाय जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में निहित अन्य जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इन रिपोर्टों को इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व है कि हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को उपलब्ध होने पर पढ़ें, तथा ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमें इस मामले की जानकारी शासन के प्रभारी लोगों को देनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करें और निष्पादित करें, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य विधि और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक "क"** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में जहां तक लागू हो, निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में, हम इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक "ख"** में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, भारतीय लेखा मानक 108 परिचालन खंडों के तहत प्रकटीकरण को छोड़कर, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, । कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना एस.ओ. संख्या 802 (ई) के माध्यम से रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को सेगमेंट रिपोर्टिंग के आवेदन से छूट दी है और इसलिए कंपनी द्वारा ऐसा कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

   (ड़) भारत सरकार के निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

   (च) कंपनी के निदेशकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के मद्देनजर लागू नहीं हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक "ग"** में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं, जिनके संबंध में देनदारियों का प्रावधान या तो आकस्मिक देनदारियों के रूप में किया गया है या उनका खुलासा किया गया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 29 देखें। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इन लंबित मुकदमों का प्रभाव उनके न्यायिक परिणाम के अधीन है;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित हानि थी, सिवाय गारंटी मरम्मत और बोझिल अनुबंध के, जिसके संबंध में कंपनी के पास पर्याप्त प्रावधान है - वित्तीय विवरणों में नोट 19 देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (यों) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने बताया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, विदेशी संस्थाओं ("वित्त पोषण पक्ष") सहित, कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि इस संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया जाता है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039E

हस्ता/-
(दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 061728
यूडीआईएन: 25061728BMOMXR4525

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 मई 2025

अनुलग्नक – क

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

(जैसा कि हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित है)

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

क) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

(बी) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने का कार्यक्रम है, ताकि हर तीन साल में एक बार सभी संपत्तियों को कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। तदनुसार, कंपनी के कुछ प्रभाग/यूनिट की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से सत्यापन किया गया। ऐसे सत्यापन में पाई गई विसंगतियां, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, को खातों में उचित रूप से निपटाया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ऐसे भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है;

ग) सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के स्वामित्व विलेख, बैलेंस शीट की तारीख पर कंपनी के नाम पर रखे गए हैं;

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii) क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री (तीसरे पक्ष के पास पड़ी हुई इन्वेंट्री को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे विचार से, इस तरह के सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया उचित है। भौतिक सत्यापन से उत्पन्न भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है। हालाँकि, इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं थी;

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कंपनी को फंड आधारित सुविधाओं के लिए 22,700 लाख रुपये और गैर- फंड आधारित सुविधाओं के लिए 88,56,600 लाख रुपये की मंजूरी मिली है। कंपनी द्वारा बैंकों के साथ दाखिल किए गए स्टॉक और बुक डेट के तिमाही रिटर्न कंपनी की खाता बहियों के अनुरूप हैं।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय विवरणों के नोट 6(ए) और 10(ए) में बताए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश के अलावा कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है। कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, या गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी द्वारा म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश कंपनी के हितों के लिए हानिकारक नहीं हैं। खंड के अन्य मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, जहाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा, 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, धारा 185 के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, यदि ऋण या ऋण में अग्रिम सरकार द्वारा पूर्व-अनुमोदित हैं; और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 रक्षा उत्पादन में लगी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने उस वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या कोई राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश या धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा लागत रिकॉर्ड बनाए रखना केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत पोतों के निर्माण, इंजीनियरिंग सामान और डीजल इंजन के विनिर्माण के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है। हमने इस तरह के लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है।

vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा हमारी पुस्तकों और खातों की जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। 31 मार्च, 2025 तक देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए उपरोक्त बकाया के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को जमा नहीं किए गए विवादित वैधानिक बकाए का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	सांविधि का नाम	बकाया का स्वरूप	वर्ष जिससे संबंधित हो	राशि (लाख रू.में)	फॉरम जहां विवाद लंबित है
1	पश्चिम बंगाल वैल्यू ऐडेड टैक्स अधिनियम, 2003	वर्धित मूल्य कर	2007-08	506.83	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2008-09	1624.58	आयकर आयुक्त (अपील)
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2016-17	8.61	आयकर आयुक्त (अपील)
4	वस्तु एवं सेवा कर, 2017	वस्तु एवं सेवा कर	2017-18	103.85	अपर आयुक्त, एलटीयू, निगमित प्रभाग
कुल				2243.87	
ऊपर उल्लिखित राशियों में ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है, जो लंबित मामलों के अंतिम निपटान पर देय हो सकता है।					

viii) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix) (क) कंपनी के पास बैंकों द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाएँ हैं (वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित दोनों सुविधाएँ)। कंपनी ने बैंक से अल्पावधि उधार लिया है। कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है;

(ख) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है;

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है, इसलिए जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किया गया था, उसके अलावा अन्य सावधि ऋण के आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है;

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चलता है कि, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है;

(ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति या कंपनी से उनके खाते में कोई धन लेना या उनके दायित्वों को पूरा करना या उनके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण लेना समस्या का विषय नहीं है। इस प्रकार, आदेश के खंड 3(ix)(ई) और (एफ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश का खंड 3(एक्स)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश का खंड 3(एक्स)(बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार-

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई;

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है;

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xii)(ए), (बी) और (सी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं तथा ऐसे लेन-देनों का विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विधिवत विचार किया है।

xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, इसलिए आदेश का खंड 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है;

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं;

(ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है;

(घ) कंपनी किसी ऐसे समूह से संबंधित नहीं है जिसके समूह में एक से अधिक सीआईसी शामिल हों।

xvii) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

xx) (क) चालू परियोजनाओं के अलावा, कंपनी के पास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अप्रयुक्त निधि नहीं है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है;

(ख) कंपनी के पास सीएसआर पर कोई चालू परियोजना नहीं है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं है, जो किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित की जानी आवश्यक है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

हस्ता/-
(दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 061728
यूडीआईएन: 25061728BMOMXR4525

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 मई 2025

अनुलग्नक "ख"

गार्डन रीच प बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(जैसा कि हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित है)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क्रम सं.	सवाल	जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एसएपी सिस्टम है। चूंकि आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसलिए खातों की अखंडता और आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित लेखांकन लेनदेन के वित्तीय निहितार्थों पर टिप्पणी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
2.	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन और ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। इसलिए, उपरोक्त कारणों से वित्तीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकारों और उसके अधीनस्थ अन्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त की जा सकती है? क्या एजेंसियों को दी गई राशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी योजना के लिए केन्द्र या किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेंसी से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए नियमों और शर्तों के अनुसार धनराशि की प्राप्ति और उसके उपयोग का लेखा-जोखा नहीं आता है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

हस्ता/-
(दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 061728
यूडीआईएन: 25061728BMOMXR4525

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 मई 2025

अनुलग्नक "ग"

गार्डन रीच प बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 तक **गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षा र के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

कृते गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

हस्ता/-
(दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 061728
यूडीआईएन: 25061728BMOMXR4525

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 मई 2025

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय- विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पिणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित है । ऐसा उल्लेख किया गया है कि यह कार्य उन्होने 13 मई 2025 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,कोलकाता** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है । यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है ।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या अनुपूरक की पेशकश करने के लिए आगे कोई टिप्पणी नहीं है ।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(राजेश रंजन)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(रक्षा-वाणिज्यिक)

बैंगलोर
दिनांक: 09 जुलाई 2025

तुलन पत्र 31 मार्च 2025 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

विवरण			नोट सं.	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
परिसंपत्ति					
(1)	**निवर्तमान परिसंपत्ति**				
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3		
	(i)	आरओयू के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		49,026.13	47,516.22
	(ii)	परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयू)		918.97	981.72
(ख)	चल रहे पंजीगत कार्य		4	2,122.93	1,161.86
(ग)	अमूर्त परिसंपत्ति		5	1,571.03	758.72
(घ)	विकासधीन अमूर्त परिसंपत्ति		4(a)	676.91	1,314.39
(ङ)	वित्तीय परिसंपत्ति				
	(i)	निवेश	6(a)	0.44	0.44
	(ii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	6(b)	9,427.33	9,016.45
(च)	निवर्तमान कर परिसंपत्ति		7	19,237.08	19,842.75
(छ)	अन्य निवर्तमान परिसंपत्ति		8	23.43	20.16
कुल निवर्तमान परिसंपत्ति				**83,004.25**	**80,612.71**
(2)	**वर्तमान परिसंपत्ति**				
(क)	वस्तुसूचियाँ		9	3,55,224.67	3,98,444.14
(ख)	वित्तीय परिसंपत्ति				
	(i)	ट्रेड प्राप्तियाँ	10(a)	25,945.77	19,420.70
	(ii)	नकद एवं नकद समतुल्य	10(b)	388.27	527.00
	(iii)	उपरोक्त (ii) के अतिरिक्त बैंक शेष	10(c)	3,72,797.13	3,71,506.84
	(iv)	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	10(d)	20,491.43	22,234.79
(ग)	अन्य वर्तमान परिसंपत्ति		11	1,77,566.62	1,32,428.74
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति			12	5.05	15.99
कुल वर्तमान परिसंपत्ति				**9,52,418.94**	**9,44,578.20**
कुल परिसंपत्ति				**10,35,423.19**	**10,25,190.91**
इक्विटी एवं देयताएँ					
इक्विटी					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी		13(a)	11,455.20	11,455.20
(ख)	अन्य इक्विटी		13(b)	1,96,471.04	1,55,888.69
कुल इक्विटी				**2,07,926.24**	**1,67,343.89**
देयताएँ					
(1)	**निवर्तमान देयताएँ**				
(क)	वित्तीय देयताएँ				
	(i)	लीज देयताएँ		762.08	828.84
	(ii)	ट्रेड देय	14		
		(क) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष		-	-
		(ख) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों के अलावा कुल बकाया शेष		771.19	783.56
(ख)	प्रावधान		15	9,409.56	9,201.35
(ग)	आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		16	1,629.36	1,398.39
कुल निवर्तमान देयताएँ				**12,572.19**	**12,212.14**
(2)	**वर्तमान देयताएँ**				
(क)	वित्तीय देयताएँ				
	(i)	कर्ज	17(a)	-	5,558.48
	(iक)	लीज देयताएँ		204.80	179.74
	(ii)	ट्रेड देय			
		(क) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष	17(b)	367.61	50.32
		(ख) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों के अलावा कुल बकाया शेष	17(b)	1,14,773.18	99,191.69
	(iii)	अन्य वित्तीय देयताएँ	17(c)	3,572.74	3,546.52
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएँ		18	6,90,583.00	7,33,304.21
(ग)	प्रावधान		19	5,423.43	3,803.92
कुल वर्तमान देयताएँ				**8,14,924.76**	**8,45,634.88**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ				**10,35,423.19**	**10,25,190.91**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना					
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना			1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय			2		

सहनोट्स 1 से 53 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते गुहा नंदी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 302039ई

हस्ता/-
(सीए दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 061728

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 मई का दिन, 2025

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता/-
कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
आर. के दाश
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

लाभ और हानि का विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
प्रचालनों से राजस्व	20	5,07,568.77	3,59,264.23
अन्य आय	21	33,483.75	29,962.19
कुल आय		**5,41,052.52**	**3,89,226.42**
व्यय			
खपत किए गए मालों की लागत	22(a)	3,32,470.33	2,06,036.78
पुन: बिक्री (बी एवं डी स्पेयर्स) हेतु उत्पादों का क्रय		27,123.16	19,706.56
चालू कार्य और स्क्रैप की वस्तुसूची में परिवर्तन	22(b)	(6,054.30)	(605.55)
उप संविदा प्रभार		48,356.74	52,493.24
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	23	36,084.66	34,893.33
वित्त लागत	24	1,032.28	1,148.92
मूल्यह्रांस एवं परिशोधन व्यय	25	4,249.23	4,132.66
अन्य व्यय - परियोजना संबंधित	26	14,818.47	9,904.02
अन्य व्यय	27	12,642.98	13,424.37
कुल व्यय		**4,70,723.55**	**3,41,134.33**
कर पूर्व लाभ		**70,328.97**	**48,092.09**
कर व्यय	28(a)		
- वर्तमान कर		17,271.48	12,455.75
- आस्थगित कर		317.11	(90.43)
कुल कर व्यय		**17,588.59**	**12,365.32**
वर्ष के लिए लाभ		**52,740.38**	**35,726.77**
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जो लाभ व हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे			
- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: निर्धारण		(342.22)	146.67
-उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर		86.14	(36.92)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, शुद्ध कर		**(256.08)**	**109.75**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय		**52,484.30**	**35,836.52**
प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रु.)			
प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटेड आय		46.04	31.19
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना	1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय	2		

सहनोट्स 1 से 53 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते गुहा नंदी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 302039ई

हस्ता/-
(सीए दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 061728

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 मई का दिन, 2025

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता/-
कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
आर. के दाश
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कराधान से पूर्व लाभ		70,328.97		48,092.09
के लिए समायोजन -				
ब्याज आय		(24,973.68)		(27,135.47)
अवास्तविक उचित मूल्य लाभ (शुद्ध)		(137.63)		(572.70)
परिभाषित लाभ योजना के पुनर्माप पर बीमांकिक लाभ/हानि		(256.08)		109.75
मूल्यह्रान्स और परिशोधन व्यय		4,249.23		4,132.66
परिसंपत्तियों - की रिटायरमेंट/राइटऑफ - निवल		(126.62)		306.43
वित्त लागत		1,032.28		1,148.92
विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव का अवास्तविक हानि/(लाभ)		(772.36)		259.71
देयताएं जो रिटेन बेक की आवश्यकता नहीं है ।		(3,268.79)		(675.67)
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**46,075.32**		**25,665.72**
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :				
व्यापार और अन्य प्राप्यों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(6,525.07)		(14,081.10)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान)	1,332.48		1,215.74	
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास	602.40		737.78	
अन्य वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(45,137.88)		87,641.43	
बिक्री (वर्तमान परिसंपत्ति) के लिए धारित परिसंपत्ति मे (अभिवृद्धि)/ह्रास	10.94		(8.09)	
वस्तुसूचियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	43,219.47		(1,06,593.65)	
व्यवसाय देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	16,875.45		(18,035.96)	
प्रावधान में(अभिवृद्धि)/ह्रास	5,096.51		1,867.83	
अन्य वित्तीय देनदारियों में(अभिवृद्धि)/ह्रास (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान)	(94.53)		482.29	
अन्य वर्तमान देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(42,538.73)		(37,162.50)	
अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों (आस्थगित कर देयता) में (अभिवृद्धि)/ह्रास	230.97	(26,927.99)	(53.51)	(83,989.74)
परिचालनों से अर्जित (प्रयुक्त) नकदी		**19,147.33**		**(58,324.02)**
प्रदत करों (शुद्ध धन वापसी)		(17,588.59)		(12,365.32)
परिचालनात्मक गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**1,558.74**		**(70,689.34)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का क्रय (अमूर्त और पंजीगत चालू कार्य सहित)	(6,705.67)		(4,806.91)	
म्यूचुअल फंड में निवेश (निवल)	-		23,366.40	
सावधि जमा में निवेश (निवल)	(1,290.29)		59,875.23	
प्राप्त ब्याज	24,973.68	16,977.72	27,135.47	1,05,570.19
निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**16,977.72**		**1,05,570.19**

लाख ₹ मे

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ब्याज	(1,070.92)	(1,062.24)
लीज किराया का प्रमुख घटक	(182.48)	(170.40)
लीज किराया का ब्याज घटक	(79.84)	(85.41)
कर्ज (बैंक ओडी)	(5,440.00)	(24,559.97)
प्रदत लाभांश	(1649.55)	(801.86)
अन्तरिम लाभांश	(10252.40)	(9072.52)
वित्तीय गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकद	**(18,675.19)**	**(35,752.40)**
नकद और नकद समकक्षों में निवल (अभिवृद्धि)/ह्रास	**(138.73)**	**(871.55)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य ओपेनिंग	**527.00**	**1,398.55**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य शेष	**388.27**	**527.00**

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों, 2015 के तहत यथा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण के भारतीय लेखांकन मानक-7 में यथा निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अतंर्गत तैयार किए गए हैं।
2. नकद एवं नकद समतुल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं है जो कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
3. तुलन पत्र तिथि के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में निहित हैं:

लाख ₹ मे

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
बैंकों में शेष राशि		
चालू खाता	388.27	526.99
हस्तगत नकदी	-	0.01
नकद और नकद समतुल्य	**388.27**	**527.00**

4. ब्रैकेटों में दिया गया आकंड़ा संबंधित गतिविधियों से नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सहनोट्स 1 से 53 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते गुहा नंदी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 302039ई

हस्ता/-
(सीए दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 061728

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 मई का दिन, 2025

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता/-
कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
आर. के दाश
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(लाख ₹ में)

1 अप्रैल, 2024 तक के अनुसार राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल,2024 को शेष राशि पुन:प्रस्तुत किया गया	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार राशि
11,455.20	-	11,455.20	-	11,455.20

1 अप्रैल, 2023 तक के अनुसार राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल,2023 को शेष राशि पुन:प्रस्तुत किया गया	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार राशि
11,455.20	-	11,455.20	-	11,455.20

ख. अन्य इक्विटी

(लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी रिडेम्प्शन आरक्षित	आम रिजर्व	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2024 तक के अनुसार शेष राशि	928.80	6,064.86	1,49,308.61	(413.58)	1,55,888.69
वर्ष (क) के लिए लाभ	-	-	52,740.38	-	52,740.38
वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय	-	-	-	(256.08)	(256.08)
(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	52,740.38	(256.08)	52,484.30
प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(1,649.55)	-	(1,649.55)
अंतरिम प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(10,252.40)	-	(10,252.40)
31 मार्च, 2025 तक के अनुसार शेष राशि	**928.80**	**6,064.86**	**1,90,147.04**	**(669.66)**	**1,96,471.04**

(लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी रिडेम्प्शन आरक्षित	आम रिजर्व	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2023 तक के अनुसार शेष राशि	928.80	6,064.86	1,23,456.22	(523.33)	1,29,926.55
वर्ष (क) के लिए लाभ	-	-	35,726.77	-	35,726.77
वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय	-	-	-	109.75	109.75
(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	35,726.77	109.75	35,836.52
प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(801.86)	-	(801.86)
अंतरिम प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(9,072.52)	-	(9,072.52)
31 मार्च, 2024 तक के अनुसार शेष राशि	**928.80**	**6,064.86**	**1,49,308.61**	**(413.58)**	**1,55,888.69**

सहनोट्स 1 से 53 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते गुहा नंदी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 302039ई

हस्ता/-
(सीए दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 061728

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 मई का दिन, 2025

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता/-
कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
आर. के दाश
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट्स

नोट 1: कंपनी का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी

नोट 1.1: कंपनी का विवरण

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई लिमिटेड' या 'कंपनी') को 26 फरवरी, 1934 को निगमित किया गया था । कंपनी, भारत में अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई, भवन, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024 में है । कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध है । कंपनी मुख्य रूप से युद्धपोतों का निर्माण करती है ।

नोट 1.2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी

(क) तैयारी का आधार

(i) अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के साथ-साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (यहाँ इसके बाद से इसे 'इंड एएएस' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किया गया है ।

लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया जाता है ।

(ii) ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित को छोडकर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है;

ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां – जिन्हें कम वहन राशि या उचित मूल्य घटाव बेचने के लागत आधार पर मापा गया है;

ग) परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां ।

(iii) वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियां और देनदारियाँ, वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण पर आधारित है ।

परिसंपत्तियां और देनदारियाँ का वर्गीकरण, जहां कहीं लागू होने योग्य, कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों के सामान्य संचालन चक्रों पर आधारित होते हैं, जो निम्नानुसार है:

(क) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत और रिफिट गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र पर जलयान के अनुसार अनुबंध की प्रभावी तारीख से लेकर गारंटी अवधि की समाप्ती तिथि तक की कुल समयावधि मानी जाती है।

(ख) अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र 12 महीने का होता है ।

एक संपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

i. सामान्य संचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग किए जाने का साकार या इरादा की उम्मीद है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए रखा जाता है,

iii. इसे प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह महीनों के भीतर निपटाय जाने की उम्मीद होती है, या

iv. नकद या नकद समकक्ष जब तक की प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए एक विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो ।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

एक देनदारी को वर्तमान देनदारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता जब यह :

i. इसका निपटान, सामान्य संचालन चक्र में किए जाने की उम्मीद होती है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए रखा जाता है,

iii. इसका निपटान, प्रतिवेदन अवधि के बाद, या बारह महीनों के भीतर किए जाने के लिए निर्धारित होता है

iv. प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है ।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में माना जाता है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

(iv) राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और नोट्स में उल्लिखित सभी राशियों को अनुसूची III, की आवश्यकता के अनुसार जब तक किसी अन्य प्रकार से कुछ न कहा जाएं, निकटतम लाख में बदल दिया गया है ।

(v) क्रियाशील और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा है ।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

I. संपत्ति,संयंत्र और उपकरण को यदि कोई हो तो,लागत, कम संचित मूल्यह्रांस और हानि में दर्शाया गया है ।

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, शेष तुलन पत्र तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, इसका खुलासा चालू पूंजीगत कार्य रूप में किया गया है । इसमें सप्लाई कम इरेक्श्न कांट्रैक्ट, साइट पर प्राप्त पूंजी आपूर्ति का मूल्य और स्वीकृत, पारगमन में पूंजीगत सामान और निरीक्षण तथा संपत्ति,

संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं ।

(ii) लागत का अर्थ है व्यापार छूट, छूट और शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों और लागतों को जोड़ने के बाद नकद मूल्य के रूप में माना जाने वाला खरीद मूल्य, जो कि इच्छित उपयोग के लिए संपत्ति को उपलब्ध कराने के लिए सीधे जिम्मेदार है, संयंत्र और उपकरण के हिस्से को बदलने के लिए अन्य लागत और दीर्घकालिक परियोजना के लिए उधार ली गई लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

(iii) जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि मान्यता मानदंड संतुष्ट हैं। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iv) जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोगी जीवन अलग-अलग है, वहाँ उन्हें अलग-अलग घटक के रूप में माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोग जीवन पर अवमूल्यन किया जाता है ।

(v) व्यक्तिगत रूप से 5000/- रुपये या उससे कम की संपत्ति में वृद्धि का उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर वर्ष में 100% पर मूल्यह्रास किया जाता है।

(vi) मुख्य संपत्ति के साथ खरीदे गए पुर्जों को उस संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएपीपी) के 1 अप्रैल, 2015 तक के अनुसार मापे गए अपनी मान्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने और उस वहन को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है ।

(ii) सेवानिवृत्ति और विमान्यता: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तो उसे विमान्य किया जाता है । किसी मद के विमान्यता/ निवृत्ति/ सेवानिवृत्ति की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को प्रतिवेदन अवधि के लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है ।

(iii) संयुक्त रूप से वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ

सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाहरी एजेंसियों के वित्तीय सहयोग से प्राप्त संयंत्र और उपकरण को सकल मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

इंड एएएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने इंड एएएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है । इसलिए, संयंत्र और उपकरण जिन्हें पूंजीकृत किया गया था, कंपनी की शुद्ध लागत को उनके शुद्ध मूल्य से अग्रेनित किया गया है । 1 अप्रैल 2015 से ऐसी परिसंपत्तियों से किए गए किसी संयोजन को सकल मूल्य में प्रकट किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित कर दिया गया है ।

(iv) **मूल्यह्रांस की विधियाँ, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य:**

निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर, उपयोग की अवधि के अनुपात में, सीधी रेखा विधि के अंतर्गत, मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जहां तकनीकी आकलन के आधार पर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, पूर्व प्रवृत्तियाँ और प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से अलग है:

परिसंपत्ति की श्रेणी	विवरण	वर्ष
संयंत्र और उपकरण	गोलियथ क्रेन (250 टन क्षमता)	**25**
संयंत्र और उपकरण	हैंड पावर टूल्स जैसे ग्राइंडर, चिपर, ड्रिलिंग मशीनें; कसने वाले टूल्स जैसे बोतल पेंच, कीलक एवं गोफन, उत्तोलक/जंजीर-चरखी ब्लॉक, हुक बेड़ियाँ, मापने और जाचने वाला उपकरण	**08**
संयंत्र और उपकरण	विविध औज़ार/सामग्रियाँ और उनके उपसाधन; वेल्डिंग टॉर्च, गेस टॉर्च, पोर्टबल इलेक्ट्रोड चूल्हा, मास्क और हेलमेट; छोटे-छोटे यंत्र, मापन/नियंत्रण उपकरण	**05**
फर्नीचर और फिक्सचर	सभी इलेक्ट्रिकल/विद्युत उपकरण जैसे रेफ्रीजेटर, एमडबल्यू/अन्य चूल्हे, टीवी सेट/मनोरंजन सिस्टम/गीजर/वाटर हीटर,वाटर प्यूरिफायर और कूलर, एयर इलेक्ट्रोनिक मेडिकल गैजेट/उपकरण, कैंटीन गैजेट्स/यूटिलिटी, संचार उपकरण	**05**

i. मौजूदा परिसंपत्तियों के एक अभिन्न अंग का निर्माण करने वाले संयोजन/विस्तार के संबंध में, मूल्यह्रास, संबंधित परिसंपत्ति के शेष जीवन पर प्रदान किया जाता है । महत्वपूर्ण संयोजन जिन्हें नियमित अंतराल पर बदलना पड़ता है/जोड़ना पड़ता है, उनका मूल्यह्रास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मद के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है ।

ii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास

क) जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार होती है तब परिसंपत्ति मूल्यह्रास शुरू होता है । यह उस तिथि के पहले समाप्त हो जाता है कि परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता की तिथि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के संबंधित उपयोगी जीवन पर उनकी लागत (फ्री होल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम करके) को बट्टे खाते में डालने के लिए मान्यता दी जाती है ।

ख) अवशिष्ट मूल्य पर, कंप्यूटर और आईटी बाह्य उपकरणों को छोड़कर, संबंधित परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% की दर पर विचार किया जाता है ।

ग) कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों (सर्वर और नेटवर्क उपकरण को छोड़कर) को उनके उपयोगी जीवन में पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है ।

iii. एक अनुमानित आधार पर लेखांकित अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव के साथ प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है ।

iv. उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके उपयोगी जीवन को पुनरावृत किया गया है, परिसंपत्तियों के पुनरावृत शेष उपयोगी जीवन पर अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य शुल्क लिया गया है ।

v. एयर कंडीशनर्स को प्रमुख फर्नीचर और फिक्सचर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उपयोगी जीवन को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत फर्नीचर और फिक्सचर पर लागू होने योग्य माना गया है ।

vi. आंतरिक तकनीकी आकलन और मूल्यांकन के आधार पर ऐसी परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत का 95% बट्टे खाते डालने के लिए सीधी रेखा विधि के अनुसार पुरानी मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है ।

(ग) बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

गैर-परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि को लगातार इस्तेमाल के माध्यम से वसूल करने के बजाए मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी और एक बिक्री को अत्यंत संभावित माना जाता है । उन्हें उनकी कम वहन राशि और उचित मूल्य घटाव बिक्री की लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के लिए जैसे आस्थगित कर परिसंपत्तियां, कर्मचारी के लाभ से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियां और वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्राप्त है ।

बिक्री के लिए रोककर रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है । बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देनदारियों को तुलन पत्र में अन्य देनदारियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है ।

(घ) उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत जिसके लिए सीधे तौर पर एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति (धनराशियों के अस्थायी उपयोग पर अर्जित शुद्ध आय) के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन जिम्मेदार होता है उस लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । उधार संबंधी लागत में ब्याज, धनराशि उधार लेने से जुड़ी अन्य लागत और उधार संबंधी लागत में एक समायोजन मानी जाने वाली सीमा तक आदान-प्रदान का अंतर शामिल होता है । एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है । अन्य सभी उधार संबंधी लागत को लाभ-हानि विवरण में चार्ज किया जाता है ।

(ङ) परिसंपत्तियों की क्षीणता

परिसंपत्तियों की क्षीणता पर इंड एएस 36 में परिभाषित किए गए अनुसार नकदी उत्पन्न करने वाले इकाइयों को तुलन पत्र की तारीख में स्थापित किया जाता है । तुलन पत्र की तारीख में, यदि क्षीणता का संकेत मिलता है और नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूल करने योग्य राशि से अधिक होती है (अर्थात उचित मूल्य घटाव निपटान की लागत और उपयोगरत मूल्य का अधिक) तो क्षीणता हानि को मान्यता दी जाती है । वहन राशि घटकर वसूली योग्य राशि बन जाती है और घटौती को लाभ-हानि विवरण में एक क्षीणता हानि के रूप में मान्यता दी जाती है ।

वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर, पूर्व लेखांकन अवधि में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि प्रतिलोम हो जाती है । क्षीणता के बाद, क्षीण परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर उसके पुनरावृत वहन मूल्य पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है ।

(च) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां को अधिग्रहण की लागत घटाव संचित परिशोधन और संचित क्षीणता,यदि कोई हो, के रूप में व्यक्त किया जाता है । परिशोधन, उस तारीख से सीधी रेखा आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है जिस तारीख से वे, क्षीणता परीक्षण के आधार पर, अपेक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं । सॉफ्टवेर जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, उसे एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे 5 वर्ष के उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है । विशिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस फीस को कथित अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

5,000 रूपये या उससे कम मूल्य की अमूर्त परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अधिग्रहण वर्ष या उपयोग वर्ष में सम्पूर्ण रूप से परिशोधित किया जाता है ।

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के आधार पर मापे गए,1 अप्रैल 2015 को मान्यता प्राप्त, अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के उसके मूल्य के साथ जारी रखने और उस मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है ।

(छ) अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले पूंजीगत व्यय को अमूर्त परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है और अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व व्यय को उस वर्ष में व्यय के रूप में चार्ज किया जाता है जिसमें इसे व्यय किया जाता है ।

(ज) वस्तुसूचियां

वस्तुसूची का मूल्यांकन इंड एएस 2 के प्रावधानों के अनुसार है। लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

i. कच्चा माल, अवयव, स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे: भारित औसत दरों

ii. संयंत्र की अंदर की वस्तुएँ: मानक लागत पर ।

iii. लागत पर :विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण, पारगमन में स्टोर, सामग्री और अन्य आपूर्ति ।

iv. भौतिक सत्यापन के समय अप्रचलित, धीमी गति से चलने वाली और दोषपूर्ण वस्तु सूची की पहचान की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, ऐसी वस्तु सूची के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(क) किसी जलयान की डिलीवरी की तारीख से 4 साल या उससे अधिक समय तक नहीं चलने वाले परियोजना विशिष्ट स्टोर का मूल्य लागत का 50% माना जाता है।

(ख) अप्रचलन उन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जिनकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी है, नॉन मूविंग स्टोर (परियोजना विशिष्ट के अलावा) 4 साल और उससे अधिक के लिए और जिन्हें आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

V. निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंधों के अलावा प्रगति पर चल रहे कार्यों (ठेकेदारों द्वारा रखी गई सामग्री सहित) की सभी वस्तुएं :लागत पर

VI. अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर: स्क्रैप ।

VII. अंतर-यूनिट स्थानांतरण मद: लागत पर

नोट:

क) वस्तुसूची की लागत में खरीद की सभी लागत, रूपांतरण की लागत और वस्तु सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल होती हैं।

ख) सामान्य स्तर की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए सुविधा के लिए इन-प्लांट वस्तुओं का मूल्यांकन मानक लागत पर किया जाता है और नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

झ) राजस्व मान्यता

लागू इंड एएस 115 को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के साथ अनुबंध से होने वाले राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो इस विचार को दर्शाता है कि कंपनी ने इन वस्तुओं या सेवाओं के हकदार होने की बात इनके लिए ही कहीं थी ।

कंपनी यह भी विचार करती है कि क्या अनुबंध में अलग-अलग दायित्वों को प्रदर्शित करने वाले अन्य वादे हैं । अनुबंध में पहचाने गए प्रत्येक प्रदर्शित दायित्व के लिए, कंपनी अनुबंध की शुरूआत में ही यह निर्धारित करती है कि क्या यह हर समय पर प्रदर्शित सभी दायित्वों को संतुष्ट करता है या एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है । यदि कंपनी समय के साथ प्रदर्शित दायित्व को पूरा नहीं करती है, तो प्रदर्शन दायित्व समय में एक बिन्दु पर संतुष्ट होता है ।

परिचालन से राजस्व प्राप्ति

(क) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से राजस्व प्राप्ति:

पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तक (या के रूप में) पहचान जाता है जब एक ग्राहक को दिए गए अच्छी सेवा या (अर्थात एक संपत्ति) को स्थानांतरित करके इकाई एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है । एक परिसंपत्ति तब (या के रूप में) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है ।

(i) कंपनी समय के साथ एक अच्छी सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है तब निष्पादन दायित्व को संतुष्ट कर पाती है । इस तरह से कंपनी के एक समय के राजस्व को पहचाना जाता है, यदि निम्न मानदंडों में से कोई एक का प्रस्ताव शामिल हो तो –

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है जैसा कि कंपनी करती है; या

(ख) कंपनी का प्रदर्शन संपत्ति बनाता है या बढ़ाता है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति में) जिसे ग्राहक नियंत्रण के रूप में संपत्ति बनाया या बढ़ाया जाता है; या

(ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी अब तक के समय के अंदर किए गए प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने का अधिकार रखती है ।

(घ) एसबीएफए नीति के तहत पात्र अनुबंधों के संबंध में पोत निर्माण वित्तीय सहायता को समय-समय पर मान्यता दी जाती है जब प्रबंधन विश्वसनीय रूप से इसकी संभावित प्राप्ति को माप सकता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है तभी संस्था प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को यथोचित रूप से माप सकती है।

प्रगति मापने की विधि:

- वस्तु की प्रकृति के आधार पर, पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को इनपुट विधि का उपयोग करके यानी सम्पूर्ण अनुबंध हेतु अनुमानित कुल लागत की वास्तविक लागतों के साथ तुलना करके समय के साथ पहचान जाता है । इन अनुमानों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ।
- परिभाषित मरम्मत दायित्व वाले पोत की मरम्मत के अनुबंध हेतु, इनपुट विधि का उपयोग करके राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है यानी पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित कुल लागतों की वास्तविक लागतों के साथ तुलना की जाती है ।
- पोत मरम्मत अनुबंध में जिसमें जिन पोतों को निरंतर मरम्मत की जरूरत होती है उनके लिए राजस्व को मान्यता पद्धति के आधार पर अपनी प्रगति को मापने के लिए आउटपुट विधि का उपयोग करना पड़ता है । इस मान्यता प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्यता दी जाती है क्योंकि वस्तुओं और/या सेवाओं के आदान-प्रदान में विचार की पात्रता के अध्यधीन प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है ।

(ii) नौसेना स्टोर से वस्तु की प्राप्ति के प्रमाण समय पर प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर बी एवं डी पुर्जों की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान की जाती है ।

(iii) संशोधन नौकरियों के लिए राजस्व मान्यता: संशोधन नौकरियों के मामले में, पूर्ण किए गए संशोधन के विरूद्ध राजस्व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त है और यह उचित प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है और जिसके लिए अनुमोदन के लिए संशोधन लागत ग्राहक को प्रस्तुत किया जाता है, जो ग्राहक के ऑनसाइट प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अनुशंसित है ।

(ख) डीजल इंजन के निर्माण के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, डीजल इंजन के ओवरहालिंग और हेलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम (डेक मशीनरी का एक उत्पाद) जिसमें डिजाइनिंग, इंजीयरिंग या निर्माण शामिल है को विशेष रूप से डिजाइन उत्पादों और सेवा अनुबंधों, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचाना जाता है । जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (i) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है ।

(ग) बेली ब्रिज अनुबंधों से राजस्व समय के आधार पर संतुष्ट होता है, क्योंकि यह ओवर-टाइम के मानदंडों को पूरा नहीं करता है । आपूर्ति किए गए ब्रिज का प्रत्येक सेट अलग प्रदर्शन और अलग दायित्व हेतु निर्गत किया जाता है । इस प्रकार कंपनी राजस्व को पहचानती है (परिवहन सहित) जब नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है, तो पुल का सम्पूर्ण सेट ग्राहक को डिलीवर किया जाता है ।

जब बेली ब्रिज का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया गया तो बेली ब्रिज अनुबंधों के लिए कई प्रदर्शन दायित्व जैसे कि बेली ब्रिज की बिक्री, स्थापना सेवा और उप-मार्ग का निर्माण, मुफ्त रखरखाव सेवा, परियोजना प्रबंधन सेवा आदि शामिल हैं, कंपनी बेली ब्रिज की बिक्री से संबन्धित प्रदर्शन दायित्व के आधार पर राजस्व को पहचानती है । हालांकि, अनुबंधों में अन्य प्रदर्शन दायित्वों के लिए, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है । जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं,

वह पूर्व के (ए) (आई) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है ।

(घ) डेक मशीनरी की बिक्री से राजस्व (हैलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम को छोडकर) वस्तुओं की डिलीवरी के समान जो मान्यता प्राप्त है इन्हें जब अनुबंध के अधीन परिसंपत्ति नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसके प्रदर्शन दायित्वों को एक निश्चित समय पर संतुष्टि के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(ङ) अन्य परिचालन राजस्व व्यापार से संबंधित गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्वकरता है जिसे तब मान्यता दी जाती है । जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होने पर आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है ।

(च) जब किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में अनुबंध प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंधों पर निर्भर करती है ।

अनुबंध परिसंपत्ति: जब कंपनी द्वारा प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व, ग्राहक द्वारा प्रतिफल के भुगतान के संतुष्टि प्रदर्शन दायित्व से अधिक हो जाता है, तो अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

अनुबंध दायित्व : जब प्रतिफल भुगतान के माध्यम से ग्राहक द्वारा संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाता है, तो अंतर को अनुबंध देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

(छ) परिवर्तनीय निर्णय:

किसी अनुबंध में छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, जुर्माना (परिनिर्धारित क्षति) या या इसी तरह की अन्य मदों जैसे परिवर्तनीय विचार संविदात्मक प्रावधानों/प्रबंधन आकलन और उस निवल राशि के आधार पर किए जाते हैं जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी। यदि किसी संस्था की प्रतिफल की पात्रता भविष्य में किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर है तो वादा किया गया प्रतिफल भिन्न हो सकता है।

अन्य आय

(क) प्रभावी आय दर (ईआरआई) का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है । ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य आय" में शामिल किया गया है और इसे रसीद की निश्चितता एवं समय के आधार पर गणना किया जाता है । फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के मामले में, ब्याज की गणना तब की जाती है, जब वह प्रत्येक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर को आरोपित करते हुए कंपनी को प्राप्त होता हो ।

(ख) अन्य मदों को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

बीमा दावे

बीमा दावों के खिलाफ बकाया राशियों की गणना, उपार्जित आधार पर की जाती है; दावों के संबंध में जिन्हें अभी तक बीमादार द्वारा प्रतिवेदन तिथि के अंत तक आखिर में निपटान करना होता है, क्रेडिट की गणना की कंपनी के वसूली योग्य मूल्य के अनुमान के आधार पर की जाती है ।

(ज) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन:

(i) आरंभिक मान्यता

विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों को,विदेशी मुद्रा राशि अर्थात लेनदेन की तारीख को क्रियाशील मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर का इस्तेमाल करके, क्रियाशील मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है ।

(ii) रूपान्तरण

विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक वस्तुओं को प्रतिवेदन तिथि के समापन विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है । गैर-मौद्रिक वस्तुएँ जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में नामित एतिहासिक लागत के रूप में ले जाया जाता है उन वस्तुओं को लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है । सामग्रियों/सेवाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दी जाने वाली अग्रिम राशियों को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियां मानी जाती है और इसके परिणामस्वरूप इन्हें लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है ।

(iii) विनिमय अंतर

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले या उनसे अलग दरों पर कंपनी की मौद्रिक वस्तुओं के प्रतिवेदन पर उत्पन्न होने वाले, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में रिकॉर्ड किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया था, विनिमय अंतरों को उस वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में वे उत्पन्न होते हैं ।

(झ) अनुदान/अनुवृत्ति

i. पूंजीगत अनुदान/अनुवृत्तियाँ

विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित पूंजीगत अनुदानों/अनुवृत्तियों का खुलासा सकल मूल्य पर किया जाता है और उपयोगी जीवन काल में पीपीई के संबंधित वस्तु का परिशोधन किया जाता है ।

ii. राजस्व अनुदान/अनुवृत्तियाँ

राजस्व वस्तुओं से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित व्यय के साथ समायोजित किया जाता है । एक विशिष्ट व्यय से संबंधित न होने पर, इसे आय के रूप में ग्रहण किया जाता है ।

(ञ) नकदी प्रवाह संबंधी विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जहां कर पूर्व लाभ/हानि को एक गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन,पूर्व या भावी संचालनगत नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी आस्थगन या उपार्जन और निवेश या वित्तपोषण प्रवाह से जुड़े आय या व्यय की वस्तुओं के पभावों के लिए समायोजित किया जाता है । कंपनी के वित्तीय क्रियाकलापों, परिचालन और निवेश से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है ।

(ट) नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में मौजूद नकद, हाथ में मौजूद चेक, बैंकों में चालू खातों में थोड़े समय के लिए मौजूद शेष राशि, अत्यंत तरल निवेश जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है और जिसमें मूल्य परिवर्तन का कम जोखिम होता है ।

(ठ) वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट

वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट एक ऐसा अनुबंध है जिससे एक संस्थान की एक वित्तीय परिसंपत्ति का तथा एक अन्य संस्थान की एक वित्तीय देनदारी या इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट की उत्पत्ति होती है ।

वित्तीय परिसंपत्ति

वर्गिकरण

कंपनी, वित्तीय लागत को तत्पश्चात परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर लाभ या हानि के उचित मूल्य और

वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेष लक्षणों पर मापी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है ।

आरंभिक मान्यता और माप:

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य प्लस पर मान्यता दी जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य दर्ज न की गई तो वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में,लेनदेन लागत पर मान्य दी जाती है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं ।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति :

वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब परिसंपत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को संग्रह करने के लिए परिसंपत्ति को रोककर रखना होता है और परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक शर्तों के कारण निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो सिर्फ मूलधन और ब्याज दर (ईआईआर) विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है । क्षीणता से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है । यह श्रेणी आमतौर पर व्यापार और अन्य प्राप्यों पर लागू होती है ।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति (एफ़वीटीओसीआई)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तिय को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है । उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है ।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तिय (एफ़वीटीपीएल)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्ति को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को उचित मूल्य पर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मान्यता दी जाती है ।

वित्तीय परिसंपत्ति की क्षीणता

कंपनी, एक अग्र दृष्टि आधार पर परिशोधित लागत पर ले जायी गई अपनी परिसंपत्ति से जुड़ी प्रत्याशित ऋण हानियों और एफ़वीटीओसीआई ऋण विलेखों का आकलन करती है । इस्तेमाल की गई क्षीणता क्रियाविधि, इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं । नोट 34 में इस बात का विवरण दिया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं ।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से लिए जाने वाले कर्ज को आम तौर पर संदिग्ध नहीं माना जाता है । लेकिन, अनुबंध की दृष्टि से जो बकाया नहीं है उन्हें छोडकर, मामला दर मामला समीक्षा आधार पर, खातों में प्रावधान किए गए है ।

वित्तीय परिसंपत्ति की विमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता को मुख्य रूप से उस समय हटा दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त होने के अधिकारों की समय सीमा समाप्त हो गई हो या जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह होने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो ।

वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां, किसी अन्य संस्थान को नकदी या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या ऐसी शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य संस्थान के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियां का आदान-प्रदान करने का अनुबंधात्मक दायित्व है जो कंपनी के लिए संभवत: प्रतिकूल होती हैं । कंपनी की वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल होती हैं ।

वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य घटाव लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर वित्तीय देनदारियों को जारी करने से संबंधित होती हैं । वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापी गई देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । परिशोधित लागत की गणना, अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है । प्राप्तियों (लेनदेन लागतों का शुद्ध) और ऋणमुक्ति राशि के बीच के अंतर को ब्याज की प्रभावी दर का इस्तेमाल करके उधार की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दी जाती है ।

उत्तरवर्ती माप

आरंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात ईआईआर विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है । मुनाफे और नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को विमान्य कर दिया जाता है और इसके अलावा इन्हें ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है ।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है ।

वित्तीय देनदारी की विमान्यता

जब देनदारी के अंतर्गत दायित्व का निर्वाह हो जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तब वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त हो जाती है । एक वित्तीय देनदारी की वह राशि समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित कर दी गई है और प्रदत्त विचार राशि के बीच के अंतर को, जिसमें स्थानांतरित की गई गैर-नकदी परिसंपत्ति या स्वीकार की गई देनदारियां भी शामिल है, अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है ।

(ण) उचित मूल्य की माप

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय प्रपत्र को मापती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या मापने की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेनदेन में एक देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रदान की जाएगी। उचित मूल्य की माप, इस अनुमान पर आधारित होती है कि परिसंपत्ति को बेचने के लिए या देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए होने वाला लेनदेन:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभदायक बाजार में ।

कंपनी द्वारा प्रमुख या सबसे लाभदायक बाजार सुलभ होना चाहिए ।

एक परिसंपत्ति या एक देनदारी का उचित मूल्य, कल्पनाओं का इस्तेमाल करके मापा जाता है जिसका इस्तेमाल बाजार प्रतिभागी, यह मानते हुए परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में काम करते हैं ।

एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य की माप करते समय एक बाजार प्रतिभागी द्वारा परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करके या इसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर जो परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने

की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है ।

कंपनी ऐसी मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जहां संबंधित अवलोकन योग्य इनपुट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और गैर अवलोकन योगय इनपुट का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है ।

सभी परिसम्पत्ति और देनदारियों को, जिनके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है, जो निम्नतम स्तरीय इनपुट पर आधारित होते हैं जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं:

स्तर 1 - एक जैसी परिसंपत्ति या देनदारियों के बीच सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य;

स्तर 2 - मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होता है;

स्तर 3 - मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य नहीं होता है ।

उन परिसम्पत्ति और देनदारियों के लिए जिन्हें एक आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की जाती है, कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्गीकरण (निम्नतम स्तरीय इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है) का पुन: आकलन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं ।

कंपनी का वित्त विभाग आवर्ती उचित मूल्य की माप के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, जैसे व्युत्पाद लेखपत्र और उचित मूल्य पर मापी गई अनुद्धरित वित्तीय परिसंपत्ति ।

(ड) पट्टे

1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से पट्टों को उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और जिस तारीख को कंपनी द्वारा उपयोग के लिए पट्टे पर परिसंपत्ति उपलब्ध होती है, उसी पर देयता होती है । पट्टे से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्ति और देनदारियों को शुरू में वर्तमान मूल्य के आधार पर मापा जाता है । पट्टे देनदारियों में निश्चित भुगतानों को शुद्ध वर्तमान मूल्य (इन-सबस्टेंस फिक्स्ड पेमेंट्स सहित) और भिन्न पट्टा भुगतान शामिल है, यदि कोई हो, जो कि इंडेक्स या रेट पर आधारित हो, तो शुरुआत में इंडेक्स या रेट का उपयोग करके प्रारंभ तिथि के अनुसार मापा जाता है।

पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टा भुगतान को छूट दी जाती है। यदि दर आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो आम तौर पर कंपनी में पट्टों के लिए होता है, तो पट्टेदार की वृद्धिशील उधर लेने की दर का उपयोग किया जाता है, दर जो कि व्यक्तिगत पट्टेदार को समान नियमों, सुरक्षा और शर्तों के साथ एक समान आर्थिक वातावरण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति का अधिकार के लिए समान मूल्यक की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान करना होगा ।

वृद्धिशील उधार दर निर्धारित करने के लिए, कंपनी:

क) जहां संभव हो, हाल ही में व्यक्तिगत पट्टेदार द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष के वित्तपोषण को एक प्रांभिक बिंदु के रूप में उपयोग करता है, तीसरे पक्ष के वित्तपोषण के बाद से वित्तपोषण की स्थितियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) कंपनी द्वारा रखे गए पट्टों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु समायोजित जोखिम-मुक्त ब्याज दर के साथ शुरू होने वाले बिल्ड-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में तीसरे पक्ष के वित्तपोषण नहीं है, और

ग) पट्टे के लिए विशिष्ट समायोजन करता है, जैसे अवधि, देश, मुद्रा और सुरक्षा ।

पट्टा भुगतान का आबंटन मूलधन और वित्त लागत के मध्य किया जाता है । वित्त की लागत पट्टा अवधि में लाभ या हानि के रूप में प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर लगातार आवर्ती ब्याज दर का उत्पादन हो ।

संपत्ति का उपयोग का अधिकार का मूल्य निम्नलिखित सहित माप जाता है:

(क) पट्टा देनदारी के प्रारंभिक माप की राशि

(ख) प्रारंभ तिथि से या उससे पहले किया गया कोई भी कम पट्टा भुगतान कोई पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त किया गया हो और

(ग) कोई प्रत्यक्ष आरंभ लागत

संपत्ति का उपयोग का अधिकार आम तौर पर संपत्ति के उपयोगी जीवन और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक मूल्यह्रास करता है । यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए संपत्ति के उपयोग का अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है ।

अल्पकालिक के पट्टों और कम-मूल्य के संपत्तियों के सभी पट्टों से संबंधित भुगतान को लाभ या हानि में व्यय के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर का मान्यता दी जाती है । अल्पावधि पट्टे 12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि के रूप में माना जाता है ।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी पट्टों को परिचालन या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है । एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि कंपनी, सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती है और पट्टेदार के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से पुरस्कृत करती है, और इसे अन्यथा एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है ।

(ढ) कर्मचारी लाभ

I. अल्पकालिक दायित्व

पारिश्रमिकों वेतनों के लिए देनदारियां, जिनमें गैर मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं जिनका निपटान उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है इन देनदारियों को प्रतिवेदिन अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती है और उन्हें देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जा सकने वाली राशियों में मापा जाता है ।

II. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देनदारियां जिनका निपटान 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद नहीं है इन देनदारियों को अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं

के संबंध में किए जाने वाले प्रत्याशित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है । प्रतिवेदन अवधि के अंत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी (जी-सेक) का इस्तेमाल करके लाभ पर छूट दी जाती है जिनका समय संबंधित दायित्व के समय लगभग होता है । बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुन: माप को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

III. रोजगार - पश्चात दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगार - पश्चात योजनाओं का संचालन करती है:

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ जैसे ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत- पश्चात चिकित्सा योजना; और

(ख) परिभाषित योगदान योजनाएं जैसे पेंशन योजना ।

ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी कोष, एक परिभाषित लाभ योजना, विधिवत रूप से गठित स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता ही और वार्षिक योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं । आवश्यक पड़ सकने वाला कोई अतिरिक्त प्रावधान, कर्मचारी लाभों पर इंड एएस -19 के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है ।

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, प्रतिवेदन अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटाव योजना परिसंपत्तिय का उचित मूल्य होता है । परिभाषित लाभ दायित्व के गणना, अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल बीमांकिक द्वारा प्रति वर्ष की जाती है ।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, सरकारी बॉन्ड में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है जिनकी अवधि, संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग होती है ।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना, योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध लाभ में छूट दर को लागू करके की जाती है ।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं । उन्हें तुलन पत्र में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित कमाई में शामिल किया जाता है ।

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना,एक परिभाषित लाभ योजना है और इसका निर्धारण, अनुमानित इकाई ऋण अवधि का इस्तेमाल करके कर्मचारी लाभ पर इंड एएस -19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारी की अतिरिक्त इकाई में होने वाली वृद्धि के रूप में मान्यता देता है और अंतिम देयता का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है ।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन:मापन लाभों और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे होते हैं । उन्हें तुलन पत्र में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित आय में शामिल किया जाता है ।

अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ, योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को भुगतान की जाने वाले प्रीमियम को वर्ष के लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है ।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

पात्र कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। पात्र कर्मचारी और कंपनी दोनों, कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट द्वारा हितग्राहियों को जिस दर पर वार्षिक ब्याज देय है, उसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित की गई दर से कम नहीं भविष्य निधि पर ब्याज की घोषणा करनी होती है। यदि ट्रस्ट ब्याज देयता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो कंपनी को कमी को पूरा करना होगा। चूंकि, योजना परिभाषित लाभ योजना है, इसलिए कंपनी को वही बीमांकिक रूप से मूल्यांकित किया गया है। मामले में, वर्ष के लिए अतिरिक्त देयता की आवश्यकता है, वही प्रदान किया जाता है।

पेंशन फ़ंड

अधिवर्षिता पेंशन योजना में परिभाषित अंशदान अनुमोदित पेंशन योजना के अनुसार लागू अंशदान दर पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है ।

(ण) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों को दिये जाने वाले लाभांशों को एक देनदारी माना जाता है और उसे उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में सामान्य बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदित किया गया है । अन्तरिम लाभांश के मामलों में भी उसे देनदारी माना जाता है और शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में निदेशक मंडल द्वारा अन्तरिम लाभांश को अनुमोदित किया गया है ।

(त) वर्तमान और आस्थगित कर का प्रावधान

आयकर व्यव में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है । इसे उस हद तक लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिस हद तक यह एक व्यावसायिक संयोजन से, या सीधे इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होता है, जिस स्थिति में यह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जैसा की लागू होता है ।

i. वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल होता है । इसे प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियम कर दरों का इस्तेमाल करके मापा जाता है ।

वर्तमान कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब कंपनी:

- के पास मान्यता प्राप्त राशियों को लागू करने का एक कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और
- का इरादा या तो एक शुद्ध आधार पर निपटान करना है या परिसंपत्ति को भुनाना और उसी समय देनदारी का निपटान करना है ।

II. **आस्थगित कर**

आस्थगित कर को प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियमित कर दरों और क़ानूनों का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन तिथि को परिसंपत्तिय और देनदारियों के वहन मूल्यों और उनेक संबंधित कर आधारों के बीच के कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के भावी कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है । आस्थगित कर परिसंपत्ति की उस हद तक मान्यता दी जाती है जिस हद तक यह संभावना होती है कि भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतरों,अप्रयुक्त कर हानियों और ऋणों का इस्तेमाल किया जा सकता है । सीधे इक्विटी में और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में मान्यता दी जाती है ।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब:

क. संस्था के पास वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्ति को अलग कानूनी तौर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और

ख. आस्थगित कर परिसंपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों का संबंध एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले आयकर से होता है ।

(थ) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस निर्गम की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है; मौजूदा शेयरधारकों को राइट्स इश्यू में बोनस तत्व; शेयर विभाजन; और रिवर्स शेयर स्प्लिट (शेयरों का समेकन)।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी की गणना करने के उद्देश्य से, सभी मंद संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित किया जाता है ।

(द) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्ति

i. कानूनी दावों, वारंटियों, छूटों और रिटर्नों के लिए प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान कानूनी या निर्माणकारी दायित्व होता है, इस बात की संभावना रहती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत पड़ेगी और विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान लगाया जा सकता है । हालांकि प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास वृहत संविदा है ।

ii. सौपीं गई पोतों के संबंध में गारंटी देनदारी का प्रावधान, बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है । अन्य सभी उत्पादों के लिए इस तरह का प्रावधान, लागू होने पर, प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है ।

iii. आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि वित्तीय विवरणों में इनका खुलासा किया जाता है जब आर्थिक अंतर्वाह संभावित होता है ।

iv. आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि नोट्स में खुलासा किया जाता है ।

v. प्रावधानों को, प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक, प्रबंधन के व्यय संबंधी सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छूट दर, एक पूर्व-कर दर होती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है । समय गुजरने के कारण प्रावधान में होने वाली वृद्धि को ब्याज व्यय माना जाता है ।

अ. गैर-कर नागरिक मामलों में

गैर-कर नागरिक मामलों के संबंध में, प्रतिवेदन तिथि को प्रत्येक मामले की स्थिति की समीक्षा करके, लेखांकन प्रावधान के निर्माण पर विचार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर नीचे दिये गए आधार पर खातों में प्रावधान किया जाता है:

क. मध्यस्था मामलों में जहां कंपनी ने मध्यस्थ विचार के प्रतिकूल परिणाम पर प्रतिवाद नहीं किया है या प्रतिवाद करना नहीं चाहती है उन मामलों में देनदारी को आकस्मिक नहीं माना जाता है और सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है ।

ख. जहां मध्यस्थकर्ता द्वारा या निचली अदालत द्वारा एक प्रतिकूल विचार/निर्णय दिया जाता है और कंपनी द्वारा एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है या प्राथमिकता देने का इरादा होता है, वहाँ निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

i. मध्यस्थकर्ता द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 25%

ii. उच्च अपील अदालत द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 50% जब तक अंतिम अपील अदालत द्वारा निपटान नहीं हो जाता । संशोधन याचिका, उसी अदालत की बड़ी पीठ को कथित अदालत में संबंधित अपील प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है ।

ग. एक विचार/निर्णय के मामले में विवादास्पद दावे के सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है जहां कंपनी, अपीलीय विचार पर प्रतिवाद करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है ।

घ. सरकारी विभाग/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा/ऐसे सरकारी विभाग/ सांविधिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण या आयुक्त द्वारा की गई मांग के मामले में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है यदि उक्त मांग का प्रतिवाद ऐसे सरकारी/विभाग/सांविधिक प्राधिकरण के ढांचे के भीतर कथित मांग पर किया जाता है और कंपनी के पक्ष में कानूनी राय/नवीनतम निर्णय के आधार पर अपील में मांग को हटाने की संभावना है ।

आ. कराधान के मामलों में

कराधान के मामलों के संबंध में, दावे की राशि को आकस्मिक देनदारी माना जाता है और किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया जाता है यदि अपील चरण तक निर्णय, कंपनी के खिलाफ जाता है और यदि कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण या इसी तरह के मामालों में उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समक्ष ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या प्रतिवाद करना चाहती है ।

हालांकि, जहां अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, कंपनी के खिलाफ होता है वहाँ इस बात की परवाह किए बिना विवादास्पद राशि का पूरा प्रावधान किया जाता है कि कंपनी किसी उच्च मंच में ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या नहीं ।

नोट 2: महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय:

इंड- एएस के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कुछ वस्तुओं के लिए अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो बैलेंस शीट और लाभ और हानि के विवरण में उनकी मान्यता और माप पर प्रभाव डाल सकते हैं। वसूल की गई वास्तविक राशि इन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं क्योंकि प्रबंधन अनुमानों के आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन से अवगत हो जाता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं और, यदि महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है।

अनुमान और कल्पनाओं की आवश्यकता विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए पड़ती है:

i. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:**

पीपीई के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण और आकलन जिसमें लागत के घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है । पीपीई का उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल पर आधारित होता है । जिन मामलों में, उपयोगी जीवनकाल, अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल से अलग होता है, उन मामलों में, यह तकनीकी सलाह पर आधारित होता है, जहां परिसंपत्तियों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग और संचालन संबंधी शर्तों, अतीत में उसे बदलने के इतिहास और रखरखाव संबंधी सहायता को ध्यान में रखकर सलाह दी जाती है । कल्पनाएं भी करनी पड़ती है जब कंपनी आकलन करती है कि एक परिसंपत्ति को पूंजीकृत किया जा सकता है या नहीं और परिसंपत्ति की लागत के किन-किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है ।

ii. **परिभाषित लाभ दायित्वों की मान्यता और माप:**

परिभाषित लाभ योजना से उत्पन्न होने वाले दायित्व का निर्धारण, बीमांकिक कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है । प्रमुख बीमांकिक कल्पनाओं में शामिल है – छूट दर, वेतन वृद्धि का चलन और निहित भावी लाभ और जीवन प्रत्याशा । छूट दर का निर्धारण, सरकारी प्रतिभूतियां में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के आधार पर किया जाता है । अंतर्निहित प्रतिभूतियां की परिपक्वता की अवधि रोजगार के पश्चात लाभ दायित्वों की संभावित परिपक्वता के अनुरूप होती है ।

iii. **आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता**

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस हद तक सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है जिस हद तक इस बात की संभावना रहती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का इस्तेमाल किया जा सकता है । प्रबंधन कल्पना करता है है कि कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता देते समय उपलब्ध होगा।

iv. **अन्य प्रावधानों की मान्यता और माप:**

अन्य प्रावधान की मान्यता और माप, संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आकलन पर और बैलेंस शीट की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों और पूर्व अनुभव पर आधारित होते हैं । इसलिए एक भावी तिथि को संसाधन का वास्तविक बहिर्वाह अन्य प्रावधानों में शामिल आंकड़ों से अलग हो सकता है।

v. **दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों पर छूट**

सभी वित्तीय देनदारियों को आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है । जिन वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापना पड़ता है, उन मामलों में, प्रभावी ब्याज दर विधि का इस्तेमाल करके ब्याज को उपार्जित किया जाता है ।

नोट 2.1: हाल ही में लेखा संबंधी घोषणाएँ:

कॉर्पोरेट मामलों मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर जारी कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 12 अगस्त 2024 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने भारतीय लेखा मानक (इंड- एएस) 117, बीमा अनुबंध की अधिसूचना की घोषणा की और 09 सितंबर, 2024 को, एमसीए ने 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 की शुरुआत की। कंपनी द्वारा इसके प्रभाव की समीक्षा की गई है और नीचे दिए गए अनुसार प्रदान किया गया है:

इंड- एएस 117 - बीमा अनुबंध - यह मानक बीमा अनुबंधों के लिए लेखांकन के सिद्धांत निर्धारित करता है, जिसका अर्थ है कि इस मानक को लागू करने वाली संस्थाएँ अब इंड- एएस 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व) या इंड- एएस 109 (वित्तीय उपकरण) जैसी पिछली लेखांकन प्रथाओं पर निर्भर नहीं रहेंगी, जब तक कि इंड- एएस 117 द्वारा कोई विशिष्ट छूट प्रदान नहीं की जाती है। हालाँकि, कंपनी "बीमा अनुबंध" जारी करने वाली नहीं है, इसलिए मानक कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

इंड- एएस 117 – पट्टे - इंड- एएस 116 के तहत बिक्री और लीजबैक लेनदेन के लिए लेखांकन को विशेष रूप से संबोधित करता है। बिक्री और लीजबैक लेनदेन एक वित्तीय व्यवस्था है जिसमें एक इकाई (विक्रेता-पट्टेदार) किसी परिसंपत्ति को किसी अन्य इकाई (खरीदार-पट्टादाता) को बेचती है और बाद में उसी परिसंपत्ति को वापस किराए पर लेती है। कंपनी में ऐसे कोई लेनदेन नहीं होते हैं और तदनुसार, इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट 3: सपंत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास और परिशोधन				निवल वहन राशि	
	क	ख	ग	घ = (क + ख - ग)	ङ	च	छ	ज =(ङ+च-छ)	झ=(घ-ज)	
	1 अप्रैल 2024 तक के अनुसार	जोड़	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	1 अप्रैल 2024 तक के अनुसार	अवधि हेतु व्यय	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	31 मार्च 2024 तक के अनुसार
आरओयू के अलावा										
भूमि - फ्रीहोल्ड	5,125.72	-	-	5,125.72	-	-	-	-	5,125.72	5,125.72
भवन- फ्रीहोल्ड	11,317.17	1,855.39	-	13,172.56	1,922.24	421.80	-	2,344.04	10,828.52	9,394.93
संयंत्र और उपकरण	28,829.45	1,368.58	24.55	30,173.48	7,578.28	1,374.62	14.29	8,938.61	21,234.87	21,251.17
विद्युत संस्थापना	1,658.26	226.05	-	1,884.31	740.00	170.97	-	910.97	973.34	918.26
डॉक्स और जेटी	7,452.85	942.20	-	8,395.05	3,123.92	456.91	-	3,580.83	4,814.22	4,328.93
फर्नीचर और फिक्सचर	2,349.25	259.84	1.57	2,607.52	1,097.94	255.94	1.33	1,352.55	1,254.97	1,251.31
कार्यालय उपकरण	773.98	47.44	0.07	821.35	356.34	80.37	0.05	436.66	384.69	417.64
कंप्यूटर	4,065.08	428.21	294.21	4,199.08	2,772.56	479.53	291.81	2,960.28	1,238.80	1,292.52
लॉन्च, नौकाओं एवं नाव	117.29	-	-	117.29	32.44	6.16	-	38.60	78.69	84.85
वाहनों	44.91	-	3.33	41.58	33.12	4.34	3.05	34.41	7.17	11.79
मोटर लॉरी, ट्रेलर, मोबाइल क्रेन आदि	266.93	-	-	266.93	110.70	27.17	-	137.87	129.06	156.23
उप-कुल (1)	**62,000.89**	**5,127.71**	**323.73**	**66,804.87**	**17,767.54**	**3,277.81**	**310.53**	**20,734.82**	**46,070.05**	**44,233.35**
गत वर्ष	**59,731.60**	**2,898.33**	**629.04**	**62,000.89**	**14,760.08**	**3,185.14**	**177.68**	**17,767.54**	**44,233.35**	
जीआरएसई और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति										
भवन	4,516.49	-	-	4,516.49	-	-	-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	3,224.69	-	-	3,224.69	-	-	-	-	-	-
जीआरएसई (क) द्वारा वित्त पोषित भवन	1,291.80	-	-	1,291.80	488.88	54.32	-	543.20	748.60	802.92
संयंत्र और उपकरण	3,320.27	-	-	3,320.27	-	-	-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	861.00	-	-	861.00	-	-	-	-	-	-
जीआरएसई (ख) द्वारा वित्त पोषित संयंत्र और उपकरण	2,459.27	-	-	2,459.27	1,914.80	97.16	-	2,011.96	447.31	544.47
डॉक्स और जेटी	33,894.69	-	-	33,894.69	-	-	-	-	-	-
घटाएँ : नौसेना द्वारा वित्त पोषित	28,240.08	-	-	28,240.08	-	-	-	-	-	-
जीआरएसई (ग) द्वारा डॉक्स और जेटी वित्त पोषित	5,654.61	245.85	-	5,900.46	3,719.13	421.16	-	4,140.29	1,760.17	1,935.48
उप-कुल (क+ख+ग) (2)	**9,405.68**	**245.85**	**-**	**9,651.53**	**6,122.81**	**572.64**	**-**	**6,695.45**	**2,956.08**	**3,282.87**
गत वर्ष	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**5,550.77**	**572.04**	**-**	**6,122.81**	**3,282.87**	
आरओयू (1+2) के अलावा - कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	71,406.57	5,373.56	323.73	**76,456.40**	23,890.35	3,850.45	310.53	**27,430.27**	**49,026.13**	47,516.22
गत वर्ष	**69,137.28**	**2,898.33**	**629.04**	**71,406.57**	**20,310.85**	**3,757.18**	**177.68**	**23,890.35**	**47,516.22**	
संपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टादारी - भूमि	757.69	-	-	757.69	63.46	21.09	-	84.55	673.14	694.23
पट्टादारी - वाहन	529.92	60.94	-	590.86	242.43	102.60	-	345.03	245.83	287.49
कुल संपत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू) (3)	**1,287.61**	**60.94**	**-**	**1,348.55**	**305.89**	**123.69**	**-**	**429.58**	**918.97**	**981.72**
गत वर्ष	**1,287.61**	**-**	**-**	**1,287.61**	**188.96**	**116.93**	**-**	**305.89**	**981.72**	
कुल सपंत्ति, संयंत्र और उपकरण (1+2+3)	72,694.18	5,434.50	323.73	**77,804.95**	24,196.24	3,974.14	310.53	**27,859.85**	**49,945.10**	48,497.94
गत वर्ष	**70,424.89**	**2,898.33**	**629.04**	**72,694.18**	**20,499.81**	**3,874.11**	**177.68**	**24,196.24**	**48,497.94**	

नोट :

(i) वर्तमान वर्ष की कटौती में परिसंपत्ति के स्क्रैपिंग का मूल्य 6.26 लाख रू.(डीम्ड लागत 314.42 लाख रू.) और रिटायर्ड परिसंपत्ति का मूल्य 6.94 लाख रू.(डीम्ड लागत 9.98 लाख रू.) का समयोजन शामिल हैं।वित्त वर्ष 2023-24 में संपत्तियों की स्क्रैपिंग और संपत्तियों की सेवानिवृत्ति क्रमशः 439.31 लाख रुपये (डीम्ड लागत 576.17 लाख रुपये) और 9.75 लाख रुपये (डीम्ड लागत 48.83 लाख रुपये) थी। इसके अलावा, पिछले वर्ष की कटौती में वर्ष 2023-24 के दौरान सेवानिवृत्त और बेची गई 2.30 लाख रुपये (डीम्ड लागत 4.26 लाख रुपये) मूल्य की संपत्तियां शामिल हैं।

(ii) 31 मार्च 2025 तक के अनुसार संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति - 447.31 लाख रू. (31 मार्च, 2024 तक के अनुसार 544.47 लाख रू.) के संयंत्र एवं मशीनरी के साथ-साथ 61.88 लाख रू. (31 मार्च,2024: 61.88 लाख रू.) मूल्य के न्यू ड्राई डॉक का इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन भी शामिल है ।

(iii) 31 मार्च 2025 तक के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मॉडर्न हल शॉप, एक नया ड्राई डॉक, इंक्लाइंड बर्थ, पेंट सेल और अन्य विविध सुविधाएं जो आधारभूत अवसंरचना के विकास के आधुनिकीकरण के तहत बनाई गई हैं। ये परिसंपत्ति भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से 32,325.77 लाख रुपये (मूल लागत) में वित्त पोषित किया गया है।

(iv) 31 मार्च, 2025 तक के अनुसार विशेषरूप से नौसेना (मूल लागत) द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्ति 801.23 लाख रू. (31 मार्च, 2023: 801.23 लाख रू.) की है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल नहीं किए गए हैं ।

(v) 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता की भूमि का स्वामित्व भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पास है ।

(vi) 31 मार्च 2025 तक के अनुसार भवन राशि 95.96 लाख रू. (मूल लागत) (31 मार्च,2023:95.96 लाख रू.) की है जिसमें दिल्ली शिपयार्ड हाउस में कंपनी का एक तिहाई हिस्सा है। भवन पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगाँव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का संयुक्त रूप से अधिकार है ।

नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य

(लाख ₹ में)

विवरण	क	ख	ग	घ= (क+ख-ग)
	1 अप्रैल 2024 तक के अनुसार	जोड़	कटौतियां /समायोजन	31 मार्च 2025 तक के अनुसार
संयंत्र एवं उपकरण	421.63	748.55	1,007.85	162.33
डॉक्स एवं जेटी	-	6.05	-	6.05
कंप्यूटर	4.54	568.60	-	573.14
सिविल निर्माण	735.69	3,046.67	2,400.95	1,381.41
कुल	**1,161.86**	**4,369.87**	**3,408.80**	**2,122.93**
गत वर्ष	**484.45**	**1,939.26**	**1,261.85**	**1,161.86**

नोट 4 (क): विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	क	ख	ग	घ= (क+ख-ग)
	1 अप्रैल 2024 तक के अनुसार	जोड़	कटौतियां /समायोजन	31 मार्च 2025 तक के अनुसार
मूलरूप विकास	1,314.39	715.72	1,353.20	676.91
कुल	**1,314.39**	**715.72**	**1,353.20**	**676.91**
गत वर्ष	**119.60**	**1,194.79**	-	**1,314.39**

31 मार्च 2025 तक के अनुसार एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2025 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

सीडबल्यूआईपी	की अवधि हेतु सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	2,118.39	4.54	-	-	2,122.93
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**2,118.39**	**4.54**	-	-	**2,122.93**

31 मार्च 2025 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	की अवधि हेतु सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	485.03	191.88	-	-	676.91
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**485.03**	**191.88**	-	-	**676.91**

परियोजना पूरा होने की अवधि

31 मार्च 2025 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

सीडबल्यूआईपी	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना				
संयंत्र एवं उपकरण	4.97	-	-	-
डॉक्स एवं जेटी	232.32			
कंप्यूटर	69.93	-	-	-
सिविल निर्माण	1,217.70			
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**1,524.92**	-	-	-

31 मार्च 2025 तक के अनुसार

(लाख ₹ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना				
मूलरूप विकास	588.14	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**588.14**	-	-	-

नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य (जारी...)

31 मार्च 2024 तक के अनुसार एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

सीडबल्यूआईपी	की अवधि हेतु सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	1,161.86	-	-	-	1161.86
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**1,161.86**	**-**	**-**	**-**	**1,161.86**

31 मार्च 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	की अवधि हेतु सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	1,194.79	-	-	-	1,194.79
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**1,194.79**	**-**	**-**	**-**	**1,194.79**

परियोजना पूरा होने की अवधि

31 मार्च 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

सीडबल्यूआईपी	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना				
संयंत्र एवं उपकरण	60.75	-	-	-
कंप्यूटर	13.70	-	-	-
सिविल निर्माण	115.93	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**190.38**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना	325.17	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**325.17**	**-**	**-**	**-**

नोट 5: अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल, 2024 तक के अनुसार	योग	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	1 अप्रैल, 2024 तक के अनुसार	अवधि हेतु व्यय	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	31 मार्च 2024 तक के अनुसार
	क	ख	ग	घ = (क + ख - ग)	ङ	च	छ	ज=(-ङ+च-छ)	झ=(घ-ज)	
सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित)	2,726.62	309.20	0.68	3,035.14	1,967.90	275.09	0.68	2,242.31	792.83	758.72
प्रोटोटाइप	-	778.20	-	778.20	-	-	-	-	778.20	-
कुल अमूर्त परिसंपत्ति	**2,726.62**	**1,087.40**	**0.68**	**3,813.34**	**1,967.90**	**275.09**	**0.68**	**2,242.31**	**1,571.03**	**758.72**
गत वर्ष	**2,545.53**	**181.31**	**0.22**	**2,726.62**	**1,709.57**	**258.55**	**0.22**	**1,967.90**	**758.72**	

नोट 6: वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

नोट 6 (क): निवेश-गैर-वर्तमान

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
इक्विटी लेखपत्र		
सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त, अनुद्धृत		
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर		
वुडलैंड्स मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के 6,145 शेयर (31 मार्च 2024: 6,145) 10 रू.के प्रत्येक इक्विटी शेयर	0.44	0.44
कुल निवेश	**0.44**	**0.44**
कुल गैर-वर्तमान निवेश	**0.44**	**0.44**
अनुद्धृत निवेश की कुल रकम	0.44	0.44

यह मानते हुए कि निवेश राशि मटिरियल नहीं है, प्रबंधन का मानना है कि उसका उचित मूल्य भी इममटिरियल होगा और इसलिए उसे रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार लागत पर वहन किया जाता है।

नोट 6(ख): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	7,836.10	7,461.02
बिजली बोर्ड एवं अन्य के पास जमा	820.04	771.87
नौसेना से वसूलने योग्य आस्थगित ऋण	771.19	783.56
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)	**9,427.33**	**9,016.45**

नोट 7: गैर-वर्तमान कर परिसंपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
अग्रिम आयकर	9,642.54	7,766.96
जोड़ : टीडीएस और टीसीएस प्राप्य	29,036.97	34,776.09
	38,679.51	42,543.05
अल्प : आयकर का प्रावधान	(19,442.43)	(22,700.30)
कुल गैर-वर्तमान कर परिसंपति	**19,237.08**	**19,842.75**

नोट 8: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
पूर्व प्रदत्त व्यय	23.43	20.16
कुल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	**23.43**	**20.16**

नोट 9: वस्तुसूचियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
कच्चे माल एवं उपकरण	1,58,711.94	2,17,660.70
पी17ए का परिवर्तनीय मदें	1,83,858.80	1,70,171.39
	3,42,570.74	3,87,832.09
अल्प:अप्रचलन एवं अचल के लिए प्रावाधान	(826.29)	(1,106.29)
	3,41,744.45	3,86,725.80
ट्रांसिट में स्टॉक	736.02	5,025.06
चल रहे कार्य	12,478.40	6,445.17
स्टोर, पुर्जे एवं उपभोज्य वस्तुएँ	166.20	169.58
स्क्रैप	99.60	78.53
कुल वस्तुसूचियाँ	**3,55,224.67**	**3,98,444.14**

कच्चे माल और उपकरण में तीसरे पक्ष के पास पड़े `35,743.40 लाख (31 मार्च, 2024:` 44,475.14 लाख) शामिल हैं।

उपरोक्त सूची में ₹ 1,523.29 लाख (31 मार्च, 2024: 399.02 लाख) मूल्य की सामग्री शामिल है जो पारगमन में है, बिक्री के रूप में नहीं मानी जाती है, क्योंकि नियंत्रण अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान)

नोट 10(क): ट्रेड प्राप्य-वर्तमान

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
ट्रेड प्राप्य		
असुरक्षित, अच्छा समझा गया	25,945.77	19,420.70
असुरक्षित, संदिग्ध समझा गया	0.58	0.58
	25,946.35	19,421.28
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान	0.58	0.58
कुल ट्रेड प्राप्य-वर्तमान	**25,945.77**	**19,420.70**

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान) (जारी...)

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

31 मार्च, 2025 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	नियत भुगतान तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीनों से कम	6 महिना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	2,556.63	12,280.08	9,496.39	1,481.12	105.55	26.00	25,945.77
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	0.58	0.58
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**2,556.63**	**12,280.08**	**9,496.39**	**1,481.12**	**105.55**	**26.58**	**25,946.35**
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान							(0.58)
कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान							**25,945.77**

31 मार्च, 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	नियत भुगतान तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीनों से कम	6 महिना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	5,769.95	12,246.56	937.86	198.25	97.68	170.40	19,420.70
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	0.58	0.58
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**5,769.95**	**12,246.56**	**937.86**	**198.25**	**97.68**	**170.98**	**19,421.28**
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान							(0.58)
कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान							**19,420.70**

नोट 10(ख) : नकद और नकद समतुल्य (लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2025 तक के अनुसार**	**31 मार्च, 2024 तक के अनुसार**
बैंकों में शेष राशियाँ		
- चालू खातों में	388.27	526.99
हस्तगत नकदी	-	0.01
कुल नकद और नकद समतुल्य	**388.27**	**527.00**

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान) (जारी...)

नोट 10(ग): अन्य बैंक शेष

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
03 माह से 12 माह की परिपक्वता वाले बैंक जमा	3,63,784.10	3,36,910.30
पी17ए के परिवर्तनीय मद के लिए निर्धारित फ्लेक्सि बैंक जमा	8,999.42	34,585.23
अवैतनिक लाभांश खाता	13.61	11.31
कुल अन्य बैंक शेष	**3,72,797.13**	**3,71,506.84**

नोट 10(घ): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति- वर्तमान

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट के साथ जमा	2.73	2.73
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	501.01	681.29
ब्याज प्रोद्भूत किंतू जमा हेतु अदेय	10,669.79	12,792.35
अनुबंध परिसंपत्ति	9,185.25	8,630.05
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण का वर्तमान भाग	132.65	128.37
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान	**20,491.43**	**22,234.79**

नोट 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए या किसी और चीज के बदले में वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ		
- कर्मचारी	197.49	221.54
- बिक्री कर/वैट	67.08	67.08
- वस्तु एवं सेवा कर	1,19,100.37	92,642.00
- पूर्व प्रदत व्यय	2,443.80	2,588.44
- प्रदायक	53,955.10	33,863.79
अन्य प्राप्य	1,802.78	3,045.89
कुल अन्य वर्तमान परिसंपत्ति	**1,77,566.62**	**1,32,428.74**

नोट 12: बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
संयंत्र और उपकरण	3.17	14.08
फर्नीचर और फिक्सचर	1.02	1.05
कार्यालय उपकरण	0.86	0.86
बिक्री के लिय रखी गई परसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कुल परिसंपत्ति	**5.05**	**15.99**

गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन

प्रतिवेदन अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति को उसकी वहनकारी राशि से कम और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पर मापा गया था और प्रक्रिया के अनुसार निपटान करें ।कंपनी ने उचित मूल्य को रिलाईजेशन के ऐतिहासिक रुझान के आधार पर वहनकारी राशि से अधिक होने का अनुमान लगाया है।

नोट 13: इक्विटी शेयर कैपिटल एवं अन्य इक्विटी

नोट 13(क): इक्विटी शेयर कैपिटल

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत				
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 : 10 रुपए)	20,00,00,000	20,000.00	12,50,00,000	12,500.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड अप				
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 : 10 रुपए)	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
		11,455.20		11,455.20

बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या और राशि का पुनर्मूल्यांकन:

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
जोड़: उप-विभाजन पर शेयर जारी करना*	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**11,45,52,000**	**11,455.20**	**11,45,52,000.00**	**11,455.20**

*कंपनी ने 30 जून, 2017 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक और 25 अगस्त, 2017 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी, जिसमें ₹100/- प्रत्येक के 1,25,00,000 शेयर शामिल थे, को ₹10/- प्रत्येक के 12,50,00,000 शेयरों में उप-विभाजित किया। कंपनी ने 20 सितंबर, 2024 को आयोजित अपनी 108वीं वार्षिक आम बैठक में ₹10/- प्रत्येक के 7,50,00,000 शेयरों का सृजन करके अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को ₹10/- प्रत्येक के 20,00,00,000 शेयरों तक वृद्धि किया।

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य ₹10/- (31 मार्च,2024: 10/-रुपये) है। वे धारक को लाभांश में भाग लेने और धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि की संख्या के अनुपात में कंपनी के वाईडिंग अप प्रोसीड्स में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं।

व्यक्तिगत रूप से प्रॉक्सी द्वारा बैठक में मौजूद इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक, एक वोट के हकदार हैं, और चुनाव में प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक	31 मार्च 2025 तक के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	होल्डिंग%	शेयरों की संख्या	होल्डिंग%
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.50%	8,53,41,240	74.50%

प्रमोटरों का शेयरधारिता का प्रकटीकरण

31 मार्च, 2025 तक के अनुसार प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2025 तक के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक के अनुसार		वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.50%	8,53,41,240	74.50%	-

31 मार्च, 2024 तक के अनुसार प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2025 तक के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक के अनुसार		वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.50%	8,53,41,240	74.50%	-

नोट 13: इक्विटी शेयर कैपिटल एवं अन्य इक्विटी (जारी...)

नोट 13(ख) : अन्य इक्विटी

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व	928.80	928.80
सामान्य आरक्षित	6,064.86	6,064.86
प्रतिधारित आय	1,90,147.04	1,49,308.61
अन्य व्यापक आय	(669.66)	(413.58)
कुल आरक्षित और अधिशेष राशियाँ	**1,96,471.04**	**1,55,888.69**

(i) प्रतिधारित आय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
आरंभिक शेष	1,49,308.61	1,23,456.22
अवधि हेतु शुद्ध लाभ	52,740.38	35,726.77
प्रदत्त लाभांश	(1,649.55)	(801.86)
अंतरिम प्रदत्त लाभांश	(10,252.40)	(9,072.52)
समापन शेष	**1,90,147.04**	**1,49,308.61**

(ii) अन्य व्यापक आय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
आरंभिक शेष	(413.58)	(523.33)
अन्य व्यापक आय की मदों को मान्यता दी गई		
- परिभाषित योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (निवल कर)	(256.08)	109.75
समापन शेष	**(669.66)**	**(413.58)**

अन्य आरक्षित राशियों की प्रकृति और उद्देश्य:

नोट:

(i) कंपनी अधिनियम, 213 की धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि हस्तांतरित की है, इसलिए कंपनी के मुक्त रिजर्व से पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व खाते में खरीदा गया है। पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व मुक्त रिजर्व की प्रकृति में नहीं है।

(ii) सामान्य रिजर्व मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया जाता है। यह एक नि:शुल्क रिजर्व है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों का बाईबैक आदि।

नोट 14: वित्तीय देनदारियां (गैर वर्तमान)

ट्रेड देय -(गैर वर्तमान)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
रूसी आस्थगित ऋण - विदेशी आपूर्तिकर्ता	771.19	783.56
कुल ट्रेड देय (गैर वर्तमान)	**771.19**	**783.56**

नोट 14: वित्तीय देनदारियां (गैर वर्तमान) (जारी...)

ट्रेड देय एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2025 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	-	132.65	132.65	505.89	771.19
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**132.65**	**132.65**	**505.89**	**771.19**

31 मार्च 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	-	128.37	128.37	526.82	783.56
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**128.37**	**128.37**	**526.82**	**783.56**

नोट 15: प्रावधान (गैर वर्तमान)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
उपार्जित अवकाश देनदारी	7,708.16	7,640.80
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,701.40	1,560.55
कुल प्रावधान (गैर वर्तमान)	**9,409.56**	**9,201.35**

नोट 16: आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)

शेष में अस्थाई अंतर शामिल है जो निम्नलिखित से संबन्धित है: (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
आस्थगित कर देनदारियां		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	4,194.40	4,017.31
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**4,194.40**	**4,017.31**
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
परिभाषित लाभ दायित्व	2,564.89	2,550.64
संदिग्ध ट्रेड प्राप्तियों के लिए भत्ता	0.15	0.15
भारी अनुबंध के लिए प्रावधान	-	68.13
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**2,565.04**	**2,618.92**
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां	**1,629.36**	**1,398.39**

नोट 16 (क) : आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)

आस्थगित कर देनदारियों/(परिसंपत्ति) में मूवमेंट (लाख ₹ में)

विवरण	सपंत्ति, सयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्ति	परिभाषित लाभ दायित्व	अन्य मद	कुल
01 अप्रैल 2023 तक	**3,963.81**	**(2,445.59)**	**(66.32)**	**1,451.90**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
-लाभ या हानि हेतु	53.50	(141.97)	(1.96)	(90.43)
- अन्य व्यापक आय हेतु	-	36.92	-	36.92
01 अप्रैल 2024 तक	**4,017.31**	**(2,550.64)**	**(68.28)**	**1,398.39**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
-लाभ या हानि हेतु	177.09	71.89	68.13	317.11
- अन्य व्यापक आय हेतु	-	(86.14)	-	(86.14)
31 मार्च 2025 तक	**4,194.40**	**(2,564.89)**	**(0.15)**	**1,629.36**

नोट 17: वित्तीय देनदारियां (वर्तमान)

नोट 17(क): आदाता (वर्तमान) (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
सुरक्षित अल्पवधि ऋण :		
क) मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण		
- बैंक से	-	5,558.48
(आवधिक जमा द्वारा सुरक्षित)		
कुल आदाता (वर्तमान)	**-**	**5,558.48**

नोट 17(ख): ट्रेड देय (वर्तमान) (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
- सुक्ष्म और लुघ उद्योग	367.61	50.32
- रूसी आस्थगित ऋण	132.65	128.37
-अन्य	1,14,640.53	99,063.32
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**1,15,140.79**	**99,242.01**

व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31 मार्च, 2025 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	367.61	-	-	-	367.61
अन्य	48,086.03	51,002.43	3,860.03	11,824.69	1,14,773.18
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**48,453.64**	**51,002.43**	**3,860.03**	**11,824.69**	**1,15,140.79**

31 मार्च, 2024 तक के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	50.32	-	-	-	50.32
अन्य	74,892.33	7,898.79	7,865.96	8,534.60	99,191.69
डिस्प्यूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**74,942.65**	**7,898.79**	**7,865.96**	**8,534.60**	**99,242.01**

नोट 17(ग): अन्य वित्तीय देनदारियां (लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2025 तक के अनुसार**	**31 मार्च, 2024 तक के अनुसार**
सुरक्षा जमा	803.68	511.25
उपार्जित व्यय		
उपार्जित वेतन और लाभ	717.06	919.94
किराया	15.53	15.53
अप्रदत्त लाभांश	13.61	11.31
अन्य देय राशियाँ	2,022.86	2,088.49
कुल अन्य वित्तीय देनदारियां	**3,572.74**	**3,546.52**

नोट 18: अन्य वर्तमान देनदारियां

(लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2025 तक के अनुसार**	**31 मार्च, 2024 तक के अनुसार**
अनुबंध देनदारियां	6,90,004.03	7,32,716.82
सांविधिक देनदारियां	578.97	587.39
कुल अन्य वर्तमान देनदारियां	**6,90,583.00**	**7,33,304.21**

नोट 19: प्रावधान (वर्तमान)

(लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2025 तक के अनुसार**	**31 मार्च, 2024 तक के अनुसार**
गारंटी मरम्मत	1,910.88	1,050.86
उपार्जित अवकाश दायित्व	492.83	697.71
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	287.88	234.60
भारी अनुबंध	-	270.66
अन्य प्रावधान	2,731.84	1,550.09
कुल प्रावधान (वर्तमान)	**5,423.43**	**3,803.92**

व्यक्तिगत प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुमानों के बारे में जानकारी

गारंटी मरम्मत

सुपुर्द किए गए पोतों और अन्य उत्पादों के संबंध में अनुमानित वारंटी दावों के लिए प्रावधान किया गया है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत में अभी भी वारंटी के अधीन है। प्रबंधन, बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर सुपुर्द किए पोतों के संबंध में भावी वारंटी दावों के लिए संबन्धित प्रावधान का अनुमान किया जाता है जो ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के साथ-साथ हालिया रुझानों पर ध्यान देता है जो यह सुझाव दे सकता है कि पूर्व लागत जानकारी, भावी दावों से अलग हो सकती है। वर्तमान अवधि में लगाए गए पूर्वानुमान, पूर्व वर्ष में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुरूप हैं। अनुमानित दावा जानकारी को प्रभावित कर सकने वाले कारकों में, कंपनी की उत्पादकता और गुणवत्ता पहलों की सफलता शामिल है।

अन्य उत्पादों के प्रबंधन के संबंध में प्रावधान के लिए ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के आधार पर प्रावधान का अनुमान है और किसी भी हाल के रुझान है कि भविष्य के दावों का सुझाव दे सकते है ऐतिहासिक मात्र से अलग हो सकता है ।

दुर्भर अनुबंध के लिए प्रावधान

31 मार्च 2024 तक, वित्त वर्ष 23-24 तक प्रदान किए गए कुल 602.35 लाख रुपये के दुर्भर प्रावधान में से असमायोजित दुर्भर प्रावधान 270.66 लाख रुपये (बांग्लादेशी नौकाओं के लिए) था। लागत/समय वृद्धि के कारण बांग्लादेशी नौकाओं के संबंध में चालू वित्त वर्ष में 1196.96 लाख रुपये का अतिरिक्त दुर्भर प्रावधान निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रावधान समायोजित किया गया है।

दुर्भर हानि के लिए प्रावधान का संचलन "प्रावधान संचलन" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधान प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी संबंधित प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रावधानों में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान के प्रमुख श्रेणी में मूवमेंट के बारे में निम्न प्रस्तुत है :

(लाख ₹ में)

विवरण	गारंटी मरम्मत	दुर्वह अनुबंध का प्रावधान	अन्य प्रावधान
1 अप्रैल 2023 तक के अनुसार	**600.01**	**279.07**	**1,217.73**
लाभ या हानि में शलुक लिया गया/(जमा किया गया)			
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	777.44	155.22	1,541.17
अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई			
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(326.59)	(163.63)	(1208.81)
31 मार्च 2024 तक के अनुसार	**1,050.86**	**270.66**	**1,550.09**
लाभ या हानि में शलुक लिया गया/(जमा किया गया)			
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	1,277.09	1,196.96	2,784.23
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(417.07)	(1,467.62)	(1,602.48)
31 मार्च 2025 तक के अनुसार	**1,910.88**	**-**	**2,731.84**

नोट 20: संचालन से राजस्व

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च , 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2024 को समाप्त वर्ष
(क) अनुबंध राजस्व		
- पोत निर्माण	4,44,852.57	3,06,918.46
- पोत मरम्मत	10,000.16	7,566.45
- सामान्य इंजीनियरिंग	-	379.25
- डीजल इंजन	4,997.78	4,410.93
(ख) उत्पादों की बिक्री		
- बी एवं डी स्पेयर्स	27,650.26	19,727.78
- बेली ब्रिज	11,096.63	11,476.52
- सामान्य इंजीनियरिंग	372.64	2,289.82
- गन	3,200.00	-
(ग) सेवाओं की बिक्री		
- पोत मरम्मत	1,382.19	1,722.72
- बेली ब्रिज	3,449.39	2,546.99
- सामान्य इंजीनियरिंग	60.77	24.31
- डीजल इंजन	35.92	378.84

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च , 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2024 को समाप्त वर्ष
(घ) विविध परियोजना	-	16.99
(ङ) परियोजना सहायता	-	1,387.25
(च) अन्य संचालनीय राजस्व		
- स्क्रैप की बिक्री	452.96	412.24
- प्रशिक्षण शुल्क	17.50	5.68
संचालन से कुल राजस्व	**5,07,568.77**	**3,59,264.23**

i. निर्यात अनुबंध से संचालन से उपरोक्त शामिल राजस्व ₹7,363.12 लाख (वित्त वर्ष 23- 24 : ₹ 4,690.06 लाख)।

ii. निर्यात बिक्री ₹6,964.68 लाख (वित्त वर्ष 23-24 : ₹ 4,550.67 लाख)।

iii. कंपनी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है और अधिसचूना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जन, 2015 में संशोधन करके दिनांक 23 फरवरी, 2018 की अधिसचूना एस.ओ. 802 (ई) के माध्यम से सेगमेंट रिपोर्टिंग से छूट दी गई थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इंड एएस 115 के तहत ऑपरेटिंग सेगमेंट पर कंपनी द्वारा अलग-अलग कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट 21: अन्य आय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	24,973.68	27,135.47
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	293.72	812.54
उचित मूल्यांकन पर लाभ		
-अन्य	835.47	998.76
किराया आय	12.59	74.75
शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ	772.36	-
बीमा दावे	0.40	53.50
देनदारियाँ/प्रावधान रिटेन बैंक	3,268.79	675.67
रिटायर्ड परिसंपत्ति (शद्ध) पर लाभ/(हानि)	132.88	132.89
अन्य आय	3,193.86	78.61
कुल अन्य आय	**33,483.75**	**29,962.19**

नोट:

अन्य मदों में पहले वितरित परियोजना के विरुद्ध वर्ष के दौरान ग्राहक द्वारा निपटाए गए और प्राप्त परिसमाप्त क्षति की छूट के लिए 2,955.90 लाख रुपये की वापसी शामिल है।

नोट 22(क): खपत की गई सामग्रियों की लागत

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल	31,042.07	31,336.99
उपकरण एवं घटक	3,01,428.26	1,74,699.79
खपत की गई सामग्रियों की कुल लागत	**3,32,470.33**	**2,06,036.78**

नोट 22(ख): चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में परिवर्तन

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	3,659.29	4,603.60
- इंजन यूनिट	308.78	186.68
- अन्य	2,477.10	947.26
कुल आरंभिक शेष	**6,445.17**	**5,737.54**
समापन शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	4,978.09	3,659.29
- इंजन यूनिट	610.19	308.78
- अन्य	6,890.12	2,477.10
कुल समापन शेष	**12,478.40**	**6,445.17**
चल रहे कार्य की वस्तुस्तुचूी में कुल परिवर्तन	(6,033.23)	(707.63)
स्क्रैप की वस्तुस्तुचूी में परिवर्तन	(21.07)	102.08
चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में कुल परिवर्तन	**(6,054.30)**	**(605.55)**

नोट 23: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और पारिश्रमिक	27,991.27	26,368.75
भविष्य निधि और अन्य कोश में योगदान	3,702.89	4,000.03
कर्मचारी कल्याण व्यय	4,390.50	4,524.55
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**36,084.66**	**34,893.33**

नोट 24: वित्त लागत

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय		
बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज व्यय	296.66	683.42
एलडी देयता पर ब्याज व्यय	618.00	340.65
-लीज देयता पर ब्याज व्यय	79.84	85.41
-सूक्ष्म एवं सघु उद्यमों के बकाया पर ब्याज	37.78	39.44
कुल वित्त लागत	**1,032.28**	**1,148.92**

नोट 25: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मलूयह्रास	3,974.14	3,874.11
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	275.09	258.55
कुल मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**4,249.23**	**4,132.66**

नोट 26: अन्य व्यय - परियोजना सबंन्धित

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
सुविधा किराया	578.48	507.83
बीमा	1,296.95	1,019.58
यात्रा व्यय	369.32	456.91
तकनीशियनों की फीस	11,114.24	6,817.32
जलावतरण और प्रवर्तीकरण संबंधित व्यय	62.19	300.57
बैंक प्रभार	500.69	366.44
विविध व्यय	896.60	435.37
कुल अन्य व्यय - परियोजना संबंधित	**14,818.47**	**9,904.02**

नोट 27: अन्य व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
स्टोर्स और स्पेयर्स पार्ट्स की खपत	143.01	160.82
बिजली और ईधन	1,183.19	983.04
किराया	300.76	462.43
मरम्मत और रखरखाव		
- भवन	478.85	638.92
- संयंत्र एवं उपकरण	1,248.01	1,174.89
- अन्य	1,251.61	1,571.02
बीमा	721.96	594.74
दरें और कर	625.33	507.14
मार्केटिंग व्यय	196.50	275.87
स्टोर खाली करने और प्रेषण का खर्च	57.50	15.92
अगतिमान एवं अप्रचलित वस्तुस्तुची हेतु प्रावधान	116.87	409.92
परिवहन किराया शुल्क	379.55	374.81
यात्रा व्यय	332.85	312.11
विज्ञापन और प्रचार	259.30	372.56
बैंक चार्ज एवं कमीशन	53.07	116.27
मुद्रण और लेखन सामग्री	14.99	8.92
डाक एवं कूरियर	8.72	7.27
टेलीफोन और फैक्स	43.42	41.94
कानूनी खर्च	242.94	34.95
निगमित सामाजिक दायित्व	695.00	511.00

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता	7.12	8.05
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:		
(क) लेखा परीक्षण शुल्क	10.75	8.60
(ख) कर लेखा परीक्षण शुल्क	1.73	1.25
(ग) अन्य सेवाओं हेतु शुल्क	9.60	7.45
सीआईएसएफ़ व्यय	3,670.74	3,429.69
रिटेन ऑफ की गई परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	6.26	439.32
शुद्ध विदेशी मुद्रा हानि	-	259.71
अन्य विविध व्यय	583.35	695.76
कुल अन्य व्यय	**12,642.98**	**13,424.37**

उपरोक्त नोटों में संबंधित विभिन्न शीर्षों के तहतअनुसंधान और विकास पर कुल ₹2,939 लाख (विगत वर्ष ₹ 2,395 लाख) रू का व्यय परिलक्षित होता है ।

नोट 28 (क): आयकर व्यय

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
आयकर व्यय		
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	17,271.48	12,455.75
कुल वर्तमान कर व्यय	**17,271.48**	**12,455.75**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर (लाभ)/व्यय	317.11	(90.43)
कुल आस्थगित कर व्यय	**317.11**	**(90.43)**
आयकर व्यय	**17,588.59**	**12,365.32**

(ख) कर व्यय का मिलान और कर दर गुणित लेखांकन लाभ:

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
भारत में अधिनियमित आयकर दर जो कर पूर्व कंपनी के लाभ पर लागू होती है	25.17%	25.17%
कर पूर्व लाभ	70,328.97	48,092.09
भारत में अधिनियमित आयकर दर पर कर व्यय पूर्व लाभ पर वर्तमान कर	**17,700.40**	**12,103.82**
व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं है	1,999.14	2,065.58
व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने योग्य है	(2,429.62)	(2,078.07)
निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं हैं	174.92	128.61
कर-मुक्त आय का प्रभाव	(364.37)	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन हेतु समायोजन	317.11	(90.43)
विगत वर्ष के अतिरिक्त प्रावधान हेतु समायोजन	-	-
यू/एस 234बी एवं सी का व्याज का प्रभाव	191.01	235.81
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	**17,588.59**	**12,365.32**

नोट 29: आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

भारतीय लेखा मानक 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुसार, प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं: (लाख ₹ में)

(क)	आकस्मिक देयताएं	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(i)	कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	9,257.26	9,305.70
(ii)	निष्पादनाधीन अनुबंधों पर परिसमाप्त क्षति की अनुमानित राशि*	480.00	-
(iii)	गारंटी		
	क) बैंकों द्वारा दी गई गारंटी	6,44,297.12	5,23,823.04
	ख) प्रदर्शन और वारंटी के लिए क्षतिपूर्ति बांड	1,26,032.44	1,10,311.42
	ग) अव्यवहित ऋण पत्र	239.96	4,954.30
(iv)	अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
	क) बिक्री कर	506.83	506.83
	ख) आयकर	1,683.57	1,633.19
	ग) जीएसटी	216.70	266.52
	घ) सीमा शुल्क	401.51	-

* नौसेना के सक्षम प्राधिकारी के गोलाबारूद के साथ नेवल सरफेस गन की डिलीवरी की तारीख बढ़ाने का विचार है। चूंकि, इस तरह की मंजूरी का इंतजार है, इसलिए पहले से ही पूरा किए गए प्रदर्शन दायित्व और जिसके संबंध में राजस्व पहले ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है, के संबंध में 480 लाख रुपये के लिक्विडेटेड हर्जाने (एलडी) को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर शेष हिस्से के लिए प्रदर्शन दायित्व के संबंध में, एलडी पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित राजस्व मान्यता प्राप्त नहीं है।

(क) बिक्री कर के कारण आकस्मिक देयता 506.83 लाख रुपये है (31 मार्च, 2024 506.83 लाख रुपये) जो वर्ष 2007-08 के लिए मूल्यांकन बकाया और मांग के लिए है। इस राशि को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में इसका प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मांग पश्चिम बंगाल बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के अधीन है।

(ख) आयकर के कारण आकस्मिक देयता 1683.57 लाख रुपये (31 मार्च, 2023: 1633.19 लाख) है, आयकर प्राधिकरण द्वारा 2009-10 के लिए फॉर्म 26AS के आधार पर कर योग्य आय में मनमाना वृद्धि - 1674.96 लाख रुपये, और 80 जी छूट की अस्वीकृति - 2017-18 के लिए 8.61 लाख रुपये। उपरोक्त विवादों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी मुद्दे अपील के पहले चरण में हैं।

(ग) जीएसटी के कारण आकस्मिक देयता 216.70 लाख रुपये (31 मार्च, 2024: 266.52 लाख) है, जो मुख्य रूप से आईटीसी के मनमाने बेमेल के कारण करों और ब्याज की मांग से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018-19 के विवाद के लिए है। उपरोक्त विवाद को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में इसका प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी मुद्दे अपील के पहले चरण में हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मनमाने ढंग से देर से भुगतान के लिए ब्याज की मांग से संबंधित 266.52 लाख रुपये की राशि के विवाद को जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में धारा 128ए के तहत सुलझा लिया गया है और मांग को खारिज कर दिया गया है, इसलिए 266.52 लाख रुपये की आकस्मिक देयता वापस ले ली गई है।

(घ) आयात चित्रों पर सीमा शुल्क के कम भुगतान के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय, काकीनाडा उप-क्षेत्रीय इकाई से मांग के लिए सीमा शुल्क के कारण आकस्मिक देयता 401.51 लाख रुपये (ब्याज सहित) है। डीआरआई द्वारा उठाई गई मांग में कहा गया है कि आयात यानी, "निर्यात ड्रेजिंग जहाज में उपयोग के लिए 1000 एम3 टीएसएच ड्रेजर (यार्ड 2121) के लिए बैच 1 और 2 चित्र" "शून्य" सीमा शुल्क का लाभ उठाने के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं। डीआरआई को अन्य औचित्य दिए जा रहे हैं। इसलिए, उपरोक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में प्रदान नहीं किया गया है।

(ङ) आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई राशियाँ उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राप्त सर्वोत्तम संभावित अनुमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नकदी प्रवाह की अनिश्चितताएँ और समय-सीमा विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के परिणामों पर निर्भर करती हैं, जिन्हें कंपनी या दावेदारों द्वारा लागू किया गया है, जैसा भी मामला हो, और इसलिए इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है। प्रबंधन की राय में, ऊपर उल्लिखित विवादों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है, क्योंकि कंपनी द्वारा की गई अपीलों के सफल परिणाम की उचित संभावनाएँ हैं।

नोट 30: प्रतिबद्धताएँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	4,737.18	3,404.37
उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम भुगतान	-	-

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व

(i) छुट्टी संबंधी दायित्व

अवकाश दायित्वों में कंपनी की बीमारी और अर्जित अवकाश के लिए देयता शामिल है।

पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी को उम्मीद नहीं है कि सभी कर्मचारी अर्जित अवकाश की पूरी राशि लेंगे या अगले 12 महीनों के भीतर भुगतान की आवश्यकता होगी। तदनुसार, 492.83 लाख रुपये (31 मार्च, 2024 697.71 लाख रुपये) का अवकाश दायित्व चालू के रूप में प्रस्तुत किया गया है और शेष राशि को गैर चालू के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अवकाश दायित्व एक गैर-वित्तपोषित योजना है, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित योजना में योगदान देती है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए धन के अलावा अनुमानित दायित्व के लिए एक प्रावधान को पूरी तरह से मान्यता दी जाती है।

(लाख ₹ में)

विवरण	छुट्टी दायित्व
31 मार्च, 2024 तक	
वर्तमान भाग	697.71
गैर-वर्तमान भाग	7,640.80
कुल	**8,338.51**
31 मार्च, 2025 तक	
वर्तमान भाग	492.83
गैर-वर्तमान भाग	7,708.16
कुल	**8,200.99**

(ii) रोजगार पश्चात दायित्व

(क) ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्रदान करती है। 5 वर्ष की अवधि तक लगातार सेवा में रहने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्ति/समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी द्वारा प्रति माह अंतिम बार प्राप्त मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) है, जिसे 15 दिनों के वेतन (एक महीने में 26 दिन की गणना) के अनुपात में सेवा के वर्षों की संख्या से गुणा किया जाता है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्तपोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त निधियों में योगदान करती है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए फंड के अलावा अनुमानित दायित्व के लिए एक प्रावधान को पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है।

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना

कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना संचालित करती है। यह योजना एक गैर-वित्तपोषित योजना है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, अनुमानित दायित्व के लिए एक प्रावधान को पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है। उपरोक्त के अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, परिभाषित अंशदान योजनाएँ और प्रीमियम हैंबीमा कंपनी को 1236.36 लाख रुपये (31 मार्च, 2024: 1,332.60 लाख रुपये) का भुगतान किया गया। बीमा कंपनी को देय अंशदान के अलावा कर्मचारियों के लिए कोई अन्य दायित्व नहीं है।

(ग) भविष्य निधि

कंपनी द्वारा स्थापित छूट प्राप्त भविष्य निधि इंड एएस 19 कर्मचारी लाभ के अंतर्गत एक परिभाषित लाभ योजना है। पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। यह योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान और उस पर संचित ब्याज कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय जो भी पहले हो, देय होता है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर लाभ तुरंत प्राप्त हो जाता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक क़ानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदानरु.1,935.36 लाखवर्ष 2024-25 के लिए (वर्ष 2023-24 के लिए 2,100.86 लाख रुपये)। ट्रस्ट द्वारा लाभार्थियों को हर साल देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेशों से प्राप्त रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) और अधिसूचित ब्याज दर के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करे। कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए जीआरएसई के छूट प्राप्त भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभों के भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

(लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
1 अप्रैल, 2024	47,838.51	(48,132.60)	(294.09)
वर्तमान सेवा लागत	1,770.19	-	1,770.19
ब्याज व्यय/(आय)	3,336.30	(3,356.88)	(20.59)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**5,106.49**	**(3,356.88)**	**1,749.60**
पुनर्मापन			
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, छूट दर से अधिक/(कम)	-	516.50	(516.50)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	(37.09)	-	(37.09)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.71)	-	(0.71)
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	862.86	-	862.86
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**825.06**	**516.50**	**308.56**
नियोक्ता अंशदान/भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(1,770.19)	(1,770.19)
लाभ भुगतान	(4,770.75)	4,770.75	-
प्रतिभागियों का योगदान	2,592.04	(2,592.04)	-
में स्थानांतरण	-	-	-
31 मार्च, 2025	**51,591.35**	**(51,597.47)**	**(6.12)**

वित्त वर्ष 2020-21 से कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान को परिभाषित अंशदान योजना से परिभाषित लाभ योजना में वर्गीकृत करने के संबंध में अपनी लेखा नीति में बदलाव किया है। लेखा नीति में यह परिवर्तन लागू किया गया और पाया गया कि लाभ के लिए उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्तियाँ सेवानिवृत्ति लाभों के वर्तमान मूल्य की तुलना में अधिक हैं। इसलिए, चालू वर्ष के दौरान कंपनी के खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) परिभाषित अंशदान योजना:

अधिवर्षिता पेंशन फंड:

पेंशन योजना का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कंपनी ने एक राशि हस्तांतरित की हैवर्ष 2024-25 के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए एलआईसी को अधिकारियों और गैर-संघटित पर्यवेक्षकों के लिए 457.79 लाख रुपये (वर्ष 2023-24 के लिए 512.70 लाख रुपये)।

यूनियनबद्ध कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना 01 जनवरी 2012 से लागू की गई है।वर्ष 2024-25 के लिए एलआईसी को 509.33 लाख रुपये (वर्ष 2023-24 के लिए 583.28 लाख रुपये) ऑपरेटरों और कार्यालय सहायकों के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में हस्तांतरित किए गए हैं।

जीआरएसई में दिसंबर 2024 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई है, जो उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने मौजूदा सुपरएनुएशन पेंशन योजना के स्थान पर एनपीएस को चुना है। एचडीएफसी पहले वर्ष के लिए पेंशन फंड मैनेजर है। नियोक्ताओं के अंशदान के लिए एचडीएफसी को 131.20 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

(iv) बैलेंस शीट मान्यता

(क) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना

वर्ष के दौरान बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशियां और शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
1 अप्रैल, 2023	1,682.78
वर्तमान सेवा लागत	69.03
ब्याज व्यय/(आय)	117.29
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**186.32**
पुनर्मापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	68.15
अनुभव (लाभ)/हानि	(142.10)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(73.95)**
नियोक्ता अंशदान/भुगतान किया गया प्रीमियम	-
लाभ भुगतान	-
31 मार्च, 2024	**1,795.15**

(लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
1 अप्रैल, 2024	1,795.15
वर्तमान सेवा लागत	89.88
ब्याज व्यय/(आय)	125.12
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**215.00**
पुनर्मापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	75.45
अनुभव (लाभ)/हानि	(96.32)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(20.87)**
नियोक्ता अंशदान/भुगतान किया गया प्रीमियम	-
लाभ भुगतान	-
31 मार्च, 2025	**1,989.28**

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

(ख) ग्रेच्युटी

वर्ष के दौरान तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियां और शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
1 अप्रैल, 2023	12,287.27	(12,287.27)	-
वर्तमान सेवा लागत	750.96	-	750.96
ब्याज व्यय/(आय)	814.95	(856.42)	(41.47)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1,565.91**	**(856.42)**	**709.49**
पुनर्मापन			
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-	(15.83)	(15.83)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	261.44	-	261.44
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	(318.33)	-	(318.33)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(56.89)**	**(15.83)**	**(72.72)**
नियोक्ता अंशदान/भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(636.77)	(636.77)
लाभ भुगतान	(1,189.82)	1,189.82	-
31 मार्च, 2024	**12,606.47**	**(12,606.47)**	**-**

(लाख ₹ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2024	12,606.47	(12,606.47)	-
वर्तमान सेवा लागत	617.86	-	617.86
ब्याज व्यय/(आय)	821.38	(821.38)	-
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1,439.24**	**(821.38)**	**617.86**
पुनर्मापन			
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, छूट दर से अधिक/(कम)	-	(158.14)	(158.14)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	(21.30)	-	(21.30)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	191.09	-	191.09
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	351.44	-	351.44
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**521.23**	**(158.14)**	**363.09**
नियोक्ता अंशदान/भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(980.95)	(980.95)
लाभ भुगतान	(1,643.90)	1,643.90	-
31 मार्च, 2025	**12,923.04**	**(12,923.04)**	**-**

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

(v) महत्वपूर्ण अनुमान: बीमांकिक मान्यताएँ

महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताएं इस प्रकार थीं:

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट की दर	6.75%	6.97%
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	6.75%	6.97%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
संघर्षण दर	1.00%	1.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-2008) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-2015) अल्टीमेट

ग्रेच्युटी और चिकित्सा के लिए भविष्य की मृत्यु दर के बारे में धारणाएँ प्रकाशित सांख्यिकी और अनुभव के अनुसार एक्चुरियल सलाह के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। ये धारणाएँ 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए वर्षों में औसत जीवन प्रत्याशा में तब्दील हो जाती हैं।

(vi) संवेदनशीलता विश्लेषण

भारित मूल मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता है: (लाख ₹ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) पर प्रभाव			
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	बढ़ोतरी	घटाना	बढ़ोतरी	घटाना
छूट की दर(-/+ 0.5%)	12,496.25	13,377.75	12,146.21	13,098.10
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-3.30%	3.50%	-3.65%	3.90%
वेतन वृद्धि दर(-/+ 0.5%)	13,146.56	12,686.46	12,840.27	12,356.28
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	1.70%	-1.80%	1.85%	-1.98%
संघर्षण दर(-/+ 0.5%)	12,965.10	12,878.06	12,607.12	12,605.82
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.30%	-0.30%	0.01%	-0.01%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर(-/+ 10%)	12,925.63	12,920.46	12,608.46	12,604.47
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.02%	-0.02%	0.02%	-0.02%

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ पर प्रभाव			
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	बढ़ोतरी	घटाना	बढ़ोतरी	घटाना
छूट की दर(-/+ 0.5%)	2,058.91	1,917.67	1,745.60	1,843.80
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	3.50%	-3.60%	-2.76%	2.71%
संघर्षण दर(-/+ 0.5%)	1,924.39	2,057.18	1,792.45	1,797.84
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-3.30%	3.40%	-0.15%	0.15%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर(-/+ 10%)	1,984.31	1,994.25	1,790.48	1,799.81
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-0.25%	0.25%	-0.26%	0.26%

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक धारणा में परिवर्तन पर आधारित है, जबकि अन्य सभी धारणाएं स्थिर हैं। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ धारणाओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ देयता की गणना करते समय उसी विधि (रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि के साथ गणना की गई परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) को लागू किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त पद्धतियों और मान्यताओं के प्रकार में पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(vii) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों द्वारा वित्तपोषित हैं। कंपनी के पास बीमा कंपनियों को प्रदान की गई निधियों का प्रबंधन करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार, योजना परिसंपत्तियों की प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की संरचना का खुलासा नहीं किया गया है।

नोट 31: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

(viii) जोखिम जोखिम

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, कंपनी कई जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नीचे वर्णित हैं:

निवेश जोखिम:

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों द्वारा वित्तपोषित हैं। कंपनी के पास बीमा कंपनियों को प्रदान की गई निधियों का प्रबंधन करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य भारत सरकार के बांड के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके गणना की जाती है। यदि योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटा पैदा करेगा।

ब्याज जोखिम:

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी से योजना देयता में वृद्धि होगी।

जीवन प्रत्याशा:

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य रोजगार के दौरान और उसके अंत में योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

(ix) परिभाषित लाभ दायित्व और नियोक्ता अंशदान

31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोजगार-पश्चात लाभ योजनाओं में अपेक्षित योगदान 2,217.31 लाख रुपये है।

परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) की भारित औसत अवधि 8 वर्ष है और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ 7 वर्ष है। बिना छूट वाले ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(लाख ₹ में)

विवरण	एक साल से भी कम	1 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2025 तक		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	994.40	21,979.58
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	297.44	7,104.17
कुल	**1,291.84**	**29,083.75**
31 मार्च, 2024 तक		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	1,407.98	22,763.57
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	242.56	6,428.17
कुल	**1,650.54**	**29,191.74**

नोट 32: संबंधित पक्ष लेनदेन

कंपनी का नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के पास है और इसका स्वामित्व 74.50% है।

(क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजा

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	331.06	285.44
रोजगार पश्चात मिलने वाले लाभ	12.39	11.77
सम्पूर्ण प्रतिकर	**343.45**	**297.21**

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को देय राशि के संबंध में कोई राशि वापस नहीं ली गई है।

(ख) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

चूंकि जीआरएसई रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी संस्था है, इसलिए कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त की है।

नोट 32: संबंधित पक्ष लेनदेन (जारी...)

हालांकि भारतीय लेखा मानक 24 के तहत आवश्यक, निम्नलिखित व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन हैं: (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री		
माल की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व में)	87,381.21	84,878.42
सेवाओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	5,761.00	9,204.83
अन्य लेनदेन		
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	1,228.91	597.39
शेयरधारक को अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया	7,638.04	6,759.03

(ग) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष राशि

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
व्यापार प्राप्य (माल और सेवाओं की बिक्री)	21,743.97	17,046.55
संस्थाएं (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)		

नोट 33: उचित मूल्य मापन

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश						
इक्विटी साधन	0.44	-	-	0.44	-	-
म्यूचुअल फंड	-			-		
ट्रेड प्राप्य	-	-	25,945.77	-	-	19,420.70
सुरक्षा जमा	-	-	822.77	-	-	774.60
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	903.84	-	-	911.93
अनुबंध परिसंपत्ति	-	-	9,185.25	-	-	8,630.05
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	388.27	-	-	527.00
अन्य बैंक बैलेंस	-	-	3,72,797.13	-	-	3,71,506.84
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति						
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन जमा हेतु देय नहीं	-	-	10,669.79	-	-	12,792.35
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**0.44**	**-**	**4,20,712.82**	**0.44**	**-**	**4,14,563.47**
वित्तीय देनदारियां						
ऋण	-	-	-	-	-	5,558.48
लीज देनदारियां	-	-	966.88	-	-	1,008.58
ट्रेड देय	-	-	1,15,911.98	-	-	1,00,025.57
सुरक्षा जमा	-	-	803.68	-	-	511.25
अन्य	-	-	2,769.06	-	-	3,035.27
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**1,20,451.60**	**-**	**-**	**1,10,139.15**

(i) उचित मूल्य पदानुक्रम

इस अनुभाग में, वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए अनुमान और निर्णय शामिल हैं जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की गई है और मापा गया है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा गया है और जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया गया है । उचित मूल्य का निर्धारण करने में इस्तेमाल किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है ।

नोट 33: उचित मूल्य मापन (जारी...)

(लाख ₹ में)

31 मार्च, 2025 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तिय और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश	-	-	0.44	0.44
म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश	-	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**-**	**0.44**	**0.44**

31 मार्च, 2025 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	903.84	903.84
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	25,945.77	25,945.77
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**-**	**26,849.61**	**26,849.61**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	-	-	12,562.97	12,562.97
रूसी आस्थगित क्रेडिट	-	-	903.84	903.84
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**13,466.81**	**13,466.81**

31 मार्च, 2024 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तिय और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश	-	-	0.44	0.44
म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश		-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**-**	**0.44**	**0.44**

31 मार्च, 2024 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	911.93	911.93
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	19,420.70	19,420.70
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**-**	**20,332.63**	**20,332.63**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	-	-	11,271.64	11,271.64
रूसी आस्थगित क्रेडिट	-	-	911.93	911.93
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**12,183.57**	**12,183.57**

(ii) उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल्य निर्धारण तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट मूल्य निर्धारण तकनीकों मेंशीर्ष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण शामिल है जो छूट युक्त नकद प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है ।

नोट 33: उचित मूल्य मापन (जारी...)

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक के अनुसार		31 मार्च 2024 तक के अनुसार	
	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण	903.84	903.84	911.93	911.93
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**903.84**	**903.84**	**911.93**	**911.93**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	12,562.97	11,361.47	11,271.64	10,286.83
रूसी आस्थगित ऋण	903.84	903.84	911.93	911.93
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**13,466.81**	**12,265.31**	**12,183.57**	**11,198.76**

ट्रेड प्राप्य, ट्रेड देय, नकद एवं नकद समतलुय की वहनकारी राशियों को उनका उचित मूल्य ही माना गया है ।

वित्तीय साधनों के उचित मूल्य की गणना, एक ही परिपक्वता के लिए प्रतिवेदन तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की फंड आधारित उधार ब्याज दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) का इस्तेमाल करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर किया गया । उन्हें प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सहित अप्रत्यक्ष इनपुट के समावेश के कारण उचित मलूय पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के वर्गीकृत किया गाय है ।

नोट 34: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में हैं: ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम (अर्थात विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम)।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों के बारे में बताता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है:

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्य और वित्तीय परिसंपत्तियां परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।	बैंक जमा और ऋण सीमा का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	वित्तीय दायित्व जिनका निपटान नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करके किया जाता है।	नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना तथा देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना।
बाजार जोखिम – विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं जो भारतीय रुपए (आईएनआर) में मूल्यवर्गित नहीं हैं।	मुद्रा में उतार-चढ़ाव के लिए खरीदारों से प्रतिपूर्ति।

(ए) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी को अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियां) से क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियाँ

ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा किया जाता है, जो ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रण के अधीन है। व्यापार प्राप्तियां ब्याज रहित होती हैं और आम तौर पर कोई क्रेडिट शर्तें नहीं रखती हैं। बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। व्यापार प्राप्तियां मुख्य रूप से नौसेना (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) से होती हैं, इसलिए ऋण जोखिम कम माना जाता है। इसके अलावा, कंपनी को ऑर्डर के बदले अग्रिम राशि मिलती है जो ऋण जोखिम को भी कम करती है। व्यापार प्राप्तियों की आयु के लिए कृपया नोट 10 (ए) देखें।

(ii) वित्तीय उपकरण और जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि से ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी द्वारा किया जाता है। अधिशेष निधियों का निवेश कंपनी के अधिशेष निधियों के निवेश पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। जोखिमों की सांद्रता को कम करने और भुगतान करने में प्रतिपक्ष की संभावित विफलता के कारण वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को बैलेंस शीट के घटकों के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का अधिकतम जोखिम नोट 6 (बी), नोट 10 (बी) और नोट 10 (सी) में दर्शाई गई वहन राशि है।

नोट 34: वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी...)

(ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसीसंस्था को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसका निपटान नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करके किया जाता है।

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता। अंतर्निहित व्यवसाय की प्रकृति के कारण, कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और तरल निवेश उपलब्ध रखती है।

कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाह्य विनियामक आवश्यकताओं (यदि कोई हो) के विरुद्ध बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाएं सभी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों का प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण करती हैं।

तालिका में बताई गई राशियाँ संविदागत छूट रहित और पुनर्निर्धारित नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के भीतर देय शेष राशि उनके वहन शेष के बराबर है क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

(लाख ₹ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 2025	एक वर्ष या उससे कम	1 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	-	-	-
व्यापार देयताएं	1,15,140.79	1,459.16	1,16,599.95
पट्टा देयताएं	204.80	2,212.64	2,417.44
अन्य वित्तीय देयताएं	3,592.74	-	3,592.74
कुल वित्तीय देयताएं	**1,18,938.33**	**3,671.80**	**1,22,610.13**

(लाख ₹ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 2024	एक वर्ष या उससे कम	1 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	5,558.48	-	5,558.48
व्यापार देयताएं	99,242.01	1,540.56	1,00,782.57
पट्टा देयताएं	179.74	2,355.57	2,535.31
अन्य वित्तीय देयताएं	3,546.52	-	3,546.52
कुल वित्तीय देयताएं	**1,08,526.75**	**3,896.13**	**1,12,422.88**

(ग) बाजार जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

वह जोखिम जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है क्योंकि यह विदेशी विक्रेताओं से घटकों का आयात करती है। साथ ही, कंपनी अपने कुछ जहाजों को विदेशी खरीदारों को निर्यात करती है और विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (यानी रुपये) से अलग मुद्रा में नामित हैं। आयात और विदेशी मुद्रा में भुगतान के कारण होने वाला बहिर्वाह ज्यादातर खरीदारों से प्रतिपूर्ति योग्य होता है। निर्यात के मामले में जोखिम को अत्यधिक संभावित विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान के माध्यम से मापा जाता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम जोखिम

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम, जिसे भारतीय रुपये (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा करके) में व्यक्त किया गया है, निम्नानुसार है:

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	ईयूआर	जीबीपी	यूएसडी	ईयूआर	जीबीपी	यूएसडी
वित्तीय पूंजी	-	-	207.25	-	-	1,071.98
वित्तीय देनदारियां	1,802.76	103.60	995.06	1,508.85	75.65	80.96
विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति शुद्ध जोखिम	**(1,802.76)**	**(103.60)**	**(787.81)**	**(1,508.85)**	**(75.65)**	**991.02**

संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है। (लाख ₹ में)

विवरण	कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ईयूआर संवेदनशीलता		
आईएनआर/ईयूआर में 2.20% की वृद्धि (31 मार्च 2024 - 4.83%)*	(40)	(73)
आईएनआर/ईयूआर में 1.84% की कमी (31 मार्च 2024 - 1.84%)*	33	28
जीबीपी संवेदनशीलता		
आईएनआर/ईयूआर में 4.47% की वृद्धि (31 मार्च 2024 - 4.43%)*	(5)	(3)
आईएनआर/ईयूआर में 1.66% की कमी (31 मार्च 2024 - 1.66%)*	2	1
अमरीकी डॉलर संवेदनशीलता		
आईएनआर/यूएसडी में 3.91% की वृद्धि (31 मार्च 2024- 5.70%)*	(31)	57
आईएनआर/यूएसडी में 3.58% की कमी (31 मार्च 2024 - 3.58%)*	28	(36)

* अन्य सभी चरों को स्थिर रखना।

नोट 35: पूंजी प्रबंधन

(क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों को रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है।

तुलन पत्र में कुल इक्विटी के अंतर्गत उल्लिखित राशि को पूंजी माना जाता है।

(ख) भुगतान और प्रस्तावित लाभांश (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश: 1.44 रुपये (31 मार्च, 2023: 0.70 रुपये) प्रति पूर्ण भुगतान वाला शेयर	1,649.55	801.86
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश: 8.95 रुपये (31 मार्च, 2024: 7.92 रुपये) प्रति पूर्ण भुगतान वाला शेयर	10,252.40	9,072.52
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं किया गया लाभांश		
उपरोक्त लाभांश के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से बोर्ड ने प्रति पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर 4.90 रुपये के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है (31 मार्च 2024: 1.44 रुपये)। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।	5,613.05	1,649.55

नोट 36: प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के कारण होने वाला लाभ (लाख रूपये में)	52,740.38	35,726.77
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए भाजक के रूप में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	11,45,52,000	11,45,52,000
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर (रूपये)	**46.04**	31.19

नोट 37 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय

वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के विभिन्न मदों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख ₹ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का प्रासंगिक खंड	सीएसआर गतिविधियों का विवरण	व्यय की गई राशि
i) खंड (i)	स्वास्थ्य देखभाल और पोषण	531.63
ii) खंड (i)	स्वच्छता	9.36
iii) खंड (ii)	कौशल विकास प्रशिक्षण	139.83
iv) खंड (iv)	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण	14.18
	कुल	**695.00**

(लाख ₹ में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	693.66	510.88
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	140.96	166.97
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	554.04	344.03
वर्ष के अंत में कमी	-	-
पिछले वर्षों की कुल कमी	-	-
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	i. स्वास्थ्य सेवा और पोषण को बढ़ावा देना ii. स्वच्छता को बढ़ावा देना iii. कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देना iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना	i. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना ii. कौशल विकास प्रशिक्षण iii. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान।
प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण-	लागू नहीं	लागू नहीं
संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान और वर्ष के दौरान प्रावधान में परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट 38: निर्माण अनुबंध

तुलन पत्र की तिथि पर, कंपनी प्रत्येक अनुबंध के लिए शुद्ध अनुबंध स्थिति को या तो परिसंपत्ति या देयता के रूप में रिपोर्ट करती है। एक अनुबंध एक परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जहां लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त घाटे को घटाकर) प्रगति बिलिंग से अधिक है; एक अनुबंध एक देयता का प्रतिनिधित्व करता है जहां विपरीत मामला है।

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(i) वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व	4,59,850.51	3,19,275.09
(ii) उस तिथि तक प्रगति पर सभी अनुबंधों के लिए रिपोर्टिंग तिथि तक किए गए खर्च और मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानियों को घटाकर) की कुल राशि	13,25,845.83	9,27,096.39
(iii) प्रगति पर अनुबंधों के लिए बकाया ग्राहक अग्रिम राशि (सकल)	19,85,976.28	15,50,895.50

नोट 39: रूसी (यूएसएसआर) आस्थगित राष्ट्र ऋण

रूसी संघ एवं भारत सरकार के बीच एक अंतर सरकारी करार प्रोक्योरमेंट के संबंध में रूबल में रूसी आस्थगित राष्ट्र ऋण को पुन: संरचित करने के लिए किया गया।

उक्त करार के अंतर्गत 01.04.1992 को रूबल में बकाया ऋण को 01.04.1990 तथा 01.04.1992 के बीच रु.-रूबल विनिमय दर की विभिन्नता पर भारतीय रु. में परिणित किया गया और विनिमय दर विभिन्नता की राशि को वर्ष 2037 तक 45 वर्षों में देय आस्थगित रु. भुगतान व्यवस्था के अधीन भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया । इस पुनर्निर्धारित भुगतान की भी प्रतिपूर्ति भारतीय नौसेना द्वारा की जाती है । तदनुसार 31 मार्च 2025 को ऐसी राशि को विदेशी आपूर्तिकर्ता आस्थगित ऋण के रूप में रखा गया है जो कुल 903.84 लाख रु. (छूट रहित राशि 1591.81 लाख रु.) (31 मार्च 2024: 911.93 लाख रु.) (छूट रहित राशि 1,668.94 लाख रु.) है ।

नोट 40:

(क) कंपनी प्रत्येक तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सामान्य प्रैक्टिस के तौर पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करती है । चालूवर्ष में इस प्रकार का भौतिक निरीक्षण जीआरएसई राजाबगान डॉयार्ड(आरबीडी) यूनिट, 61 पार्क यूनिट, जीआरएसई भवन, निगमित योजना, निगमित संवाद एवं व्यवसाय विकास विभाग और वाणिज्यिक पोत निर्माण विभाग में किया जा चुका है । पाई गई विसंगतियाँ को लेखा में प्रदर्शित किया गया है ।

(ख) रांची में डीजल इंजन प्लांट लगाने के लिए 62 एकड़ भूमि हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची से 1966 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के आदेश पर औद्योगीकरण ड्राइव के भाग के रूप में निःशुल्क प्राप्त हुई थी। तब से भमि पर जीआरएसई का निर्बाध कब्जा है और उस पर स्थायी स्ट्रक्चर (टाइटल डीड एचईसी रांची के पास है) का निर्माण किया गया है। डीजल इंजन प्लांट रांची की विविध परिसंपत्तियाँ उक्त परिसर पर संस्थापित/रखी गई हैं और 31 मार्च 2024 तक के अनुसार इनकी बुक लागत 1,509.65 लाख रु. (मुल लागत 3,756.92 लाख रु.) है । उक्त भूमि पर जीआरएसई के अधिकार को नजरंदाज करते हुए तत्कालीन बिहार सरकार ने फरवरी 1996 में एचईसी के पक्ष में कन्वेएस डीड तैयार कर दी। बाद में एचईसी ने अपने दिनांक 7 अगस्त 1999 के पत्र के माध्यम से 30 वर्षों की लीज जिसकी प्रभावी तारीख 01.04.1996 से है, हेतु एकबारगी प्रीमियम के रूप में 1488 लाख रु. और इस प्रीमियम के 10% के तौर पर 148.8 लाख रु. प्रति वर्ष वार्षिक लीज किराए के रूप में दावा किया जिसे जीआरएसई ने अस्वीकार कर दिया। एचईसी ने अप्रैल 2013 के दौरान भारत सरकार के पीएमए, डीपीई को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया और तदनुसार पीएमए के समक्ष निवेदन किया कि जीआरएसई को आगे की अवधि हेतु लीज करार, किराए और प्रीमियम के लिए निदेश दे क्योंकि उनका दावा पूर्णतया आधारहीन, फालतू और असंगत है और जीआरएसई को "अनधिकृत निवासी" आदि घोषित करें। जीआरएसई ने एचईसी के इस संदर्भ के मेंटेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिरोध उठाया और दावा किया कि यह न तो तथ्यों और न ही कानून के अनुसार सस्टेनेबल है। इस मामले पर जोया हडके , एकमात्र मध्यस्थ, पीएमए को न्यायिक निर्णय करना था जिन्होंने दोनों पक्षों की सारी बातें सुनने के बाद, 30.06.2015 के आदेश के अनुसार, कहा कि पक्षों के बीच में किसी समझौते की अनपुस्थिति में, मध्यस्थ मंच के पास इस विवाद का निपटान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और एचईसी के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया। तदनुसार,मध्यस्थता मामला का निपटारा किया गया । एचईसी द्वारा कोई भी अपील दायर नहीं किया गया ।

जीआरएसई ने भी मार्च 2014 में रांची स्थित सक्षम सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमा (2014 का टीएस- 117) भी दायर किया है जिसमें एचईसी और झारखंड सरकार प्रतिवादी हैं, जहां जीआरएसई ने न्यायालय से इस बात की घोषणा करने के लिए प्रार्थना की है कि जीआरएसई ने भमि कानून के अनुसार उक्त भूमि पर डीजल इंजन प्लांट को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए स्थायी लाइसेन्स तथा स्थायी आदेश निःशुल्क प्राप्त किया है तथा जीआरएसई द्वारा भूमि के अधिकार में और वहाँ उद्योग का संचालन करने में हस्तक्षेप करने से एचईसी को रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा देने का निवेदन किया है । इस मामले की सनुवाई चल रही है।

एचईसी ने जीआरएसई की डीईपी यूनिट [मामला संख्या पी.पी.अधिनियम/आरईवी/2018-01दिनांक 28.4.2018] द्वारा कब्जा की गई उक्त भूमि से 'अनधिकृत कब्जा' का आरोप लगाते हुए एचईसी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त संपदा अधिकारी के समक्ष सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कबजा धारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अतंर्गत एक आवेदन दायर किया है।

जीआरएसई ने माननीय झारखड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [डब्ल्यूपी (सी) सं. 2018 के 3359] दायर की है 'घोषणा' की प्रार्थना करते हुए कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी के समक्ष संक्षिप्त कार्यवाही का रखरखाव नहीं किया गया है जिसमें जमीन के टाइटल, अधिकार, ब्याज और कब्जे से संबंधित कानून के जटिल और जटिल प्रश्न शामिल हैं और इसके अलावा रांची में सक्षम सिविल कोर्ट पहले से ही कार्रवाई के स्वयं के कारण पर मामले का न्याय कर रहा है। हाईकोर्ट ने 14.8.2018 को एचईसी को निर्देश दिया कि वह विपक्ष दायर करे और जीआरएसई को उक्त भूमि से बेदखल न करे । इस बीच, एचईसी के दृष्टिकोण पर सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए विभिन्न संभावनाओ का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।

उपरोक्त के मद्देनजर, ब्याज रहित 5,803.20 लाख रु. (विगत वर्ष 5,654.40 लाख रू.) की राशि ऋण के रूप में न मानते हुए आकस्मिक देयताएँ के रूप में दर्शाई गई है।

नोट 41 :

विक्रेताओ को विविध लेनदारों के खाते में 31 दिसंबर,2024 तक के शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए थे । कुछ विक्रेताओं से प्राप्त जवाब के आधार पर जहां आवश्यक है,लेखा में समायोजन किया गया है ।

नोट 42 :

(क) कंपनी ने अपने देनदारों के संदर्भ में शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र भेजें हैं । हालांकि देनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है अतः कंपनी की राय में,शेष राशि का मूल्य वसूली योग्य है जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो,खातों में उल्लिखित राशि के बराबर है ।

(ख) चूंकि ग्राहक भारतीय नौसेना और तटरक्षक हैं अतः ग्राहकों से प्राप्त राशि मुख्यत: पोत प्रभाग के संदर्भ में प्राप्त राशि है । अन्य प्रभागों के संदर्भ में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम मुख्यत: सरकारी विभागों से प्राप्त है ।

नोट 43:

01.04.2019 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 116) की शुरुआत के साथ, कंपनी ने पूर्वव्यापी ट्रांजीक्शन विधि का उपयोग करते हुए इसे अपनाया है ।

भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराया जिन्हें अब तक व्यय के रूप में मान्यता दी गई थी,अब पट्टा देयता में कमी के रूप में दर्ज किए गए है।

वर्ष के दौरान, 55.20 लाख रु. (वित्त वर्ष 2023-24: 60.19 लाख रु.) और 127.28 लाख रु. के वाहन (वित्त वर्ष 2023-24: 110.21 लाख रु.) के पट्टा होल्ड भूमि के लिए भुगतान किए गए किराए हेतु अन्य खर्चों के तहत किराया और परिवहन शुल्क इसी पट्टा देयता के साथ समायोजित किया गया है। वित्त लागत पर 79.84 लाख रु. (वित्त वर्ष 2023-24: 85.41 लाख रु.) के पट्टा किराया पर ब्याज नहीं देना और मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 123.70 लाख रु. (वित्त वर्ष 2023-24: 116.93 लाख रु.) के आरओयू एसेट का परिशोधन शामिल है।

पट्टा देनदारियों का विवरण नीचे संलग्न है: (लाख ₹.में)

विवरण	01 अप्रैल 2024 तक के अनुसार	अतिरिक्त / समायोजन	ब्याज की समाप्ति	कुल नकद बहिर्वाह	31 मार्च 2025 तक के अनुसार
भूमि	655.36	-	55.75	55.20	655.91
वाहन	353.22	60.94	24.09	127.28	310.97
कुल	**1,008.58**	**60.94**	**79.84**	**182.48**	**966.88**

बिना छूट के आधार पर परिसंपत्ति की संविदात्मक परिपक्वता का आधार: (लाख ₹.में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	31 मार्च 2024 तक के अनुसार
1 वर्ष से कम	7.40	-
1 वर्ष से अधिक	911.57	981.72
कुल	**918.97**	**981.72**

बिना छूट के आधार पर देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता का आधार: (लाख ₹में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक के अनुसार	31 मार्च 2024 तक के अनुसार
1 वर्ष से कम	204.80	179.74
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	495.71	578.44
5 वर्ष से अधिक	1,716.93	1,777.13

नोट 44:

कंपनी के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:

(लाख ₹में)

क्रं.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
क)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं की गई मूलधन राशि	367.61	50.32
ख)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किए जाने पर देय ब्याज	16.56	1.34
ग)	धारा 16 के प्रावधान के अतंर्गत भुगतान की गई ब्याज की राशि सहित वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को अदा की गई राशि	-	-
घ)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	35.01	38.10
ङ)	वर्ष/अवधि के दौरान प्रोद्भूत ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में भुगतान न की गई शेष राशि	51.57	39.44
च)	आगे की ब्याज की राशि देय शेष है और आने वाले वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में भुगतान न कर दिया जाए	-	-

नोट 45 :

मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट (एमबीए) के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत कुल निधि आधारित सीमाएँ 22,700 लाख रुपये (31 मार्च, 2024: 21,000 लाख रुपये) और गैर-निधि आधारित सीमाएँ 8,56,600 लाख रुपये (31 मार्च, 2024: 8,30,800 लाख रुपये) हैं। उक्त सीमाएँ संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों (फिक्स्ड डिपॉजिट को छोड़कर) के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं ।

31 मार्च, 2025 तक के अनुसार बैंक द्वारा दी गई गारंटी रु. 6,44,297.12 लाख है ।

नोट 46: वसूली या परिसंपत्ति और देनदारियों के निपटान का प्रकटीकरण

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक
परिसंपत्ति				
(1) गैर - चालू परिसपंत्ति				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	49,945.10	-	48,497.94
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	2,122.93	-	1,161.86	-
(ग) अमूर्त परिसंपत्ति	-	1,571.03	-	758.72
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	676.91	-	1,314.39	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) निवेश	-	0.44	-	0.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	9,427.33	-	9,016.45
(च) गैर-चालू कर परिसंपत्ति	-	19,237.08	-	19,842.75
(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति	-	23.43	-	20.16
(2) चालू परिसपंत्ति				
(क) वस्तु सूचियाँ	3,55,224.67	-	3,98,444.14065	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) व्यापार प्राप्य	25,945.77	-	19,420.70	-
(ii) नकद और नकद समकक्ष	388.27	-	527.00	-
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक बेलेंस	3,72,797.13	-	3,71,506.84	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	20,491.43	-	22,234.79	-
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	1,77,566.62	-	1,32,428.74	-
(घ) बिक्री के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकृत है	5.05	-	15.99	-
देनदारियाँ				
(1) गैर - चालू देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
(i) पट्टा देनदारियाँ	-	762.08	-	828.84
(ii) व्यापार देयताएँ	-	771.19	-	783.56
(ख) प्रावधान	-	9,409.56	-	9,201.35
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	-	1,629.36	-	1,398.39
(2) चालू देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
(i) उधार राशि	-	-	5,558.48	-
(ik) लीज देनदारियां	204.80	-	179.74	-
(ii) व्यापार देयताएँ				
(क) सुक्ष्म और लघू उद्धमों का कुल बकाया	367.61	-	50.32	-
(ख) सुक्ष्म और लघू उद्धमों के अलावा अन्य कुल बकाया	1,14,773.18	-	99,191.69	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	3,572.74	-	3,546.52	-
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ	6,90,583	-	7,33,304.21	-
(ग) प्रावधान	5,423.43	-	3,803.92	-

नोट 47 :

कंपनी के नाम पर रखी गई अचल संपत्तियों का टाइटल डीड / संयुक्त रूप से धारित

बैलेंस शीट से मिलता जुलता मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	**डीड के नाम पर किए गए अधिकार**	चाहे टाइटल डीड धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक / निदेशक के रिश्तेदार हों या प्रमोटर/डायरेक्टर के कर्मचारी हों ।	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	इमारत	95.96 लाख रू	मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व । (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा)	लागू नहीं	15.06.1998	मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व । (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा शेयर)

नोट 48:

कंपनी की मौजूदा लेखा नीति के अनुसार, पोत निर्माण परियोजनाओं के संबंध में राजस्व को इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचाना जाता है, अर्थात, पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित कुल लागतों के साथ वास्तविक लागत की तुलना करके। इन अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया जाता है।

चल रही परियोजनाओं (यानी, पी17ए, एनजीओपीवी) के निर्माण चरण में प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं की पूर्णता की लागत की प्रबंधन के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर समीक्षा की गई है और तदनुसार संशोधित की गई है। ऐसे संशोधनों के कारण, पूर्णता की लागत 43,303 लाख रुपये कम हो गई है और चालू वर्ष के लिए लाभ 10,000 लाख रुपये की राशि से बढ़ गया है।

नोट 49:

अनुपात	न्यूमीरेटर	डेनोमीरेटर	31 मार्च, 25 तक के अनुसार	31 मार्च, 24 तक के अनुसार	भिन्नता का %	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात (समय से)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.17	1.12	4%	
ऋण इक्विटी अनुपात (समय से)	ऋण (लंबी अवधि)	इक्विटि	0.004	0.005	-20%	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय से)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (पीएटी, मूल्यह्रास और ब्याज)	ऋण सेवा (ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकाना)	8.72	1.31	566%	वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, बैंक ओडी के संबंध में 30,117.18 लाख रुपये का पुनर्भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 24-25 में, बैंक ओडी का पुनर्भुगतान 5,440 लाख रुपये है। इसके कारण, अनुपात में काफी सुधार हुआ है।
इक्विटि से रिटर्न (%)	कर पश्चात लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	शेयरधारक की औसत इक्विटी	28.11%	23.14%	21%	
इनवेंट्री टर्नओवर अनुपात (समय से)	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	1.25	0.99	26%	परिचालन से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बेची गई वस्तुओं की लागत अधिक है, जहाँ औसत इन्वेंट्री का स्तर पिछले वर्ष के समान ही बना हुआ है।
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय से)	क्रेडिट बिक्री	औसत व्यापार प्राप्तियां	22.38	29.32	-24%	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय से)	क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	3.57	3.73	-4%	

अनुपात	न्यूमीरेटर	डेनोमीरेटर	31 मार्च, 25 तक के अनुसार	31 मार्च, 24 तक के अनुसार	भिन्नता का %	भिन्नता का कारण
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय से)	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	3.69	3.63	2%	
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	पीएटी	परिचालन से राजस्व	10.39%	9.94%	5%	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	34.19%	29.17%	17%	
निवेश पर रिटर्न (%)	निवेशित फंड से आय	औसत निवेश	7.05%	7.30%	-3%	

नोट 50:

कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या संस्था (ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) ") इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी")) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी ।

नोट 51:

बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध

(लाख ₹ में)

समाप्त की गई कंपनी का नाम	समाप्त की गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31 पर मार्च, 2024 तक के अनुसार बकाया शेष	समाप्त की गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार बकाया शेष	समाप्त की गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए
बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	देय	7.84	विक्रेता	7.84	विक्रेता
बीसीजी कंसल्टेंट लिमिटेड	देय	0.03	विक्रेता	0.03	विक्रेता
टेकनिकों इंडिया पी लिमिटेड	देय	0.80	विक्रेता	0.80	विक्रेता

नोट 52:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष के लिए राशियों और अन्य खुलासे को चालू वर्ष के वित्तीय विवरण के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है और वर्तमान वर्ष से संबंधित राशियों और अन्य प्रकटीकरणों के संबंध में पढ़ा जाना है।

नोट 53:

निदेशक मंडल द्वारा 13 मई, 2025 को वित्तीय विवरणों को जारी करने की अनमुति दी गई थी ।

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एवं कं.
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या – 302039E

हस्ता/-
(सीए. दीपक कुमार शी)
साझेदार
सदस्यता सं.- 061728

हस्ताक्षर स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 मई, 2025

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता/-
कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 08591411

हस्ता/-
आर. के. दाश
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ
डीआईएन – 08511344

हस्ता/-
एस . महापात्र
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
पंजीकृत और निगमित कार्यालय: जीआरएसई भवन, **61, गार्डन रीच रोड**, कोलकाता-**700024**
फ़ोन: (033)-24698101, फ़ैक्स: **(033)-24698150**
वेबसाइट: www.grse.in **ईमेल:** co.sec@grse.co.in
सीआईएन: L35111WB1934GOI007891

109वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड की** 109 वीं वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025** को 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण व्यवसाय:

(1) 31 मार्च , 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना , साथ ही निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी प्राप्त करना।

(2) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹8.95 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और ₹4.90 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना (अर्थात, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹13.85 का कुल लाभांश) ।

(3) कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना , जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

(4) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सदस्य बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा उचित समझे, निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

विशेष व्यवसाय:

(5) **कमलेशभाई पटेल की नियुक्ति की पुष्टि हेतु शशिकांतभाई मिरानी (डीआईएन: 11118795) कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 149, 150, 152, 160, 161 के प्रावधानों के साथ अनुसूची IV और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), विनियमन 16(1)(बी), 17(1सी), 25(2ए) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के अन्य लागू प्रावधानों, यथा संशोधित, और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, श्री कमलेशभाई की नियुक्ति शशिकांतभाई मिरानी (डीआईएन: 11118795) को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 11(70)/2021/विविध/डी(एनएस) दिनांक 16 मई 2025 के अनुसार 21 मई 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक (अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है। वे अधिनियम की धारा 161 के अनुसार पद धारण करते हैं और जिन्होंने यह घोषणा प्रस्तुत की है कि वे अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। , और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160(1) के तहत स्वतंत्र निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो 21 मई 2025 से 20 मई 2028 तक तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए या उक्त रक्षा मंत्रालय के पत्र के अनुसार अगले आदेश तक पद धारण करेंगे, और जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।"

"**आगे संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य, कर्म, मामले, बातें करने तथा सभी आवश्यक, उचित या समीचीन कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

(6) **कैप्टन सुनिलकुमार पनंगडन, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), (डीआईएन: 11193635) को कंपनी के निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि करना।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 152, 160, 161 196 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के एसोसिएशन के लेख, विनियमन 17(1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, संशोधित रूप में, कैप्टन सुनिलकुमार पनंगडन, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), (डीआईएन: 11193635), जिन्हें पत्र संख्या के अनुसार 14 जुलाई 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1/1(2)/2024/डी(एनएस) दिनांक 14 जुलाई 2025 के तहत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी किया गया और निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के पद पर तैनात किया

गया और जिसके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160(1) के तहत निदेशक के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है। सदस्यों की सहमति से कैप्टन सुनिलकुमार पनंगडन, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), (डीआईएन: 11193635) को कंपनी के निदेशक (निगमित योजना और कार्मिक) के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की जाती है और उन्हें 14 जुलाई 2025 से प्रभावी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद धारण करने के लिए प्रदान किया जाता है, और वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

"**आगे संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य, कर्म, मामले, बातें करने तथा सभी आवश्यक, उचित या समीचीन कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

(7) **श्री राजीव प्रकाश** (डीआईएन: **08590061) की कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि करना।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**यह संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 152, 160, 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के एसोसिएशन के लेख, विनियमन 17(1सी) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061) जिन्हें पत्र संख्या 8/(32)/2019-डी (समन्वय/डीडीपी) दिनांक 14 के अनुसार 15 जुलाई 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। जुलाई 2025 को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी किया गया, और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160(1) के तहत निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, सदस्यों की सहमति से श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061) की कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की जाती है, ऐसे नियमों, शर्तों और कार्यकाल पर जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

"**आगे संकल्प लिया गया** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य, कर्म, मामले, बातें करने तथा सभी आवश्यक, उचित या समीचीन कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

(8) **मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करना ।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**यह संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 (इसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, मैसर्स बंद्योपाध्याय को देय पारिश्रमिक भौमिक एण्ड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, को निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखांकन रिकॉर्ड का ऑडिट किया जा सके , उपरोक्त ऑडिट के संबंध में ₹58,000/- के पारिश्रमिक के साथ-साथ लागू कर और जेब से किए गए खर्चों की पुष्टि की जाती है।"

"**आगे संकल्प लिया गया** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य, कर्म, मामले, बातें करने तथा सभी आवश्यक, उचित या समीचीन कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

(9) **कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**यह संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 204 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित, (इसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के विनियम 24ए, यथा संशोधित, और सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, और कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर, मैसर्स मेहता एण्ड मेहता, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: P1996MH007500) को एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरू होने वाले लगातार पांच (5) वित्तीय वर्षों 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक, कंपनी का सचिवीय लेखा-परीक्षण करने के लिए, इस बैठक को बुलाने के नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक वक्तव्य में निर्धारित पेशेवर शुल्क परकी अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता ।

"**यह संकल्प लिया गया कि** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य, कर्म, मामले, बातें करने तथा सभी आवश्यक, उचित या समीचीन कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

मंडल की आज्ञानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता. /-
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
आईसीएसआई सदस्यता संख्या एसीएस 10992

दिनांक: 08 अगस्त, 2025
स्थान: कोलकाता

नोट्स:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें संलग्न सूचना के मद संख्या 5 से 9 के अंतर्गत विशेष व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, इसके साथ संलग्न है।

2. निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 मई, 2020 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ समय-समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों को पढ़ा, जिनमें सबसे नया सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कंपनियों को 30 सितंबर 2025 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। उक्त परिपत्रों और कंपनी अधिनियम,

2013 ("अधिनियम") और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के अनुसार, कंपनी की 109वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 109 वीं वार्षिक आम बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत और निगमित कार्यालय, जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता – 700 024 होगा।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह एजीएम परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम का रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44(4) के अनुसार, जहाँ आम बैठकें केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित की जाती हैं, वहाँ कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है।

4. संस्थागत/निगमित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित बोर्ड या शासी निकाय के प्रस्ताव/प्राधिकरण की स्कैन की हुई प्रति वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए investor.grievance@grse.co.in पर कंपनी को भेजें ।

5. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित सेबी लिस्टिंग विनियमों (संशोधित) के विनियम 44 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी / सीआईआर / पी / 2020/242 दिनांक 09 दिसंबर , 2020 के अनुसार, कंपनी एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

6. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता की सेवाएँ ले सकता है। वीसी /ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया इस सूचना में बताई गई है और यह कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर भी उपलब्ध है ।

7. कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स ए.के. लाभ एण्ड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, कोलकाता के सीएस अतुल कुमार लाभ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस-4848/सीपी-3238) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

8. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें **शनिवार, 13 सितंबर, 2025 से शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 तक** (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

9. **शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 ("रिकॉर्ड तिथि")** अर्थात बहीखाता बंद होने की तिथि से एक दिन पहले कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। केवल वे सदस्य जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि को डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। इसलिए, जो व्यक्ति रिकॉर्ड तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए ही लेना चाहिए।

10. सदस्य किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम **(रिमोट ई-वोटिंग) पर अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 14 सितंबर, 2025 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद,** एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, **एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग** की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-**वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम** में भाग लेने के पात्र होंगे, **हालांकि, वे बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे** https://www.evoting.एनएसडीएल.com/ पर एनएसडीएल ई-**वोटिंग प्रणाली के माध्यम से कं**पनी द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-**वोटिंग सुविधा का उपयोग करें ।**

11. "ई-वोटिंग के लिए निर्देश" अनुभाग के अंतर्गत दिए गए निर्देशों को पढ़ें।

12. परिपत्रों के अनुरूप, 109 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की यह सूचना, 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है, जिनके नाम डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) से प्राप्त 22 अगस्त, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं और जिनके ईमेल पते कंपनी, उसके रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन सदस्यों को भी एक पत्र भेज रही है जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए कंपनी की वेबसाइट का वेबलिंक दिया गया है।

13. वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम की सूचना और 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.grse.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.एनएसडीएल.com पर भी अपलोड की जा रही है । सूचना सहित 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com से भी देखी जा सकती है। और www.nseindia.com, क्रमशः।

14. ई-वोटिंग के परिणाम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की समाप्ति से दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित किए जाएँगे और अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, प्रस्ताव वार्षिक आम बैठक की तिथि को पारित माने जाएँगे। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध कराए जाएँगे। 'निवेशक कॉर्नर' अनुभाग के अंतर्गत। मतदान के परिणाम उन स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, डिपॉजिटरी, आरटीए को सूचित किए जाएँगे और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.एनएसडीएल.com पर भी प्रदर्शित किए जाएँगे ।

15. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

16. नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ इस नोटिस के जारी होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तिथि तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण कराने के इच्छुक सदस्य

investor.grievance@grse.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं ।

17. एजीएम के दौरान, **सदस्य** https://www.evoting.**एनएसडीएल**.com पर एनएसडीएल ई-**वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करके अधिनियम की धारा** 170 **के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता** तथा अधिनियम की धारा 189 **के तहत** निदेशकों की रुचि वाले अनुबंधों और व्यवस्थाओं के रजिस्टर और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं ।
18. वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(3) और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक (एसएस-2) में अपेक्षित विवरण इस सूचना के अनुलग्नक में दिए गए हैं। नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक से अपेक्षित घोषणाएँ प्राप्त हो गई हैं।
19. प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में , सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश सहित सभी पत्राचार कंपनी/आरटीए को investor.grievance@grse.co.in / rta@alankit.com पर भेजें ।

लाभांश संबंधी जानकारी

1. यदि वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया जाता है, तो इसका भुगतान घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे।
2. जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर लिया है, उन्हें लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाएँगे।
3. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीकृत बैंक विवरण, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान के लिए किया जाएगा। कंपनी या उसका आरटीए , डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से बैंक विवरण में किसी भी परिवर्तन के लिए सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डीपी को ही दी जानी है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डीपी के साथ अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी, ईमेल पता, डाक पता, जैसी भी स्थिति हो, पूरी जानकारी भरें और/या उसे अपडेट करें।
4. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिपत्रों के अनुसार समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) का विकल्प चुनें। हम सदस्यों से लाभांश प्राप्त करने के लिए ईसीएस का उपयोग करने का आग्रह करते हैं। बैंक खाता विवरण अपडेट करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए कृपया " अन्य जानकारी " अनुभाग के अंतर्गत बिंदु संख्या 5 देखें।
5. आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य होती है और कंपनी को सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से आयकर अधिनियम में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटना आवश्यक है। कटौती कर की दर सदस्य की आवासीय स्थिति और कंपनी के साथ पंजीकृत/जमा किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर अलग-अलग होगी। कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन के लिए, कंपनी सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि पर उपलब्ध विवरणों पर ही भरोसा करेगी:

ए. निवासी सदस्य

(क) निवासी सदस्यों के लिए स्रोत पर कर कटौती

क्रम संख्या	विवरण	रोके गए कर की दर	आवश्यक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में वैध पैन अद्यतन किया गया	10%	किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है) यदि वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त होने वाला कुल लाभांश ₹10,000/- से अधिक नहीं है, तो कोई टीडीएस/विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा जाएगा। कृपया नीचे दिए गए पैरा 9 का भी संदर्भ लें।
2	कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में कोई पैन/वैध पैन अपडेट नहीं है/व्यक्तिगत मामले में पैन आधार से लिंक नहीं है	20%	किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है) यदि सदस्य का पैन कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अद्यतन/पंजीकृत नहीं है, तो लाभांश राशि की परवाह किए बिना टीडीएस/विथहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। कृपया नीचे पैरा 9 भी देखें।
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा जारी निम्न/शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त कम कर कटौती प्रमाणपत्र **कृपया ध्यान दें** : शेयरधारकों को कंपनी के TAN - CALG00408C पर कम विदहोल्डिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए ताकि कंपनी उन्हें कम विदहोल्डिंग प्रमाणपत्र का लाभ प्रदान कर सके। कंपनी के किसी अन्य TAN पर प्राप्त कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4	आयकर नियम 37बीए के तहत लाभ	लाभार्थी स्वामी पर आयकर अधिनियम, 1961 की प्रयोज्यता के आधार पर दरें	यदि पंजीकृत सदस्य जैसे क्लियरिंग सदस्य / मध्यस्थ / स्टॉक ब्रोकर शेयरों के लाभकारी सदस्य नहीं हैं और यदि लाभकारी स्वामी के संबंध में आयकर नियम फॉर्म 37 बीए (2) के तहत घोषणा प्रदान की जाती है, तो टीडीएस / विदहोल्डिंग टैक्स लाभकारी सदस्यों पर लागू दरों पर काटा जाएगा।

(ख) निवासी सदस्यों को लाभांश भुगतान पर स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी, यदि सदस्य कंपनी/आरटीए के पास नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज जमा और पंजीकृत करते हैं

क्रम संख्या	विवरण	रोके गए कर की दर	आवश्यक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	फॉर्म 15G/15H जमा करना	शून्य	फॉर्म संख्या 15जी (कंपनी या फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति पर लागू) / फॉर्म 15एच (साठ (60) वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति पर लागू) में घोषणा, कुछ शर्तों को पूरा करना।
2	वे सदस्य जिन पर आयकर, 1961 की धारा 194 लागू नहीं होती है, जैसे एलआईसी, जीआईसी, आदि।	शून्य	आयकर, 1961 की धारा 194 के अंतर्गत छूट के लिए दस्तावेजी साक्ष्य।
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत आने वाले सदस्य जैसे सरकार, आरबीआई, केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम और म्यूचुअल फंड।	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत कवरेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य
4	श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश कोष	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1एफ) के तहत लाभ का दावा करने के लिए सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र
5	• मान्यता प्राप्त भविष्य निधि • स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि • स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड	शून्य	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य
6	राष्ट्रीय पेंशन योजना	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1ई) के अनुसार कोई टीडीएस नहीं। वैध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7	आयकर अधिनियम के प्रावधानों या किसी अन्य कानून या अधिसूचना के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट प्राप्त कोई भी निवासी सदस्य।	शून्य	टीडीएस कटौती से छूट को प्रमाणित करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य

बी. अनिवासी सदस्य:

यदि अनिवासी सदस्य नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज कंपनी/आरटीए के पास जमा करते हैं और पंजीकृत करते हैं तो अनिवासी सदस्यों को लाभांश भुगतान पर कर कटौती

क्रम संख्या	विवरण	रोके गए कर की दर	आवश्यक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई)	20% (लागू अधिभार और उपकर सहित)	एफआईआई/एफपीआई पंजीकरण प्रमाणपत्र।
2	अन्य अनिवासी सदस्य	20% (लागू अधिभार और उपकर सहित) या कर संधि दर जो भी लाभकारी हो	कर संधि की लाभकारी दर का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कर दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: i) जिस वर्ष लाभांश प्राप्त हुआ है, उस वर्ष के लिए सदस्य के निवास देश के राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी कर निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति ii) पैन की स्व-सत्यापित प्रति iii) इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार फॉर्म 10F अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि के लिए वैध है। iv) स्व-घोषणा , निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमाणित करते हुए: (क) सदस्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने निवास देश का कर निवासी बना रहेगा; (ख) सदस्य कंपनी द्वारा घोषित लाभांश पर कर रोकथाम के प्रयोजनों के लिए लाभकारी डीटीएए दर का दावा करने के लिए पात्र है; (ग) सदस्य के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि डीटीएए के लाभों के लिए उसका दावा किसी भी तरह से कमजोर है;

क्रम संख्या	विवरण	रोके गए कर की दर	आवश्यक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
			(घ) सदस्य कंपनी में अपनी शेयरधारिता और कंपनी से प्राप्त होने वाले लाभांश का अंतिम लाभकारी स्वामी है; और (ङ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सदस्य की भारत में कर योग्य उपस्थिति या स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। (नोट: लाभकारी कर संधि दर का अनुप्रयोग अनिवासी सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और कंपनी की संतुष्टि के लिए समीक्षा पर निर्भर करेगा)
3	किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा	शून्य	आयकर प्राधिकरण से धारा 195(3) के तहत कम कर कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। स्व-घोषणा जिसमें पुष्टि की गई हो कि आय उसके अपने खाते से प्राप्त हुई है, न कि विदेशी बैंक की ओर से
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा जारी निम्न/शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त कम कर कटौती प्रमाणपत्र

6. उचित टीडीएस/कर कटौती दर निर्धारित करने में हमारी सहायता के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उपरोक्त विवरण/दस्तावेज **शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले उपलब्ध कराएँ। शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025** के बाद प्राप्त कर निर्धारण/कटौती संबंधी किसी भी सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीडीएस दर का अनुप्रयोग, रिकॉर्ड तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध सदस्यों के विवरण और कंपनी/आरटीए के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के कंपनी द्वारा आवश्यक सत्यापन के अधीन है।

7. लाभांश राशि पर कर कटौती/रोक के समय कंपनी लाभकारी डीटीएए दरें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लाभकारी डीटीएए दर का अनुप्रयोग, अनिवासी सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

8. यदि आपसे उपर्युक्त विवरण/दस्तावेज प्राप्त न होने पर उच्च दर से टीडीएस काटा जाता है, तो सदस्य के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने और पात्र होने पर उचित रिफंड का दावा करने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है।

9. ऐसे निवासी व्यक्तिगत सदस्यों के मामले में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा जिनकी वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल लाभांश राशि ₹10,000 से अधिक नहीं है। हालाँकि, जहाँ कंपनी/आरटीए रिकॉर्ड में पैन अपडेट नहीं है या अमान्य पैन के मामले में, कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए के संदर्भ में धारा 194 के तहत टीडीएस/विदहोल्डिंग टैक्स काटेगी।

   इसके अलावा, 01 जुलाई, 2024 से उन सदस्यों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा जो आवश्यकतानुसार पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं और आयकर अधिनियम की धारा 206एए के संदर्भ में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

   सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 12 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले अपने सभी फोलियो होल्डिंग्स के विरुद्ध अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) और कंपनी/आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में हैं) के साथ अपना पैन अपडेट करा लें ।

10. कंपनी उक्त लाभांश के भुगतान के बाद कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत ईमेल के माध्यम से अपने सदस्यों को टीडीएस प्रमाणपत्र की एक सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएगी। सदस्य आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकेंगे।

11. सदस्य/ सदस्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के किसी गलत प्रस्तुतीकरण, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे सदस्य कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे, और कंपनी को सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने और किसी भी कार्यवाही में सहयोग करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

12. विभिन्न स्थिति/श्रेणी और एकल पैन के अंतर्गत कई खातों में शेयर रखने वाले सदस्य ध्यान दें कि, जिस स्थिति में शेयर एक पैन के अंतर्गत रखे गए हैं, उस पर लागू कर में से जो अधिक होगा, उसे विभिन्न खातों में उनकी संपूर्ण होल्डिंग पर विचार किया जाएगा।

13. सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी विसंगति के मामले में, कंपनी इस संबंध में कोई और संचार किए बिना, लागू होने वाली उच्च दर पर कर काट लेगी।

14. संयुक्त सदस्यों के मामले में, सदस्य रजिस्टर में पहले नामित सदस्य को किसी भी लागू लाभकारी कर दर का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

15. यह संचार संपूर्ण नहीं है और लाभांश भुगतान के मामले में सभी संभावित कर परिणामों का संपूर्ण विश्लेषण या सूची प्रस्तुत करने का दावा नहीं करता है। सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने कर सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

अन्य सूचना

1. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते(खातों) में पड़ी किसी भी राशि का दावा करें, क्योंकि कंपनी ऐसे खाते में पड़ी किसी भी राशि को, जो खाते में ऐसे हस्तांतरण की तिथि से सात (7) वर्ष की अवधि तक अवैतनिक या दावा न की गई हो, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में जमा करने के लिए बाध्य है। विस्तृत अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश का इतिहास कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध है ।

2. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने खाते में जमा अघोषित लाभांश को भुनाने के लिए कंपनी के आरटीए, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से संपर्क करें। विस्तृत लाभांश इतिहास और आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथियां कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध हैं ।

3. सेबी ने अनिवार्य किया है कि कंपनी की प्रतिभूतियों का कारोबार केवल डीमैट रूप में ही किया जा सकता है। संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 में यह भी अनिवार्य किया गया है कि भौतिक रूप में रखी गई सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, संचरण और स्थानांतरण केवल डीमैट मोड में ही किया जाएगा । इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लिकेट शेयर जारी करने, शेयरों के आदान-प्रदान, समर्थन, शेयर प्रमाणपत्रों के उप-विभाजन/समेकन आदि से संबंधित निवेशक सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय प्रतिभूतियों को केवल डीमैट मोड में जारी करेंगी। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए अपने द्वारा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को डीमैट रूप में ही जारी करें।

4. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, सेबी ने आधार से जुड़ा पैन और केवाईसी विवरण (अर्थात ईमेल पता, पिन कोड सहित डाक पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नामांकन आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज़/विवरण कंपनी/आरटीए के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तो सदस्य तब तक शिकायत दर्ज कराने या आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि वे पूर्ण केवाईसी विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2024 से , ऐसे सदस्यों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा।

5. जिन सदस्यों का केवाईसी विवरण (अर्थात ई-मेल पता, पिन कोड सहित डाक पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार से जुड़ा पैन विवरण आदि) कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत/अद्यतित नहीं है, और जो एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले अन्य सभी संचार प्राप्त करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करवा सकते हैं:

   (क) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ई-मेल पते सहित अपने केवाईसी विवरण को अद्यतन कर सकते हैं।

   (ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य नीचे उल्लिखित फॉर्म को विधिवत भरकर आवश्यक सहायक दस्तावेजों और हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ कंपनी/आरटीए को जमा कर सकते हैं:

क्रम संख्या	विवरण	रूप
1.	पैन, डाक पता, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण का पंजीकरण या उनमें परिवर्तन/ अद्यतन	आईएसआर-1
2.	बैंकर द्वारा शेयरधारक के हस्ताक्षर की पुष्टि	आईएसआर-2
3.	नामांकन का पंजीकरण	एसएच-13
4.	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन करना	एसएच-14
5.	नामांकन से बाहर निकलने की घोषणा	आईएसआर-3

उपरोक्त दस्तावेज मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, **कंपनी के आरटीए/आरटीए को** investor.grievance@grse.co.in / rta@alankit.com पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

6. अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म SH-13 जमा करके नामांकन पंजीकृत कराएँ। यदि कोई सदस्य पहले किए गए नामांकन को रद्द करना चाहता है या नया नामांकन दर्ज कराना चाहता है, तो वह फॉर्म ISR-3 या SH-14, जैसा भी मामला हो, जमा करा सकता है। ये फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.grse.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं । डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य नामांकन संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए अपने संबंधित डीपी से संपर्क कर सकते हैं।

7. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्थायी निपटान के लिए भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में कंपनी/आरटीए (यदि शेयरधारिता भौतिक मोड में है)/संबंधित डीपी (यदि शेयरधारिता डीमैट मोड में है) को तुरंत सूचित करें।

8. **ई-मेल आईडी पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न/कठिनाई के मामले में, सदस्य** कंपनी **/आरटीए को** investor.grievance@grse.co.in पर लिख सकते हैं ।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और धारा 108 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर संशोधित संबंधित नियमों के साथ, कंपनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, ताकि वे वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकें। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सेवाएँ ली हैं ।

रिमोट ई-वोटिंग - प्रमुख तिथियां:

रिकॉर्ड तिथि (इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार सदस्यों का निर्धारण करने के लिए पुस्तक बंद होने के प्रारंभ से एक दिन पहले की तिथि)	शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025
पुस्तक बंद होने की तिथियां (वह अवधि जिसके दौरान कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बंद रहेंगी)	शनिवार, 13 सितंबर, 2025 से शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित)
दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि	
प्रारंभ तिथि और समय	14 सितंबर, 2025 को प्रातः 9.00 बजे ।
समाप्ति तिथि और समय	गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। इसके अलावा, एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के "दो चरण" इस प्रकार हैं:

चरण 1 : एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच:

I. **डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि**

9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 के अनुसार , **डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को** डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-**वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।**

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.एनएसडीएल.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं । आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई- वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. मौजूदा **IDeAS** उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट https://eservices.एनएसडीएल.com पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर **"लॉगिन"** के अंतर्गत " **लाभार्थी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें, जो ' IDeAS '** के अंतर्गत उपलब्ध है । इस सेक्शन में , आपको अपना मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत **"ई-वोटिंग तक पहुँच" पर क्लिक करें** और आपको ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, यानी एनएसडीएल, पर क्लिक करें** और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 3. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं , तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.एनएसडीएल.com पर उपलब्ध है। " **IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें** " चुनें या https://eservices.एनएसडीएल.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting.एनएसडीएल.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग में उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें** और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। 5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप " **एनएसडीएल स्पीड** " सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने CDSL Easi/Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest लॉगिन करने के लिए, उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSL की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएँ और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपना मौजूदा Myeasi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। 2. सफल लॉगिन के बाद, Easi/Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएँगे जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई- वोटिंग चल रही है। ई -वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होकर मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएँगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। और लॉगिन और न्यू सिस्टम मायईसी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकता है। होम पेज पर जाएँ। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहाँ ई- वोटिंग चल रही है और साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुँच भी प्राप्त कर सकेगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, आपको ई-वोटिंग विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें 'उपयोगकर्ता आईडी भूल गए/पासवर्ड भूल गए' विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जिन्हें डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे नीचे दिए गए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022 - 4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं ।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 0 9911 पर संपर्क कर सकते हैं।

II. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting. nsdl..com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने पर, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई गई पुष्टिकरण कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानी IDEAS पर पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन से https://eservices. nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने के बाद, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपकी **उपयोगकर्ता आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:**

शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक		आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क)	उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अक्षरों वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी आईएन300***12****** होगी।
ख)	उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12********** होगी
ग)	भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत ईवन नंबर के बाद फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है और सम संख्या 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** होगी

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

(क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन कर सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं।

(ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको बताया गया 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा। अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त करने के बाद, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने का निर्देश देगा।

(ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फ़ोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूज़र आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

(क) www.evoting.एनएसडीएल.com पर उपलब्ध विकल्प "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) पर क्लिक करें ।

(ख) भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.एनएसडीएल.com पर उपलब्ध है ।

(ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@एनएसडीएल.com पर अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि बताते हुए अनुरोध भेज सकते हैं।

(घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तें" से सहमत पर टिक करें।

8. अब आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 : इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में शामिल हों।

I. एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एजीएम में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान और आम बैठक के दौरान जिस कंपनी के लिए आप वोट डालना चाहते हैं, उसका "EVEN" चुनें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।

4. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत मिलने पर "सबमिट" और "पुष्टि" पर क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि कर देंगे, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत/निगमित सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेईपीजी प्रारूप) विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, aklabhcs@gmail.com पर ई-मेल द्वारा स्क्रूटिनाइजर को भेजना आवश्यक है। एक प्रति investor.grievance@grse.co.in पर

भेजें । संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) भी अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र अपलोड करें" पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र/प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (एचयूएफ को छोड़कर) के मामले में, ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र/प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है और इसके अभाव में, जांचकर्ता द्वारा मतदान को अमान्य माना जाएगा।

2. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वोट देने का हकदार होगा।

3. भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो नोटिस भेजने के बाद शेयर प्राप्त करते हैं और कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 22 अगस्त, 2025 तक शेयर रखते हैं , वे evoting@एनएसडीएल.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। या आरटीए को उनकी ई-मेल आईडी rta@alankit.com पर । हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.एनएसडीएल.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं । डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तारीख यानी 22 अगस्त, 2025 तक शेयर रखते हैं , वे "चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच" अनुभाग के तहत ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं ।

4. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.एनएसडीएल.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" विकल्प का उपयोग करना होगा ।

5. किसी भी प्रश्न के लिए , आप www.evoting.एनएसडीएल.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@एनएसडीएल.com पर अनुरोध भेज सकते हैं । सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते investor.grievance@grse.co.in पर भी लिख सकते हैं ।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-**वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।** सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "ज्वाइन मीटिंग" टैब के तहत **"वीसी/ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं** । आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन मीटिंग टैब के तहत वीसी/**ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड न**हीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, **वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।**

2. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं । वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी । इसमें 2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले बड़े शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी, लेखा परीक्षा समिति, मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक, संवीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

3. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, **बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा चलाने की अनुमति देनी होगी और अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना होगा।**

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस, **टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सदस्यों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए, उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई** या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

5. चूंकि एजीएम वीसी/**ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, एजीएम की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए, जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे स्वयं को वक्ता के रूप में पंजी**कृत कर सकते हैं, **अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor**.grievance@grse.co.in पर बुधवार, **17 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे तक अनुरोध भेज सकते हैं** । इसके अलावा, सदस्यों को अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर पहले से अपने विचार व्यक्त करने/**प्रश्न** भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बुधवार, **17 सितंबर, 2025** को शाम 5.00 बजे तक कंपनी द्वारा प्राप्त प्रश्नों/**प्रश्नों पर** केवल एजीएम के दौरान विचार किया जाएगा और उनका उत्तर दिया जाएगा।

6. जिन सदस्यों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, **केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। यदि किसी पूर्व-पंजीकृत वक्ता को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह उत्तर नहीं देता है, तो अगले** वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, **सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अच्छी इंटरनेट स्पीड वाले वीडियो/कैमरा युक्त उपकरण से जुड़ें। इसके अतिरिक्त, कंपनी वार्षिक आम बैठक के सुचारू संचालन के लिए प्रश्नों और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार** सुरक्षित रखती है। समय की बचत के लिए, **प्रत्येक वक्ता से अनुरोध है कि वे अपने आवंटित समय के** 2-3 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें।

7. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, **वे एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से** evoting@एनएसडीएल.com पर संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।

2. केवल वे सदस्य, जो वी.सी./ओ.ए.वी.एम. सुविधा के माध्यम से ए.जी.एम.

में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, ए.जी.एम. में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. जिन सदस्यों को वार्षिक आम बैठक से पहले या उसके दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो , वे "शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश" अनुभाग के अंतर्गत ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या (5)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 11(70)/2021/विविध/डी(एनएस) दिनांक 16 मई 2025 के माध्यम से श्री कमलेशभाई को नियुक्त किया शशिकांतभाई मिरानी (डीआईएन: 11118795) को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक), अतिरिक्त निदेशक के रूप में तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो 21 मई 2025 से 20 मई 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, उन्हें रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है।

अधिनियम की धारा 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 195 और 196 के अनुसार, श्री मिरानी को आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कमलेशभाई पटेल से स्वतंत्रता की घोषणा प्राप्त हुई है। शशिकांतभाई मिरानी ने पुष्टि की है कि वह अधिनियम की अनुसूची IV के साथ धारा 149(6) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम"), यथा संशोधित) के विनियम 16(1)(बी) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति भी प्रदान की है और पुष्टि की है कि वह अधिनियम की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हैं। श्री मिरानी भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के साथ बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में पंजीकृत हैं और उन्होंने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत इस तरह के अनुपालन की घोषणा प्रस्तुत की है।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से नोटिस प्राप्त हुआ है श्री कमलेशभाई की उम्मीदवारी का प्रस्ताव कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद के लिए शशिकांतभाई मिरानी को नियुक्त किया गया।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अगली आम बैठक में निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 25(2ए) के अनुसार, किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन, विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा।

कमलेशभाई का संक्षिप्त विवरण शशिकांतभाई मिरानी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति, अनुभव, कौशल और क्षमताएं, निदेशकों के बीच संबंधों का खुलासा, सूचीबद्ध संस्थाओं और अन्य कंपनियों में निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता, कंपनी में शेयरधारिता और अन्य विवरण इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

कमलेशभाई पटेल को छोड़कर कंपनी के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं । शशिकांतभाई मीरानी, नियुक्त व्यक्ति होने के नाते, इस नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित प्रस्तावों से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक हैं।

तदनुसार, बोर्ड नोटिस की मद संख्या 5 में दिए गए प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में सदस्यों के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

मद संख्या (6)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा की जाती है।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 1/1(2)/2024/D(NS) दिनांक 14 जुलाई 2025 के माध्यम से कैप्टन सुनिलकुमार पनंगडन, भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त), (डीआईएन: 11193635) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के पद पर 14 जुलाई 2025 से प्रभावी पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के अनुसार, वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 195 और 196 के अनुसार, कैप्टन सुनिलकुमार पनंगडन, निदेशक (सीपी एण्ड पी) को अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसरण में, कंपनी को एक सदस्य से एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के पद के लिए कैप्टन सुनिलकुमार पनंगडन, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अगली आम बैठक में निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

कैप्टन पी. सुनिलकुमार आई.एन. (सेवानिवृत्त) का संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव, निदेशकों के बीच संबंधों का खुलासा, सूचीबद्ध संस्थाओं और अन्य कंपनियों में निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता, कंपनी में शेयरधारिता और अन्य विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, नियुक्त व्यक्ति होने के नाते कैप्टन पी. सुनिलकुमार भा. नौ. (सेवानिवृत्त) को छोड़कर, इस नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित प्रस्तावों से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड नोटिस की मद संख्या 6 में निर्धारित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में सदस्यों के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

मद संख्या (7)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा की जाती है।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 8 /(32)/2019-डी (समन्वय/डीडीपी) दिनांक 14 जुलाई 2025 के माध्यम से श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061) को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में 15 जुलाई 2025 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित शर्तों, नियमों और कार्यकाल पर नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के अनुसार, वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 195 और 196 के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री राजीव प्रकाश को अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक नोटिस प्राप्त हुआ है एक सदस्य द्वारा कंपनी के नामित निदेशक के पद के लिए श्री राजीव प्रकाश की उम्मीदवारी का प्रस्ताव।

सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अगली आम बैठक में निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री राजीव प्रकाश का संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव, निदेशकों के बीच संबंधों का खुलासा, सूचीबद्ध संस्थाओं और अन्य कंपनियों में निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता, कंपनी में शेयरधारिता और अन्य विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

श्री राजीव प्रकाश को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का इस नोटिस के मद संख्या 7 में दिए गए प्रस्तावों से किसी भी तरह से कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड नोटिस के मद संख्या 7 में प्रस्तावित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या (8)

कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स बंद्योपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी भौमिक एण्ड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखांकन अभिलेखों का ऑडिट किया जा सके, जिसके लिए ₹58,000/- का ऑडिट शुल्क और उक्त ऑडिट के संबंध में किए गए कर और जेब से किए गए खर्च शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुमोदन हेतु सूचना के मद संख्या 8 में दिए गए अनुसार एक साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु सदस्यों की सहमति अपेक्षित है ।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं होना चाहिए।

तदनुसार, बोर्ड नोटिस के मद संख्या 8 में प्रस्तावित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या (9)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 204 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पढ़ें (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और कंपनियों के कुछ अन्य वर्ग, जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित है, को अधिनियम की धारा 134 के तहत तैयार की गई अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।

इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के विनियम 24ए में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार, कंपनी को एक सहकर्मी-समीक्षित अभ्यासरत कंपनी सचिव के माध्यम से सचिवीय लेखा परीक्षा करवानी होगी। सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन से की जाएगी। इस व्यवस्था के अनुसार, किसी फर्म को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में पाँच (5) लगातार वर्षों के दो कार्यकालों से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त के अनुपालन में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए एक सचिवीय लेखा परीक्षक के चयन और नियुक्ति हेतु एक खुली रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके एक उपयुक्त सचिवीय लेखा परीक्षक की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की। प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद, ईओआई में उल्लिखित निर्धारित पात्रता और मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर, मैसर्स मेहता एण्ड मेहता, कंपनी सेक्रेटरीज सफल और योग्य बोलीदाता के रूप में उभरी।

मूल्यांकन प्रक्रिया में कई मापदंडों पर विचार किया गया, जिसमें फर्म की पृष्ठभूमि, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) सहित बड़ी सूचीबद्ध संस्थाओं के सचिवीय लेखा परीक्षा को संभालने का अनुभव, नेतृत्व और लेखा परीक्षा टीम की क्षमता, साथ ही कंपनी और अन्य समान आकार के संगठनों के साथ पूर्व संबंध शामिल थे।

मैसर्स मेहता एण्ड मेहता, कंपनी सेक्रेटरीज, एक सुस्थापित फर्म है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी और जिसका मुख्यालय मुंबई में है तथा जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है, वर्तमान में कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

मैसर्स मेहता एण्ड मेहता, कंपनी सेक्रेटरीज़ की भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सहकर्मी-समीक्षा और गुणवत्ता-समीक्षा की जाती है और यह निगमित कानून, सेबी और आरबीआई विनियमों, निगमित प्रशासन और अनुपालन में अपनी विशेषज्ञता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। 25 से अधिक वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ, इस फर्म ने विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए सचिवीय ऑडिट किए हैं।

उचित मूल्यांकन के बाद, कंपनी के निदेशक मंडल ने 08 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में , मैसर्स मेहता एण्ड मेहता, कंपनी सचिवों (फर्म पंजीकरण संख्या: P1996MH007500) को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच (5) वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए, पहले दो (2) वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27) के लिए ₹75,000 प्लस लागू कर प्रति वर्ष के पेशेवर शुल्क पर, और शेष तीन (3) वर्षों (वित्त वर्ष 2027-28 से वित्त वर्ष 2029-30) के लिए ₹1,00,000 प्लस लागू कर प्रति वर्ष, शेयरधारकों को उनकी स्वीकृति के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया और सिफारिश की।

मैसर्स मेहता एण्ड मेहता, कंपनी सचिवों ने पुष्टि की है कि वे अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के तहत सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि हितों का कोई टकराव नहीं है और उन्होंने कंपनी के लिए कोई भी निषिद्ध गैर-सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य नहीं किया है। फर्म ने सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है और पुष्टि की है कि प्रस्तावित नियुक्ति, यदि स्वीकृत होती है, तो सभी लागू प्रावधानों के अनुरूप होगी।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस के मद संख्या 9 में निर्धारित संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं होना चाहिए।

तदनुसार, बोर्ड नोटिस की मद संख्या 9 में प्रस्तावित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

बोर्ड की आज्ञानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता. /-
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
आईसीएसआई सदस्यता संख्या एसीएस 10992

दिनांक: 08 अगस्त, 2025
स्थान: कोलकाता

अनुलग्नक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 के अंतर्गत, 109वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है:

श्री कमलेशभाई शशिकांतभाई मिरानी (डी आई एन : 11118795)	
आयु	54
नियुक्ति की तिथि	21 मई 2025
योग्यता(एँ)	वाणिज्य स्नातक, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट (1983)
संक्षिप्त बायोडाटा	श्री कमलेशभाई शशिकांतभाई मिरानी (11118795) को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 मई 2025 से जीआरएसई का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री मीरानी एक अनुभवी पेशेवर हैं जिनकी सार्वजनिक क्षेत्र प्रशासन और रियल एस्टेट में गहरी पृष्ठभूमि है। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं में सात वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने प्रभावी नेतृत्व और सामाजिक विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उन्होंने राजकोट नगर निगम, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम और टेलीफोन सलाहकार समिति (भारत सरकार) सहित कई सरकारी निकायों में प्रमुख सलाहकार और नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया है। राजकोट नगर निगम की समाज कल्याण समिति (2005-07) और स्थायी समिति (2008-09) के अध्यक्ष के रूप में, श्री मीरानी ने वंचित समुदायों के उत्थान, सामाजिक बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और स्थानीय शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से पहलों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों में महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख भी शामिल थी, जिससे नीति नियोजन और संसाधन प्रबंधन में उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। सलाहकार समिति के सदस्य (2000-04) के रूप में अपनी पूर्व भूमिकाओं में, उन्होंने लोक शिकायत निवारण तंत्र में सक्रिय योगदान दिया और सार्वजनिक सेवाओं, विशेष रूप से परिवहन और दूरसंचार, की दक्षता में सुधार के लिए रणनीतिक सुझाव दिए। जनसेवा में अपने योगदान के साथ-साथ, श्री मिरानी रियल एस्टेट क्षेत्र में भी कार्यरत हैं और अपनी प्रशासनिक अंतर्दृष्टि को निजी उद्यमों तक पहुँचा रहे हैं। उनकी व्यावसायिक यात्रा नागरिक उत्तरदायित्व, शासन अनुभव और व्यावसायिक कौशल का मिश्रण दर्शाती है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता, अनुभव, कौशल और क्षमताएं	सार्वजनिक क्षेत्र प्रशासन, सामाजिक अवसंरचना विकास और स्थानीय शासन में व्यापक अनुभव। नीति नियोजन, संसाधन प्रबंधन और वित्तीय निगरानी में सिद्ध नेतृत्व। लोक शिकायत निवारण, नागरिक सहभागिता और रणनीतिक सलाहकार भूमिकाओं में कुशल। परिवहन, दूरसंचार और रियल एस्टेट क्षेत्रों की गहरी समझ , शासन विशेषज्ञता और व्यावसायिक कौशल का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करती है।
सूचीबद्ध संस्थाएं (जीआरएसई के अलावा) जिनमें व्यक्ति निदेशक पद और बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता भी रखता है।	शून्य
पिछले तीन वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा	शून्य
अन्य असूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद और ऐसी असूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
नियम और शर्तें पारिश्रमिक के विवरण के साथ नियुक्ति	कंपनी, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति की शर्तें भारत सरकार के पास हैं। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम पारिश्रमिक	लागू नहीं. श्री कमलेशभाई शशिकांतभाई मिरानी की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद हुई थी। इसके अलावा, एक स्वतंत्र निदेशक होने के नाते, वे बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए मिलने वाली बैठक शुल्क के अलावा किसी अन्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	लागू नहीं। श्री मीरानी की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद की गई थी।
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या (स्वयं और लाभकारी स्वामी के रूप में)	शून्य

कैप्टन सुनिलकुमार पनंगडन, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), (डीआईएन: 11193635)	
आयु	53
नियुक्ति की तिथि	14 जुलाई 2025
योग्यता(एँ)	• जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (मैकेनिकल) (बी.टेक) (1995) • आईआईटी मुंबई से प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (सिस्टम और नियंत्रण इंजीनियरिंग) (2003) • मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर (रक्षा एवं सामरिक अध्ययन) (64वीं डीएसएससी) (2008)
संक्षिप्त बायोडाटा	कैप्टन पी. सुनिलकुमार, भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त), भारतीय नौसेना में लगभग 22 वर्षों की कमीशन प्राप्त सेवा प्रदान करने के बाद सितंबर 2016 में जीआरएसई में शामिल हुए। उन्होंने 14 जुलाई 2025 से जीआरएसई के निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति से पहले, वे मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और जीआरएसई की फिटिंग आउट यूनिट के यूनिट प्रभारी और अधिभोगी थे। यह एक उत्पादन यूनिट है जो सभी तीन पी17ए श्रेणी के पोतों और एक सर्वेक्षण पोत को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 2,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कैप्टन पी. सुनिलकुमार ने जीआरएसई में अपना कार्यकाल अतिरिक्त महाप्रबंधक (सामग्री) के रूप में शुरू किया, जहाँ वे पी17ए परियोजना के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ-साथ सभी परियोजनाओं में बेस और डिपो पुर्जों और आयात के लिए ज़िम्मेदार थे। 15 मार्च 2019 को, उन्होंने महाप्रबंधक (लागत अनुमान और निगमित योजना) का पदभार संभाला, जहाँ उन्होंने निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीआरएसई की निगमित योजना, निगमित संचार रणनीति और व्यावसायिक रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रतिस्पर्धी आधार पर जीआरएसई का पहला निर्यात ऑर्डर हासिल करने में सफल रहे। जुलाई 2022 में उन्हें मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। व्यवसाय विकास प्रमुख के रूप में, उन्होंने वैश्विक पोत निर्माताओं के साथ जीआरएसई के सहयोग का नेतृत्व किया और 'वाणिज्यिक पोत निर्माण' विभाग की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय नौसेना में अपने कार्यकाल के दौरान, कैप्टन पी. सुनिलकुमार ने विभिन्न महत्वपूर्ण परिचालन और मरम्मत/रखरखाव पदों पर कार्य किया, जिनमें नौसेना के युद्धपोतों और नौसेना डॉकयार्ड में इंजीनियरिंग विभागों के प्रमुख का पद भी शामिल था। वह एक प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर (पीएमपी), प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पेशेवर (सीआईएससीपी) हैं, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा रखते हैं। उनकी रुचियों में 'व्यक्तिगत वित्त' (उन्होंने सीएफपी में स्तर 3 प्राप्त किया है), और रणनीति, प्रेरणा और संबंधित विषयों का अध्ययन शामिल है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता	कैप्टन सुनिलकुमार निगमित योजना, कार्मिक एवं परियोजना प्रबंधन, रणनीतिक सोर्सिंग और आपूर्ति श्रृंखला संचालन में समृद्ध विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने नेतृत्व, इंजीनियरिंग प्रबंधन, लागत आकलन, निर्यात रणनीति और सीमा पार सहयोग में अपनी मजबूत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उनका अनुभव रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण, दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो उनकी नौसेना की पृष्ठभूमि और उद्योग प्रमाणपत्रों पर आधारित है।
सूचीबद्ध संस्थाएं (जीआरएसई के अलावा) जिनमें व्यक्ति निदेशक पद और बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता भी रखता है।	शून्य
पिछले तीन वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा	शून्य
अन्य असूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद और ऐसी असूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
नियम और शर्तें पारिश्रमिक के विवरण के साथ नियुक्ति	कंपनी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति की शर्तें भारत सरकार के पास निहित हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम पारिश्रमिक	लागू नहीं। कैप्टन पी. सुनिलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद की गई थी।
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	लागू नहीं। कैप्टन पी. सुनिलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद की गई थी।
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या (स्वयं और लाभकारी स्वामी के रूप में)	शून्य

श्री राजीव प्रकाश (डी आई एन : 08590061)	
आयु	56
नियुक्ति की तिथि	15 जुलाई 2025
योग्यता(एँ)	• भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा अधिकारी (आईपी&टीएएफएस) - 1995 बैच • दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अंग्रेजी में बीए ऑनर्स • इरास्मस विश्वविद्यालय के सामाजिक अध्ययन संस्थान से विकास अध्ययन में एम.ए.
संक्षिप्त बायोडाटा	श्री राजीव प्रकाश, संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली), को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2025 से गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री राजीव प्रकाश को वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। जून 2022 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक (वायरलेस योजना एवं वित्त) के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा, वे ढाई वर्षों से अधिक समय तक भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी रहे। उल्लेखनीय है कि श्री राजीव प्रकाश इससे पहले 23 जून 2022 से 10 दिसंबर 2024 तक जीआरएसई के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के पद पर भी कार्यरत थे।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्त, दूरसंचार और रक्षा उत्पादन में व्यापक अनुभव। नीति निर्माण, वायरलेस योजना एवं वित्त, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के शासन में सिद्ध विशेषज्ञता। उन्होंने नेतृत्व, नीति निर्माण, योजना एवं वित्त, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के शासन में प्रबल क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
सूचीबद्ध संस्थाएं (जीआरएसई के अलावा) जिनमें व्यक्ति निदेशक पद और बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता भी रखता है।	• 08 दिसंबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 तक बीईएमएल लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक। • 10 सितम्बर 2024 से 14 जुलाई 2025 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक। • 10 दिसंबर 2024 से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक ।
पिछले तीन वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा	शून्य
अन्य असूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद और ऐसी असूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	• 14 सितंबर 2022 से 14 जुलाई 2025 तक ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक। • 19 मई 2025 से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक।
नियम और शर्तें पारिश्रमिक के विवरण के साथ नियुक्ति	कंपनी, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति की शर्तें भारत सरकार के पास हैं। तदनुसार, श्री राजीव प्रकाश, सरकारी नामित निदेशक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं और वे सरकार के अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। वे किसी भी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम पारिश्रमिक	भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तथा सरकार के अगले आदेश तक पद पर बने रहने वाले सरकारी नामित निदेशक के रूप में, वह बोर्ड या इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	दो (2) बैठकें
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या (स्वयं और लाभकारी स्वामी के रूप में)	शून्य

कमांडर. शांतनु बोस (डी आई एन : 09631817)	
आयु	57 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	08 जून 2022
योग्यता(एँ)	• कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला एवं जहाज निर्माण में बी.टेक. • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से डिप्लोमा • जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी, मुंबई से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
संक्षिप्त बायोडाटा	कमांडर शांतनु बोस , भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त), भारतीय नौसेना में लगभग 23 वर्षों की कमीशन प्राप्त सेवा प्रदान करने के बाद 2013 में जीआरएसई में शामिल हुए । उन्होंने 8 जून 2022 से कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) का पदभार ग्रहण किया। कमांडर बोस एक योग्य और अनुभवी नौसेना वास्तुकार हैं, जो 2013 से जीआरएसई द्वारा संचालित कई परियोजनाओं के प्रभारी रहे हैं। अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, उन्होंने महाप्रबंधक (मेगावाट एवं पी17ए) के रूप में कार्य किया। कमांडर शांतनु बोस, भारतीय नौसेना (सेवानिवृत्त), पोत निर्माण, परियोजना निष्पादन और टीम नेतृत्व के सभी पहलुओं में गहन तकनीकी अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। उन्होंने एकीकृत निर्माण (आईसी) पद्धति को अपनाने, डिज़ाइन के लिए वर्चुअल रियलिटी लैबोरेटरी (वीआरएल) के उपयोग और उत्पाद डेटा मॉडल (पीडीएम) तथा उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (पीएलएम) प्रणालियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका निरंतर ध्यान अनुसंधान एवं विकास पहल, बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने पर है। उनके नेतृत्व में, जीआरएसई की आरबीडी यूनिट का उल्लेखनीय उन्नयन हुआ है और यह वर्तमान निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स के सदस्य भी हैं
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता	नौसेना वास्तुकला, एकीकृत निर्माण तकनीक, डिज़ाइन नवाचार और बुनियादी ढाँचे की योजना और कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव । अनुसंधान एवं विकास पहलों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासन में सिद्ध विशेषज्ञता , साथ ही उच्च-प्रौद्योगिकी रक्षा विनिर्माण परिवेश में नेतृत्व, स्वदेशीकरण रणनीतियों और टीम विकास में सिद्ध क्षमताएँ।
सूचीबद्ध संस्थाएं (जीआरएसई के अलावा) जिनमें व्यक्ति निदेशक पद और बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता भी रखता है।	शून्य
पिछले तीन वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा	शून्य
अन्य असूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद और ऐसी असूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
नियम और शर्तें पारिश्रमिक के विवरण के साथ नियुक्ति	कंपनी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति की शर्तें भारत सरकार के पास निहित हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम पारिश्रमिक	₹77.84 लाख
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	नौ (9) बैठकें
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या (स्वयं और लाभकारी स्वामी के रूप में)	15 इक्विटी शेयर

पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल, डॉ . सी.वी. आनंद बोस की गरिमामयी उपस्थिति में 5 नवंबर 2024 को प्रथम एवं द्वितीय नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का शिलान्यास समारोह

18 जून 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान की विशिष्ट उपस्थिति में, प्रथम पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान, आईएनएस अर्णाला का प्रवर्तीकरण

डॉ. समीर वी कामत , सचिव, रक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की उपस्थिति में 16 अप्रैल 2025 को एनपीओएल के लिए अत्याधुनिक ध्वनिक अनुसंधान पोत के निर्माण का शुभारंभ

भारतीय नौसेना को तीसरा सर्वेक्षण पोत (बड़ा) भा. नौ. पो. इक्षक की सुपुर्दगी कमोडोर अरविंद चारी, सीएसओ (तकनीकी) (दक्षिण) की उपस्थिति में 14 अगस्त 2025 को

भा. नौ. पो. अभय , 7वें पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का जलावतरण वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर , एवीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान की विशिष्ट उपस्थिति में, श्रीमती संध्या पेंढारकर , अध्यक्षा, एनडब्ल्यूडब्ल्यूए (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा 25 अक्तूबर 2024 को

मेसर्स कार्स्टन रेहडर शिफ्समैकलर और रीडेरेई जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी के लिए आठ बहुउद्देशीय पोतों की प्लेट कटिंग 17 अप्रैल 2025 को

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED

CIN L35111WB1934GOI007891

पंजीकृत कार्यालय: जीआरएसई भवन 61,
गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024

Registered Office: GRSE Bhavan, 61,
Garden Reach Road, Kolkata - 700 024.

- Tel: 033-2469 8101 • Fax: 033-2469 8150
- E-mail: co.sec@grse.co.in • website: www.grse.in

grsekolkata

officialgrse

OfficialGRSE

company/garden-reach-shipbuilders-engineers-ltd

gardenreachshipbuilderseng4352

About *GRSE*